Page No 1

राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8 चतुर्थ विधान सभा के अष्टम् सत्र का दसवां दिवस संख्या 7

बुधवार,

दिनांक 20 मई, 1970

विधान सभा की बैठक प्रातः 8-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारंभ हुई,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, गृह, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, खनिज, जनस्वास्थ्य विभाग]

श्री उपाध्यक्ष । प्रश्न । श्री मूलचंद डागा ।

जमीन का गैर कानूनी बेचान

130. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि पिछली पाली नगरपालिका ने श्री लालचन्द संचेती को आम सडक के चौराहे पर कोई जमीन बेची यदि हां तो कब व कितने रुपये गज ?

(2) क्या यह सत्य हैं कि राज्य सरकार की सन् 1968 में जो आज्ञाएं, स्वायत्त शासन विभाग से निकली हैं, उनके अन्तर्गत यह विक्रय गैर कानूनी हैं ? यदि हां तो सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस भूखंड को बेचने से जो पहले का प्लान है वह प्लान नहीं रहेगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उक्त बेचान कानून की दृष्टि से नाजायज है और इसलिए सरकार ने कलेक्टर पाली के नाम यह आदेश जारी कर दिया था कि इस प्रकार के भूखंड पर कोई इमारत नहीं बनाने दी जाय ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जो हां। 18-8-1968 को 3) रुपये प्रति वर्ग गज से।

(2) विक्रय गैर कानूनी है या नहीं, प्रश्न विचाराधीन है।

(3) विक्रय से पूर्व जितनी भूमि खुली थी अब उतनी खुली नहीं रहेगी।

(4) भूमि का विक्रय जिलाधीश द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त विक्रय के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधीश को मामले से अवगत कराने हेतु लिखा गया। इस पर जिलाधीश ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य को रोके जाने के लिए स्टे आर्डर दिए हैं।

श्री मूलचंद डागा : क्या कानूनन यह जमीन बेची जा सकती थी ? आपका निर्णय क्या था ?

श्रीमती सुमित्रा : विभाग का निर्णय था। 21·6·68 को ऐसा परिपत्र जारी किया गया था कि जो सड़क पर भूमि है वहां लीज पर थड़ी लगाने के लिए न दी जाय।

श्री मूलचंद डागा : यह वही जमीन थी वह सड़क के किनारे पर थी, आपके सिद्धांत से जो आपने नोटिफिकेशन निकाला है, उसके आधार पर नहीं दी जानी चाहिए थी।

श्रीमती सुमित्रा : परिपत्र के अनुसार तो नहीं दी जानी चाहिए थी लेकिन यह चैरिटेबुल पर्पज के लिए थी, इसलिए दी गई।

श्री मूलचंद डागा : यह गलत है, चैरिटेबुल पर्पज नहीं है। यहां की जमीन 170) गज के हिसाब से दी गई। इसके लिए नगरपालिका के सदस्यों ने एतराज किया। बोर्ड ने ऐतराज किया।

श्रीमती सुमित्रा : प्याऊ चैरिटेबुल पर्पज में नहीं आती है तो ···

श्री मूलचंद डागा : वह विश्राम गृह बना रहे हैं। मेहरबानी करके देखें। वह वहां अपनी दुकान भी लगायेंगे और विश्राम गृह भी बनायेंगे, उस सड़क पर 5 प्याऊ हैं।

श्रीमती सुमित्रा : आप परेशान क्यों हो रहे हैं ? स्टे आर्डर दिया गया है मामला विचाराधीन हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं परेशान इस लिए हूं, कि आपका विभाग किसी मामले पर डेढ़ साल से निर्णय न ले सके, अभी, तक पेंडिग पड़ा हुआ है। 4 बार मौका देखा है मंत्री ने, उपमंत्री ने, डाइरेक्टर ने डिप्टी डाइरेक्टर ने और सबने माना है कि नाजायज एलाटमेंट है।

श्रीमती सुमित्रा : जब इस तरह से पाया गया तब तो स्टे आर्डर दिया गया।

श्री मूलचंद डागा : स्टे आर्डर देने के बाद क्या दो साल मामला पेंडिग पड़ा रहता है ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि इस मामले में श्री मूलचन्द डागा एक पार्टी के वकील हैं ?

श्री मूलचंद डागा : जी नहीं, मैं वकील नहीं हूं। मैं म्यूनिसिपल मेम्बर था।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या यह सही है कि जो प्रोपोजल्स पहले के थे

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

उस समय श्री मूलचन्द डागा म्युनिसिपल चैयरमेन थे ।

श्री मूलचंद डागा : जी हां, मैं था।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : माननीय सदस्य अभी भी वकील हैं ।

श्री मूलचंद डागा : मैं उस मुकद्दमे में वकील नहीं था ।

प्रश्न सं॰. 131

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं॰ 132

श्री श्रीराम रावत

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री नथमल चौहला। प्रश्न संख्या 133.

ग्राम खेड़ी के तन में भूमि का अलाटमेंट

133. श्री नथमल चौहला (लक्ष्मण-गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिला की तहसील लक्ष्मण गढ़ के ग्राम खेड़ी के तन में खसरा नं. 124 का कितना क्षेत्रफल है और यह जमीन अलॉट होने से पहले किस किस्म की थी तथा इसमें किस किस अधिकारी को व उनके परिवार के सदस्यों को भूमि आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि का आवंटन तहसीलदार व सरपंच द्वारा ही किया गया है और अन्य सदस्यों को कोई सूचना नहीं दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में हजारों पेड़ थे ? यदि हां, तो क्या उनकी कीमत जमा हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि खसरा नं. 124 की शेष भूमि में अब भी बहुत पेड़ खड़े हैं ?

राजस्व उपमंत्री (श्री गंगाराम चौधरी): इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, स्थगित किये जाने के लिये निवेदन है ।

श्री नथमल चौहला : पहले भी यह प्रश्न दो बार स्थगित हो चुका है। जमीन सरकारी अधिकारियों को नाजायज तरीके से एलाट हो रही हैं। यह तीसरी बार स्थगित हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री डूंगाराम रांजोरिया (दौसा सु.) : सिर्फ एक ही गांव की सूचना मांगी है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

तहसील आमेर की खानों की रायल्टी की बकाया

134. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीदड़ बेनाड़ मोचड़ा तहसील आमेर के पहाड़ों की रायल्टी का ठेका सन् 1966 में किस को दिया गया और कब से कब तक का दिया गया ?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

क्या ठेकेदार से कोई एग्रीमेंट लिखाया गया ? यदि हां तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सच हैं कि उक्त ठेकेदार ने स्वयं काम न कर छिगनलाल शर्मा को सब-लीज पर दे दिया ? यदि हां तो छिगन-लाल ने खान पर कब तक काम किया ?

(3) क्या यह सच हैं कि पूर्व ठेकेदार ने अपना समय समाप्त होने पर विभाग को लिख कर दे दिया कि भविष्य में रायल्टी वसूली की जिम्मेदारी उसकी नहीं है ? यदि हां तो इसके बाद सरकार ने खानों का क्या इन्तजाम किया ?

(4) तारीख 30-3-1966 के बाद इन खानों से क्या क्या रकम वसूल हुई और किसके द्वारा ?

(5) क्या यह सच है कि विभाग ने 30-3-1966 से जुलाई सन् 1966 तक इन खानों से कोई रुपया वसूल नहीं किया ? यदि हां तो क्यों जबकि खानें इस अर्से में बराबर चालू रही हैं ?

उप मन्त्री खनिज (श्री भीमसेन) : (1) यह ठेका दिनांक 3-4-64 से 31-3-66 तक श्री मोहनलाल पुत्र राम सहाय ग्राम हरमड़ा वाले के नाम रहा। एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ठेकेदार ने 30-3-1966 के पत्र द्वारा मयाद आगे बढ़वाने से इन्कार कर दिया था जिसके बाद विभाग द्वारा रायल्टी वसूली की कार्यवाही की गई।

(4) दिनांक 31-3-1966 के पश्चात् विभाग द्वारा रायल्टी वसूली निम्न प्रकार की गई:—

वर्ष	रुपये
1966-67	11,63.30
1967-68	3,200.00

(5) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जिस समय ठेके का पीरियड था, उस समय एक वर्ष में कितनी आय हुई और जब विभाग ने वसूल की तो कितनी आय हुई, दोनों में अन्तर के क्या कारण हैं, आपने उनकी जांच की ?

श्री भीमसेन : यह जो ठेका दिया गया था वह 3240) वार्षिक...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ऐपेरेन्टली करीब करीब हजार रुपये का प्रतिवर्ष नुक्सान होता है राज्य सरकार को। इसके कारणों की जांच की ?

श्री भीमसेन : 1967-68 में 3200) की आमदनी हुई है रायल्टी की।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जैसा मैने प्रश्न पूछा है कि पूर्व ठेकेदार ने अपना समय समाप्त होने पर विभाग को लिख कर दे दिया कि भविष्य में रायल्टी वसूली की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। आपने कहा नहीं, सब-लीज पर नहीं दिया गया, खुद काम करता था। यह गलत है। आप जांच करें

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

तो पता लगेगा कि सब लीज पर दिया गया। प्रश्न उठता है कि राज्य सरकार को प्रति वर्ष होने वाली आय में भी नुकसान होता है। जब प्रश्न आते हैं तो आपको विचार करना चाहिये इस विषय में राज्य सरकार जांच कराने को तैयार है ?

श्री भीमसेन : जैसा मैंने प्रश्न 4 के उत्तर में बताया, 1967-68 में 3200) की आमदनी हुई है, इसलिए नुक्सान का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न संख्या 135

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनलाल वर्मा।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसका उत्तर दिलाया जाय, इसका अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित है।

श्री उपाध्यक्ष : समय बच जायगा तो उत्तर दिया जायगा।

श्री अमी यादव।

मोढ़न से काठवास एप्रोच रोड़ की स्वीकृति

136. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मोढ़न से काठूवास तहसील बहरोड़ जिला अलवर की एप्रोच रोड़ स्वीकृत है ? यदि हां तो कितनी धनराशि स्वीकृत हैं ?

(2) क्या उक्त एप्रोच रोड़ को इसी वित्तीय वर्ष में बनाने के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है ? यदि हां तो इस अप्रोच रोड़ का कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जावेगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद):

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री अमीलाल यादव : यह सड़क सन 1966 में सैंक्शन हुई थी और इसके पत्र भी एग्जीक्युटिव इन्जीनियर के यहां पहुंच गये थे और इसका सर्वे भी हो गया था, क्या यह सही है ? दूसरी बात यह सड़क जो है वह अलवर जिले का जो रेल्वे स्टेशन खैरथल है उसको छोड़कर दूसरा नम्बर में काठूवास है। यह सड़क जरूरी है, इसकी पहले ही स्वीकृति जा चुकी है इसलिये जो आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा वह सही नहीं है। अगर पुराने कागजात देखेंगे तो सैंक्शन है। इसका बाकायदा सर्वे हुआ है दो बार। इस बात का झगड़ा था कि मंगलपुर ग्राम से निकालें या उसको छोड़ कर निकालें। आप इसके महत्व को देखें। सैंक्शन है। आपने जो प्रश्न नं 1 का उत्तर दिया है पिछले कागजात को देख कर नहीं दिया है। वहां का रेल्वे स्टेशन हरियाणा और राजस्थान से मिलने का कारण उसका महत्व है। यह डेढ़ मील का टुकड़ा है इसलिये आश्वासन दें कि इसको जल्दी से जल्दी बनायेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : पुराने कागजात के हिसाब से तो आप इधर विराजने वाले थे।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, मैं इसके महत्व को जानते हुए इस ओर ध्यान दे रहा हूं। जैसे ही धनराशि उपलब्ध होगी हम जल्दी से जल्दी कर देंगे, हो सकता है इस साल हो अगले साल हो। यह धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर होगा, लेकिन करवाना जरूर है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !! अगला प्रश्न ! श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा।

कृषकों से लगान व तकावी की वसूली

137. **श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि अकलेरा तहसील के सर्किल भालता में कई कृषकों से लगान एवं तकावी की राशि पटवारी कानूनगो द्वारा कच्ची रसीदों पर ली गई है किन्तु उक्त राशि राजकीय कोष में जमा नहीं करायी गई ?

(2) क्या यह सत्य है कि कृषकों ने इस सम्बन्ध में तहसीलदार, एस. डी. ओ. एवं जिलाधीश को भी शिकायतें की है ? यदि हां, तो उन पर क्या तथा किन किन पटवारी एवं कानूनगो के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) निम्न कृषकों से भू-राजस्व एवं तकावी की राशि कब ली गई एवं खजाना राज में कब जमा हुई :

1. प्यारा आत्मज हसना पिंजारा भालता

2. भैरू आत्मज रामा कहार भालता

3. लक्ष्मन पुत्र मोतीलाल भालता

4. भैरू पुत्र प्यारा चर्मकार भालता

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(1) जी हां। किन्तु राशि खजाने राज जमा हो चुकी है।

(2) जी हां। सर्व श्री अजीतसिंह, कानूनगो एवं नाथूलाल पटवारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। दोषी कर्मचारी को जो चार्ज शीट दी गई है उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) प्यारा आत्मज हसना पिंजारा भालता के दिनांक 18, 19-4-69 की राशि वसूल की गई व दिनांक 24-6-69 को सरकारी कोष में जमा की गई।

भैरू आत्मज रामा कहार भालता की रसीद में तारीख अंकित नहीं है किन्तु रकम दिनांक 21-6-66 को जमा राज कोष होना पाया जाता है।

लछमन पुत्र मोती भील की रसीद में तारीख अंकित नहीं है, श्री नाथूलाल पटवारी द्वारा दिनांक 2-9-64 व 7-8-65 को राज कोष में रकम जमा हुई है।

श्री भैरू पुत्र प्यारा चर्मकार का मामला जिलाधीश की जानकारी में नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री बिट्ठलप्रसाद शर्मा : आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि जिस तारीख को काश्तकारों से पैसा लिया गया है उसके कम

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

से कम चार महीने के बाद यह रकम राज कोष में जमा हुई। इसमें इस प्रकार से राज कोष का पटवारी और कानूनगो के द्वारा धन का दुरुपयोग किया गया है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर दिया है कि पटवारी और कानूनगो को चार्ज शीट दे दी गई है। टेकनिकली यह एम्बेजलमेंट है और चार्ज शीट देने के बाद इन्कवायरी जारी है। जो भी इन्कवायरी का निर्णय होगा और वह दोषी पाये जायेंगे तो दोनों अधिकारियों को सजा दी जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस प्रकार की व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि काश्तकार सीधा जा कर राज कोष में पैसा जमा करा दे ? पटवारी और कानूनो के द्वारा पैसा राज कोष में जमा कराने के बजाय क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि कृषक सीधा जाकर राज कोष में जमा करा दे।

श्री गंगाराम चौधरी : नियमों में प्रावधान है कि कृषक चाहे तो सीधा जाकर राज कोष में पैसा जमा करवा सकता है। लेकिन वह नहीं करवाता है तो पटवारी और कानूनगो को वसूली करने के लिए जाना पड़ता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह।

मकराना नगरपालिका का विस्तार

138. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं के चुनाव स्थगित करते समय सरकार ने यह भी कारण दिया था कि नगरपालिकाओं की सीमाओं का विस्तार किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका की सीमा के विस्तार के लिए जिलाधीश नागौर ने राज्य सरकार की सम्पूर्ण कार्यवाही के साथ अपनी सिफारिश कर दी थी।

(3) क्या यह सही है कि मकराना नगरपालिका के विस्तार के लिए राज्य सरकार को अनेकों बार कागजात भेजे जा चुके हैं परन्तु हमेशा इस मामले को शान्त कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

(4) क्या नगरपालिका मकराना की सीमा का विस्तार होना जरूरी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों नहीं किया जाता ? क्या इसमें किसी प्रकार की राजनीतिक अड़चन आती है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस क्वेश्चन को स्थगित किये जाने के लिए निवेदन करती हूं।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सवाल को मैं तीन साल से पूछ रहा हूं और मंत्री महोदय इस प्रश्न को तीन साल से आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर नगरपालिका का विस्तार करने से कांग्रेस का चैयरमैन नहीं बनता है इसलिए विस्तार नहीं किया जाता है, और एक प्रकार का राजनतिक

(श्री विजयसिंह)

स्टन्ट इसको बनाया जाता है। इसके आस पास की ढाणी है वह म्युनीसिपल ऐरिया में आना चाहती हैं और म्युनीसिपल ऐरिया की सुविधा प्राप्त करना चाहती है लेकिन वह सुविधायें प्राप्त करने का उनको मौका नहीं दिया जाता है और इसको एक राजनैतिक स्टन्ट बनाया जाता है। ऐसी बात इसमें नहीं है कि प्रपोजल नहीं हों। कलेक्टर महोदय, नागौर ने कम से कम चार साल पहले राज्य सरकार के पास प्रपोजल मय आंकड़ों के बना कर भेज दिया, फिर भी राज्य सरकार उस पर निर्णय नहीं करती हैं। खैर, कोई बात नहीं, मंत्री महोदय यह नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट में चले जायेंगे और हाई कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले पड़े हैं। लेकिन फिर मंत्री महोदय को मुंह की खानी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : क्या मुंह की खानी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न! श्री रामप्रसाद बोहरा।

झालावाड़ जिले में पुलिस वेलफेयर टिकटों का बेचान

139. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में पुलिस विभाग द्वारा हर साल पुलिस वेलफेयर के लिए टिकट जारी कर लोगों से रुपया लिया जाता है? क्या नवम्बर, 69 में इसी प्रकार प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर लोगों से रुपया लिया गया है? यदि हां, तो किस किस थाने से कितना कितना रुपया इस फण्ड में जमा हुआ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन रुपयों के इकट्ठा करने के लिये प्रत्येक स्थानीय थानेदार को सख्त आदेश दिये गये कि इतना रुपया लाना है और इन अधिकारियों ने बस व ट्रक मालिकों तथा दीगर लोगों से रकम जबर्दस्ती दबाव देकर इक्ट्ठी की है?

(3) क्या यह सही है कि बन्दूकों के लाइसेंस वालों, केस रजिस्टर कराने वालों मुखिया या सरपंचों तथा दुकानदारों से यह चन्दा लिया गया?

(4) क्या इस रकम के इकट्ठा करने का राज्य सरकार या किसी विभागीय अधिकारी का आदेश था?

(5) उक्त रकम जो हर साल इकट्ठी की जाती रही है वह कहां जमा होकर किस किस कार्य में खर्च होती रही है?

(6) सन् 1967-68 व 69 में कितनी रकम इकट्ठी हुई और कब कब कहां कहां खर्च की गई? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राज्य मंत्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) पुलिस वेलफेयर फण्ड के लिए सन् 1969 में जिन जिन पुलिस थानों से मेजिक शो के जरिये जो रुपये इकट्ठे किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(2) जी नहीं, चन्दा लोगों से व्यक्तिगत तौर पर उनको स्वेच्छा से लिया गया।

(3) जी नहीं, यह गलत है।

(4) जी हां, इस प्रकार से रकम इकट्ठा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियम बने हुए हैं।

(5) इस तरह से प्राप्त रकम पी०डी० एकाउन्ट में जमा की जाती है व राज्य सरकार के बनाये नियमों के अनुसार खर्च की जाती है।

(6) सन् 1967 में 39708 सन् 1968 में कुछ नहीं व सन् 1969 में 20305 रुपये इकट्ठे किए गए। इन रुपयों के खर्च का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा : राज्य सरकार द्वारा चन्दा वसूल करने का आदेश कब दिया, किसने दिया और क्या इस प्रकार का आदेश दिया है कि लोगों से शक्ति करके रुपया वसूल किया जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्टरूप से उत्तर में बताया है किसी से भी जबर्दस्ती या तंग करके चन्दा प्राप्त नहीं किया जाता बल्कि स्वेच्छा से प्राप्त किया जाता है। और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के रूल्स 1966 में बने हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इस प्रश्न के खण्ड 3 के उत्तर में आपने जी नहीं कहा है, यह किस आधार पर कहा है। जो सूची है, क्या इसमें वही आदमी है जिनके केस थाने में दर्ज हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो सूची मैंने दी है उसमें हर थाने में कितना रुपया इकट्ठा किया गया व दिया है, अब किसके खिलाफ केस दर्ज हैं यह पता नहीं है। मैंने यह स्पष्ट उत्तर दिया है कि जबर्दस्ती से, किसी का केस होने की वजह से या पुलिस से किसी का काम होने की वजह से चन्दा नहीं लिया गया है। लोगों ने स्वेच्छा से यह दिया है।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा : कोई भी आदमी ने स्वेच्छा से चन्दा नहीं दिया है। क्या यह सही है कि किसी भी व्यक्ति ने स्वेच्छा से रकम नहीं दी है बल्कि हर पुलिस वाले ने मोटर वालों से, ट्रक वालों से जोर जबर्दस्ती करके पैसा वसूल किया है। यह आम शिकायत है।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रकार की कोई शिकायत राज्य सरकार के पास प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामकिशन (वैर) : क्या कभी मन्त्री महोदय को किसी थानेदार से पाला पड़ा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रोजाना पड़ता है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पुलिस से मन्त्री की हैसियत में पाला पड़ता है, ट्रक ड्राइवर की हैसियत से नहीं पड़ता है।

क्या यह राज्य सरकार उचित समझती है कि जो एक्जीक्यूटिव बोडी है, जो गवर्न करती है उसको चन्दा इकट्ठा करने का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अधिकार दिया जाय ? इसमें दोनों ही बातें हैं—स्वेच्छा से लेना या बलपूर्वक लेना इनमें डिमार्केशन करना मुश्किल है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ऐसा नहीं है, डिमार्केशन किया जा सकता है। अगर कोई शिकायत आये तो उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन राज्य सरकार को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस प्रकार ...

श्री हरजीराम बुरड़क : किसी आदमी का केस थाने में नहीं हो और किसी अधिकारी के पास उसका केस नहीं हो तो ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा : आप इस पर ख्याल फर्मावें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रोजमर्रा देखने की बात है। पुलिस जैसे डिपार्टमेंट को, जिनके पास बहुत ज्यादा पहले ही अधिकार हैं, इस प्रकार से चन्दा इकट्ठा करने की अनुमति देना या जनता को हरेसमेंट करना और जनता से जबर्दस्ती पैसा लेने का अधिकार देना है। इसलिये ऐसे अधिकार को गवर्नमेंट को वापिस लेना चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई इसलिए यह अधिकार वापिस लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई शिकायत आवे और यह साबित हो कि स्वेच्छा से नहीं लिया जाता है और काम होने की वजह से या जबर्दस्ती लिया जाता है तो विचार किया जा सकता है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या मन्त्री महोदय ने इस सवाल के आने के बाद में कोई जांच की है कि क्या यह सही है कि पूर्व में यह रुपया इस फन्ड में ट्रक वालों, मोटर वालों और दूसरे वाहन चलाने वालों से और मुकद्मे वालों से लिया गया है और आया है तो क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि आयन्दा कोई ऐसी कार्यवाही नहीं की जायगी। पुलिस के साथ जिनके सम्बन्ध हैं उनसे यह चन्दा वसूल नहीं किया जाय और दीगर विभाग इस चन्दे को वसूल करे तो दूसरी बात है। लेकिन क्या मन्त्री महोदय तैयार हैं कि इस प्रकार की जांच करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में नहीं हो

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर आप कोई स्पेसिफिक केस दें तो जरूर जांच करा लेंगे और सही साबित होने पर सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राज्य सेवा नियम के अन्तर्गत कोई राज्य कर्मचारी बिना सरकार की अनुमति के किसी प्रकार का कोई चन्दा इकट्ठा नहीं कर सकता ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह स्पष्ट है कि यह चन्दा इकट्ठा किया गया है, यह राज्य सरकार के द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर किया गया है और इसको खर्च भी राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत ही किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गुजरात के भूतपूर्व आई.जी. श्रीनागरवाला के विरुद्ध आरोप लगाया गया था और यह प्रमाणित होने पर कि पुलिस वेल्फेअर के नाम से चन्दा इकट्ठा करा कर मन्दिर बनवाया है, राज्य सरकार की सेवा से उनको पृथक किया गया था।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या इसका ऑडिट होता है ?

प्रश्न सं० 140

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण।

सरदार शहर नगरपालिका द्वारा नेहरू पार्क का निर्माण

141. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरदार शहर नगरपालिका के चुंगी नाके पर और नेहरू पार्क के पत्थर के हिसाब में गबन एवं घोटाले राज्य सरकार के ध्यान में आए हैं ? यदि हां, तो कब, कितने-कितने के और किसके द्वारा ?

(2) गबन एवं घोटालों की जानकारी मिलने पर राज्य सरकार ने और नगरपालिका के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की और कब-कब ?

(3) इस गबन और घोटालों के लिए सरकार की जानकारी के अनुसार कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कब की गई ? क्या उन व्यक्तियों के कार्यकाल का स्पेशल आडिट करवा लिया गया है ? यदि हां, तो वह आडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय और यह भी बतलाया जाये कि उस आडिट के अनुसार कुल कितना गबन किसके विरुद्ध निकला है ?

(4) क्या कोई विभागीय जांच भी करवाई गई है ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा) : (1) चुंगी नाका पर गबन सम्बन्धी सूचना माह मार्च, 1969 में प्राप्त हुई थी। चुंगी नाका पर निम्न सात कर्मचारियों के द्वारा अंकित राशि गबन की मानी बतलाई गई है:—

1.	श्री माणकचन्द	100 28
2.	श्री महावीर प्रसाद	115.39
3.	श्री पुखराज	93.91
4.	श्री सदीक	18.67
5.	श्री मालचन्द	9.30
6.	श्री अकबर अली	132.68
7.	श्री शंकर लाल	0.40
	योग	470.63

नेहरू पार्क के निर्माण कार्य में भुगतान में अनियमिततायें होने सम्बन्धी जानकारी माह मार्च, 1969 में हुई थी। जिम्मेदारी ठहराने सम्बन्धी जांच जारी है।

(श्रीमती सुमित्रा)

(2) चुंगी नाका पर गबन होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने :

(क) कर्मचारियों को निलम्बित करने व विभागीय जांच हेतु दिनांक 20-3-69 को लिखा।

(ख) मामले को पुलिस में देने हेतु दिनांक 25-4-69 को लिखा।

(ग) स्पेशल आडिट हेतु दिनांक 18-3-69 को लिखा गया।

नगरपालिका ने :

(क) आदेश दिनांक 4-1-69 के जरिये सर्वश्री अकबर अली, महावीर प्रसाद, पुखराज को निलम्बित कर दिया।

(ख) आदेश दिनांक 22-3-69 द्वारा श्री खुशमिजाजी लाल अधिशाषी अधिकारी को जांच अधिकार नियुक्त किया।

नेहरू पार्क के निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं की जांच हेतु जिलाधीश को दिनांक 17-3-69 को लिखा गया।

(3) उत्तर प्रश्न के भाग 1 में दे दिया गया है। स्पेशल आडिट करवा लिया गया है। आडिट रिपोर्ट 143 पृष्ठों की है इसलिए इतनी कम अवधि में प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं था।

आडिट रिपोर्ट के अनुसार 10142.49 पैसे की चुंगी कम वसूल करना बतलाया गया है। इस राशि में से 7375.45 की राशि जमा हो चुकी है।

(4) विभागीय जांच हेतु लिखा गया है।

श्री दौलतराम सारण : आपने यह बताया है कि इसमें बहुत कुछ गबन की राशि 945.18 पैसे 7 आदमियों के विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में मैंने मार्च, 1969 में एक प्रश्न पूछा था और उस समय आपने यह बताया कि यह राशि 7 हजार और कुछ रुपयों की थी और आज आप कह रही हैं कि 7375.45 रुपये तो जमा करा दिये गये हैं। क्या यह चुंगी में कम वसूली हुई है और यह जमा किसने कराया है ?

श्रीमती सुमित्रा : यह तो जिन लोगों के खिलाफ होगा उन लोगों ने जमा कराया होगा।

श्री दौलतराम सारण : होगा का सवाल नहीं है। यह गबन का मामला है और जो 7375 रुपये जमा कराये हैं क्या यह उन नाकेदारों ने जमा कराया है जिनके खिलाफ गबन के आरोप हैं या उन दुकानदारों ने जमा कराया है जिनसे चुंगी कम वसूल हुई है याने जिन दुकानदारों से चुंगी कम वसूल हुई है उन दुकानदारों ने क्या यह रकम जमा कराई है ?

श्रीमती सुमित्रा : यह सूचना मेरे पास में उपलब्ध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह तो मूल मुद्दा है उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर इस सदन में बड़ी गम्भीरता से विचार किया गया था और उस समय मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि मामला तुरन्त पुलिस को दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस को यह मामला दे दिया गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : हां, जी पुलिस को यह मामला दे दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : कब दे दिया गया है ?

श्रीमती सुमित्रा : यह तो मैंने मूल प्रश्न में ही बता दिया है। 25-4-69 को दे दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : यह मामला पुलिस को नहीं दिया गया है। मूल प्रश्न का जो उत्तर आपने दिया है उसको आप आंख खोल कर पढ़ें। यह पत्र आपने नगरपालिका को लिखा है लेकिन न नगरपालिका के प्रशासक की ओर से यह मामला इस समय तक पुलिस को नहीं दिया गया है, क्या यह सही है ?

श्रीमती सुमित्रा : मेरी जानकारी में इतना ही है कि राज्य सरकार ने लिख दिया है। उन्होने यह मामला पुलिस में दिया या नहीं यह सूचना मेरे पास में नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : यह नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इस समय तक यह मामला पुलिस को नहीं दिया गया है।

श्रीमती सुमित्रा : यह सूचना मुझे यहां पर उपलब्ध नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण : आपने कहा है कि यह मार्च 69 में आया है। क्या यह सही है कि जिलाधीश को नगरपालिका की ओर से 24-12-68 को सूचना दे दी गई थी इस गबन की ओर एस. डी. एम. ने 3-1-69 को रिकार्ड सीज कर लिया था ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां।

दौलतराम सारण : फिर इतनी लेट सूचना प्राप्त होने का कैसे लिखा है ?

एक माननीय सदस्य : सूचना नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : एस. डी. एम. ने प्रीलिमीनरी इन्क्वायरी की थी। उस पर अब डिटेल्ड विभागीय जांच चल रही है।

श्री दौलतराम सारण : कौन कर रहा है।

श्रीमती सुमित्रा : एक खुशमिजाजी नाम के टी. ओ. थे। पूरी सूचना मेरे पास में उपलब्ध नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, यह जांच भी नहीं हो रही है। इसके अलावा यह प्रश्न पूछा है। यह वसूली आपने बताई है 7375/- रुपये में से 7612.50 पैसे जमा हो गये हैं।

श्रीमती सुमित्रा : मेरे पास में सूचना है 7375/- रुपयों को।

श्री दौलतराम सारण : यह 7612-50 पैसे अकबर अली जो नाकेदार है और गबन करने वाला है उससे वसूल हुए हैं। और इसमें उपाध्यक्ष महोदय, हर तरीके से गबन किया है जैसे 175-75 पैसे की चुंगी हुई तो चुंगी 1.75 पैसे म्युनिसिपैलिटी में जमा करा दी गई और दुकानदार को 175.75 पैसे की रसीद दे दी गई। याने 1.75 पैसे म्युनिसिपैलिटी की रसीद दी और और मालिक को 175.75 की रसीद थी। इसी प्रकार किसी ने 350.25 पैसे चुंगी दी तो

(श्री दौलतराम सारण)

3.50 की रसीद रख दी म्युनिसिपलिटी को और बाकी की पूरी रसीद मालिक को दे दी गई। यह इस प्रकार का गबन है और यह जांच को गई है 65 से 67 तक। 65 से 67 तक की ही जांच की गई है और इसमें 7612.50 पैसे इस प्रकार कम होते हैं। अकबर अली सन् 58 से है। मैंने मूल प्रश्न जो 69 में पूछा था उसमें इसकी स्पेशल ऑडिट की मांग की थी उसकी नियुक्तिकाल से और आपने मन्त्री महोदय इसका स्पेशल आडिट करवाने की बात कही थी। क्या आपने यह करवाया है।

श्रीमती सुमित्रा : अकबर अली को जैसा कि निवेदन किया गया है सस्पेण्ड कर दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : सस्पेण्ड कर देना ही कोई इलाज नहीं है। ऑडिट कब से कब तक का करवाया गया है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित सूचना मंत्रीजी के पास उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार के आदेश को अवहेलना की गई। मैं आपके माध्यम से मन्त्रीजी से यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या नगरपालिका के उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने राज्य सरकार के निश्चित निर्देशों की अवहेलना करके यह मामला अभी तक पुलिस में नहीं दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और यह मामला अविलम्ब पुलिस को दिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा : निश्चिततौर से।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जबसे चुंगी कम ली जाती है या जो चुंगी कम देते हैं उन से 16 गुना रुपया वसूल किया जाता है। 58 से 59 तक की बात थी। यह मेरी जानकारी के अनुसार एक साल में किया है। स्पेशल ऑडिट में 10 हजार 142 रुपये 70 पैसे की चुंगी को कम वसूल होना बताया गया है और इन्होंने गबन में 915-17 पैसे केवल सात आदमियों के विरुद्ध बताया है। मैने ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि के लिए कहा था तो यह कहा गया कि समयाभाव के कारण यह नहीं दी जा सकती है। खैर मैं इसको भी माफ करता हूं परन्तु जो मेरे प्रश्न हैं उनके तो पूरे उत्तर दिये जायें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑडिट रिपोर्ट बहुत लम्बी होगी माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : यह भी मैंने माफ कर दिया। कम से कम मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दिला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित करता हूं।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य चाहें तो ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास से देख सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि वास्तव में गबन 50 हजार रुपयों का हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी सूचना नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा : इसकी जांच चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया माननीय सदस्य। स्थगित किया गया। अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : कब आयेगा।

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार। अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : इसमें दो मुद्दे हैं उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री दौलतराम सारण : एक तो चुंगी का है। दूसरा मुद्दा मैंने बताया है यह चुंगी 7612-50 पैसे जमा कराया गया है। यह केवल दो आइटमों की है। यह दो आइटम हैं ..

एक माननीय सदस्य : यह तो आप उप मंत्री थे उस समय से चल रहा है ? ..

श्री दौलतराम सारण : एक तो बांस लकड़ी का है जो मुख्य रूप से है और दूसरा आइटम इसमें तम्बाखू, चाय, घी, डालडा, मिर्च आदि सामान आता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया है।

श्री दौलतराम सारण : इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। एक दूसरा प्रश्न यह है कि नेहरू पार्क है, इसमें 50 हजार का घाटा निकाला है इसमें 30 हजार रुपये आगये और बाकी 20 हजार रुपयों का कोई हिसाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा : यह तो अब आप स्वायत्त शासन मंत्री थे तब का है ?

श्री दौलतराम सारण : उस समय का नहीं है। आप पधारी हैं तब से यह हो रहा है। तब से यह घोटाला हो रहा है। यह आपके पदार्पण के समय से हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 142

ग्राम झिलाय में अलाट की गई भूमि पर कब्जे

142. श्री जयनारायण खालोदिया (निवांई) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील निवांई के गांव झिलाय में दिनांक 4-7-68 को श्री मूलचंद वल्द किस्तूरचन्द निवांई को खसरा नम्बर 2877 में से सात बीघा जमीन अलाट की थी और पट्टा दिया था ? यदि हां, तो जमीन पर कब्जा कब दिया गया और अलोटी ने क्या क्या काश्त बोई ? सालवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि अलोटमेंट के समय तीन किलो शंकर बाजरा श्री मूलचंद को 24 रु० 75 पैसों में दिया गया था जो जमीन पर कब्जा नहीं किये जाने से पड़ा पड़ा खराब हो गया और अब मय सूद के 28 रु० 25 पैसे की वसूली का नोटिस दिनांक 24-1-70 को दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उसी दिन दिनांक 4-7-68 को जिन जिन लोगों को जमीन अलोट की थी उनको शंकर बाजरा दिया था, पर जमीन पर कब्जा किसी को नहीं दिया था ? यदि हां, तो किन को

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भूमि अलाट की थी व बाजरा कितना कितना दिया था ? कब्जा भूमि पर कितने लोगों को दिया गया ?

उप-मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : जी हां, श्री मूलचन्द पुत्र श्री किस्तूरचन्द को ग्राम भिलाय में दिनांक 4-7-68 को खसरा नं० 2877 में 7 ह० भूमि आवंटित की गयी थी। भूमि अच्छी न होने अलाटी ने न भूमि का कब्जा ही लिया और न पट्टा ही प्राप्त किया। अलाटी ने अब तक भूमि पर काश्त नहीं की है।

(2) जी हां, यह सत्य है कि अलाटी को 3 किलो शंकर बाजरा 25.75 पैसे का बीज हेतु आवंटन के समय दिया गया जिसका मय सूद 28.75 पैसे का जमा कराने का नोटिस अलाटी को दिया गया था। अलाटी ने बीज बीज लेकर भूमि काश्त नहीं की और न उसने बीज ही वापिस किया। इस स्थिति में बीज खराब होना स्वाभाविक है और उसकी मूल्य की वसूली का नोटिस भी स्वाभाविक है।

(3) तारीख 4-7-68 को 18 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी उनमें 14 व्यक्तियों को शंकर बाजरा भी बीज हेतु दिया गया। 18 अलाटीज में से 16 अलाटीज को भूमि का कब्जा दिया गया, 2 अलाटीज ने कब्जा लेने से इनकार किया। एक अलाटी के विरुद्ध अपील दायर होने से कब्जा नहीं दिया गया और एक श्री जगदीश प्रसाद के कब्जा हेतु न आने से कब्जा नहीं दिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि मूलचन्द को बार बार तहसील में आने पर भी और तकाजा करने पर भी कब्जा नहीं दिया गया ? आपने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। उसने खराब जमीन के कारण कब्जा नहीं लिया है और आज भी वह प्रयत्नशील है।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी जानकारी के अनुसार श्री मूलचन्द ने कब्जा लेने से इनकार किया है इसलिये कब्जा नहीं दिया गया।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि श्री मूलचन्द ने पट्टा प्राप्त कर लिया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मूलचन्द को पट्टा नहीं दिया गया अब तक।

श्री जयनारायण सालोदिया : पट्टा मेरे पास है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पट्टा मूलचन्द को दिया गया। आपके पास कैसे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : उन्हीं को दिया गया और उन्होंने लेकर मुझे दिया है कि इस तरह का अन्याय हो रहा है। जमीन अलाट कराये और कब्जा नहीं दे रहे हैं। तीन किलो शंकर बाजरा दिया, कई बार तहसील में गया लेकिन न तो बाजरा लिया और न ही जमीन का कब्जा दिया।

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : कब्जा चाहते हैं तो दिला दिया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : जमीन खराब होने के कारण कब्जा नहीं लिया। दूसरी बात आपने यह बतायी कि पट्टा नहीं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

दिया। जबकि पट्टा उसको दिया गया है। तीसरी बात यह बतायी कि बीज वापिस नहीं दिया जब कि उसने वापिस करने के लिये कई बार वह तहसील में गया। इसलिये आपकी ये तीनों ही बातें सही नहीं हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : पट्टा लेना चाहेंगे और कब्जा लेना चाहेंगे तो दे दिया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब्जा लेना चाहते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : वह दिला दिया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब तक मिल जायगा ? तारीख फरमा दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : वह मिल जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब्जा नहीं चाहते तो वह बार बार क्यों तहसील में जाते ? उनके पास पट्टा है। आपने तीनों बातें बतायीं और तीनों बातें सही नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने आश्वासन दे दिया है कि कब्जा मिल जायगा। तो कब्जा दिला दिया जायगा।

प्रश्न संख्या 143

श्री ओमदत्त भाटी

(अनुपस्थित)

कृपया आगे देखिये,

श्री हरजीराम बुरड़क

झालावाड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा मोटर पार्ट्स की खरीद

144. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डिविजन झालावाड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जनवरी 69 से फरवरी 70 तक कितने 2 मोटर पार्ट्स खरीद किये गये व किस किस वाहन में डलवाये ? सूची मय कीमत पार्ट्स सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) डिविजन झालावाड़ के स्टोर की पूर्व में कितनी लिमिट थी ? और अब कितनी है ? यदि लिमिट बेशी हुई तो किसके आदेश से ?

(3) क्या यह पार्ट्स कान्ट्रेक्ट रेट पर ही खरीद किये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि विलीज जीप के सामान व टाटा के सामान का कान्ट्रेक्ट हो रहा है ? यदि कान्ट्रेक्ट रेट में खरीद नहीं हुई तो क्यों ?

(4) क्या आर्डर विना अर्नेस्ट मनी जमा हुए दिया गया है ? यदि अर्नेस्ट मनी जमा हुई है तो किस किस पार्टी की और कितनी कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या माल की रकम का पेमेन्ट माल स्टोर आने पर हुआ है या आर०आर० पर ही भुगतान कर दिया है ? ट्रक ट्रान्सपोर्ट की रसीद पर भुगतान हुआ है या रेलवे की रसीद पर ?

(6) क्या पूरा सामान आने पर ही भुगतान हुआ है ? यदि नहीं, तो किस

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किस पार्टी में कितना कितना रुपया बकाया है ? और ऐसा क्यों हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : उपाध्यक्ष महोदय, इस क्वश्चन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है इस कारण इसको स्थगित किया जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क : इतने दिनों पहले यह दिया गया था। कौनसी ऐसी सूचना है जो प्राप्त नहीं हुई ?

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : उनको मालूम है कि कल से असेम्बली चलेगी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

नोहर व भादरा में भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का अलाटमेन्ट

145. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नोहर व भादरा में अधिकृत भूमिहीन काफी तादाद में हैं ? यदि हां, तो कुल कितने हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भाखरा क्षेत्र में सरकारी भूमि काफी मात्रा में बची हुई है ? यदि हां, तो नोहर भादरा तहसील में कुल कितनी बीघा भूमि भाखरा क्षेत्र में बची हुई है ?

(3) क्या उक्त बचा हुआ रकबा भूमिहीन काश्तकारों को एलाट किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तथा यदि नहीं तो क्यों ?

उप मन्त्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, इसका सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से है, वहीं इसको भेजा गया है, जहां से इसका उत्तर दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह प्रश्न पहले भी दो तीन दफा आया था और जानबूझ कर उत्तर दिया नहीं जा रहा है। भूमिहीनों को भूमि दिलाने का प्रश्न है। भाखरा क्षेत्र में जमीन पड़ी हुई है इसलिए इस प्रश्न को टालने की गरज से यह कोशिश की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री गंगासहाय।

खनिज पदार्थों की वैराइटीज की रायल्टी से आय

146. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में खनिज पदार्थों की वैराइटीज की रायल्टी से होने वाली आय सन् 1966-67 व 68 के मुकाबले में 1969 में बढ़ी है अथवा घटी है ?

(2) सफेद श्रेणी के पत्थरों की वैराइटीज की रायल्टी से होने वाली आय पूर्वापेक्षा बढ़ी है अथवा घटी है ? यदि घटी है तो इसका क्या कारण है ?

उप मंत्री उद्योग (श्री भीमसेन) : उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है अत: इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस गवर्नमेन्ट को पेरेलेसिस हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ले रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह।

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

जयपुर जिले में भूमि आवंटन

41. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जयपुर जिले की किस तहसील में 1 अप्रैल सन् 1967 से लेकर अब तक किस व्यक्ति को कहां कहां कितनी 2 भूमि का आवंटन किया गया है ? इन आवन्टितों के आवेदन-पत्र कब कब सम्बन्धित पंजिका में दर्ज किये गये ? आवेदन-पत्रों के अनुसार नामों का विवरण पतों सहित सदन को मेज पर रखें।

(2) इस आवंटन के लिये आवन्टन समिति की कब कब कहां कहां बैठकें हुई हैं और इन बैठकों की सूचना सदस्यों को कब कब दी गई ?

(3) भू-आवन्टन नियमों के अनुसार आवन्टन योग्य भूमि की सूचना प्रत्येक वर्ष के सितम्बर मास में दी गई या नहीं ? हां, तो उन सूचियों की प्रतियां प्रस्तुत करें।

(4) उपरोक्त भूमियों में कब कब क्या क्या परिवर्तन हुआ ? इन सूचियों में दर्ज भूमि के अतिरिक्त भूमिका आवन्टन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों कब और किसको ?

(5) 1 अप्रेल, 67 को कृषि भूमि आवंटन नियमों के अन्तर्गत किस किस पंचायत समिति को कितनी भूमि किस किस प्रयोजन हेतु तहसील द्वारा आवंटित की हुई थी ! कृपया तालिका प्रस्तुत करें।

(6) क्या किन्हीं पंचायतों अथवा पंचायत समिति ने आवटित भूमि को वापिस तहसील को दे दिया। यदि हां, तो किस किस पंचायत ने किस ग्राम को कितनी कितनी भूमि कब कब वापिस की ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : उत्तर तैयार नहीं हो पाया है इसलिये, स्थगित किये जाने के लिये पुन: निवेदन है।

श्री भैरोंसिंह : स्थगित प्रश्न में विभाग के पास सूचना एकत्रित करने के लिये कोई बात नहीं है। सूचियां बनी हुई हैं और रजिस्टर बने हुए हैं। केवल प्रस्तुत ही करना है। पिछली बार जब राजस्व विभाग द्वारा स्थगित करने की बात कही गई तो रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अगली बार इसका जवाब दे देंगे।

राजस्व मंत्री (श्रीराम किशोर व्यास): मैंने कहा था कि इस सेशन में नहीं दे सकेंगे। आपको हम जबाब भिजवा देंगे।

श्री भैरोंसिंह : इसके लिये कोई दिन निश्चित कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक महीना।

श्री रामकिशोर व्यास : सवाल बहुत लम्बा है।

श्री भैरोंसिंह : इन्फोर्मेशन तो है।

श्री रामकिशोर व्यास : आपकी लायब्रेरी में रहेगा। क्या फर्क पड़ता है ?

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : जिस तरह का गवर्नमेंट का रवैया हो रहा है उससे तो इस क्वेश्चन आवर को ही हटा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

बाड़मेर जिले में औसत परिवार के पास कृषि योग्य भूमि

45. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में औसत परिवार (पांच सदस्यीय) के पास कृषि योग्य कितनी भूमि है, इसका अध्ययन किया है ?

(2) यदि हां, तो बाड़मेर जिले के आंकड़े बताने की कृपा करें।

(3) क्या उक्त जिले में औसत परिवार के पास 30 स्टेन्डर्ड एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यहां के भूमिहीन काश्तकारों को राजस्थान नहर अथवा अन्यत्र कहीं भूमि आवंटन करने या अन्य कोई रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चोधरी) : अब तक इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है अत : उपाध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री दौलतराम सारण।

स्थगित प्रश्न

—

(13-5-70)

रिक्शा मालिकों द्वारा रिक्शा चालकों से वसूल किया जाने वाला किराया।

48. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की किस किस नगर परिषद, नगरपालिका क्षेत्र में कितने कितने रिक्शाओं के लाइसेन्स हैं और कितने रिक्शा अनधिकृत बिना लाइसेंस के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रिक्शा चालकों को भी लाइसेन्स लेना पड़ता है ?

(3) दो से अधिक रिक्शा एक ही व्यक्ति के नाम से लाइसेन्स वाले मालिकों की सूची मय रिक्शा संख्या के प्रत्येक पालिका की दी जाय।

(4) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रिक्शा चालकों से रिक्शा मालिक भारी किराया वसूल करके उनका शोषण करते हैं ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा) : (1) मानव शक्ति से चालित रिक्शाओं के चलन को समाप्त करने की राज्य सरकार की नीति के अनुसार सभी नगर पालिकाओं को नये लाइसेन्सों के लिये निश्चित आदेश दिनांक 28-8-64 को प्रसारित किये गये। ऐसी स्थिति में रिक्शाओं के पंजीकरण न होने से चाही गई सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है।

(2) जिन जिन नगरपालिकाओं में रिक्शा बाइलाज स्वीकृत हैं जहां पर बाइलाज के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार सूचनायें दिया जाना संभव नहीं है।

(4) रिक्शाओं के चालन को नियंत्रित करने एवं इन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विधान सभा में एक बिल प्रस्तुत कर रखा है जो सलेक्ट कमेटी के विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न के भाग 1 में मैंने पूछा है "राज्य की किस किस नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्र में कितने कितने रिक्शाओं के लाइसेन्स हैं और कितने रिक्शा अनधिकृत बिना लाइसेन्स के हैं? सूची सदन की मेज पर रखें। आप कह रही हैं कि निर्णय ले लिया है कि बन्द करना है इसलिये सूची की आवश्यकता नहीं है।

कितने रिक्शा चल रहे हैं और लाइसन्स कितनी नगर पालिकाओं में हैं?

श्रीमती सुमित्रा : यदि ध्यान से सुनें माननीय सदस्य तो उनकी समझ में आ-जावेगा। मैंने उत्तर में यह निवेदन किया था कि राज्य सरकार ने एक विशेष आज्ञा जारी कर दी है कि अब किसी को लाइसेन्स नहीं दिया जाय। इसलिये जो चल रहे हैं वे अनआथोराइज्ड चल रहे हैं। उसकी सूचना देना संभव नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि आपके लाइसेन्सशुदा रिक्शा चल रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा : सन् 56 से पहले के और 64 से पहले के रिक्शाओं के लिये निषेधाज्ञा जारी की थी। उससे पहले के रिक्शाओं को दिये जाने से संबंध नहीं था।

श्री दौलतराम सारण : मैंने तो दोनों की सूची मांगी थी लाइसेन्सशुदा हैं उनकी और बिना लाइसेन्स हैं जो चल रहे हैं उन दोनों की?

श्रीमती सुमित्रा : अधूरी सूचना कैसे देती।

श्री दौलतराम सारण : यह तो गलत तरीका है आप जवाब टालते हैं। मैंने पूछा था जो नगरपालिका और नगरपरिषद् क्षेत्र में लाइसेन्सशुदा और बिना लाइसेन्सशुदा कितने रिक्शे हैं इसकी सूची मांगी है उसके लिये आप टालमटोल कर रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा : 40 नगरपालिकायें हैं यह आप जानते हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह भी जानता हूं कितनी नगरपालिकायें हैं कितने रिक्शे कहां चलते हैं कितने लाइसेन्सशुदा हैं और कितने बगैर लाइसेन्स के चल रहे हैं।

Page No 22

श्रीमती सुमित्रा : तो फिर हमसे आप क्या जानकारी लेना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो रिक्शा लाइसेन्सशुदा हैं उनकी सूची तो नगरपालिका में अंकित है माननीय मंत्री जी, उसकी सूची बड़ी आसानी से दे सकते थे। कम से कम ओथोराइज्ड वे में जो चल रहे हैं उनकी सूचना तो आप दे ही सकती हैं।

श्रीमती सुमित्रा : जिनको लाइसेन्स मिल गया उनको रिन्यु करने के लिये ना कर दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1968 के बाद जो भी रिक्शा चल रहे हैं क्या वे आर्डर्स के अगेन्स्ट चल रहे हैं और सभी अन-ओथोराइज्ड हैं।

श्रीमती सुमित्रा : सभी अन-ओथोराइज्ड चल रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : जिन रिक्शाओं के लाइसेन्स बने हुए हैं उनका रिन्यूअल हर वर्ष होता है ?

श्रीमती सुमित्रा : सरकार ने रिन्यूअल के लिये निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जिन नगरपालिकाओं में लाइसेन्सशुदा रिक्शे चल रहे हैं उनका बराबर रिन्यूअल हो रहा है नगरपालिका द्वारा ?

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार ने नये लाइसेन्स देने के लिये निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

श्रीमती सुमित्रा : राज्य सरकार की आज्ञा रिन्यूअल नहीं किये जाने के संबंध में है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अन-ओथोराइज्ड रिक्शाज चल रहे हैं क्या यह अनियमित हैं। इस संबंध में आप क्या विचार कर रहे हैं अन-ओथोराइज्ड रिक्शाज को बन्द किया जाये और पेनेल्टी लगाई जाय ?

श्रीमती सुमित्रा : इस संबंध में एक बिल सिलेक्ट कमेटी को भेजा हुआ है। इस बिल के पास होने पर ही कुछ हो सकता है उसके पहले कुछ संभव नहीं।

श्री दौलतराम सारण : मैंने यह पूछा है जो रिक्शाज चल रहे हैं नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका के क्षेत्र में उनको हर साल लाइसेन्स रिन्यू कराना पड़ता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि कोई लाइसेन्स नहीं दिया जा रहा है।

श्री दौलतराम सारण : वो गलत कहती है···

श्री रामानन्द अग्रवाल : जयपुर में आप आंखों के सामने देख रहे हैं कि रिक्शाज चल रहे हैं और लाइसेन्स उनका रिन्यू हो रहा है।

श्री दौलतराम सारण : बिल्कुल गलत उत्तर दे रही हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर): बाकायदा रिन्यूअल होता है इसमें भी कोई शक है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने प्रश्न स्पष्ट-रूप से पूछा है राजस्थान की नगरपालिका और नगरपरिषदों के क्षेत्र में कितने रिक्शा हैं ?

Page No 23

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर दे दिया है।

एक माननीय सदस्य : यह कानून से भी आवश्यक है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : सूचना प्राप्त करने का हमारा अधिकार है मंत्री महोदया जान बूझ कर इसको टाल रही है आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि 1964 के बाद में कोई नया लाइसेन्स नहीं दिया जा रहा है न पुराने लाइसेन्सेज ही रिन्यू किये जा रहे हैं। इस स्थिति में उनसे इस सम्बन्ध में और जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकती। आप यह समझते हैं कि रिन्यू किये जा रहे हैं और माननीय मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है गलत है तो उसके परिणाम दूसरे होते हैं उसी ढंग से आप इसको उठा सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सरकार का कोई आदेश भी नहीं मान रहे हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आप भी तो कहना नहीं मानते हैं।

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न के भाग (3) में मैंने चाहा है कि दो से अधिक रिक्शे जिनके नाम हैं वह भी बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : ये सब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : फिर ये किस लिये कुर्सी पर बैठे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके यह बात नोटिस में है क्या कि इन रिक्शाओं पर नगरपालिका के नम्बर लगे हुए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके सामने सब स्थिति आ गई है सूचना आ गई है अगर गलत उत्तर दिया है तो उसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बादृदार : यह जिन्दा मक्खी निगलने के समान है आज सब जानते हैं जयपुर की सड़कों पर रिक्शाज चल रहे हैं सबके नम्बर लगे हुए हैं। यह तो उपाध्यक्ष महोदय आप भी जानते हैं लाइसेन्स उनके पास मौजूद है ?

श्री दौलतराम सारण : हरेक रिक्शा पर लाइसेन्स नम्बर लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सभी बातें उसमें निहित है।

श्री दौलतराम सारण : हरेक रिक्शा पर लाइसेन्स है तो यह कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर दे दिया गया है।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना नगरपालिका और नगरपरिषदें कर रही हैं लाइसेन्स रिन्यू कर रही नम्बर दे रही, हैं तो आप क्या एक्शन ले रही हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : दे रही हैं तो स्पष्ट अवहेलना कर रही हैं।

श्री दौलतराम सारण : अवहेलना करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने कोई एक्शन लिया है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : ये तो एक्शन लेने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : कोई एक प्रश्न का भी तो उत्तर दिलवाइये ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदया ने जो उत्तर दिया है वह बिल्कुल स्पष्ट है उनके अनुसार अब न तो कोई नये लाइसेन्स दिये जा रहे हैं और न रिन्युअल किया जा रहा है इसके जितने भी कोन्सीक्वेन्सेज हैं वे इसमें निहित हैं। आप कह रहे हैं कि नम्बर भी लगे हुए हैं, नये लाइसेन्स भी दे रहे हैं, रिन्यू भी हो रहे हैं वे कानून के तहत जैसा कि मंत्री महोदया ने कहा नहीं दे सकते।

अब इसके साथ साथ सवाल आता है कि जो उत्तर दिया गया है वह सही है या गलत। अगर गलत है तो जैसा मैंने निवेदन किया और किसी तरीके से इसको सदन में लाया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : मिनिस्टर लोग उप-मंत्रियों को कागज संभला कर भाग गये हैं और प्रश्नों का उत्तर हमें मिल नहीं रहा है।

श्री दौलतराम सारण : इन दोनों प्रश्नों के उत्तर से बचने के लिये ही भागे हैं। मैंने कल ही कह दिया था कि आप तैयार होकर आना वे तो आये नहीं और इनको कागज संभलाकर चले गये।

श्रीमती सुमित्रा : मैं उनसे बढ़िया जवाब दे रही हूं।

श्री रामकिशन (वैर) : आप सोच समझ कर लिया करें किसी विभाग के कागज।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हरजीराम बुरड़क।

लाडनूं से सुजानगढ़ पाइप लाइन

64. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं):** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि लाडनूं सुजानगढ़ जाने वाली पाइप लाइन को टेस्ट करके पानी चालू किया गया था ? यदि हां, तो कब और टेस्ट के समय लाइन में क्या खराबियां पाई गई ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि टेस्ट के समय लाइन में पानी नहीं रुका इसलिये इस लाइन को दुबारा ठीक किया गया ? यदि हां, तो इसके द्वारा और इसमें क्या क्या सामान कितने कितने मूल्य का लगा तथा इसमें कुल कितना व्यय हुआ ?

(3) ठेकेदार के साथ क्या एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट के अनुसार ठेकेदार ने कार्य किया था या नहीं ? यदि नहीं तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या इसी लाइन के कुओं से लेकर लाडनूं की टंकी तक के भाग में भी कोई खराबी पाई गई थी ? यदि हां, तो क्या और उसको ठीक करवाने में कितना व्यय हुआ ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि ठेके की शर्तों के अनुसार पाइपों के जोड़ों में शीशा नहीं लगाया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उक्त लाइन के पाइप ठेके की शर्तों के अनुसार जमीन में गहरे नहीं पाये गये हैं ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(7) इस संबंध में ठेकेदार द्वारा क्या क्या अनियमिततायें की गईं और उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री जनस्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी हां, टेस्टिंग जुलाई, अगस्त 69 में किया गया, टेस्टिंग के समय पाइपों में क्रेक्स (बारीक दरारें) और ज्वाइन्टों में लीकेज की खराबियां पाई गई।

(2) जी हां, विभाग द्वारा ठेकेदारों के खर्च से कराया गया। सामान की सूची मय मूल्य के संलग्न है।

(3) ठेकेदार के साथ एग्रीमेंट नियमानुसार पी. डब्लू. डी. एम. फ. न. 64 के फार्म पर किया गया ? ठेकेदार ने कार्य एग्रीमेंट के अनुसार किया था अतः उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, लाइन में कुछ जोइन्टों में लीकेज मिला था, जो संबंधित ठेकेदार ने मौके पर हाजिर होकर ठीक कर दिये।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) जी नहीं।

(7) कार्य में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : लाइन का टेस्टिंग के समय जो लीकेज पाया गया क्या वह विभाग द्वारा ठीक किया गया या ठेकेदार द्वारा किया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : दो तरह की लाइन्स हैं एक तो पानी की टंकी से लाडनूं तक और दूसरी लाडनूं से सुजानगढ़। लाडनूं से जो सुजानगढ़ लाइन आई है उसमें खराबियां पाई गई उसको विभाग ने अपनी ओर काम किया गया और यह पैसा ठेकेदार के बिल से काट लिया गया।

दूसरी लाइन जो टंकी से जाती है उसमें टेस्टिंग के समय कोई खराबी नहीं पाई है इसलिये ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने फरमाया कि विभाग द्वारा काम किया गया और ठेकेदार द्वारा पेमेण्ट किया गया। ठेकेदार ने निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य किया यह आपने बताया फिर उसको दुबारा ठीक करवाने की क्या आवश्यकता थी ?

पानी की टंकी से जो लाइन जाती है उसमें इतना लीकेज था कि दो तीन दिन तक पानी सारे शहर में आ गया। उस पर विभाग ने खर्च किया वहां से शीशा जोइंट्स में डाला गया क्या यह सही है ?

श्रीमती सुमित्रा : लाडनूं से सुजानगढ़ तक पाइप लाइन है उसके अन्दर कमियां पायी गईं थी विभाग ने अपने खर्चे से ठीक किया उसका पैसा ठेकेदार से वसूल कर लिया उसका पैसा ठेकेदार के बिल से काट लिया गया।

दूसरी लाइन जो लाडनूं तक गई है उसमें कोई खराबी नहीं पायी गयी।

श्री हरजीराम बुरड़क : विभाग का इसमें लगा है शीशा आपने दिया है आपके आदमी लगे हैं मैं मौके पर मौजूद था।

श्रीमती सुमित्रा : मैं खुद यह तो स्वीकार कर रही हूं कि लाडनूं से लेकर सुजानगढ़ तक की लाइन में खराबी थी।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं कुए से लेकर टंकी तक की बात कह रहा हूं। मैं मौजूद था। पानी शहर में आ गया था। विभाग के कर्मचारियों ने अधिकारियों ने लग कर इसे ठीक किया, सारे जोइन्ट्स में शीशा लगाया। स्टोर से शीशा इस्यू हुआ।

श्रीमती सुमित्रा : जब टेस्टिग होता है तो कुछ न कुछ नुक्स निकलता है क्योंकि पानी जब तेजी से छोड़ा जाता है तो प्रारंभ में लीकेज होना स्वाभाविक है। यह लीकेज जब पाया गया तो ठेकेदार को कहा गया। उसने ठीक कर दिया। आपको गलतफहमी हो रही है। वह काम ठेकेदार के आदमियों ने किया है। उन्हीं ने पूरा करके दिया है।

श्री हरजीराम बुरड़क : गलतफहमी तो आपको हो रही है। विभाग के कर्मचारी उत्तर आपको सीधा और ठीक से नहीं देते। और आप उस उत्तर पर आंख मींचकर भरोसा करके चल लेते हैं। आप मेरे सामने शिकायत की जांच कराइये या कलेक्टर से कराइये तो पता लगेगा कि मामला क्या है।

श्रीमती सुमित्रा : कहां से कहां तक की जांच दुबारा कराना चाहते हैं ?

श्री हरजीराम बुरड़क : कुए से लेकर टंकी तक और टंकी से सुजानगढ़ तक।

श्रीमती सुमित्रा : कुए से टंकी तक तो कहा है कि ठेकेदार के आदमियों ने ठीक किया है और इसमें वैसे तो कुल मिला कर विभाग का 7 हजार 500 रुपया खर्च हुआ है लेकिन शायद माननीय सदस्य को गलतफहमी है कि हजारों लाखों का हुआ है। मुझे ऐतराज नहीं है। दुबारा जांच कराई जा सकती है।

श्री हरजीराम बुरड़क : कलेक्टर नागौर से जांच करवाने के आदेश दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा : मेरे को ऐतराज नहीं है कलेक्टर नागौर से जांच कराली जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(14-5-70)

नगर विकास मण्डल, जयपुर का अंकेक्षा प्रतिवेदन

68. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगर विकास मण्डल, जयपुर को 1 अप्रेल सन् 62 से लेकर अब तक मंडल के किस-किस वर्ष के हिसाब का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

(2) इन अंकेक्षा प्रतिवेदनों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? कृपया इसका एक विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

श्रीमती सुमित्रा : (1) सन् 1962

श्री भैरोंसिंह : आप आल राउण्ड चैम्पियन कब से हो गई ?

श्रीमती सुमित्रा (1) सन् 1962 से प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदनों की सूची तालिका 'ए' में दर्शित है। सन् 1961,

(श्रीमती सुमित्रा)

1962 से सन् 65-66 के अंकेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा मूल रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके हैं। सन् 66-67, 67-68 एवं 68-69 के अंकेक्षण प्रतिवेदनों की सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) विविध प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का विवरण तालिका 'ब' में दर्शित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि 61-62 से 64 तक के जो हैं वे चूंकि मूल रूप से विधान सभा के पटल पर रख दिये गये हैं उनके सम्बन्ध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार यह उचित समझती है कि 61 से लेकर 65 तक इस प्रकार की ऑडिट रिपोर्टों पर जहां तुरन्त एक्शन लिया जाना चाहिए था एक्शन नहीं लिया और ढ़िलाई बरती ?

श्रीमती सुमित्रा : एक डी. ओ. विधान सभा को लिखा गया था ओरिजिनल रिपोर्ट लौटाने के लिये पर लौटाये नहीं गये, इसलिए वह कार्यवाही नहीं हो पाई।

श्री भैरोंसिंह : आपने यहां मूल रूप से क्यों रखे थे ?

श्रीमती सुमित्रा : एक आपके ही प्रश्न के सम्बन्ध में यहां प्रस्तुत किए गए थे।

श्री भैरोंसिंह : उनकी सही प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा सकती थीं। यह तो एक बहाना बन गया आपके लिए।

श्रीमती सुमित्रा : मैं भी मानती हूं कि इसमें विभाग की गलती थी। ट्र कापी भेजनी चाहिये थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या विभाग कार्यवाही करेगा ?

श्रीमती सुमित्रा : जब दूसरी कापियां यहां से जावेंगी।

श्री भैरोंसिंह : यहां सदन की मेज पर जो असल कोपियां रख दीं वे तो विभाग में लौटाने वाली नहीं हैं। आपके विभाग के लोग यहां आकर उनको देखकर दूसरी कापियां तैयार कर लें और फिर एक्शन लें उन पर। यह बहुत बुरी चीज है 61 से 65 तक एक्शन नहीं लिया जावे ?

श्रीमती सुमित्रा : जैसा आप कह रहे हैं उस प्रकार से यहां से कापी करवा कर विभाग ले जावेगा और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मन्त्रिमण्डल में डिविजन आफ लेबर का प्रिन्सिपल लागू नहीं होता है क्या ? इतना वर्क लोड एक ही मन्त्री पर ?

स्थगित प्रश्न

(14-5-70)

अधूरी सड़कें, जिला जैसलमेर

89. **श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में सीमा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है और कुछ सड़कें आरम्भ कर अपूर्ण ही छोड़ दी गई हैं ? अगर हां, तो वे कौन कौनसी सड़कें हैं जो आज अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अपूर्ण सड़कों का काम किस वर्ष में प्रारम्भ किया गया था, किस वर्ष में किस ठेकेदार को किस तारीख को ठेका दिया गया था और किस ठेकेदार ने किस सड़क पर कितना काम किया और कितना किस ठेकेदार को भुगतान कब कब किया गया। ठेके की शर्तों की प्रतिलिपि ठेकेदारों की सूची सड़कवार मय भुगतान की सूची प्रति मील और सड़क पर निर्माण का ब्योरा की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लाखों रुपये लग जाने के बाद भी आज एक भी सड़क काम योग्य नहीं है और ठेकेदारों ने ठेके की शर्तों के अनुसार काम नहीं किया फिर भी भुगतान किया गया है ? अगर हां तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या शर्तों के अनुसार काम नहीं करने वाले किसी ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?,

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अमीनुद्दीन अहमद) : (1) जी हां। केवल वे ही सड़कें निर्माण कार्य शुरू करने के पश्चात् अपूर्ण छोड़ी गई जिनके भारत सरकार द्वारा निम्न प्राथमिकता (लो प्रायरिटी) में स्थान दिया गया और जिनके कार्य भारत सरकार को पुनः आज्ञा प्राप्त होने के सस्पेण्ड करने के भी आदेश थे। सूची 'क' संलग्न है।

(2) सूची 'ख' संलग्न है।

(3) जी नहीं। जो सड़कें परियोजना द्वारा बनाई गई हैं वे प्रत्येक कार्य योग्य हैं। ठेकेदारों के ठेके की शर्तों के अनुसार कार्य लिया गया और उस कार्य का ही उपयुक्त भुगतान किया गया है।

(4) ठेकेदारों ने ठेके की शर्तों के अनुसार ही कार्य किया है। अतः किसी ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष जी, पांच सड़कें दी हैं इनमें से कौन कौन सी सड़कों का कार्य प्रारम्भ करने की स्वीकृति केन्द्र से आ गई है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : (1) रामधण लाचीना। जैसलमेर खर्द लाचीना और जैसलमेर से बेर।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि उनके टेण्डर काल किए गये थे ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : टेण्डरों की जानकारी मुझे नहीं है। पर यह जरूर है कि इनकी सेंक्शन मंगवाई गई है। मन्जूरी ऊपर से आ जावेगी तो काम चालू होगा।

स्थगित प्रश्न

(15-5-70)

माउन्ट आबू नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि का नामान्तरकरण

95. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल-जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) माउन्ट आबू के नगर पालिका क्षेत्र की सीमा से 1 माइल के घेराव में एक अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक कृषि भूमि के कितने नामान्तरकरण हुए हैं ? कृपया ऐसे नामान्तरकरण की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें जिसमें जिन जिन व्यक्तियों का नाम खारिज किया जाकर जिन जिन का नाम लिखा गया, उनके नाम पते मय पूर्ण विवरण तारीख नामान्तरकरण भूमि का क्षेत्रफल आदि का उल्लेख करें ।

(2) नामान्तरकरण की इस कार्यवाही में भूमि के क्रय विक्रय के कारण किन किन का नामान्तरकरण हुआ है । कृपया इसकी तालिका में भूमि का मूल्य बताने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि कुछ विक्रेताओं को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था । यदि हां, तो किन किन को और क्यों ?

उपमन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम): (1) आबू नगर पालिका की सीमा से 1 मील के घेराव में अप्रेल 1968 से अब तक 38 नामान्तरकरण हुए हैं जिनकी प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(2) बेचान की गई भूमि के नामान्तरकरण की कीमत सदन पटल पर रखी गई, नामान्तरकरण की प्रतिलिपियां के कॉलम नम्बर 14 में अंकित है ।

(3) भूमि खातेदारी की होने से खातेदार को बेचान करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि माउन्ट आबू के इस क्षेत्र में ऐसी भूमियों का बेचान भी निजी व्यक्तियों ने किया जिसका उनको अधिकार नहीं था । और उनमें एक व्यक्ति मथुरादासजी माथुर भी हैं जो वित्त मन्त्री हैं राज सरकार में जिन्होंने न तो भूमि का नामान्तरण कराया और बिना नामान्तरण कराये ही मकान बनाना वहां चालू कर दिया । अब जो नामान्तरण जो किये हैं उनकी सूची जो आपने दी है उसमें आपने जो नाम बताये हैं उनमें उनका नाम नहीं है ।

श्री गंगाराम चौधरी : वह तो रजिस्ट्रेशन के बाद में नहीं कराया होगा ।

श्री भैरोंसिंह : पर रजिस्ट्रेशन हुआ है यह तो आप भी जानते होंगे । ऐसी स्थिति में निवेदन करूंगा कि एग्रीकलचर लैंड में और राजस्थान के मन्त्री अपने मकान का निर्माण का काम चालू करावें और ऐसी भूमि को बेच खरीद जिसको बेचने का अधिकार बेचने वाले को नहीं था बल्कि उसका अंग्रेजों के वक्त मुआवजा ले लिया था ।

Page No 30

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): यह अलग से सवाल है।

श्री भैरोंसिंह : आपने नामान्तरण का बहाना ले लिया इसलिये। नहीं तो आपके ध्यान में यह तो था ही न।

श्री रामकिशोर व्यास : आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लें।

श्री भैरोंसिंह : आपके ध्यान में था या नहीं, आप तो यह बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : हमारे ध्यान में तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। पर जितना आप पूछेंगे उतना ही तो बतावेंगे।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि माउन्ट आबू के.जी. पर का राइट कुछ आदमियों को दिया गया है?

श्री रामकिशोर व्यास : अलग से प्रश्न है।

श्री बालसिंह सोढा : इस सारे मन्त्री मण्डल को ही वहां पर क्यों नहीं बसा दिया जावे ताकि प्रश्न ही समाप्त हो जाय।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा व सवाई-माधोपुर जिलों में डकैत

131. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा व सवाई माधोपुर जिला डकैतों की हरकतों से परेशान हैं?

(2) क्या यह सही है कि कुछ माह पहले राजस्थान पुलिस का डकैतों से कई दफा आमना सामना हुआ तथा गोली चली? यदि हां, तो गत 6 माह में कितनी बार डकैतों से राजस्थान पुलिस का मुकाबला हुआ और उनमें कितने डकैत मारे गये तथा कितने बन्दी बनाये गये?

(3) कितने पुलिस कर्मचारी किस किस रैन्क के डाकुओं की गोलियों से घायल हुए या मारे गये?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान पुलिस का गत 6 माह में मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भी डाकुओं से मुकाबला हुआ था? यदि हां, तो कौन डाकू मारे गये तथा कितने पुलिस के जवान व अफसर हताहत हुए?

उत्तर

(1) डकैती समस्या केवल इन जिलों के पूर्वी क्षेत्रों में है जो चम्बल घाटी से लगे हुए हैं, यह कहना कि जिला डकैतों की हरकतों से परेशान हैं गलत, है।

(2) पिछले 6 माह में राजस्थान पुलिस की डकैतों से कुल 12 बार मुठभेड़ हुई जिसमें 11 डकैत मारे गये और 1 बन्दी बनाया गया। विस्तृत सूचना देते हुए तालिका सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) दो पुलिस कर्मचारी डकैतों के साथ मुठभेड़ में मारे गये और 2 घायल हुए। विस्तृत सूचना तालिका के कालम नं० 7 व 8 में अंकित है।

(4) जी हां, पिछले 6 माह में राजस्थान पुलिस की डकैतों से एक मुठभेड़ मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में हुई थी, जिसमें 2 डकैत रामचरण और जादूसिंह उर्फ यादवसिंह मारे गये तथा पुलिस पार्टी में से श्री रामप्रताप कम्पनी कमाण्डर घायल हुए।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिए)

कोटपूतली से डाबला की सड़क की मरम्मत

132. श्री श्रीराम रावत (कोटपूतली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जयपुर, तहसील कोटपूतली में कोटपूतली से डाबला की सड़क पर कौनसी तारीखों को मरम्मत हुई ?

(2) क्या यह सत्य है कि कोटपूतली से डाबला तक की सड़क की हालत अत्यन्त खराब हो गई है ? यदि हां, तो सरकार उस सड़क को कब ठीक करवा देगी और नहीं करवायेगी तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सत्य है कि यह एक बस रूट है ? और इस कारण बसों के चलने में भी भारी असुविधा होती है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत और डामर कब तक वापिस होगा ?

उत्तर

(1) यह मेटल सड़क राजकीय संधारण में है और मरम्मत का कार्य रेगुलर गेंग द्वारा बराबर होता रहता है । 1969-70 में दो मील का डामर का काम स्पेशल रिपेयर ग्रान्ट में से करा दिया गया था ?

(2) इसकी हालत सामान्य मेटल रोड़ जैसी ही है, माइल 3, 4 व 5 के रिमेटलिंग व डामर का कार्य इस वर्ष रिपेयर ग्रान्ट से कराया जा रहा है ।

(3) जी हां । यह बस रूट है । मरम्मत और डामर का काम कुछ माइल में चालू है । बाकी योजना अनुसार धनराशि स्वीकृत होने पर चालू किया जायगा ।

नगर विकास न्यास जयपुर, द्वारा अनुसूचित जातियों को एलाट किये गये प्लाट्स

135. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) नगर विकास न्यास जयपुर ने अब तक कितने प्लाट्स का आवंटन किया है इनमें से अनुसूचित जाति के लिए कितने प्लाट्स अलॉट किये और अनुसूचित जन जाति के लिये कितने प्लाट्स अलॉट किये ।

(2) अब तक अलॉट किये गये कोटे में कितने प्रतिशत प्लाट्स अनुसूचित जाति को किये और कितने प्रतिशत अनुसूचित जन-जाति को अलॉट किये गये ?

(3) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने प्रतिशत लोगों ने नीलामी में प्लॉट्स लिये हैं ?

(स्थगित किया गया)

जंगलात विभाग की भूमि का राजस्व विभाग में हस्तान्तरण

140. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप-तहसील बिजोलिया के चार-घास के बीड़ जंगलात विभाग से निकल कर राजस्व विभाग में आ गये हैं ? यदि हां, तो वे कब आये ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(2) क्या जंगलात विभाग से राजस्व के कब्जे में आने के एक दो वर्ष पूर्व ही थड़ौदा गांव के किसानों को समिति के नाम पर जमीन दे दी गई थी ? यदि हां, तो क्यों और क्या जंगलात विभाग से निकलने के पूर्व हो राजस्व विभाग को इस प्रकार अलॉट करने का अधिकार था ?

उत्तर

(1) जी हां, उप तहसील बिजोलिया तहसील मांडलगढ़ के चार घास के बीड़ जिला स्तरीय कमेटी के निर्णय दिनांक 24-2-68 के अनुसार जंगलात से राजस्व में परिवर्तित किये गये हैं।

(2) राज्य सरकार ने केवल इस आशय के आदेश प्रदान किये थे कि तत्सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार भूमि आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया जावेगा।

सार्वजनिक सड़कों का नामकरण

143. श्री **ओमदत्त भाटी** (सरदार-पुरा जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(अ) राजस्थान में किसी व्यक्ति के नाम पर किसी सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क पार्क, नगर, बस्ती, मोहल्ला, संस्था, फैक्ट्री इत्यादि के नामकरण ,करने के सम्बन्ध में क्या कोई (नोर्म) मापदंड अथवा नीति निर्धारित की हुई है ?

(ब) क्या यह नामकरण मृत व्यक्ति के नाम से ही किया जाता है, अथवा जीवित व्यक्तियों के नाम से भी किया जाता है ?

(स) क्या बीकानेर में किसी मंत्री या विधान सभा सदस्य के नाम पर नगर व कोलोनी का नामकरण हो रहा है।

(द) सरकारी बस्तियों का शिलान्यास करने का क्या मापदण्ड है ? क्या यह सही है कि जोधपुर में राजनैतिक नेता (कांग्रेस) जोधपुर में जगह जगह शिलान्यास कर रहे हैं ?

(स्थगित किया गया)

(अतारांकित प्रश्नोत्तर)

अलवर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक का भवन निर्माण

160. श्री **गंगासहाय** (कठूमर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक को भवन निर्माण हेतु भूमि नगर सुधार न्यास अलवर ने दी है ? यदि हां, तो कितने रुपये प्रतिगज की दर से दी है ?

(2) क्या यह सही है कि बैंक कार्य को बढ़ाने की दृष्टि से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अलवर शाखा ने भी अपने भवन निर्माण हेतु नगर सुधार न्यास से भूमि देने की मांग की थी ? यदि हां, तो क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, अलवर को भूमि देने का विचार है ? यदि हां, तो कितने रुपये प्रति-गज की दर से ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी हां।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

जी हां स्टेट बैंक आफ इण्डिया अलवर के आवेदन-पत्र पर न्यास ने उनसे 300 रु० प्रति वर्ग गज की दर से 99 वर्षीय पट्टेदारी पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।

दुकानदारों के चालान

161. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या यह सही है कि नगरपरिषद अजमेर के जबानी आदेशों पर कर्मचारी घर बैठे दुकानदारों के नाम चालान करते हैं ? यदि हां, तो दिसम्बर, 1969 से 10-1-1970 तक कितने चालान पेश किये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि यह चालान नियम के विरुद्ध हैं ? यदि हां, तो यह आदेश नगर परिषद के किस अधिकारी के कहने पर दिये गये ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

मौके पर जाकर जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण किये हैं, उनके चालान किये हैं।

करीब 200 सूची प्राप्त होने पर ही रखी जावेगी।

(2) जी नहीं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 203 के अतिक्रमण के चालान किये गये हैं।

बौंली से निवाई सड़क निर्माण कार्य

162. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की बौंली से निवाई सड़क कई वर्षों से अधूरी पड़ी हुई है ? यदि हां, तो अभी कितने माइल सड़क पर काम शेष है ?

(2) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 68-69 में इस सड़क पर कुछ काम कराया गया था ? यदि हां, तो क्या और कितना काम कराया गया ?

(3) क्या 69-70 के वित्तीय वर्ष में इस सड़क के लिये बजट में कोई प्रावधान किया गया ? यदि हां, तो कितना, और यदि नहीं तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस सड़क के लिये कोई प्रावधान नहीं रखा गया जबकि इस ही वित्तीय वर्ष में सवाई माधोपुर जिले में कई सड़कों के लिये प्रावधान किया गया है ? यदि ऐसा है तो सवाई माधोपुर जिले में इस वित्तीय वर्ष के लिए किन किन सड़कों पर क्या क्या काम कराये जाने का प्रावधान किया गया है तथा उनके लिए कितनी राशि का प्रावधान है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की यह नीति है कि अधूरी सड़कों को पूरा कराये जाने के लिए बजट अलोकेशन में प्राथमिकता दी जावे ? यदि हां तो इस सड़क के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया ?

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

(6) क्या यह सही है कि इस वर्ष जिला टोंक में टोंक मालपुरा सड़क पर बोंली से निवाई भिरना तक पक्की सड़क के लिए 1 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है ?

(7) क्या यह सही है कि भिराना ग्राम बोंली से निवाई के बीच नहीं पड़ता बल्कि निवाई से टोंक मालपुरा सड़क पर पड़ता है ? यदि हां, तो बोंली से निवाई सड़क का काम ही अभी तक पूरा नहीं हो सका तो इस सड़क को निवाई टोंक रोड़ से भिराना तक एक्सटेण्ड किये जाने का प्रावधान क्यों किया गया और बोंली से निवाई सड़क के लिए प्रावधान क्यों नहीं किया गया ?

(स्थगित किया गया)

भाड़ोती से खिरनी सड़क

163. श्री हरीवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले में भाड़ोती से खिरनी तक एक कच्ची सड़क अकाल राहत के सिलसिले में बनवाई गई थी ? यदि हां, तो यह काम किस वर्ष कराया गया तथा कितने मील यह सड़क बनी है ?

(2) क्या यह सही है कि इसके बाद इस सड़क को पुख्ता बनाये जाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया और प्रतिवर्ष इस सड़क की मिट्टी बह कर सड़क जमीन के समतल होती जा रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार की यह निश्चित नीति है कि जो सड़कें अकाल राहत कार्यों में कच्ची बन पाई हैं उन्हें पक्की कराये जाने में प्राथमिकता दी जावे ? यदि हां, तो इस सड़क को अभी तक पुख्ता क्यों नहीं कराया गया और अब कब तक यह सड़क पक्की करा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य सन् 1968-69 में कराया गया था। सिर्फ एक मील की लम्बाई में मिट्टी का कार्य पूरा हुआ है।

(2) इसको पक्का बनाया जाने के लिये राज्य सरकार को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं है। वर्षा से मिट्टी के बह जाने का ज्ञान इस विभाग को नहीं है।

(3) सरकार की निश्चित नीति है कि कच्ची सड़कों को पक्की करने की प्राथमिकता दी जाय, परन्तु इस वर्ष सवाई माधोपुर जिले में धन के अभाव से इस का कार्य अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में नहीं किया जा सका। इस साल इस सड़क का काम फैमिन में नहीं लिया गया है।

मजदूरों को लाने लेजाने हेतु ट्रक

164. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1969 में फेमिन के कार्यों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिवीजन झालावाड़ द्वारा ट्रक किराये पर लिये गये थे ? यदि हां, तो किस किस से ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No 35

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) 5 टन भार उठाने की क्षमता वाले ट्रक किसके थे और 6 टन भार उठाने की क्षमता वाले किसके थे ? भुगतान किराया बराबर बराबर किया गया या कमी वेशी ? यदि बराबर बराबर किराया चुकाया तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन ट्रकों द्वारा मजदूरों को ग्रामों से लाया व लेजाया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और किस आदेश से किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची (क) संलग्न है ।

(2) 3 व 7 टन भार उठाने की क्षमता वाले ट्रकों की सूची मय मालिक के नाम संलग्न है । भार क्षमता के अनुसार ही किराया चुकाया गया ।

(3) यह सही नहीं कि ट्रकों द्वारा मजदूरों को ग्रामों से नियमित रूप से लाया व ले जाया गया । इस विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

भांडारेज से राणोली सड़क की मरम्मत

165. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्रीं यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील सिकराय में भांडारेज से राणोली होती हुई जो सड़क लाका बैराबन्डा चली गई है उसकी मरम्मत कब कराई गई थी ?

(2) क्या इस सड़क की हालत मरम्मत न होने से बहुत खराब नहीं हो गई है ?

(3) क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत कराने का कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब कराई जावेगी ?

उत्तर

(1) इस सड़क पर वार्षिक मरम्मत स्थाई गेंग द्वारा पूरे साल की जाती है ।

(2) इस सड़क में कुछ लम्बाई मेटल रोड हैं और कुछ लम्बाई डामर की है । इस क्षेत्र की सामान्य मेटल रोड्स वैसी ही हैं ।

(3) 9 मील लम्बाई में रिपेयर ग्रान्ट में डामर का कार्य करवाया जा चुका है, या बाकी का कार्य धन के अभाव के कारण नहीं हो सका व यह कार्य धनराशि उपलब्ध होने पर करवाया जायेगा ।

ग्रामीण उद्योग परियोजना के तहत ऋण

166. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण उद्योग परियोजना के तहत नागौर जिले की मेड़ता तहसील के कुछ व्यक्तियों को लोन देने की स्वीकृति प्रोजेक्ट ग्राफिसर नागौर ने दी ? यदि हां तो उनकी सूची सदन की मेज पर जनवरी, 1970 माह से अब तक नाम, गांव तारीख, रकम की सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वे लोन स्टेट बैंक ग्राफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा दिये जाने थे ? यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को लोन दिया गया ? कृपया मय

(श्री गोरधन सोनी)

नाम, गांव, तारीख व रकम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, मेड़ता शाखा लोगों को लोन देने में बड़ा परेशान करती है एवं विलम्ब करती है? यदि हां, तो सरकार इसके लिये क्या कर रही है?

(4) क्या सरकार उपरोक्त बैंक के हैड आफिस से बात कर लोन लेने वाले को तुरन्त लोन दिलाने का प्रयास करेगी?

उत्तर

(1) जी, हां। मेड़ता सिटी तहसील में ग्रामीण उद्योग परियोजना के तहत केवल एक पार्टी मैसर्स भारत सोप फैक्ट्री मेड़ता सिटी को मार्च 70 में 2500/ रु० के लिये ऋण स्वीकृति दी गई थी।

(2) जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी, नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

बीगोद के लोहारों का धन्धा

167. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीगोद में नागौर की ही तरह लोहारों की बहुत बड़ी बस्ती है जिनका आधार केवल मात्र उद्योग है

(2) क्या यह सही है कि बीगोद के लोहार जो सामान तैयार करते हैं वह दूर-दूर तक खेती तथा घरेलू काम के लिये जाता है?

(3) क्या बीगोद के कई परिवार केवल इसी पर आश्रित हैं? यदि हां, तो इन्हें लोहे के चद्दर व अन्य कन्ट्रोल के जरिये आदि देने के लिये क्या व्यवस्था की है? यदि नहीं की है, तो क्या इसके लिये कोई व्यवस्था करने का सरकार का इरादा है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां, विभाग द्वारा पंजीकृत ईकाइयों को सम्बन्धित अधिकारी की सिफारिश पर चद्दर आदि का कोटा आवंटित किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

झमरकोटड़ा की रोक फोस्फेट की खानें

168. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जयपुर जिले के झमरकोटड़ा की Rock phosphate की खानों का खनिज विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर उत्खनन कब आरम्भ किया गया और कब तक किस किस माह में कितना कितना उत्खनन हुआ है?

(ख) इस उत्खनन पर किस किस स्तर पर कितना कितना व्यय व कितनी 2 आय हुई है? कृपया दोनों का विवरण बतायें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(ग) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा Benefication plant लगाये जाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक, किस मूल्य का और किस प्रयोजन हेतु ?

(घ) क्या यह सही है कि इस खनिज के सम्बन्ध में कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है ? यदि हां, तो कृपया उसकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(क) 26 मई, 1969 को

माहवार उत्पान निम्न प्रकार हुआः-

अप्रेल	1969	2115 टन
मई	,,	3863 टन
जून	,,	5116 टन
जुलाई	,,	7882 टन
अगस्त	,,	8573 टन
सितम्बर	,,	11605 टन
अक्टूबर	,,	9910 टन
नवम्बर	,,	9540 टन
दिसम्बर	,,	9660 टन
जनवरी	1970	9691 टन
फरवरी	1970	6492 टन
		84,447 मी० टन

(ख) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) हां समय तथा मूल्य के विषय में (Pilot Plant Test) के बाद ही विदित होगा।

(घ) नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम असनावर में माफी जमीन की फसलों पर रोक

169. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम असनावर जिला झालावाड़ में बलाई गिरी की माफी जमीन खसरा $\frac{1052}{101/4}$ व $\frac{1007}{101/4}$ को रिज्यूम करके बलाई के ही खाते बांधने का आदेश हो चुका है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1968 में माफी जमीन पर फसलों को श्री कृष्ण बलदेव पटवारी द्वारा रोका गया और दिनांक 30-12-1968 को आदेश देकर कहा गया कि फसल को रोक कर रखें, जहां जब भी मांग पेश करें ?

(3) क्या यह आदेश-तहसीलदार झालरापाटन द्वारा दिया गया था अथवा पटवारी ने खुद ही अपनी ओर से कार्यवाही की थी ? क्या इसकी शिकायत भी बलाई (खातेदार) ने की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, जिलाधीश को अपील किए जाने पर खसरा नं० 1052 की भूमि जो माफ़ी की थी का विनियमन बलाई के नाम पर किया गया है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) जी हां।

(3) जी हां। पटवारी के विरुद्ध पंचायत समिति की शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच चालू है।

पेंशन

170. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :** क्या राजस्व (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री माधो पुत्र गिरधारी रेगर गांव पनवाड़ा तहसील देवली जिला टोंक जिसने कम्पनी नम्बर ए.बी. सी. में सन् 1915 से 1920 तक बैरा (डोली-मेन) की पोस्ट पर फौज में विदेशों में जाकर काम किया था और वहां से लड़ाई बन्द होने पर छोड़ दिया गया उसके पेन्शन के कागज तब से ही पड़े हैं ? यदि हां, तो अब सरकार इस मामले का कब तक फैसला कर देगी ?

उत्तर

जी नहीं, यह सही नहीं है कि श्री माधो पुत्र गिरधारी के पेन्शन के कागजात राज्य सरकार के विचाराधीन पड़े हुए हैं। यों सैनिक पेन्शन का ताल्लुक भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से रहता है। प्रार्थी की सैनिक सेवा महज पांच वर्ष की थी, उस वक्त इतनी कम सेवा वाले सैनिक को पेन्शन नहीं दी जाती थी।

तहसील बामनवास में भूमि एकीकरण के मामले

171. **श्री पृथ्वी राज (बामनवास):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बामनवास में सम्वत् 2019 में जो भूमि एकीकरण हुआ था उससे उत्पन्न करीब 1500 मामले अभी तक अनिर्णीत पड़े हैं और सेटलमेन्ट विभाग द्वारा इनका फैसला नहीं किया जा रहा है ?

(2) इन मामलों को कब तक नम्बर पर लिया जाकर निर्णीत कर दिया जावेगा ?

(3) यदि इन्हें शीघ्र निर्णीत किये जाने का विचार नहीं है तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी यह सही नहीं है। केवल 29 मामले पेन्डिंग हैं चूंकि तहसील बामनवास का भूमि एकीकरण कार्य समाप्त होने का नोटिफिकेशन निकल चुका है। इसलिये राज्य सरकार के आदेशानुसार यह 29 मामले अब सम्बन्धित एस० डी० ओ० को निर्णय हेतु भेजे जा रहे हैं।

(2) इस सम्बन्ध में अब सम्बन्धित एस० डी० ओ० द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जावेगी।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

मांडलगढ़ तहसील में भूमिहीनों को भूमि अलाटमेंट

172. **श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) :** क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील के सरथला और थल के घास के बीड़ जंगलात विभाग में राजस्व में आगये

Page No 39

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

हैं ? यदि आ गये हैं तो इनका अलॉटमेंट नहीं हो रहा है ?

(2) क्या इसी वर्ष अलॉटमेंट सम्भव हो सकेगा ताकि भूमिहीनों को भूमि अलॉट की जा सके ?

उत्तर

(1) ग्राम सरथला व थल के घास के बीड़ अभी तक जंगलात विभाग में ही हैं और राजस्व विभाग को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में तहसील में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हुई है। ऐसी अवस्था में उक्त बीड़ों का आवंटन किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) राजस्व विभाग को स्थानान्तरण नहीं होने के कारण इस वर्ष उक्त बीड़ों की भूमि से आवंटन नहीं किया जा सकेगा।

राजगढ़ तहसील में चरागाह भूमि पर कब्जे

173. श्री गंगा सहाय (कठूमर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में कितनी चरागाह भूमि पर किन किन ग्रामों में खातेदारी अधिकार तहसील द्वारा बन्दोबस्त के बाद किस आधार पर दिये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) अलवर जिले में कितनी चरागाह भूमि पर नाजायज कब्जे हुए हैं ? क्या सरकार ने ऐसे नाजायज कब्जे के मामले निपटाये हैं ? ग्राम व खसरा नम्बरान दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ में चारागाह भूमि के सम्बन्ध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन 111 मुकद्मात, जिनकी कि 181 एकड़ भूमि होती है, पर साबिक नायब तहसीलदार द्वारा बन्दोबस्त बाद खातेदारी दी गई है जिसकी सूची संलग्न है।

(2) अलवर जिले में 4522 एकड़ चारागाह की भूमि पर नाजायज कब्जे किए गए थे जिनमें से 4,010 एकड़ के सम्बन्ध के 2,005 मुकद्मात को निपटाया जा चुका हैं ग्राम व खसरा नम्बरान की सूची तैयार कराई जा रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

सड़कों पर मुरड़ बिछाने हेतु टेन्डर

48. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नागौर जिले में अकाल राहत कार्यों में स्वीकृत सड़कों पर मुरड़ बिछाने के टेन्डर अधिशासी अभियन्ता ने मास नवम्बर 1969 से ता० 30-4-70 तक किस किस सड़क के कब कब मांगे एवं किस किस तारीख को किस किस ठेकेदार ने ये ठेके किस किस रेट से लेने के टेन्डर प्रत्येक काम के दिये?

(श्री रामसिंह कुड़ी)

(2) किस किस सड़क पर नागौर जिले में ता. 1-11-69 से ता. 30-4-70 तक मुरड़ बिछाने का काम किस किस ठेकेदार ने कब कब शुरू किया एवं किस किस रेट से ये टेन्डर स्वीकार किये गये थे ?

(3) किसी व्यक्ति को अकाल राहत की सड़कों पर मुरड़ बिछाने का ठेका लेने के लिये क्या क्या योग्यताएं व शर्ते पूरी करनी पड़ती हैं ?

(4) नागौर जिले में इस अकाल में स्वीकृत सड़कों पर मुरड़ बिछाने के टेन्डर दुबारा या तिबारा या इससे भी अधिकार किस किस सड़क के मांगे गये ? एवं क्या ऐसी सड़कों के टेन्डर पहली बार में या दूसरी बार में या तीसरी बार में आये थे ? यदि हां, तो वे टेन्डर मंजूर क्यों नहीं किये एवं यदि टेन्डर मंजूर कर लिये तो फिर ठेकेदार से काम क्यों नहीं कराया ? एवं यदि ठेकेदार ने टेन्डर मंजूर हो जाने पर भी काम नहीं किया तो उन्हें किस किस प्रकार से दण्डित किया गया या उनके खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों की सुविधाएं

65. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा कहां पर सिलाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं और उन पर हर साल कितना खर्चा किया जाता है ? हर केन्द्र के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें कितने लड़कों को भर्ती किया जाता है और क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं ? क्या भर्ती के लिये कोई कमेटी या कोई नियम बने हुए हैं ? यदि नहीं, तो किसके द्वारा भर्ती की जाती है ?

(3) क्या जो लड़के इसमें काम सीखते हैं उनको छात्र-वृत्तियां या छात्रावासों की सुविधा दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी और कहां कहां ?

(4) क्या कोर्स पूरा हो जाने के बाद कुछ सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो अब तक कितने लड़कों ने इन केन्द्रों से कोर्स पूरा किया और कितनों की सहायता व ऋण आगे काम चालू रखने को दिया गया ?

उत्तर

1. समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले सिलाई केन्द्रों की तालिका मय प्रत्येक पर किये जाने वाले अनुमानित व्यय 1969-70 के संलग्न हैं।

2. प्रत्येक केन्द्र में 15 प्रशिक्षणार्थियों को भर्ती किया जाता है उनको निम्न सुविधा दी जाती है :-

(अ) प्रत्येक छात्र को 35 रुपये प्रति माह छात्र वृत्ति दी जाती है।

(ब) उत्तीर्ण छात्र को नियमानुसार आवेदन-पत्र देने पर 1000 रुपये बिना ब्याज कर्ज दिया जाता है।

(स) दो केन्द्रों पर छात्रावास सुविधा भी है। भर्ती के लिये कोई कमेटी नहीं है।

(समाज कल्याण मंत्री)

भर्ती प्रशिक्षक की सिफारिश पर जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा दिया जाता है।

3. जी हाँ, सब प्रशिक्षणार्थियों को 35 रुपये माहवार छात्रवृत्तियां दी जाती हैं तथा जयपुर व सागवार में छात्रावास सुविधा भी उपलब्ध है।

4. जी हां। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त करने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 1000 रुपये तक बिना ब्याज ऋण दिया जाता है, पहले 200 रुपये तक औजार अथवा मशीन आदि देने का प्रावधान था। अब तक के प्रशिक्षित एवं सहायता प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों की सूचना संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

भूमि का आवंटन

68. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अपील नं० 10/62 जीवणराम वगैरह बनाम धनाराम वगैरह के दो फैसले दिनांक 14-7-65 व दिनांक 11-7-67 को कलेक्टर नागौर ने जारी किये हैं ?

(2) जो भूमि दिनांक 3-7-62 को मौजा बुडसू तहसील परबतसर जिला नागौर के कैम्प में तहसील परबतसर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा जुसरिया को अलॉट की गई थी, वे भूमियां किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमियां किस किस खसरा नम्बर की अलॉट की गई थीं एवं अब ये भूमियां किस किस व्यक्ति के कब्जा काश्त में किस किस कारण से हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(14-5-70)

भूतपूर्व जिला बोर्डों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों की पेन्शन

111. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व रियासतों में जिला-स्तर पर जिला बोर्ड नाम की संस्थाएं गठित थीं ? यदि हां, तो किन किन भूतपूर्व राज्यों में कितने कितने जिला बोर्ड थे ?

(2) क्या यह सही है कि जिला बोर्डों के विलीनीकरण के पश्चात् राजस्थान सरकार ने इसके कर्मचारियों को राज्य सेवा में समकक्ष पदों पर ले लिया ? यदि हां, तो जिला बोर्ड के कुल कितने कर्मचारियों को राज्य सेवा में लिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जिला बोर्डों के कर्मचारी राज्य सेवा से 55 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के कारण निवृत्त हुए हैं उनमें से कुछ को पेन्शन दी जाती है और कुछ को नहीं ? यदि हां, तो 55 साला भूतपूर्व किस किस जिला बोर्ड के कितने कितने कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए और उनमें से किन किन को पेन्शन दी जा रही है, किन

Page No 42

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

किन को नहीं ? जिला बोर्ड के हवाले से सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जिन कर्मचारियों को पेन्शन नहीं दी जा रही है उसके क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

आबू म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में भूमि की खरीद

73. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

आबू म्युनिसिपैलिटी की सरहद में या सरहद से 5-5 मील के अन्दर किन किन मंत्रियों व राज्य कर्मचारियों ने कितनी कितनी सरकारी या निजी भूमि कब कब खरीदी या प्राप्त की है ? इस भूमि का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

उत्तर

आबू म्युनिसिपैलिटी की सरहद से 5 मील के अन्दर 59 राज्य कर्मचारियों, जिनके नाम संलग्न सूची के कॉलम नं० 2 पर दर्ज हैं, ने सरकारी या निजी भूमि खरीदी या प्राप्त की है। इन लोगों के द्वारा जो भूमि खरीदी या प्राप्त की गई है, उसका रकबा भूमि के बेचान की तिथि व भूमि के उपयोग का विवरण क्रमशः सूची के कॉलम नं० 4, 7 व 8 पर दिया गया है। मंत्रियों द्वारा कोई निजी या सरकारी भूमि नहीं खरीदी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

भूमि पर नाजायज कब्जों के दर्ज मामले

71. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर व शहर के 10 माइल के क्षेत्र में गत तीन वर्षों में कितने मामले नाजायज कब्जों के कौन कौन से दर्ज हुए और उनमें क्या क्या फैसले कब कब हुए तथा कौन कौन से अभी तक अनिर्णीत हैं ?

(2) उपरोक्त अवधि में उक्त क्षेत्र में कृषि भूमि को अन्य कार्य में लेने के कौन कौन से मामले सरकार के ध्यान में आये और उनमें क्या क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उक्त क्षेत्र में भूमि को अन्य कार्य में लेने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो कब से और इस सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये गये और भविष्य में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उत्तर

(1) 1534 मामले नाजायज कब्जे के दर्ज हुए, विस्तृत विवरण एकत्रित किया जा रहा है।

(2) ऐसे 441 मामलों में धारा 91 व 90 ए के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(3) कृषि भूमि को अन्य कार्य में उपयोग में लाने के मामले जब-जब जानकारी में आते हैं तो राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 व 90 (ए) के तहत कार्यवाही की जाती है।

स्थगित प्रश्न

(13-5-70)

ग्राम खेड़ादेव की गोचरभूमि का सिवाय चक में परिवर्तन

77. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खेड़ादेव तहसील अलवर में खसरा नं. 102/2।।।)4, 103/5, 106/2।)1, 125/2)3, 133/3।।), 37/4/)3, गोचर भूमि के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है ?

(2) क्या यह सही है कि इस ग्राम में केवल यही जमीन मवेशियों के चरने के लिए है और यह जमीन गोचर भूमि के रूप में ही काम में आ रही है ?

(3) क्या यह सही है कि इस जमीन की किस्म बदलवाने के लिए अर्थात् गोचर भूमि में सिवाय चक में परिवर्तित कराने के लिए किसी व्यक्ति ने दरख्वास्त दी है ? यदि हां, तो किसने और कब ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों ने लिखित रूप में इस जमीन की किस्म बदलने का विरोध किया है और एक दरख्वास्त इसी आशय की 15-8-69 को उप-राजस्व मंत्री जी को दी है ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) यह सही है कि ग्राम खेड़ादेव में खसरा नं. 102/2।।।) 4, 103/5, 106/2।)R, 125/2)3, 103/3।।), 137/4।)3

राजस्व अभिलेख पत्रादि पटवार में गैरमुमकिन चरागाह दर्ज है।

(2) उक्त खसरा नम्बर में से खसरा नम्बर 106/।)2 मिन गैर मु० चाहा है जिसका विनियमन किया जा चुका है। शेष भूमि गोचर के काम में आ रही है।

(3) यह सही नहीं है। इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(4) जी हां, परन्तु जांच से पता चला कि ग्राम खेड़ादेव की चरागाह भूमि को सिवाय चक से परिवर्तन करने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(14-5-70)

हाउस टैक्स की समाप्ति

106. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर, पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उच्च न्यायालय जोधपुर में मई, 1969 में माननीय न्यायाधीश श्री कानसिंह द्वारा आबू रोड कोटा आदि की रिट-याचिका पर टैक्सेज के बारे में, जिसमें हाउस टैक्स आदि सम्मिलित हैं, जनता के पक्ष में फैसला सुनाया था ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जोधपुर तथा ब्यावर नगरों के समान राजस्थान के

(श्री भगवानदास शास्त्री)

अजमेर, जयपुर, बीकानेर आदि बड़े नगरों में भी हाउस टैक्स समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह समाप्ति कब तक की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें हाउस टैक्स को न्यायालय ने गलत बताया हो और जनता के पक्ष में निर्णय दिया हो ?

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्थगित प्रश्न

(14-5-70)

राज्य सरकार द्वारा भू-खंडों की स्वीकृति दरें

108. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक राज्य के किस किस नगर विकास मण्डल द्वारा राज्य सरकार से स्वीकृत गृह-निर्माण योजनाओं में संशोधन कर बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के किन किन व्यक्तियों को भू-खण्डों का आवंटन किया है ? कृपया नाम, पते व पूरे विवरण सहित तालिका प्रस्तुत करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा इन भू-खण्डों की स्वीकृत दरें क्या थीं और किन दरों पर यह भू-खण्ड आवंटित किये गये ? यदि दरें कम हैं, तो क्यों ?

(3) इन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कब प्राप्त हुये हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(14-5-70)

आरक्षित दरों पर आवास हेतु भू-खण्डों का आवंटन

110. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) 1 अप्रेल, सन् 1967 से लेकर अब तक राज्य सरकार के विभिन्न नगर विकास मण्डलों द्वारा ऐसे किन किन व्यक्तियों को, जो आय-कर देते हैं, आरक्षित दरों पर आवास हेतु भू-खण्डों का आवन्टन किया है ? कृपया नाम पतेवार तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें।

(ख) इन व्यक्तियों के आवेदन-पत्र कब कब प्राप्त हुए और उनके आवन्टित भू-खण्ड का क्षेत्रफल कितना कितना है तथा उसका मूल्य क्या क्या है ?

(स्थगित किया गया)

(9 म०पू०)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। याचिकाओं का उपस्थापन। श्री हरजीराम बुरड़क तीन याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : (1) उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम जसवन्तगढ़,

(श्री हरजीराम बुरड़क)

जिला नागौर की जल-प्रदाय योजना के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(2) उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं-निम्बी जोधा सड़क को पक्का बनवाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

(3) उपाध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं में बिजली की वाल्टेज की कमी को दूर करवाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

विधायी कार्य

विधेयकों का पुरः स्थापन

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। पशुपालन मन्त्रीजी विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्यमन्त्री, गृह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय में वृद्धि

श्री राम किशोर व्यास (राजस्व मन्त्री) (वित्त मन्त्री के स्थान पर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु समय आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक और बढ़ा दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक प्रवर समिति को कई वर्ष पहले सुपुर्द किया गया था। पिछले वर्ष में इस प्रवर समिति की कोई मीटिंग नहीं हुई, केवल एक मीटिंग बुलाई गई वह भी इस बात के लिए बुलाई गई थी कि इसका टाइम और बढ़वा लिया जाय। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर गवर्नमेंट का इस विधेयक के बारे में क्या दृष्टिकोण है ?

इस विधेयक के पेश करते समय यह कहा गया था कि गवर्नमेंट केवल प्रोपेगण्डा के रूप में यह विधेयक यहां पर रखना चाहती है, और उन वर्गों पर टैक्स लगाना नहीं चाहती, बल्कि अब के पूर्व जो बजट पेश किया गया था उसमें जो नगर के अन्दर प्लाट्स थे उनके ऊपर पुराना टैक्स लगा हुआ था पिछले पांच वर्षों से उसको भी उसने छोड़ दिया है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रवर समिति का यह कार्यकाल तभी बढ़ाया जाय जब कि गवर्नमेंट यह आश्वासन दे कि अमुक समय के अन्दर इस विधेयक को इस सदन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा और फिर इस समय को और आगे बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण है वह इस विधेयक में दिया हुआ है और बहुत स्पष्ट है और उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है।

श्री रामकिशन (वैर) : वैसे तो कांग्रेस के घोषणापत्र में भी है।

श्री रामकिशोर व्यास : अन्तिम रूप से सलेक्ट कमेटी में डेलिब्रेशन्स होकर फाइनेलाइज हो जायगा तो सामने आयेगा। अगले सत्र तक के समय की मांग ज्यादा नहीं है।

श्री रामकिशन : आपने कहा है वह तो कांग्रेस के घोषणापत्र में भी है, सवाल अमल का है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: किस तारीख से अमल में लायेंगे ? लगातार समय बढ़ावे जा रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : जैसे ही पास हो जायगा अमल में आ जायेगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : इसका समय और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा-यह तो आश्वासन दे सकते हैं। अगले सत्र में इसको पेश कर देंगे यह तो आश्वासन दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन की अवधि आगामी सत्र तक बढ़ा दी जाय।

(स्वीकृत)

समय में वृद्धि की गई।

स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस कन्डीशन पर दी गई कि और आगे नहीं बढ़ाया जायेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन-प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा ने कस्बा नोहर में जनता को पीने के पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री केशरीसिंह हाड़ा, सदस्य, विधान सभा ने जिला बूंदी की पंचायत समिति हिन्डोली के अन्तर्गत टीकड़ा पंचायत के सरपंच द्वारा अकाल राहत कार्य में काम करने की मजदूरी लेकर व उसी अवधि का स्थाई समिति हिन्डोली की बैठक में उपस्थित होना बतलाकर यात्रा भत्ता उठाने तथा उस संबंध में उप-जिला विकास अधिकारी द्वारा

(श्री उपाध्यक्ष)

जांच रिपोर्ट जिलाधीश बूंदी को देने आदि के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला लगभग 1 वर्ष पुराना है।

(3) श्री बृजवल्लभ बोहरा, श्री गंगासहाय व श्री जुझारसिंह, सदस्य, विधान सभा ने 14–5–1970 को 4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर वन मंत्री महोदय का ध्यान बुड़ादीव धनवा की राड़ी के जंगल को नष्ट करने की ओर आकृष्ट करने तथा उस पर कोई कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य, विधान सभा ने नागौर जिले की जायल तहसील में पिछले दो वर्षों से लगातार अकाल पड़ने पर भी इस तहसील में 2–3 कैम्पों को छोड़कर लगभग सारे कैम्प बंद हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन–प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री महेन्द्रसिंह, श्री बृजवल्लभ बोहरा व श्री पृथ्वीसिंह तथा श्री कृष्ण कुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने कोटा जिले की 4 तहसीलों–दीगोद, पीपलदा, लाड़पुरा व मांगरोल के गांवों में हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) पंचायत समिति नोहर के अध्यापकों को दो माह से वेतन न मिलने के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा से एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना मिली है।

(7) राजस्थान पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा 25–5–70 से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल के नोटिस से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त सभी स्थगन-प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाय। अतः इन स्थगन–प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

इनके अतिरिक्त जो पेंडिंग स्थगन-प्रस्ताव हैं उनका भी उल्लेख नीचे किया जाता है:–

(1) श्री भैरोंसिंह, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर नगर में शुद्ध पीने के पानी के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना कल दी थी। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रीजी द्वारा आज स्थिति को स्पष्ट करते हुए वक्तव्य दिया जायेगा।

(2) श्री आईदानसिंह, श्री पृथ्वीसिंह व श्री बालसिंह सोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने जैसलमेर जिले में फील्ड फायरिंग क्षेत्र की स्थापना से कुछ गांवों की भूमि अवाप्त कर गांव खाली करने के नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस संबंध में राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह कहा गया है कि फील्ड फायरिंग रेन्ज, जैसलमेर हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा नियमानुसार भूमि अवाप्त की गई थी तथा विस्थापितों को राजस्थान नहर में भूमि आवंटन करने के आदेश जिलाधीश जैसलमेर को जारी कर दिये गये थे। इन विस्थापितों के लिए 4,000 एकड़ भूमि राजस्थान नहर योजना में रिजर्व करना तय किया गया है।

(श्री उपाध्यक्ष)

किसी भी व्यक्ति को या उसके परिवार के सदस्यों को जबरदस्ती से न तो बेदखल किया गया है और न ही किया जा रहा है।

(3) जैसलमेर जिले में नियुक्त डाक्टरों को हटाये जाने व अब तक वहां डाक्टर न भेजे जाने के संबंध में एक स्थगन-प्रस्ताव को सूचना श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री विजयसिंह मकराना व श्री ओमदत्त भाटी, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी में यह बतलाया गया है कि जैसलमेर जिले में 4 चिकित्सकों की प्रतिनियुक्तियां की गई थीं ये प्रतिनियुक्तियां आम तौर पर तीन माह के लिये की जाती हैं। पिछले प्रति नियुक्त डाक्टरों की अवधि समाप्त होने पर दूसरे डाक्टरों की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किये गये थे और इन रिक्त चिकित्सा अधिकारियों के पद भर दिये गए हैं और उनमें से प्रायः डाक्टरों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। चेचक रोग की रोकथाम के संबंध में आवश्यक प्रबन्ध जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा किया गया था तथा स्थिति नियंत्रण में है। जैसलमेर जिले में प्रतिनियुक्त गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी नहीं हटाई गई है। केवल वे ही गाड़ियाँ, जिनकी मरम्मत आवश्यक थीं, मरम्मत हेतु जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर व बाड़मेर ने बाड़मेर मंगाई हैं।

(4) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री रूपसिंह श्री लक्ष्मण तातीवाल, श्री विजयसिंह, श्री रामचन्द्र आर्य श्री दौलतराम सारण, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री गजानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने कृषि विभाग के संचालक द्वारा 33 कृषि प्रसार अधिकारियों एवं कृषि सहायकों की सेवाएं 1 जून, 70 से समाप्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि ग्राम सेवकों की पदोन्नति कृषि प्रसार अधिकारियों के पदों पर आरक्षित कोटा के अन्तर्गत करने से 24 अस्थायी कनिष्ठतम व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त करना अनिवार्य हो गया है। तथा 8 व्यक्तियों को इस कारण नोटिस दिया गया है कि कृषि फार्म के वर्गीकरण के फलस्वरूप 8 पद समाप्त हो गये तथा एक वरिष्ठतम कृषि सहायक पुनः इस विभाग में लौट आने से 1 कनिष्ठतम व्यक्ति की सेवा समाप्त करना आवश्यक हो गया। इस प्रकार 33 कनिष्ठतम अस्थायी कनिष्ठतम व्यक्तियों का सेवाएं समाप्त करने का नोटिस दिया जाना अनिवार्य हो गया था।

साथ में यह भी बतलाया गया है कि इन व्यक्तियों को लोक सेवा आयोग द्वारा चयन पूरा होने तक राज्य सेवा में रखने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि इन व्यक्तियों की कण्टीन्युटी रखी जा सके।

(5) दक्षिणपन्थी विदेशी राष्ट्र की दिन प्रति दिन घुसपेठ मुल्क में बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामनारायण चौधरी, श्री शीशराम व श्री सुरेन्द्र व्यास, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार से जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसमें कहा गया है कि कतिपय ईसाई संस्थाओं द्वारा अभाव सहायता के बहाने धर्म परिवर्तन की कुछ शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई थीं लेकिन जांच कराने

(श्री उपाध्यक्ष)

पर जोर जबरदस्ती या धोखे के साथ धर्म परिवर्तन की कोई सूचना नहीं मिली है। इस विषय में सम्बन्धित जिला प्रशासनों को जागरूक रहने का आदेश दे दिया गया है। अमेरिका की सरकार द्वारा दूसरे राज्यों की नीति में हस्तक्षेप करना अथवा सैनिक हस्तक्षेप करना ऐसे विषय हैं कि जिनका सम्बन्ध पूरे देश की नीति से है। और जो केन्द्रीय सरकार और लोकसभा के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत आते हैं।

(6) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने विराटनगर (जयपुर) में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक कार्यकर्ता द्वारा गोपाल गोडसे को अभिनन्दन-पत्र देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह गत वर्ष का मामला है तथा लेख व अभिनन्दन पत्र को जब्त किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(7) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई थीं :—

(अ) अजमेर हायर सैकेण्डरी बोर्ड में कम्प्यूटर मशीन लगाये जाने से मजदूर विरोधी नीति अपनाई जाने के सम्बन्ध में,

(ब) उदयपुर सीमेण्ट फैक्टरी मजदूर यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन के सम्बन्ध में-मुकद्दमा दर्ज कर लिया गया है तथा तफतीश प्रारम्भ की जा चुकी है।

(स) जोधपुर नगर में एक व्यक्ति के मकान में बम विस्फोट की दुर्घटना के सम्बन्ध में, यह मामला बेरतफतीश बतलाया गया है।

(8) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री विजयसिंह, श्री हरिवल्लभ शर्मा, सदस्य विधान सभा से 8 वर्षों से वर्षा के अभाव के कारण जैसलमेर जिले में पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। राज्य सरकार से जो जानकारी मिली है उसमें यह बतलाया गया है कि अधिकांश नलकूप चालू स्थिति में है तथा जिन नलकूपों में रुकावट आ गई है उन्हें पुनः चालू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

उपरोक्त दिये कारणों के अतिरिक्त ये मामले अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं। अतः इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, एक थाने में, एक हरिजन की हत्या के सम्बन्ध में, सेवर थाने में होतीलाल हरिजन की हत्या के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया गया था, उसका कुछ नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष : वह आज देरी से प्राप्त हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले भी सदन में आया था।

श्री उपाध्यक्ष : पहले रिजेक्ट किया जा चुका है। आज 8.35 पर प्राप्त हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस थाने के अन्दर यह होतीलाल मारा गया है। वह भाई से मिलने के लिए गया था। उपाध्यक्ष महोदय, थाने के अन्दर मारा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक हरिजन की हत्या होती है। ए० डी० एम० पर दबाव डाला गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसको मारा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप का स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुलिस हिरासत में आदमी मारा जाये तो भी लोक महत्व का नहीं माना जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुलिस अधिकारी हत्या करें।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य

श्री देवीदत्त गाड़िया : रतनगढ़ थाने में ऐसा हो।

श्री उपाध्यक्ष : उसके सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही हो रही होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस तरह से हाउस में किया जाये। यह शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप अगर चाहते हैं कि पुलिस के अन्दर इस प्रकार हत्यायें हो, और आप वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। खड़े होकर वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाड़िया : टोंक के अन्दर अपने लड़के को जिताने के लिये पुलिस की मदद ली है। पुलिस से 3 लाख रु० इकट्ठा किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गाड़िया जी। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): गाड़िया जी की आदत पड़ गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि लेट प्राप्त हुआ है तो भी नियम में संशोधन करके इसे ले लें। चूंकि आज लास्ट डे है मामला गम्भीर है।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस सम्बन्ध में पुलिस का कहना है कि उसने खुद अपना पेट काट लिया है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह अध्यक्ष महोदय ने रिजेक्ट कर दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बाद में मैं उनसे चेम्बर में मिला था. उन्होंने कहा था कि मैं दुबारा किसी तरह से देख लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाद में मुझ से मिल लीजिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फिर मौका मिलेगा नहीं। लास्ट-डे है। गृह मन्त्रीजी यहां मौजूद हैं। जैसी भी स्थिति हो..........

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्थिति स्पष्ट हो जाये। कोई आदमी खुद अपने पेट की आंतड़ियां इस प्रकार काट ले- यह सम्भव नहीं है। गृह मन्त्रीजी से पूछ लें। वक्तव्य देने में उनको कोई ऐतराज न हो, उनकी जानकारी हो तो दे दें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अमेरिकी ईसाइयों के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है।

श्री रामनारायण चौधरी : उस पर मुझ को सन्तोष नहीं है। विदेशी लोग यहां पर ....

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी। व्यवस्था दे दी गई है, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण चौधरी : वह सरकार स्थिति स्पष्ट करे यह बहुत अफसोस और खेद की बात है कि विदेशी लोगों द्वारा धर्म के पवित्र मामले में विदेशी धन की मार्फत, यह हमारी जो स्वतन्त्रता है, हमारी जो सार्वभौमिक शक्ति है, उसके अन्दर सीधा हस्तक्षेप है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे यहां के लोगों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप गृह मंत्री महोदय को कहें कि वह इस पर वक्तव्य दें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग ने अपने आदेश नम्बर एफ 2 (1)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसकी विस्तृत जानकारी मैंने निवेदन कर दी है....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : उसमें राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि यथासम्भव उनको रखा जायगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है कि आज विधान सभा का अन्तिम दिन है, राज्य सरकार का इसके सम्बन्ध में विधान सभा के सदस्यों के द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाय और राज्य सरकार स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में लिखित उत्तर दे दे, जो इच्छा हो वह उत्तर दे दें और उसकी आपकी ओर से हमें सूचना दे दी जाय....

श्री उपाध्यक्ष : विस्तृत जानकारी दी है इस सम्बन्ध में। आपने उत्तर सुना नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन कर रहा हूं, जो स्थिति आज सारे देश के अन्दर इस बेकारी की समस्या को लेकर हो रही है, आज कृषि स्नातक बिहार के अन्दर धरना दे रहे हैं, वह अपनी गिरफतारियां करवा रहे हैं, लेकिन यहां के कृषि विभाग के डाइरेक्टर ने 33 लोगों की सर्विस टर्मिनेट कर दी है ··

श्री उपाध्यक्ष : वह स्थिति माननीय सदस्य, सदन के सामने है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह लोग 1966 के पास लोग हैं, फर्स्ट डिविजन के अन्दर इन्होंने एम.एससी. एग्रीकल्चर किया है इनका अपाइन्टमेंट 1969 के अन्दर हुआ है, राज्य सरकार का कृषि विभाग केवल इनको एग्रीकल्चर असिस्टेन्ट और एग्रीकल्चर एक्सटशन आफिसर के नाम पर अपाइन्टमेंट देती है, यह लोग तीन साल तक बेरोजगार रहते हैं, बेकार रहते हैं और इनको 1969 के अन्दर अपाइन्टमेंट दिया जाता है और मई 70 के अन्दर राज्य सरकार इन 33 व्यक्तियों की नौकरी खत्म कर देती है यह कह कर कि हम पी. एल. डब्ल्यूज. को प्रमोशन दे रहे हैं, और यह भी तर्क भी उसमें दिया जाता है कि पी. एस. सी. के द्वारा चयन किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार पढ़े लिखे नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के जजबातों के साथ में इस तरह खेलना बन्द करे····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बेरोजगारी की समस्या से बचने के लिये पढ़ाई पर वह व्यय करते हैं और एम.एससी. एग्रीकल्चर पास करके देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं तो आपको उनकी ओर देखना पड़ेगा ···

श्री उपाध्यक्ष : पर्याप्त है, माननीय सदस्य।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : लेकिन उनको इस प्रकार नौकरी से हटा कर बेरोजगार करना उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार का उत्तर अपने आपमें पर्याप्त नहीं है, इसलिये राज्य सरकार को बाध्य किया जाय कि वह स्थिति को बहुत स्पष्टरूप से विधान सभा के सदस्यों के सामने स्पष्ट करे। मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चयन करने की बात कही गई है ···

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : तो उसमें दो तीन महीने की बात है। तो दो तीन महीने के लिए नौकरी से निकालना उचित नहीं है ···

श्री उपाध्यक्ष : यह आश्वासन दिया है, माननीय सदस्य, यह आश्वासन दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लीयर कट आश्वासन नहीं है। यह कहा है कि प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इन लोगों की सर्विस टर्मिनेट कर दी गई है और अब राज्य सरकार यह आश्वासन दे रही है कि पी. एस. सी. से एप्रूवल होगा, उनका चयन होगा तो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उनको रख लेंगे। क्या यह उचित नहीं समझते हैं कि दो तीन महीने की बात है इसलिए उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट नहीं किया जाय, उनकी सर्विसेज को कन्टीन्यू रखा जाय? यह उचित है तो सरकार आश्वासन क्यों नहीं देती है? मैं निवेदन करूंगा कि कृषि मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिए सदन के सामने।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इतना सा मसला इसमें है कि पी. एस. सी. को रिक्वीजीशन भेजा गया है वह चार सौ पोस्ट का भेजा गया है और उसके लिए इन्टरव्यू जुलाई में होने वाले हैं, तो केवल दो महीने की बात है, दो महीने के लिए इनकी सर्विस में ब्रेक हो जायगी। पी. एस. सी. के जुलाई अगस्त में इन्टरव्यू होने वाले हैं, तो यह वाजिब नहीं है कि सवा साल डेढ़ साल की सर्विस में ब्रेक किया जाय। फिर इसमें सीनियरिटी का क्वेश्चन भी इन्वाल्व होगा। आप एम० एससी० एग्रीकल्चर की सर्विस तो टर्मिनेट कर रहे हैं और जो प्रमोशन दे रहे हैं वह मेट्रिकुलेट को दे रहे हैं। आप मेट्रिकुलेट को एम. एससी. एग्रीकल्चर के मुकाबले में प्रमोशन दें और उनकी सर्विस को टर्मिनेट करें, मैं समझता हूं, यह सरकार के लिए शोभाजनक नहीं है। इसलिए सरकार को केटेगरीकली एस्योरेन्स देना चाहिए कि जब तक पी. एस. सी. के द्वारा चयन नहीं किया जाय, तब तक उनको कन्टीन्यू किया जाय।

श्री लादूराम सुलानिया (फागी सु.): उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना सा कहना चाहता....

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया: गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर कितने हरिजनों की हत्या हुई हैं....

श्री उपाध्यक्ष: आसन पैरों पर है।

श्री लादूराम सुलानिया: जैसा रामानन्दजी ने कहा, नौकरियों के सम्बन्ध में उसका सरकार उत्तर नहीं दे रही है। और इस गांधी शताब्दी वर्ष के अन्दर हरिजनों को राज्य सरकार सहायता जी खोलकर देना चाहती है, लेकिन इस वर्ष जो हत्या हुई हैं, केवल उनकी जांच का आदेश दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

राज्य सरकार ने लिखा है, साथ में यह बतलाया गया है, इन व्यक्तियों का लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन पूरा होने तक राज्य सेवा में रखने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि इन व्यक्तियों की सेवा में कन्टीन्युटी रखी जा सके।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: यह प्रयत्न किया जा रहा है— यह कहना वेग है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: हम क्लीयर कट उत्तर चाहते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल: विधान सभा के आखिरी दिन के अन्दर राज्य सरकार यह उत्तर दे कि प्रयत्न किया जा रहा है, तो यह इस सदन के सदस्यों को टालने का प्रयत्न करना चाहती है। हमारा निवेदन है कि राज्य सरकार को बाध्य किया जाय कि स्पेसिफिकली और केटेगरीकली यह स्पष्ट करें ताकि यह मान कर चल सकें कि इन लोगों की सर्विसेज को टर्मिनेट करने का इरादा नहीं

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है। आज यह स्थिति हो गई है कि जिन लोगों की सर्विसेज टर्मिनेट की गई हैं उनमें से कुछ कर्मचारी तो ओवर एज हो गये हैं, इस कारण से उनको अपाइन्टमेंट नहीं मिल पायेगा, दूसरी उनकी सर्विस में ब्रेक आ जायेगा, तो फिर यह लोग किसको जाकर रोयेंगे। मेरा कृषि मंत्रीजी को निवेदन है कि वह स्टेटमेंट दें उसमे यह केटेगरीकली कहें कि सर्विस को ब्रेक नहीं करेगी और उनकी सर्विस में कन्टीन्युटी रखेगी।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार ने आश्वासन दे दिया है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय मैट्रिकुलेट को जो अपग्रेड किया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री विजयसिंह : अलग से नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एम. एससी. को निकाल कर मैट्रिकुलेट को अपग्रेड करना कहां तक उचित है? अब दो महीने के अन्दर पी. एस. सी. से सलेक्शन होने वाला है, तो दो महीने उनको राज्य सेवा में सरकार रखे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : कृषि मंत्रीजी मिले थे तो कृषि मंत्रीजी हठधर्मी हैं, मैं तो यहां तक आरोप लगाना चाहता हूं कि पर्टीक्यूलर आदमियों को ओब्लाइज करने के लिए इन को हटाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : इसलिए इस पर विचार करना चाहिए, केवल दो महीने का सवाल है, इसको ध्यान में रख कर सरकार को विचार करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लीअर कट स्थिति है, टर्मिनेशन के आर्डर इश्यु हो गये हैं, तो केवल प्रयत्न किया जा रहा है—कहना काफी नहीं है। सरकार को आश्वासन देना चाहिए और टर्मिनेशन के आर्डर्स को वापिस लेना चाहिए। पी.एस.सी. के द्वारा इन्टरव्यू होने तक इनको कम से कम राज्य सेवा में रखा जाय।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, इन 33 व्यक्तियों को निकालने का कोई कारण नजर में नहीं आता है क्योंकि अलवर, भरतपुर और उदयपुर को एक्सटेंशन वर्क के लिए सलेक्ट किया है, वहां कई गांवों में काम किया जा रहा है और वहां पर नये लोगों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए कलेक्टर को आदेश दिया है। मैं सुझाव दूंगा कि जिन जिलों में नई भर्ती की जा रही है वहां इन लोगों को स्थानान्तरित कर दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आन ए पाइन्ट ओफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय, यह एडजोर्नमेंट मोशन है जिनका निर्णय आपने अभी दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय ने आपका निर्णय क्या होगा, इसका पहले से ही अनुमान लगा लिया था, इसी कारण से मंत्री अनुपस्थित हैं और उप मंत्री भी अनुपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि जिस विषय पर एडजोर्नमेंट मोशन हो तो उस विभाग के मंत्री के लिए यह लाजिमी है कि सदन में एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में

Page No 55

(श्री भैरोंसिंह) ...

निर्णय होने तक सदन में उपस्थित रहें ताकि किसी प्रकार की कोई विशेष प्रकार की जानकारी आवश्यक हो तो वह दिलवाई जा सके। मैं समझता हूं कि मंत्री और उपमंत्री ने सदन में उपस्थित नहीं होकर सदन की मानहानि की है और सदन की मर्यादा भंग की है, और माननीय अध्यक्ष के निर्णय को प्री-सपोज करके सदन से एबसेन्ट रहे हैं । यह तीनों बातें ऐसी हैं कि इन तीनों बातों के लिए मंत्री और उप मंत्री को ताड़ना आसन की तरफ से दी जानी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने अध्यक्ष महोदय को सूचित कर दिया था कि सदन से अनुपस्थित रहेंगे ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपमंत्री जी भी नहीं हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया: इसका मतलब यह है, उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो दो तीन महत्वपूर्ण मोशन हैं इनके बारे में राज्य सरकार की ओर से कौन रिप्लाई देगा ? अभी जैसे माननीय रामकिशनजी ने सुझाव दिया कि जिलों के जिलाधीश नई नियुक्ति कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक तरफ तो नई नियुक्ति हो जाय और दूसरी ओर लास्ट इअर जिन लोगों को अपाइन्ट किया उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाय....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर! आर्डर, आर्डर! स्थान ग्रहण करें कृपया ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस प्रकार विरोधाभास की बातें सरकार की ओर से की जा रही हैं । इसका स्पष्टीकरण कौन करेगा ?

सदन में मंत्रियों की अनुपस्थिति सम्बन्धी व्यवस्था प्रश्न

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का सवाल खड़ा करना चाहता हूं । जितने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं वह विभिन्न मंत्रियों से सम्बन्धित हैं, इसमें एक मंत्री का प्रश्न नहीं है, सामने ट्रेजरी बेंचेज पर केवल दो कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद हैं, और 90 पर्सेन्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वह हाउस में मौजूद नहीं हैं । यह सदन का अधिकार है कि मंत्री महोदय अपनी गैरहाजिरी की जानकारी अध्यक्ष महोदय को दे । इस प्रकार की सदन की परंपरा है कि जो भी मंत्री अनुपस्थित रहे वह अध्यक्ष महोदय को उसकी पूर्व सूचना दे अपनी अनुपस्थिति के संबंध में- यह सदन की परम्परा है, यह एक स्वस्थ परम्परा है। आपने सदन को सूचित किया कि कृषि मंत्री जी ने आज अपनी अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को सूचना भिजवा दी थी और अध्यक्ष महोदय की अनुमति मांग ली थी । अभी जसा व्यवस्था का प्रश्न माननीय भैरोंसिहजी ने उठाया था, उस पर यह कहा तो मैं जानकारी चाहूंगा और निवेदन करूंगा इस सम्बन्ध में कि यह गम्भीर मसला है क्योंकि आज सदन की कार्यवाही का अन्तिम दिन है, और अन्तिम दिन होने की वजह से सदन के माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की समस्यायें उठाने का प्रयत्न करते हैं । लोक सभा में तो एक घन्टा इच्छा के विषय उठाने के लिए रखा जाता है, जो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सदस्य चाहें, उसमें एक दो मसले अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी के उठा सकते हैं, या कोई ऐसा मसला जो गम्भीर सदन की दृष्टि से हो सकता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इतने भारी स्थगन प्रस्ताव आपके सामने आये हैं, जिन पर आपने व्यवस्था दी है और सदन के माननीय सदस्य आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में एजीटेटेड हैं, वह अपना रिजेन्टमेन्ट शो करना चाहते हैं और गवर्नमेंट से स्टेटमेंट चाहते हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि सदन से अनेक मंत्री आज अनुपस्थित हैं। इसलिए हम राज्य सरकार और अनुपस्थित मंत्रियों को कन्डम करना चाहते हैं, हाउस के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि इस कन्डमनेशन में वह साथ दें क्योंकि यह उनका कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड है, वह सदन के प्रतिनिधि हैं, उनको सदन में उपस्थित होना चाहिए लेकिन आज सदन के आखरी दिन 90 पर्सेन्ट केबिनेट मिनिस्टर सदन में उपस्थित नहीं हैं। कुछ राज्य मंत्री व उप मंत्री जरूर है लेकिन जितने ही सीनियर मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी हैं। गृह मंत्री व पी० डब्लू० डी० मंत्री को छोड़ कर और कोई नहीं है। राजस्व मंत्री आये थे वह चले गये, सदन में उपस्थित नहीं रहते, यह गम्भीर मसला है। अभी मुख्य मंत्री आये हैं, मैं कब इन्कार करता हूं। मंत्री न अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि वे सदन में अनुपस्थित रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : कुछ मंत्रियों ने दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किसने दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बरकतुल्ला खां, श्री हरिदेव जोशी व श्री शोभाराम।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिन्होंने सूचना नहीं दी है, उसको आप उचित समझते हैं ? आसन से कई बार व्यवस्था हुई है कि जब मंत्री सदन से अनुपस्थित रहें और विशेषकर आज सदन का अंतिम दिन होने के कारण अध्यक्ष को सूचना दी जानी चाहिए थी वह नहीं दी, यह अध्यक्ष का अपमान किया है, सदन का अपमान किया है, परम्पराओं को तोड़ा है और एक प्रकार से लोकतंत्र की कब्र खोदने जा रहे हैं, यह परम्परा ठीक नहीं है। इसलिए जो अनुपस्थित मंत्री हैं, जिन्होंने सूचना आसन को नहीं दी जो दी जानी चाहिए थी, जिसके बारे में कई बार व्यवस्था दी गई है, उनके लिए आप उनको ताड़ना दें और मुख्य मंत्री को निर्देश दें कि भविष्य में मंत्रिमंडल के सदस्य इस प्रकार कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड इस सदन के प्रति न रखें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): इसमें कोई कन्टेम्प्चुअस एटीट्यूड का प्रश्न नहीं है। सामान्य तौर पर यह परम्परा भी रही है और नियम भी इस प्रकार से है कि जब किसी मंत्री का विषय यहां पर डिस्कस होने को हो तो उस समय मंत्री या उपमंत्री या जिसको वह जिम्मेदारी सौंप दें, उसको यहां पर रहना चाहिए और जो स्थगन प्रस्ताव रद्द होते हैं उसके बाद उस पर करके चला जाता है कि कोई बहस नहीं होगी। इसलिए कोई ऐसा स्थगन प्रस्ताव हो, उस समय वह उपस्थित रहे हों और न रहें तो मानहानि समझा जाय, यह प्रश्न नहीं है।

श्री विजय सिंह : विधान सभा में मंत्री आते हैं, इससे क्या फायदा ......

Page No 57

(श्री रामचन्द्र आर्य और श्री बिजयसिंह एक साथ बोलने लगे)

श्री दौलतराम सारण : अभी मुख्यमंत्री ने कहा है....

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि नोहर में जो इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, उसको रोका जाय ताकि वहां की जनता को पानी मिल सके क्योंकि तीन बार वहां निर्माण का ठेका कैंसिल किया गया, अधिकारी रिश्वत मांगते हैं इसलिए इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाय क्योंकि नोहर में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, वाटर वर्क्स का पानी खारा होता है, नहर से पानी लेने की स्कीम है लेकिन बार बार कैंसिल करने से दो साल में भी काम पूरा नहीं हो सकेगा। जनता के सामने विशेषकर यह तकलीफ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो मैंने प्रारम्भ में मुद्दा उठाया था, कृषि विभाग में कृषि सहायक और विकास अधिकारी के जो 33 व्यक्ति हैं जिनकी योग्यता एम. एससी. एग्रीकल्चर है उनकी नौकरी खत्म कर दी, उस बारे में .....

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार की तरफ से उत्तर प्राप्त हो गया है, जो आश्वासन दिया है वह पर्याप्त है।

श्री दौलतराम सारण : एक और गम्भीर मसला है सदन के सामने। जो श्री सतीशचन्द्रजी ने व्यवस्था का सवाल उठाया, उसके लिए मुख्य मंत्री ने अभी कहा कि जब स्थगन प्रस्ताव रद्द हो जाते हैं उसके बाद में मानकर चलते हैं। मैं नहीं समझ सका कि स्थगन प्रस्तावों के संबंध में व्यवस्था तो सदन में दी जाती है, उससे पहले मंत्रियों को कैसे पता चल गया कि यह स्थगन प्रस्ताव रद्द होंगे या स्वीकार होंगे या इस पर क्या व्यवस्था दी जायेगी ? पहले से कल्पना करके मंत्रिगण छुट्टी लेकर चले जायं आसन से, यह अनुचित बात है क्योंकि उनको पता नहीं कि व्यवस्था क्या होगी। पूर्व कल्पना करके सदन से चले जाना सही दृष्टिकोण नहीं है और सदन के प्रति सम्मान की भावना प्रकट नहीं करता है। यह स्थिति बराबर देखने में आती है इसलिए आप इस संबंध में मंत्रियों को पाबंद करें कि वह यहां रहें, मुख्य मंत्री की बात सुनकर मुझे सदमा पहुंचा। बजाय इसके कि वह कहते कि भविष्य में ख्याल रखा जायगा, वह उल्टे कहते हैं कि यह समझ लिया गया कि स्थगन प्रस्ताव रद्द हो गए इसलिए उनका विषय यहां डिस्कशन के लिए नहीं है। लेकिन आज अंतिम दिन है, स्थगन प्रस्ताव की कार्यविधि पूरी नहीं हुई है, उससे पहले ही मंत्री चले गए या आए नहीं, ऐसी स्थिति खेदजनक है। मैं इस संबंध में व्यवस्था चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आमतौर से जब कोई स्थगन प्रस्ताव रद्द नहीं होता है तो आसन आदेश देता है कि मंत्री इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट देंगे और उस बयान की तारीख बाद में तय की जाती है। अचानक अगर यहां पर व्यवस्था देने के समय कोई इस प्रकार की बात नहीं है आसन की तरफ से कि अभी स्टेटमेंट दे ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर मोशन को सदन स्वीकार कर ले तो ? जैसे 11 मई को श्री शिवचरण सिंह के बारे में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

स्थगन प्रस्ताव था, उसको अध्यक्ष ने उस समय अनुमति नहीं दी लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया, सदन ने कन्सेंट दी, सिचुएशन खड़ी हो गई, सदन स्थगित हो गया, आप प्री-सपोज कैसे करते हैं, कि आसन वह व्यवस्था देगा ? कल पानी का सवाल था, राज्य मंत्री श्रीमती सुमित्रा ने कहा कि अध्यक्ष की इजाजत हो तो मैं 4 बजे स्टेट-मेंट दूंगी। अगर उपस्थित नहीं होती तो यह स्थिति कैसे आती ? पी. डब्ल्यू. डी. मन्त्री ने कल क्लैरीफिकेशन दिया तो प्री-सपोज करना, एन्टीसिपेट करना अध्यक्ष के निर्णय की जो फ्रीडम है, इन्डिपेंडेंस है, उसमें इन्टरवेन्शन है, नाजायज दखलंदाजी है। आप प्री-सपोज करके चलते हैं, यह डेमोक्रेटिक ट्रेडीशन्स के खिलाफ एटीट्यूड है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जोइन्ट रेस्पान्सीबिलिटी है - जो मन्त्री उपस्थित होंगे, वह जवाब दे देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरे मंत्री को जानकारी नहीं है। सवालों के समय कहते हैं कि यह सवाल मेरे विभाग का नहीं है, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, फलां मन्त्री जवाब देंगे। जोइंट रेस्पान्सी-बिलिटी केवल उपस्थापन, बिल्स इन्ट्रोड्यूस करने के लिए और हाजिरी दर्ज कराने की है, इसके अलावा कोई जोइंट रेस्पान्सीबिलिटी नहीं है। मैं लोक सभा में गया। इंडियन पार्लियामेंटरी एसोसिएशन की मीटिंग में श्रीमती गांधी का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन सारे समय उपस्थित रहीं। पंडित जवाहरलालजी कभी सदन छोड़कर नहीं जाते थे, सदन के प्रति रिगार्ड और रेस्पेक्ट रखते थे और लोक सभा के सदस्यों के मन में भी उनके प्रति रिगार्ड और रेस्पेक्ट पैदा होती थी। आज क्या है ? मुख्य मन्त्री बैठते नहीं, उपनेता बैठते नहीं, सीनियर मिनिस्टर बैठते नहीं, और इट्स पिटी सदन में बैठे रहते हैं, सदन में सीरियसनैस नहीं आती है, डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स के प्रति जो सोब्राइटी होनी चाहिए वह नहीं आ सकती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक चीज और पोइंट आउट कर दूं, माननीय सदस्य जानते हैं, नियम प्रोवाइड करते हैं कि स्थगन प्रस्ताव आए तो वह जहां अध्यक्ष के पास भेजा जाता है तो उसकी प्रति सम्बन्धित मंत्री को भी पहुंच जानी चाहिये। अगर किसी मन्त्री के पास नहीं पहुंचती है तो...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जिम्मेदारी सचिवालय की है। कभी स्पीकर को लिखकर भेजा ? यह उनका काम है। मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि स्थगन प्रस्ताव की प्रति नहीं मिली इसलिये सदन से अनुपस्थित रहे, यह कोई ग्राउंड नहीं हो सकता। जहां तक मेरी जानकारी है, विधान सभा सचिवालय हर स्थगन प्रस्ताव की प्रति सम्बन्धित मंत्री को भेजता है। बात यह है कि आप बातों को छिपाना चाहते हैं। यहां पर 1/7 मंत्रियों की उपस्थिति है। 21 में से 3 बैठे हैं। 86 प्रतिशत कैबिनेट मंत्री सदन से अनु-पस्थित हैं। इजाजत केवल तीन ने ली है। बाकी 15 मंत्रियों को कन्डेम किया जाय, ताड़ना दी जानी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री तो अभी आए हैं। लेकिन कृषि मंत्रालय

Page No 59

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

से जो प्रश्न उपस्थित हुए और उस विषय में जो वक्तव्य आया उस बारे में आश्वासन दें कि उनकी सर्विसेज टर्मिनेट नहीं की जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : जब अध्यक्षीय व्यवस्था हो गई तो उसके बाद में चर्चा का प्रश्न नहीं उठता। एक तरह से अनुमति हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि मन्त्री महोदय का इस समय उपस्थित होना आवश्यक है।

श्री भैरोंसिंह : आप स्पष्टीकरण करा दीजिये। आपकी व्यवस्था में यह था कि उनको रखे जाने का प्रयत्न किया जायेगा। मुख्य मंत्रीजी स्पष्टीकरण कर देंगे कि यह प्रयत्न किस प्रकार का होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोइन्ट रेस्पान्सिबिलिटी है। आप स्पष्टीकरण कर दीजिये। यह जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। पता ही नहीं एक दूसरे को।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आज ही 12 बजे इसके विषय में क्या स्थिति है यह जानकारी दे दी जावेगी।

श्री रामकिशन : कलेक्टर और जिला प्रमुखों की कमेटी बनी है। उदयपुर आदि दूसरी जगहों पर बनी है। नये स्नातकों को भरती किया जावेगा। कलेक्टर से जानकारी भी ले ली है कि नयी भरती कर रहे हैं तो पुरानों की सर्विसेज को टर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जगह उनके ट्रांसफर किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा। राजस्थान की सुरक्षा से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : उस पर चर्चा नहीं होगी। स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी गई है। भाषण नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज आसाम के अन्दर, बंगाल और बिहार के अन्दर असुरक्षा की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। आसन अपने पैरों पर है कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आसन अपने पैरों पर हैं। आप परम्पराओं की तो दुहाई देते हैं और परम्पराओं को तोड़ रहे हैं।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 60

श्री देवीदत्त गाडिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मान-नीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर। माननीय सदस्य। आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है। आप सदन का कीमती वक्त ले रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाडिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। माननीय सदस्य। आसन अपने पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महेन्द्रसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : कोई विचारणीय प्रश्न नहीं है इसलिये पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं उठता है।

(श्री देवीदत्त गाडिया बोलते रहे)

आसन अपने पैरों पर है माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें।

ऑर्डर प्लीज। कृपया आगे की कार्य-वाही चलने दीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया : मैंने आसन से निवेदन किया था और आपको फिर निवेदन करना चाहूंगा ······

श्री उपाध्यक्ष : वह बात आ चुकी है और आपने वह कह दी है।

श्री लादूराम सुलानिया : सौ वर्ष से पहले····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया थोड़ा तो नियमों का ख्याल रखिये। आर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं यह कहना चाहूंगा कि····

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री लादूराम सुलानिया : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : व्यवस्था का प्रश्न है यह तो अंकित होगा?

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नियमानुसार विचारणीय विषय हों तो व्यवस्था का प्रश्न उठता है। आप कार्यवाही थोप रहे हैं और दूसरे माननीय सदस्य पोइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री लादूराम सुलानिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आप जिन नियमों के अनुसार बोल रहे हैं उन्हीं नियमों के अनुसार अंकित नहीं होने का कह रहा हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री लादूराम सुलानिया : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया था उस पर आपकी व्यवस्था हो जाय जिससे पोइन्ट ऑफ ऑर्डर डिस्पोज ऑफ हो जाय। तीन मंत्रियों ने अनुपस्थित रहने की सूचना भेजी है बाकी ने नहीं भेजी है। मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि मंत्री अपनी तरफ से सूचना भेज देते हैं। जिन मंत्रियों ने आज अनुपस्थित रहने की सूचना नहीं भेजी उसके लिये आपकी व्यवस्था क्या है? हमेशा के लिये व्यवस्था हो जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि भविष्य के लिये यह उचित रहे।

श्री उपाध्यक्ष : आमतौर से मंत्री महोदय, जिनका विषय सदन में है उनको उपस्थित रहना चाहिये।

(विरोधी पक्ष द्वारा करतल ध्वनि)

ताली बजाने की इसमें कोई बात नहीं है। और खासतौर से उनको जिनका विषय उस दिन कार्य सूची में हो। जिन माननीय मंत्री महोदय का यहां पर विचारणीय विषय है वह तो उपस्थित होंगे ही और जिनके प्रश्न थे उनमें से अधिकतर उपस्थित हैं और जो उपस्थित नहीं हैं उन्होंने सूचना दे रखी है। पहले से आमतौर पर उपस्थित रहना चाहिये। हर स्थिति में उपस्थित हो यह संभव नहीं है और आवश्यक भी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एडजोर्नमेंट मोशन।

श्री उपाध्यक्ष : 8 बजने में दस मिनिट कम थे जब यह आया। मंत्री महोदय से यह अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि अभी उसका उत्तर दे दें।

कृषि प्रसार अधिकारियों आदि के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): कृषि प्रसार अधिकारियों आदि के लिये जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 12 बजे उसका उत्तर दे दूंगा, उसका उत्तर मैं अभी दे देता हूं।

जिन 33 कृषि प्रसार अधिकारियों एवं कृषि सहायकों की सेवायें 1-6-70 से समाप्त करने के लिये नोटिस दिया गया है उनकी नियुक्तियां ग्राम सेवकों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षित अनुपात के पदों पर कर

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दी गयी थी। परन्तु अब आरक्षित अनुपात के पदों पर ग्राम सेवकों की पदोन्नति कृषि प्रसार अधिकारियों के पदों पर आरक्षित quota के अंतर्गत करना अनिवार्य हो गया है, अतः 24 अस्थायी कनिष्ठतम व्यक्तियों की सेवायें समाप्त करना आवश्यक हो गया है तथा 8 व्यक्तियों को इस कारण नोटिस दिया गया है कि कृषि फार्म के वर्गीकरण के फलस्वरूप 8 पद समाप्त हो गये। शेष तथा अन्य कनिष्ठतम व्यक्ति को सेवा समाप्त करने हेतु इसलिये नोटिस दिया गया क्योंकि एक वरिष्ठ कृषि सहायक, जो प्रतिनियुक्ति पर गया हुआ था, वह, पुनः इस विभाग को लौटा दिया गया है। अतः उसको समाविष्ट करना अनिवार्य हो गया था। अतः उपरोक्त कारणों से 33 अस्थायी कनिष्ठतम व्यक्तियों की सेवा समाप्ति का नोटिस दिया जाना अनिवार्य हो गया था। जिन 33 व्यक्तियों को नोटिस दिया गया है इनकी नियुक्ति आदेश में यह स्पष्टतया अंकित कर दिया गया था कि विभाग द्वारा उनकी सेवायें एक माह का नोटिस देकर किसी भी समय समाप्त की जा सकती है अतः उपरोक्त नोटिस नियमानुसार ही जारी किया गया है।

इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार कब किया जा रहा है तथा कब तक एप्रूव्ड लिस्ट इस विभाग के पास भेज दी जावेगी ताकि इन व्यक्तियों की कन्टिन्यूइटी रखी जा सके।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वही उत्तर है करीब करीब जो पहले दिया गया था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपने जो प्रश्न उठाया था उस बारे में निवेदन किया। प्रयत्न किया जायेगा, इससे तात्पर्य यह है कि दस बारह पोस्ट्स एन्युअल प्लान में क्रिएट हो रही हैं जो सीनियर होंगे, जो एडजेस्ट हो सकेंगे उनको एडजेस्ट करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री रामकिशन : मैं आपको सुझाव की तौर पर निवेदन करूं। उदयपुर, अलवर, भरतपुर में सघन क्षेत्र खेती का चुना गया है। इन क्षेत्रों के लिये कलेक्टर भरतपुर और अन्य जगहों के कलेक्टर ने इसके लिये अपनी रिक्वायरमेण्ट्स भेजी हैं इसके लिये नयी भर्ती करेंगे उसके बजाय इस काम के लिये मैं चाहता हूं कि आप कलेक्टर्स को यह आदेश दें कि जो सरप्लस कर्मचारी हैं इनको प्राथमिकता दें ताकि नयी भरती नहीं करनी पड़े।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस प्रश्न को भी एग्जामिन कर लेंगे। नयी भरती की जारही है तो इनको प्राथमिकता दी जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनकी सरविसेज तो टर्मिनेट नहीं होंगी ? खास प्रश्न तो यही है कि जब कुछ आदमियों की भर्ती होने वाली है इतनी कन्टीन्यूटी ब्रेक नहीं हो इस बारे में आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह कोई प्रश्न नहीं है कि इनका क्या होगा। मैंने आपसे कहा कुछ नयी भर्ती होने वाली है उसमें उनकी कन्टीन्यूटी ब्रेक न हो इस बारे में भी विचार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये ओवर एज हो रहे हैं एक बार सर्विस ब्रेक होगयी तो दुबारा एलीजीबल नहीं होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने पता किया है कि जुलाई में इन पोस्ट्स के लिये इन्टरव्यू हो रहे हैं उसमें एम० एससी० के 400 छात्र लिये जायेंगे। इस तरह से इन्टरव्यू होने में दो महीने का समय बाकी है, तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि हमारे पास जो सरप्लस स्टाफ है उसमें एम० एससी० पास भी केन्डीडेट हैं उनको भी प्रोमोशन दिया जाय उसके साथ साथ जो मेट्रिकुलेट भी हैं उनको भी प्रोमोशन मिलेगा। उनका रिजर्वेशन कोटा भी मिलना चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है जो एम० एससी० एग्रीकलचर हैं उनकी कन्टीन्यूटी मेन्टेन की जाय इस पर भी विचार कर लिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो पोस्ट्स अवेलेबल हो सकती हैं उन पोस्टस् पर जहां तक हो सकेगा एडजस्ट करने के लिये कार्यवाही करेंगे। इस बीच में उनकी कन्टीन्यूटी भी चल सके इस दृष्टिकोण को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे।

श्री रामकिशन : सेवाय थाने के अन्दर जिस हरिजन की हत्या हुई है 11 तारीख को उस बारे में आपने कहा था कि यदि स्पेसिफिक बात होगी तो जांच करायेंगे मेरा आप से यह निवेदन है कि एक हरिजन की हत्या का सवाल है। राजस्थान में जिस तरह से थानों में इन हरिजनों की हत्या हो रही है यह बड़ी दुःखद स्थिति है। मेरा आपके द्वारा गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि इस हत्या के बारे में आप चाहें एक घंटे, दो या तीन घंटे बाद भी बयान दे सकते हैं ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाये।

श्री दामोदर लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि इस मामले में भरतपुर के सिटी मजिस्ट्रेट को इन्क्वायरी दी हुई है। उन्होंने इन्क्वायरी कर ली। केमिकल एग्जामिनेशन के लिये केमिकल एग्जामिनर के पास रिपोर्ट भेजी गई है। केमिकल एक्जामिनर से कल तक कोन्टेक्ट नहीं हो सका था वे शायद छुट्टी पर थे। इसके बारे में आई० जी० पी० और होम सेक्रेटरी दोनों सतर्क हैं। उसका जो नतीजा आयेगा उसकी रिपोर्ट वगैरह, कागजात वगैरह आपको दिखा दूंगा और आपको पूर्ण सन्तोष दिलवाने के लिये मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। इस कांड की सच्चाई निकालने के लिये आपकी पूरी मदद ली जाएगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : रतनगढ़ थाने के अन्दर एक हरिजन की मौत हुई जिसके बारे में मुन्सिफ कोर्ट ने स्ट्रिक्चर्स पास किये थे? क्या आपने थानेदार को गिरफ्तार किया, हैड कान्स्टेबल को गिरफ्तार किया? आपकी पुलिस के खिलाफ जो स्ट्रिक्चर्स पास किये गये थे क्या आपने उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लिया है। जब अदालतों द्वारा स्ट्रिक्चर्स पास किये जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं होती तो हम कैसे मान लें कि आपके द्वारा इन्क्वायरी रिपोर्ट पर अमल होगा?

श्री उपाध्यक्ष : आप नियमों का ध्यान रखिये आप कोई भी मामला हो बोलने लग जाते हैं।

श्री लादूराम 'सुलानिया' : उपाध्यक्ष जी, सेवाय ग्राम में हरिजन की हत्या हुई। इस तरह से सैंकड़ों हरिजनों की इन गृह मंत्री-महोदय के समय में हत्यायें हुई हैं। इनके सामने शिकायत लेकर जाते है और कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आप स्थान ग्रहण करें इस बारे में गृह मंत्री महोदय ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है अब मैं इस पर बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री लादूराम सुलानिया : इस गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों की हत्यायें हो रही हैं। आपने केवल ध्यान देने का ढोंग रच रखा है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य नियमों का ध्यान रखिये। चर्चा समाप्त हुई। मैं अब स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये इजाजत नहीं दूंगा।

All matters are very serious, but I cannot allow like this.

श्री रामानन्द अग्रवाल : विराटनगर में गांधीजी की हत्या के संबंध में जो कुछ प्रकाशन हुआ है इसके बारे में मैंने प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव है......

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। सभी महत्वपूर्ण है प्रस्ताव...

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाथूराम गोडसे को श्रद्धांजलि अर्पित की गई...

श्री उपाध्यक्ष : उस प्रकाशन के जब्ती के आदेश स्टेट गवर्नमेंट ने दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब तक क्यों कुछ कार्यवाही नहीं की गई?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ऑर्डर।

(10 म० पू०)

अंकित न हो। स्थान ग्रहण कीजिये। इस पर चर्चा नहीं होगी माननीय सदस्य। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विपक्ष के नेता महोदय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : × × ×

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय? सीमेन्ट फेक्टरी, उदयपुर में टेन्शन है। सारे मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। इन्स्टिट्यूशन पीस डिस्टर्ब्ड है। भण्डारी को पीटा गया है। मेडिकल रिपोर्ट मिली है। वह एक एडवोकेट हैं। पोकरण की तरह की यह घटना है। पुलिस ने कमरे में बन्द करके पीटा है...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। ×

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ××

अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रसिंह : आन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : विचाराधीन विषय जब कोई सदन में उपस्थित हो तब पोइन्ट आफ आर्डर उठा करता है। आप नियम पढ़ कर आवें।

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : अगर कोई माननीय सदस्य पोइन्ट आफ आर्डर रेज करे और अगर वह नहीं बनता है तो आप उसे बाद में रूल आउट कर सकते हैं पर यह तो नहीं कह सकते हैं कि नियम पढ़ कर आवें। इसे हम अपमानजनक महसूस करते हैं। अगर कोई आपत्ति उठाते हैं और वह नियमानुकूल नहीं है तो आसन को अधिकार है कि वह उसे रिजेक्ट कर दे। रूल

× × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री दौलतराम सारण)

आउट कर दे पर रिमार्क नहीं कस सकते किसी सदस्य के विरुद्ध इस तरह से ।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी बात भी पहले सुन लीजिये। मैं कह रहा हूं कि हमारी कुछ परम्पराएं हैं, पोइंट आफ आर्डर रेज करने के कुछ नियम हैं और नियम यह है कि जब सदन के समक्ष कोई विचारणीय विषय हो तो उसके सम्बन्ध में उठाया जाता है । जब मैंने बार बार यह रूलिंग दे दी कि अभी सदन के समक्ष कोई विचारणीय विषय नहीं है । अनधिकृत चर्चा हो रही है । उस स्थिति में मेरा निवेदन यह था कि इस समय पोइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता क्योंकि सदन के समक्ष कोई विचारणीय विषय नहीं है । यह साधारण सा नियम है । साढ़े तीन सालों में माननीय सदस्यों को इतनी तो जानकारी होनी ही चाहिये । फिर भी उनका ध्यानाकर्षण करने का मेरा कर्तव्य है । अपमान तो वे करते हैं जो नियमों के विपरीत जाकर सदन के ऊपर अपनी कार्यवाही को थोपना चाहते हैं ।

श्री महेन्द्रसिंह : यह पोइन्ट आफ आर्डर उठता है या नहीं उठता है, यह आप सुनकर फैसला करते।

श्री विजयसिंह (मकराना) : पिछले साल से प्रश्न उठते आये हैं । विधान सभा में कितनी तोड़ फोड़ हो रही है । काम चल रहा है इसमें बड़ा भारी घोटाला हो रहा है । विधान सभा के हाल में काम हो रहा है उसमें घोटाले हो रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ये प्रश्न यहां नहीं उठते हैं ।

श्री विजयसिंह : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपंज्ड ।

अंकित न हो ।

श्री विजयसिंह : × × ×

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर में भगवत् भंडारी को बुरी तरह से पीटा गया । यह पुलिस का अत्याचार है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न कई बार उठ गया है । माननीय सदस्य । (श्री देवीदत्त गाड़िया बोलते रहे) अंकित न हो । माननीय सदस्य । अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य ।

श्री विजयसिंह : यह कोई चौपड़ थोड़े ही है ।

श्री दौलतराम सारण : भगवत् भंडारी के सम्बन्ध में सरकार ने आपको क्या सूचना दी है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो आई पढ़कर सुना दी ।

श्री दौलतराम सारण : आपको अधिकार है आप अंकित न होने दें । हमें न बोलने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका ही दिया हुआ है यह ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये ।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

श्री दौलतराम सारण : कम से कम यह हर नागरिक का संविधान प्रदत्त मूल अधिकार है कि वह अगर कहीं अन्याय हो रहा हो, मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा हो तो उस सम्बन्ध में उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक है। एक एडवोकेट को अपना यूनियन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर पुलिस द्वारा पीटा जावे। उसकी हड्डियां तोड़ दी जावें। बुरी तरह से मारा पीटा जावे। उस पर स्थगन प्रस्ताव यहां पर आवे और राज्य सरकार वक्तव्य तक न दें। अगर कोई प्रश्न रखा जावे तो उसका उत्तर न दें और इस पर सदस्यों में रोष पैदा हो और उस पर सदस्य कुछ कहना चाहें तो आप आदेश देते हैं कि अंकित न हो। यह तो समस्या है। किस तरह से कहूं। राज्य सरकार सुने नहीं पुलिस उनकी सुने नहीं। यहां सवाल रक्खें तो आप बोलने दें नहीं ? फिर क्या करें।

श्री उपाध्यक्ष : समय सीमा में बोलने देते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रोडवेज की हड़ताल बारे में भी मैंने रक्खा था। 25 तारीख से यह हड़ताल हो रही है। क्या यह भी जरूरी नहीं है जिस पर वक्तव्य की आवश्यकता हो। इसी तरह भगवत् भण्डारी का मामला है। मजदूरों में काम करने वाले हैं। इस बारे में भी प्रश्न आते हैं। आप उन सब पर एक्शन लेने को तैयार नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने व्यवस्था दे दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 25 तारीख का नोटिस दिया हुआ है हड़ताल का। पांच दिन रह गये हैं। इसके सम्बन्ध में कोई वक्तव्य न दिलावें। उनकी मांगें हैं। बोनस दें। पिछले पांच वर्ष से नहीं किया जा रहा है। महंगाई भत्ते की मांग है। इस तरह कितनी ही उनकी समस्याएं हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ×××

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सदन के नियमों की अवहेलना माननीय सदस्य बराबर करते जा रहे हैं। चार मेम्बर मिलकर सदन की कार्यवाही को रोक देते हैं तो यह हम भी कर सकते हैं। पर हम चाहते हैं कि नियमों का पालन हो।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : नियमों की उल्लंघन की दुहाई देते हैं कहते हैं यहां गड़बड़ी होती है, इस सब के लिये भी यह सरकार जिम्मेदार है जो प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर नहीं देती। झूठे उत्तर देती हैं। जानबूझ कर सदस्यों को गुमराह करना चाहती है। अपने काले कारनामों को छिपाती है, सही माने में तो इन सब के लिये यह सरकार जिम्मेदार है। जानबूझ कर प्रस्तावों को रिजेक्ट करा दिया जाता है, और इसके बाद ऊपर से आप यह और चाहते हैं कि सदस्य चुपचाप नियमों की आड़ में बर्दाश्त कर लें ?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा। मुख्य मन्त्री से मुझे सूचना मिली है कि उदयपुर सीमेन्ट फैक्टरी में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज हुआ है और आपने उसकी जांच का आदेश दिया है क्या यह सही है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : क्या मेरी ओर से कोई जवाब हो। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ है और न कोई आदेश ही दिये गये हैं जांच के।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो क्या बिना लाठी चार्ज के ही भगवत भण्डारी घायल हो गयी? क्या आपने कोई कमिटमेंट कर लिया है इस बात को न कहने का।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य को पता नहीं है कि किस बात का झगड़ा वहां पर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाई माधोपुर में जो मामला था वही मामला वहां पर था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं इतना माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह दूं कि कोई छंटनी या दूसरी बात, जैसी कि माननीय सदस्य यहां पर कह रहे हैं, नहीं है। यह झगड़ा इन्टक के अन्दर का है। और इस बात का झगड़ा है कि पहले जो एग्जीक्यूटिव चैयरमैन थे वे मोइनोरिटी के थे ऐसा बताया गया है। वहां पर राजस्थान इन्टक के प्रेसीडेन्ट गये और उन्होंने वहां के चुनाव करवा दिये और चुनाव कराने के बाद दूसरे अध्यक्ष वहां पर चुन लिए गये। इस बात के ऊपर दोनों दलों के अन्दर झगड़ा हो गया कि वे क्यों चुन लिये गये। इसलिए मैं यह कह दूं कि हमारे वारां से आने वाले माननीय सदस्य को अधूरी जानकारी है इस झगड़े के बारे में।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सवाई माधोपुर में चुन लिये गये थे। वहां पर वे बहुमत से चुन लिये गये थे लेकिन उनको पिटवाया गया क्योंकि वे श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत की इच्छा के खिलाफ चुने गये थे, क्योंकि वे साहू जैन की इच्छा के खिलाफ चुने गये थे। तीन बटा चार की मेजोरिटी से वे चुने गये थे लेकिन उनको आपने मान्यता नहीं दी और उनको लाठियों से पिटवाया गया। आप श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत की इच्छा के अनुसार ही चलना चाहते हैं चाहे फिर उन पर 420 के मुक. में चल रहे हों, चाहे गबन के केसेज चल रहे हों लेकिन आप श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत को इन्टक पर, मजदूरों को लादेंगे तो और दूसरी जगह मजदूरों की क्या हालत है, इन्टक की जो हालत है वह आपसे दूर हटती जा रही है इसको आप स्वयं जानते हैं। लाठी की बुनियाद पर मजदूरों में श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत की लीडरशिप सुखाड़ियाजी कायम नहीं कर सकते। मैं नहीं जानता कि आप कहीं श्री दुर्गाशंकर दुर्गावत के जरिये मजदूरों के क्षेत्र में श्रमिक नेता श्री गुलजारीलाल नन्दा से लड़ रहे हैं। अगर कहीं ऐसा है तो आप मिल गेट पर आ जाइये और मजदूरों की सभाएं कीजिए आपका वहां पर स्वागत है•••

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन इससे लीडरशिप कायम नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप सुन नहीं रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं और आप भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप को दिक्कत न हो ...

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ×××

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सवाई माधोपुर के अन्दर जो झगड़ा था उससे यह समझते थे कि उसके कारण उनके पांव कहीं जम जायेंगे। किन्तु अफसोस तो इस बात का है कि दोनों इन्टक, मजदूर यूनियन एक हो गई, ज्वाइन्ट हो गई और उसमें आपका स्थान कहीं नहीं रहा। अब दोनों यूनियन एक हैं, ज्वाइन्ट हैं। इट इज वन यूनाइटेड यूनियन इन सवाई माधोपुर। इस बात की तकलीफ आपको ज्यादा है।

श्री भैरोंसिंह : आपके कहने के अनुसार यह इन्टक का आपसी झगड़ा था और उनमें आपस में लाठियां चलीं। एक ग्रुप की सहायता के लिये मजदूरों की पिटाई की गई। तो क्या इस प्रकार को कोई कानूनी पाबन्दी नहीं है और सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसी कि बात है तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी। क्योंकि लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने का प्रश्न है। गवर्नमेंट इज न्यूट्रल इन दिस मेटर।

श्री भैरोंसिंह : सीमेन्ट फेक्टरी उदयपुर के अन्दर मजदूरों को चोटें आई हैं। पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया है किन्तु यह तथ्य है कि वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया है तो श्री दुर्गावत की पार्टी ने लाठी-चार्ज कराया है। इसमें कौनसी बात सही है यह आप से कोई छिपा हुआ नहीं है। क्या इस बात के ऊपर माननीय मुख्य मन्त्रीजी प्रकाश डालेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, किस बात पर चर्चा हो रही है ? मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी है। फिर बार बार बोलने की क्या आवश्यकता है ! 'ध्यान आकर्षण प्रस्ताव' महारावल श्री लक्ष्मणसिंह।

श्री भैरोंसिंह : आज स्टेटमेंट होने वाला था।

उपाध्यक्ष : इसकी समाप्ति के बाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : With all due respect to the leader of the opposition, कल एक एडजोरनमेंट मोशन मूव किया था जिस पर स्टेटमेंट होगा। मेरा निवेदन यह है कि एडजोरनमेंट मोशन पर स्टेटमेंट को पहले ले लिया जाये और फिर कालअटेन्शन और जो दूसरा बिजनेस है उसको लिया जाये तो उचित होगा।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह : एक निवेदन है । स्टेटमेंट आप दिला दें लेकिन मुख्य मंत्री महोदय को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वे दोनों प्रश्नों के ऊपर जो सरकार की ओर से उत्तर दिया जाये, उस समय वे सदन में उपस्थित रहें ।

श्री रामकिशन : उपस्थित रहें, पान न खायें और ध्यान से बात को सुनें ।

श्री लाभचन्द वेद : मेरे दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं और उनका जवाब आ चुका हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आज की कार्य सूची में इनको ले लिया जायेगा ।

श्री लाभचन्द वेद : कल ही इनका जवाब आ गया है और सदन के चलने के पहले मेरे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिए हुए हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह आखरी दिन है । विशेषाधिकार भंग का एक प्रस्ताव पिछले अधिवेशन का दिया हुआ है । टॉप प्रायोरिटी के हिसाब से पहले उस पर निर्णय दिया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : यह मेरी जानकारी में नहीं है । आखरी दिन है इसलिये समय का उपयोग किया जाना चाहिये । माननीय सदस्य ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा जो प्रस्ताव है वह डूंगरपुर नगर में जलप्रदाय की घोर अव्यवस्था के संबंध में है । इस बारे में निवेदन है कि गत 5 वर्षों में गेप सागर नामक जो जलाशय है वह भर नहीं पाता । गत वर्ष से उस तालाब से नगर को जल दिया गया था । इसके फलस्वरूप अप्रेल, मई और जून में गेप सागर में पानी बहुत ही कम हो जाता है । इस साल गत वर्ष से भी पानी कम है और 4-5 हजार मवेशी-क्या भैंस गाय, बैल, ऊंट, गधे और घोड़े, बकरे आदि इस तालाब में पानी पीते हैं और उनका मल इस तालाब के अन्दर गिरता है और वही पानी डूंगरपुर के नागरिकों को जलप्रदाय विभाग देता है । मैंने इसी सदन में गत 5-6 वर्षों से लगातार इस प्रश्न को लेकर के पहल की है, बहस की है और सरकार का ध्यान आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप सरकार ने मेरे सुझाव के ऊपर पुर्नविचार करना स्वीकार किया ।...

(12-20 म. पू.)

(श्री रामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1929-30 से एडवर्ड समन्द नाम के जलाशय द्वारा डूंगरपुर को जल दिया जाता था । वहां का फिल्टर्ड पानी जनता को दिया जाता था, और एडवर्ड समन्द में इतने पानी का संग्रह था कि लगातार दो वर्ष तक अगर दुष्काल भी हो तो वह संग्रह डूंगरपुर के नागरिकों को जलप्रदाय की व्यवस्था के सम्बन्ध में कोई संकट नहीं पहुंचा सकता था । सरकार ने इस पर पुर्नविचार किया और गये साल एडवर्ड समन्द से पानी लाने के लिए पाइप लाइन के हेतु 12 लाख रुपये का खर्चा किया । इस साल भी प्रावधान 12 लाख रुपये खर्च करने का है । पाइप जो लगाया गया वह प्रेशर रेसि.

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्टेन्स पाइप ठीक तरह से नहीं लगाया गया। जहां पर पाइप्स जोड़े गये वहां पर शीशा और पारा ठीक तरह से नहीं लगाने के कारण जोड़ों के अन्दर कमजोरी रहने के कारण पाइप फट गये, पाइप बस्ट हुए और पाइप के अन्दर से पानी लीक होना शुरू हुआ। ऐसी स्थिति के अन्दर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बान्ध ज्यादा से ज्यादा 4–5 लाख रुपये का है और उसके ऊपर 24 लाख रुपया खर्च किया जा चुका है, और अभी तक जल प्रदाय व्यवस्था बुरी से बदतर हो रही है, और डूंगरपुर के नागरिकों को जो शुद्ध जल प्राप्त होता था सन् 1929–30 से सन् 1954–55 तक वह उन्हें अप्राप्त ही नहीं किन्तु आज गोबर पिलाने की स्थिति आ गई है।

मैं उदाहरण के तौर पर सरकार की बदइन्तजामी के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, क्या निवेदन करूं? एक चौराहा है जहां से एक सड़क डूंगरपुर नगर को जाती है और एक बांसवाड़ा को जाती है, एक अहमदाबाद को जाती है और एक उदयपुर को जाती है, उस चौराहे पर एक पाइप फट गया, और 15 महीने तक उस पाइप की मरम्मत होती रही। हर हफ्ते मरम्मत होती थी और हर हफ्ते वह फट जाता था। एक पाइप को दुरुस्त करने के अन्दर 50 हजार रुपया सरकार का खर्च हुआ। इस तरह की दुर्व्यवस्था के होते हुए, इस तरह के भ्रष्टाचार के होते हुए सरकार का जल–प्रदाय विभाग जो है वह बराबर गलत और झूठी जानकारी देकर यह आश्वासन देता रहा कि एडवर्ड समन्द का पानी आना शुरू हो गया जब कि वास्तविक रूप से एडवर्ड समन्द का पानी हफ्ते में 1–2 दिन आता है और पांच दिन नहीं आता है।

ऐसी दुर्व्यवस्था के साथ–साथ नगर के अन्दर इतनी गंदगी फैल गयी क्योंकि नालियां सूख गई जिनकी वजह से मच्छर इतने बढ़ गये कि गत 30-40 वर्षों में भी नहीं बढ़े थे। यही स्थिति जयपुर नगर में है जो कि राजस्थान की राजधानी है। यहां पर भी रात को मच्छर इतनी बुरी तरह से काटते हैं कि मानो मधुमक्खियां काट रही हों। आज जब गर्मी में यह दुर्व्यवस्था है और डी.डी.टी. को कोई व्यवस्था नहीं है तो जब बारिश होगी तो जयपुर और राजस्थान के अन्य नगरों की क्या अवस्था होगी? सरकार खुद इस सम्बन्ध में विचार करे।

आज 22 वर्ष की आजादी के पश्चात् भी अगर यह सरकार जनता के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था नहीं कर सकती है तो यह आजादी नहीं। मैं समझता हूं कि यह बरबादी है। सरकार का प्राथमिक कर्त्तव्य है कि सारे राजस्थान की जो यह स्थिति है पेयजल के सम्बन्ध में उस पर सरकार ध्यान दे, जयपुर की पेय जल के सम्बन्ध में संकटापन्न स्थिति है उस पर सरकार ध्यान दे, और यह फिजूलखर्ची, आपाधापी डूंगरपुर जल–प्रदाय के सम्बन्ध में एडवर्ड समन्द का पानी लाने के सम्बन्ध में हो रही है इसके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षण करते हुए निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार को रोका जाय, और जो पानी की योजना थी जो कि सन् 1929-30 से लगातार सन् 1954-55 तब जल की योजना थी उसको भंग किया गया और सिंचाई की योजना उसके साथ-साथ चलाई गई, उस वक्त मैंने विरोध नहीं किया, किन्तु सिंचाई की योजना भी जब नहीं चल सकी तो जो बनी बनाई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

योजना थी उस योजना पर पुनर्विचार करके सरकार ने यह निर्णय लिया कि एडवर्ड समन्द का पानी डूंगरपुर की जनता को दिया जाय तो आखिरकार वह दिया जाय तो कब दिया जाय और यदि दिया जाय तो सुव्यवस्थित ढंग से दिया जाय। एफिशियेन्सी भी एक चीज होती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार, मैंने जिन शब्दों से ध्यान आकर्षित किया है शीघ्रातिशीघ्र सुव्यवस्थित ढंग से डूंगरपुर नगर की जल-प्रदाय योजना के बारे में विचार करेगी, और माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी मुझे देंगे और अगर आवश्यकता हुई तो एक या दो प्रश्न भी उसके ऊपर, मुझे जो वैधानिक अधिकार है उसके अनुसार, पूछूंगा।

श्री सभापति : जन स्वास्थ्य मंत्रीजी।

राज्य मन्त्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा देवी) : माननीय सभापति जी, सदन में विरोधी दल के माननीय नेता ने डूंगरपुर जल-प्रदाय योजना के सम्बन्ध में और जल-कष्ट के सम्बन्ध में यहां तक कहा कि वहां पर डूंगरपुर के नागरिकों को गोबर और कीचड़ मिला हुआ पानी दिया जा रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि यह बात बिलकुल गलत है। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान बनने से पहले स्टेट के समय में हालांकि डूंगरपुर शहर के लिए एडवर्ड समन्द से एक कच्ची नहर द्वारा पानी प्राप्त किया जाता था तथा उसे स्लो सेण्ड द्वारा फिल्टर करके पेय योग्य बनाकर शहर में वितरण किया जाता था, किन्तु धीरे धीरे इस नहर की उचित देखभाल न होने के कारण और अत्यधिक बरसात होने के कारण यह नहर जगह जगह से खराब हो गई, और इस पानी की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए तत्पश्चात् राजस्थान बनने के बाद एक स्केलेटन जल-वितरण योजना का निर्माण किया गया जिसके अन्तर्गत गेप सागर जो कि शहर के करीब ही पड़ता है, से पानी प्राप्त किया गया। इस गेप सागर से पानी प्राप्त करना इसलिए उचित समझा गया कि एक तो एडवर्ड समन्द से डूंगरपुर तक के लिए पक्की नहर बनाने में अधिक खर्चा पड़ता, दूसरे खुली नहर होने के कारण पानी में गन्दगी (वाटर पाल्यूजन) होने का खतरा बना रहता अतः गेप सागर से ही पानी प्राप्त कर उसे भली प्रकार रसायनों द्वारा स्वच्छ कर जनता को वितरित किया गया किन्तु पानी की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सन् 1966-67 के अन्तर्गत अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत 8-49 लाख रुपये की लागत की एक योजना स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत एडवर्ड समन्द से 8 इंच की पाइप लाइन द्वारा पानी प्राप्त किया गया और डूंगरपुर शहर को 1-5 लाख गेलन पानी एडवर्ड समन्द और 1 लाख गेलन गेप सागर तालाब से दिया जा रहा है। इस प्रकार लगभग 16,000 की मौजूदा जन संख्या को कुल ढाई लाख गेलन पानी प्रति दिन भली प्रकार से स्वच्छ तथा विकार रहित बनाकर वितरित किया जा रहा है। इस वक्त शहर में पानी को स्वच्छ कर वितरण करने के लिए तीन फिल्टर प्लान्ट की व्यवस्था है जिनकी स्वच्छता की क्षमता 5000-5000-8000 गेलन प्रति घंटा है। पिछले तीन वर्षों से लगातार बरसात की कमी के कारण साधारणतया यह पाया गया कि राजस्थान के अधिकतर जिलों में सतह का पानी है तथा जमीन के अन्दर का पानी दोनों में ही कमी आई है और

(श्रीमती सुमित्रा)

डूंगरपुर भी इससे बचा नहीं है। गेप सागर में पानी की कमी होने के कारण तथा इस झील में लोगों के नहाने धोने के कारण नागरिकों की यह धारणा सी बन गई है कि यह जो पानी पीने के लिए दिया जा रहा है गन्दा है।

दूसरे, बढ़ती हुई जनसंख्या जो इस समय 16/17 हजार की हो गई है। अतः इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अब फिर से एडवर्ड समन्द से एक दूसरी पाइप लाइन द्वारा और पानी प्राप्त करने के लिए इस वर्ष फरवरी 1970 में अकाल सहायता विभाग की ओर से 8,17,000/रु. की एक योजना स्वीकृत हुई है। जिससे 1.5 लाख गेलन प्रतिदिन और अतिरिक्त पानी वितरण किया जावेगा। और इस कार्य को पूरा होने के बाद कुल 4 लाख गेलन पानी प्रतिदिन वितरित किया जा सकेगा। अर्थात कुल 25 गेलन पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दिया जावेगा।

विभाग ने आवश्यकतानुसार समय 2 पर उपलब्ध धनराशि के अनुसार डूंगरपुर शहर में पूर्ण रूपेण पेयजल की व्यवस्था के लिए सतर्कता बरती हैं तथा समयानुकूल परिस्थिति को देखते हुए कार्य हाथ में लिया है। इसमें विभाग की ओर से कहीं भी किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितताऐं नहीं बरती गई हैं। और न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है पहली बार शिकायत की गई है। उनकी कोई स्पेसिफिक शिकायत होगी तो उस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यहां तक कि गेप सागर झील से जो पानी वितरित किया जा रहा है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक प्रकार स्वच्छ कर वितरित किया जाता रहा है। किन्तु पिछले 10 दिनों से गर्मी के कारण इस गेप सागर झील में पानी सूख जाने के कारण यहां से पानी सप्लाई करना बन्द कर दिया गया है तथा इसकी जबह, डूंगरपुर से ढाई मील दूर एक कुए से जिसकी कि क्षमता 8,000 गेलन प्रति घन्टा है, लगभग डेढ़ लाख गेलन पानी प्रति दिन वितरित किया जा रहा है। इस प्रकार मौजूदा जनसंख्या को जो कि 16,000 के लगभग है, को कुल तीन गेलन पानी दिया जा रहा है। इस समय पानी वितरण का समय प्रातः चार बजे से साढ़े सात बजे एवं सांयकाल 5 बजे से साढ़े सात बजे तक है। कहां तो स्टेट के समय केवल 50,000 गेलन पानी सप्लाई किया जाता था। और कहां अब तीन लाख गेलन पानी सप्लाई किया जाता है। प्राय: देखा गया है कि जल स्रोत जैसे कुवे इत्यादि का पानी सूखता चला जाता है। अत: अब डूंगरपुर को पानी वितरण करने के लिए एडवर्ड समन्द से दोहरी लाइन डाल कर किया जावेगा। जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की पानी की व्यवस्था के बारे में दिक्कत न होवे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, माननीय राज्यमन्त्री महोदय ने जो सरकारी उत्तर दिया, उसके साथ 2 यह आश्वासन भी दिया कि एडवर्ड समन्द से डूंगरपुर नगर को पानी दिया जायेगा, इसके लिए मैं आभारी हूं। मैं तो केवल एक दो खास-खास बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। एक तो यह कृपा करके बताए कि गेप सागर का पानी कैसा है? इस सम्बन्ध में जांच करा लें। वह बिलकुल लाल है। अगर उसके अन्दर गोबर या

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

गन्दगी नहीं मिली है तो और क्या हो सकता है? यह मेरा निवेदन है। साथ साथ सरकारी उत्तर में यह प्रदर्शित किया गया कि कुवे से 3 लाख गेलन पानी दिया जा रहा है। यह जानकारी······

श्रीमती सुमित्रा : डेढ़ लाख का कहा है। 3 लाख गैलन तो सारा वितरण किया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गन्दा पानी होता है, हालांकि मैं तो एक अलग कुए से पानी लेता हूं। डूंगरपुर का नागरिक होने के नाते मुझे लगन है। घंटो तक पानी नहीं आता है। गन्दा पानी आता है। इतने मच्छर हो गये हैं। निवेदन यह करूंगा कि आप फिर से जानकारी प्राप्त कराऐं। जो मैंने कमियां बताई हैं, कृपा करके आप जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यदि मेरे निवेदन में कोई तथ्य है तो उन बातों के अनुसार इन्क्वायरी करके जो कमियां हैं, मैं आशा करता हूं, आप दूर करने की चेष्टा करें।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता महोदय ने कहा है कि गैंप सागर का पानी बहुत अस्वच्छकर है। उसका रंग भी सामान्य पानी से अलग है इसके सम्बन्ध में मैं कहूंगी कि जिस किसी श्रोत से पानी लिया जाता है, विभाग द्वारा फिल्टर करके पानी दिया जाता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फिल्टर नहीं किया जाता है, यों ही दे दिया जाता है। कभी कभी किया जाता हो तो कह नहीं सकता। बहुत गन्दा पानी है।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय नेता महोदय, आप ने स्वयं तो पिया नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं पीने को तैयार हूं। सब पीते हैं तो मैं क्यों नहीं पियूं? मैं तो आपको निवेदन करूंगा, जंगल सब कट गये। कुवे जो 50-50 वर्ष से कम नहीं होते थे, वह सूख गये। फिर गैंप सागर में क्या क्षमता है?

श्रीमती सुमित्रा : वैसे तो गैंप सागर में बिलकुल ही पानी नहीं है। पिछले 10 दिनों से उससे पानी देना बन्द कर दिया गया है। तालाबों का पानी सूख गया है। इसमें तो विरोधी दल के नेता महोदय, हमारा भी कोई जोर नहीं है। उस कुवे में एक घन्टे में 8 लाख गैलन की क्षमता है। उस कुवे से यह टैम्परेरी अरेंजमेंट है। एडवर्ड समन्द के लिये अकाल सहायता की कुछ राशि मन्जूर हुई थी इसलिए यह टम्परेरी अरेंजमेन्ट किया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह सरकार ने नहीं खुदवाया है।

श्रीमती सुमित्रा : खुदवाने का प्रश्न नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं श्रेय नहीं लेना चाहता हूं। आप तो पानी देने की बात करें।

श्रीमती सुमित्रा : पानी देने की बात है। यह प्रश्न अलग है कि वह किसने कब खुदवाया। किसकी धनराशि से खुदवाया है। यह बात सही है पहले जनता थी, जनता ने खोदा है। जनता ने अपने पैसे से खोदा है। आप तो मजदूरी करने नहीं गये थे। जनता का कुआ है। आज आवश्यकता इस बात की थी कि डूंगरपुर नगर के लोग हैं, उनको पानी की बहुत जरूरत थी। इसलिए

(श्रीमती सुमित्रा)

उस कुवे का पानी काम में लिया। इस सम्बन्ध में विरोधी दल के माननीय नेता महोदय एक प्रकार का वातावरण पैदा कर के राजनैतक लाभ चाहते हैं।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : राज्य सरकार के सामने कोई प्रश्न उठाया जाये उसको इस प्रकार तूल दिया जाये, यह ठीक नहीं होगा। राज्य सरकार को इतने नीचे स्तर पर नहीं आना चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, डूंगरपुर में सब तरह के लोग हैं, कांग्रेस दल के हैं, सोशलिस्ट दल के हैं, कम्युनिस्ट हैं और स्वतन्त्र दल के हैं। मैं मानता हूं कई सालों से शायद कांग्रेस को डूंगरपुर से कुछ कम मत मिलते है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : पूरे मिले हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन इसमें राजनीति नहीं है। यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। वहां सब को पानी मिले मैं यह चाहता हूं। इसमें कोई भिन्न बर्ताव किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष से हो— ऐसा संभव नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय नेता महोदय, मैंने इसलिए कहा कि आप पिछले तीन साल के रिकार्ड को उठाकर देख लीजिए। डूंगरपुर की जलप्रदाय योजना के लिए बाकी योजनाओं से कहीं अधिक खर्च किया गया है, वहां पर जल प्रदाय योजना और जगह के मुकाबले में ज्यादा अच्छी है। मैं निवेदन करना चाहती हूं, जो बड़े कस्बे हैं जैसे जयपुर है, जो राजस्थान की केपीटल है, इसमें इक्कीस बाईस गेलन प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से पानी दे रहे हैं, जबकि डूंगरपुर में जो री-आर्गेनाईजेशन स्कीम रिलीफ वर्कस के अन्तर्गत स्वीकृत हुई है, उसके बाद में पच्चीस गेलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी मिलेगा। जो राजस्थान में सबसे ज्यादा होगा। मैंने इसलिए कहा था कि आज वहां सोलह गेलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन पानी के हिसाब से दिया जाय जो अन्य शहरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा है, इसलिए कहा कि वहां की जल वितरण की व्यवस्था उतनी असंतोषजनक और उतनी अव्यवस्थित नहीं है, जितनी विरोधी दल के माननीय नेताजी को लगी है और वहां लोगों को पानी से वंचित रखा गया है।

श्री आईदान सिंह : स्पीच के दौरान विरोधी दल के नेता महोदय ने फर्माया कि एक पाइप लाइन बर्स्ट हो गई है उसकी रिपेयर करने में पन्द्रह महीने लगे और पच्चास हजार रुपया लगा यह कहां तक सच है ?

श्रीमती सुमित्रा : विरोधी दल के नेता जो एक साल में दो महीने यहां रहते हैं कितनी बार उन्होंने लिखकर वहां दिया है कि इस प्रकार की बात है ?

श्री आईदान सिंह : आप तो यह बता दीजिये कि यह कहां तक सच है ?

श्रीमती सुमित्रा : विरोधी दल के माननीय नेताजी यह सरकार के ध्यान में ला सकते थे, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते थे।

श्री आईदानसिंह : यह कहां तक सच है कि 15 महीने लगे और पच्चास

(श्री आईदानसिंह)

हजार रुपया खर्च हुआ ? मेरा सीधा सा सवाल है, आप हां या ना में कह दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : राज्यकोष का दुरुपयोग हो रहा है तो यह विरोधी दल के नेताजी की जिम्मेदारी थी कि वह सरकार के ध्यान में लावे।

श्री आईदानसिंह : वह ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ या नहीं, पन्द्रह महीने और पच्चास हजार रुपये लगे या नहीं ? मैं कब कह रहा हूं जो आपने बात कही है, लेकिन मैं तो हां या ना में आपसे उत्तर पूछ रहा हूं।

श्री रामकिशन: सभापति महोदय, मंत्री महोदया का जवाब है वह बहुत हल्का है, विरोधी दल के नेता महोदय ने शिकायत की और आप कह रही हैं कि शिकायत की नहीं सरकार का फर्ज क्या है ? हमारा फर्ज है शिकायत करने का तो आप किस कारण के लिए वहां बैठे हैं ? हम सरकार को दर्ख्वास्त भेजते रहें, और सरकार उसका राजनैतिक लाभ उठाती रही। तो सदन में जब आपको मालूम हो गया तो क्या आपकी यह जानकारी करने की जिम्मेदारी नहीं है ?

श्रीमती सुमित्रा : कोई हल्का जवाब नहीं है।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकिशन : जवाब आ रहा है।

श्री सभापति: चर्चा समाप्त हुई। कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री रामकिशन: आप खड़ी हो गई हैं।

श्री सभापति: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव····

श्री लाभचन्द वैद : सभापति महोदय, एक मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा था। उसका जवाब आ चुका है······

श्री सभापति : आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज के कार्यक्रम में नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : उसका जवाब आ चुका है। वह बहुत पहले दे दिया था।

श्री सभापति : जन स्वास्थ्य मंत्री।

श्रीमती सुमित्रा : जयपुर से आने वाले दोनों माननीय सदस्य सदन में सुनने के लिए नहीं हैं····

श्री रामकिशन : आप कहेंगी तो सारा राजस्थान सुनेगा, यह सदन सुनेगा।

श्रीमती सुमित्रा : सभापति महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हवा महल और चांदपोल (किशनपोल) से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नगर में जल व्यवस्था की अव्यवस्था के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है, मैं ऐसा महसूस कर रही हूं, चूंकि दोनों माननीय सदस्यों ने यह अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दे तो दिया लेकिन वह बहुत अधिक इस बात के प्रति सीरिअस नजर नहीं आते हैं······

श्री कृष्णकुमार गोयल : आ रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : नहीं तो वह सदन में उपस्थित होते।

इस समय जयपुर नगर में पेयजल निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त किया जाता है :-

1. रामगढ़ बन्धा- 65 लाख गैलन प्रतिदिन

(श्रीमती सुमित्रा)

2. अमानीशाह नला–28 लाख गैलन प्रतिदिन

3. शहर के विभिन्न नलकूप–45 लाख गैलन प्रतिदिन

अतः कुल मिला कर औसतन 138 लाख गैलन जल प्रतिदिन वितरित किया जा रहा है। जयपुर की जनसंख्या सन् 1961 की जनगणना के अनुसार 4,13,444 थी और ऐसा अनुमान है कि इस समय जनसंख्या लगभग 6 लाख होगी। जयपुर के आस पास नई बस्तियां बढ़ती जा रही हैं और काफी मात्रा में निर्माण कार्य चल रहे हैं जिसके कारण पानी की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष बढ़ती जाती है। कई वर्षों से लगातार जयपुर और आस पास के भागों में वर्षा के अभाव के कारण रामगढ़ बन्ध में पानी की मात्रा समुचित रूप से एकत्रित नहीं हो पाई है। इसके अतिरिक्त अमानीशाह के नाले तथा अन्य नल कूपों में भी पानी का अभाव होता जा रहा है जिसके कारण उनसे पानी की मात्रा कम उपलब्ध होती है। यद्यपि जयपुर में जल वितरण की औसत 22-23 गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन की हैं जो राजस्थान के अन्य नगर जैसे जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर आदि के तुलना में काफी ठीक है।

शहर की बढ़ती हुई आबादी को मद्दे नजर रखते हुए राज्य सरकार ने बनास नदी से पानी उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है क्योंकि बनास नदी के अलावा जयपुर के आसपास और ऐसा कोई बड़ा श्रोत नहीं है जिससे इतनी भारी मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा सके। बनास योजना इस नगर की 12 लाख की सम्भावित जनसंख्या के लिये तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बनास नदी पर बांध बनाया जाना तथा वहां से पाइप लाइन द्वारा पानी पम्प करके जयपुर तक पहुंचाने का प्रावधान है। इस योजना की कुल अनुमानित लागत 24.46 करोड़ रुपये है जिसमें 6 करोड़ रुपये जांच की लागत सम्मिलित हैं। उक्त योजना भारत सरकार के जन स्वास्थ्य विभाग में तकनीकी जांच व स्वीकृति के लिये भेजी गई है। राज्य सरकार ने इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योजना की स्वीकृति आने पर जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कार्य आरम्भ किया जा सकेगा। साधारण तौर पर इतनी बड़ी योजना को पूर्ण करने में कम से कम 5-6 वर्ष का समय लगेगा किन्तु योजना की प्रगति, समुचित धन व आवश्यक सामान की समय पर उपलब्धि पर निर्भर है।

जयपुर शहर की पानी की समस्या का स्थाई निराकरण तो बनास योजना से ही सम्भव होगा परन्तु पानी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को अस्थाई रूप से हल करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कुछ कार्य किये जाते रहे हैं जिससे कुछ सीमा तक इस समस्या का समाधान सम्भव हो पा रहा है। इस प्रकार के प्रयत्नों में निम्नलिखित कार्य उल्लेखनीय हैं।

(1) प्रत्येक वर्ष लगभग डेढ़ लाख रुपया शहर में नलकूप के निर्माण तथा पुराने नलकूपों के सुधार में व्यय किया जाता है। इसके अन्तर्गत वर्ष 69-70 में 5 नये नलकूप तैयार होकर चालू किये गये हैं।

(2) शहर के विभिन्न भागों में छोटी पाइप लाइनों के स्थान पर बड़ी पाइप लाइन डालने

(श्रीमती सुमित्रा)

के लिये प्रत्येक वर्ष लगभग एक लाख रुपया व्यय किया जाता है।

(3) पिछले वर्ष वर्षा के अभाव के कारण रामगढ़ में पानी कम मात्रा में प्राप्त हुआ। भविष्य में वर्षा की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए रामगढ़ बांध से शहर को जल वितरण में कुछ कटौती करनी पड़ी है ताकि अगले वर्ष वर्षा के अभाव में रामगढ़ बांध से पानी कुछ मात्रा में देना सम्भव रहे। इस कमी को पूरा करने के लिये इस वर्ष अकाल सहायता के अन्तर्गत 10 लाख रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा दी गई है जिसके अन्तर्गत नलकूपों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। एक नल कूप बन कर तैयार हो गया और अन्य पर काम चल रहा है। इस वर्ष करीब 20 नलकूप बनाने की योजना है जिससे 20 लाख गैलन पानी प्रति दिन मिल सकेगा। नल कूपों के अतिरिक्त शहर के कुछ भागों में टंकियां, पाइप लाइन, पम्प हाउस आदि बनाने की भी योजना है और यदि अकाल राहत के अन्तर्गत उचित धनराशि प्राप्त हो सकेगी तो यह सारे कार्य एक डेढ़ वर्ष में सम्पूर्ण हो सकेंगे।

आज की परिस्थितियों में जितना भी पानी उपलब्ध हो पा रहा है उसके द्वारा सम्पूर्ण शहर में सुबह व शाम दवाव से जल वितरण किया जा रहा है। शहर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचता हो। यह सम्भव हो सकता है कि ऊंचे मंजिल के मकानों में उचित मात्रा में पानी नहीं पहुंच पा रहा हो क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी की आवश्यकता चारों तरफ बढ़ जाती है। बहुत से स्थानों पर पानी नहीं पहुंचने का कारण छोटी पाइप लाइनें हैं जिनके द्वारा एक से अधिक मकान जुड़े हुए हैं।

जहां तक पानी में कीड़ों का प्रश्न है यह सत्य नहीं है कि शहर में पीने के पानी में कई प्रकार के कीड़े आ रहे हैं। यद्यपि रामगढ़ बंध में कीड़ों की काफी संख्या में पिछले 3 वर्षों से उत्पति पाई गई है किन्तु विभाग द्वारा क्लोरीनेशन तथा बारीक जालियों के इस्तेमाल से इन कीड़ों को शहर के जल वितरण में घुसने से रोका जाता रहा है और हर सम्भव प्रत्यन किया जाता है कि शहर को स्वच्छ एवं पेय योग्य जल वितरण प्राप्त हो सके। शहर में इस प्रकार की कोई बीमारी जिसका सम्बन्ध जल वितरण से हो नहीं पाई गई है।

ड्रेनेज योजना :- जयपुर शहर की विस्तृत ड्रेनेज योजना विभाग द्वारा बनाई जा चुकी है परन्तु धनाभाव के कारण उक्त योजना पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। शहर की बढ़ती हुई आबादी के लिये पर्याप्त जल वितरण प्राप्त कराना ड्रेनेज योजना के तुलना में अधिक आवश्यक समझा जाता है इसलिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ड्रेनेज के कार्यों के लिये 40 लाख रुपये का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत सिवेरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित करने की योजना है।

मैं समझती हूं कि मेरे वक्तव्य के बाद में माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त हो गए होंगे कि राज्य सरकार की तरफ से जल वितरण के संबंध में पूरी चेष्टा और पूरी जागरूकता बरती जा रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय राज्य मंत्राणीने जो वक्तव्य दिया,

(श्री भैरोंसिंह)

उस प्रकार का वक्तव्य इस समस्या के समाधान के संबंध में जब भी विधान सभा में प्रश्न पूछा जाता है तो इसी प्रकार का वक्तव्य हर साल दिया जाता है और उस पर सरकार की ओर से यह इच्छा व्यक्त की जाती है कि समस्या का समाधान हो गया और सरकारी वक्तव्य से माननीय सदस्यों को संतोष होगा। प्रश्न वक्तव्य तक सीमित नहीं है। जयपुर में जिस प्रकार की पानी की आज दिन समस्या हो रही है, वह जयपुर में रहने वाला प्रत्येक नागरिक उससे अच्छी तरह परिचित है और इस संबंध में सरकार ने जो अब तक प्रयत्न किये हैं, उन प्रयत्नों से भी कोई हम लोग परिचित न हों, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि पानी की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। हर बार कहा जाता है कि बनास योजना जब तक पूरी नहीं होगी तब तक पानी की समस्या किसी न किसी रूप में चलती रहेगी। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि बनास योजना को बने हुए आज काफी वर्ष हो गए। इस संबंध में यदि सरकार जागरूक रहती तो ज्यों ही इसकी रिपोर्ट मंगाई गई या रिपोर्ट में जो विलंब हुआ उसको शीघ्रता में परिणित करके रिपोर्ट ली जाती तो बनास योजना पर कुछ काम चालू होता लेकिन जैसे मंत्राणाजी ने स्वयं कहा है 24 करोड़ रुपए का प्रावधान है और चौथी योजना में शायद 3 करोड़ का प्रावधान उन्होंने रखा है तो इससे आप अंदाज लगायें कि जो योजना पूरी करने के लिए मिनीमम पीरियड 5 वर्ष का रखा है वह योजना 5 वर्ष में पूरी नहीं हो सकेगी। चौथी पंचवर्षीय योजना के 5 वर्ष निकलेंगे और फिर धनाभाव की स्थिति रही तो बनास योजना पूरी हो जायगी और इस समस्या का समाधान हो जायगा, ऐसी आशा नहीं की जा सकती। तो मेरा पहला निवेदन है कि उस योजना को 5 वर्ष में पूरा कराया जाय। उस संबंध में जो भी साधन सरकार की तरफ से जुटाये जा सकते हैं, जुटाए जाने चाहिए।

दूसरी बात जयपुर में ट्यूबवेल्स को खुदवाने से हम इस समस्या का समाधान कर सकें, यह समय उपयुक्त नहीं रहा। जयपुर में जितने ट्यूबवेल्स हैं यदि उनके डिस्चार्ज के फिगर्स ले तो धीरे धीरे डेट्रोरेशन हुआ है। अधिकांश ट्यूबवेल्स सेफर्स से पानी को बाहर लाते हैं। इससे पानी जनता को मिलता है, सुबह को पहले कुछ कालोनीज ऐसी हैं मेरे पास में, लगभग 50-60 बोतलें मेरे पास रख दी हैं जिनमें पीला पानी आता है, मैंने स्वयं देखा है। सुबह पहले ट्यूबवेल्स का पानी आता है। पहली बार नल खोलेंगे दो तीन मिनट तक तो पीला पानी आता है बदबू वाला, खारा और मिट्टी उसमें आती है। कई बार शिकायत की गयी है। अव्वल तो पानी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हो गया तो पानी के लिए कई बार व्यवस्था करनी पड़ेगी। कई लोग गर्म करके पीते हैं, कई लोग छान कर पीते हैं, साधारणत: इस पानी से गेस्ट्राइटस पिछले दिनों फैली और भी बीमारियां फैली तो यह सही है कि ट्यूबवेल पर्याप्त पानी नहीं दे सकते। इसलिए मैंने राज्य सरकार से भी निवेदन किया था और आज भी करता हूं कि जयपुर के पास ढूंढ नदी पर ऊंची रपट बनाई जाय और स्टोरेज न हो तो और ट्यूबवेल्स खुदवाकर 8 मील से उन ट्यूबवेल्स का पानी जयपुर में लाने की व्यवस्था करे।

इसी प्रकार से जयपुर में जो ट्यूबवेल खोद रहे हैं उनकी संख्या जहां जहां और

(श्री भैरोंसिंह)

बन सकते हैं, वृद्धि करें। आज हालत यह है कि पानी की समस्या के कारण सार्वजनिक नलों पर, घर में किरायेदार और मकान मालिक के बीच में हाथापाई होती है। पुलिस में इस संबंध में मामले जाते हैं और जनता में एक प्रकार की बेचैनी पैदा हो रही है। जयपुर की जन संख्या हर दिन बढ़ती जारही है उसके अनुपात में पानी का यदि प्रबंध नहीं किया गया तो मुझे संदेह है कि पानी समस्या का समाधान राजस्थान में नहीं हो पाएगा।

जोधपुर में ज्योंहीं पानी की समस्या खड़ी हुई वित्त मंत्रीजी सौभाग्य से उस क्षेत्र से हैं, 50 लाख का तुरंत अकाल से खर्चा करके, जोधपुर की समस्या का समाधान करवाया। इसी प्रकार अखबारों में पढ़ते हैं उदयपुर में भी पानी की कमी आई है वहां समस्या का समाधान युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। आप लोग भी यहां रहते हैं। इसलिए आपको इस समस्या का समाधान करवाना चाहिए (खांसते हुए) पानी की कमी का असर मुझ पर भी हो गया, अभी पानी पीकर आया हूं, मैं समझता हूं पानी के साथ कीड़ा चला गया.......

श्री वृद्धिचन्द जैन : पानी अधिक पीने से हो गया।

श्री भैरोंसिंह : इस समस्या का समाधान इसलिए तुरंत कराया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर एतराज न हो तो एक मिनिट के लिए कह दूं कि यह सही है कि पानी की दिक्कत है और उसके लिए लांग टर्म स्टेप्स क्या उठाए जा रहे हैं...

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लोंग टर्म स्टेप्स क्या उठाये जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में जिक्र किया गया, लेकिन इस समस्या के समाधान पर कोई मतभेद हो, सरकार और दूसरों के बीच में, इस तरह का प्रश्न नहीं है। अगर माननीय सदस्य इस बात से सहमत हों तो तारीख 24 को ही अधिकारियों और दूसरों को बुलाकर आपस में बातचीत करके इम्मीजीएटली इस साल जितना हल कर सकें और आगे के लिए जितना हल कर सकें उसको कान्क्रीटली डिस्कस कर सकें और रास्ता निकालने वाली बात करें तो शायद ज्यादा लाभप्रद होगा। अगर माननीय सदस्य सहमत हों तो मीटिंग बुलवालें और चर्चा कर लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर में पीने के पानी की समस्या के समाधान के लिए अभी मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि इस प्रश्न को मानवीय दृष्टि से विचार करें, 24 तारीख को बैठकर विचार कर लिया जाय। मैं इस सुझाव का स्वागत करता हूं और हमें आपत्ति नहीं है। यह प्रश्न कोई राजनैतिक नहीं है और न ही हम उस दृष्टि से देखते हैं। जोधपुर उदयपुर या बाकी क्षेत्रों में रहने वाले भी हमारे भाई हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो लेकिन जयपुर राजस्थान की राजधानी है। उस दृष्टि से और बढ़ती हुई आबादी, यहां की आवश्यकताएं देखकर विचार करना चाहिए। जहां तक लोंग टर्म सोल्यूशन का सवाल है बनास

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

योजना के बारे में जिक्र हुआ । 24,86,00,000) की योजना है लगभग 86 मील से पानी आयेगा । 66 इंच की मोटी पाइप लाईन आयेगी, इतना मेटीरियल उपलब्ध हो, इतनी दूर तक निर्माण कार्य हो, 6 करोड़ की लागत से बांध बनाना और चौथी योजना में उसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान चौथी योजना में यदि 3 करोड़ का प्रावधान है तो 25 करोड़ की योजना पर जिसकी लागत आने वाले सालों में और बढ़ेगी, मेटीरियल की कीमत बढ़ेगी तो अधिक प्रावधान की आवश्यकता होगी ।

(11 म. पू.)

इसलिये इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेन्टेशन में जितनी आप डिले करेंगे उतनी ही प्राइसेज ऊंची जावेगी और यह प्रोजेक्ट 25 करोड़ का बैठेगा । जब तक यह पूरा नहीं होगा जयपुर शहर को लाभ नहीं होगा और इन्वेस्टमेन्ट आइडल रहेगा । सारा का सारा इन्वेस्टमेन्ट किया जाय यह परम आवश्यक हैं । मुख्य मंत्रीजी और वित्त मंत्रीजी से विशेषतौर से निवेदन करना चाहता हूं कि बनास से 24 करोड़ रुपया खर्च करके पानी लाने की योजना है इसलिये इसको इसी वर्ष से प्रारम्भ कर दिया जाय और चतुर्थ योजना काल में इसको पूरा किया जाय । इस साल इसको प्रारम्भ कर दिया जाय ताकि यह योजना पूरी हो सके । इस साल इस योजना को प्रारम्भ करने के लिये धनराशि का प्रावधान जरूर करना चाहिये । शोर्ट टर्म सोल्युशन का जहां तक सवाल है 24 तारीख को जो मिटींग के लिये कहा है तो उसमें हम बठने के लिये तैयार हैं । जयपुर में ट्यूब वेल खोदे जा रहे हैं इससे पानी का लेवल बहुत नीचे जाता है । वर्षा का अभाव भी एक कारण हैं थोड़े थोड़े ट्यूबवेल खोदने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । दस लाख की धनराशि इस साल के लिये दी है वह 25 लाख कर दी जाय । इसके लिये एक फौजी प्रोग्राम बनना चाहिये । रामगढ़ से पानी लाने की योजना थी । 8 साल लगे जबकि एक साल का प्लान था । 25 करोड़ की योजना को कब पूरा करेंगे यह एक सीरियस क्वेश्चन हैं । माननीय प्रश्न है । जयपुर शहर की आबादी बढ रही हैं । राजधानी होने के कारण लोगों ने यहां पर मकानात बनाये हैं और बना रहे हैं । जिन लोगों के निर्वाचन क्षेत्र बाहर हैं लेकिन शादी विवाह यहां जयपुर में करना अपना गौरव समझते हैं । यह हमारे लिये बड़ी खुशी की बात हैं । जयपुर शहर में शादी विवाह करना गौरव समझते हैं तो यह जयपुर के लोगों का भी गौरव है । हम उसका स्वागत करते हैं । उनके शादी विवाह के सारे के सारे कार्यक्रम शुरू से लेकर आखिर तक जयपुर में सम्पन्न हो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसलिये जो मिटिंग का सुझाव दिया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं और यह सुझाव देता हूं कि आये दिन अधिकारियों को टेलिफोन किये जाते हैं कि हमारे यहां पानी नहीं आया है हमेशा हमारे पास भी चिट्ठियां आती रहती हैं कि पानी नहीं आ रहा है उस समस्या को हल किया जाय । लेकिन मैं विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करता हूं । सारे शहरों में यह समस्या है । थोड़ी थोड़ी कोशिश करने से काम नहीं चलेगा । इसका व्यापक पैमाने पर स्थायी समाधान करना है । इसलिये बनास योजना में इस साल कुछ धनराशि का प्रावधान किया जाय और अस्थायी समाधान के लिये जो बैठक 24 तारीख को बुलाई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जा रही है, जिस स्थान की सूचना होगी वहां जाकर जयपुर के लिये पीने के पानी की व्यवस्था के लिये सुझाव प्रस्तुत किये जावेंगे और जो भी सहयोग होगा हमारी ओर से हम देने का पूरा प्रयत्न करें और साथ ही इसकी क्रियान्विति के लिये जनता का सहयोग भी दिलाने का प्रयत्न करेंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, यह जो जयपुर नगर की जल समस्या और राजस्थान की जल समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं लगातार गत 15 वर्ष से देखता आ रहा हूं कि ज्यों ज्यों आबादी बढ़ती जाती है त्यों त्यों सब सोइल वाटर लेवल ऊंडा उतरता जा रहा है। दिन ब दिन जंगल बिलकुल साफ हो चुके हैं। वर्षा दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि यह पानी की समस्या राजस्थान की वास्तविक समस्या है और सबसे अव्वल दर्जे की प्राथमिक समस्या है। इसका हल इधर उधर छुटपुट थोड़ी बहुत योजनायें बना कर सरकार निकाल सके, मैं समझता हूं, यह अवास्तविक होगा और असंभव होगा। सरकार को चाहिये लोंग टर्म बेसिस पर कोई न कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को राय लें। आप कमेटियां बनायें, माननीय विधायक जयपुर के हों, उनको बुलाये, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, उसका स्वागत करता हूं लेकिन या तो सरकार इस सम्बन्ध में सजग नहीं है या कुछ करना नहीं चाहती वेयर देयर इज विल देयर इज वे। यह एक बड़ी भारी प्रोब्लम है और एक फर्स्ट ग्रेड प्रोब्लम है। इसको लोंग टर्म बेसिस पर हल करना चाहिये। एक छोटा सा देश इजराइल आप कहेंगे कि इजराइल के प्रति नफरत की निगाह से देखते हैं। लेकिन वह आज एक संसार का देश है। वहां की भौगोलिक स्थिति को देखिये। वहां जल की समस्या है। पश्चिमी राजस्थान की समस्या है वैसी की वैसी समस्या है। लेकिन इजराइल में आज मीलों तक हरे खेत लहलहाते दिखायी देते हैं। वहां के लोगों को शुद्ध पेय जल की व्यवस्था प्राप्त है। पूर्वी राजस्थान में कभी भी यह समस्या नहीं थी वहां पर पानी की कमी है। दक्षिणी राजस्थान में पानी को कमी भी कभी नहीं थी वहां पर भी यह कमी है। चारों तरफ हा हा कार है। सिविल लाइन्स में पानी नहीं आता है। बीस-बीस घन्टे नल खोल कर प्रतीक्षा की जाती है कि कब पानी आये। एक बाल्टी पानी आ गया। इसलिये यह वार फुटिंग का कार्य है। एक्सपर्ट की टीम बुला कर इसका अनुसंधान किया जाय और इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाय। राजस्थान राज्य की दो करोड़ जनता की पेय जल की यह समस्या है। अगर इस पेय जल समस्या को 1970 के आज के सिविलाइज्ड संसार में भी सरकार हल नहीं कर सकती है तो सरकार क्या करती है? मेरा निवेदन है कि दूसरे देशों की स्थिति का भी अध्ययन किया जाय। उन देशों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से की है। उसका भी अध्ययन किया जाय और उनसे प्रेरणा लेकर इस समस्या पर राजस्थान की ओर दृष्टिपात करना चाहिये।

श्री सभापति : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई।

अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जन जातियों के अग्रेतर के आयुक्त की रिपोर्ट पर अग्रेतर विचार।

श्री भैरोंसिंह : बोर्डर रोड्स के बारे में सार्वजनिक निर्माण मंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिए था।

श्री सभापति : आज के कार्यक्रम में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हैं साहब। कल स्पीकर साहब के चेम्बर में कहा था कि वह वक्तव्य देंगे। उनका पहले स्टेटमेन्ट हो जाय।

एक माननीय सदस्य : वह हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह: सार्जेन्ट को कह दीजिएगा वह उनको बुला लावेंगे। आपके आदेश का वह पालन करेंगे।

श्री रामकिशन : केवल बुला कर लायें, पकड़ कर नहीं लायें।

श्री सभापति : इस समय हैं नहीं।

श्री भैरोंसिंह : है नहीं तो उपस्थित रहने चाहिए। किसी पर एहसान थोड़े ही कर रहे हैं।

श्री बी०एन० जोशी : अनुसूचित जाति एवं जनजाति की रिपोर्ट ले ली जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : जबकि पहले कहा जा चुका है फिर भी उपस्थित नहीं हैं आश्चर्य की और खेद की बात है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री का सदन में पदार्पण)

बोर्डर रोड्स के सम्बन्ध में चर्चा

श्री भैरोंसिंह : बोर्डर रोड्स के मामले में स्टेटमेन्ट दीजिये।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : बोर्डर रोड्स के सिलसिले में जो चर्चा हुई उसके बारे में फैसला किया है कि सार्वजनिक निर्माण सचिव श्री जगन्नाथसिंह मेहता को यह इन्क्वायरी सुपुर्द कर दें।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने जांच करवाने का फैसला किया है यह सही है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जी हां।

श्री भैरोंसिह : और इसके लिए आपने जगन्नाथसिंहजी मेहता को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या जगन्नाथ सिंह जी मेहता इसकी जांच कर लेंगे ? मैं इसको ठीक नहीं मानता पहला कारण तो इसमें यह है कि ये विभाग के सचिव हैं किसी न किसी में इनकी मेंक्शन्स भी होंगी इनके भी कमिटमेन्ट्स होंगे किन्हीं फाइल्स को इन्होंने भी डील किया होगा। इनसे जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको जांच कराने की चिन्ता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सेन्ट्रल पी. डब्लू. डी. का विजीलेन्ट स्क्वेड होता है उससे आप जांच करवाइये उसमें टेक्निकल पर्सनल्स होते हैं वे इस बात के बारे में भी अपनी राय दे सकेंगे कि किस प्रकार से कोन्ट्रेक्ट दिए जायं किस प्रकार से दिये गये। आपको ध्यान होगा नेफा में जो रोड्स बनीं थीं उसमें जो स्केंडल हुआ था जो जनता के समक्ष आया इसके बारे में जो पार्लियामेन्ट में प्रश्न खड़ा किया गया। इसी विजीलेन्स स्क्वेड ने जांच की उसके बाद यह मामला सी० बी० आई० को सौंपा गया। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं।

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी बात यह है कि आपने जिस अधिकारी को यह मामला सौंपने का कहा है वे इसके लिए उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि यह मामला बड़ा गम्भीर है इस तरह से तो आप इस मामले को दबाना चाहते हैं यह आप मान कर चलें। कि यह मामला किसी भी कीमत पर दबने नहीं दिया जायेगा। यह सेशन अब आगे चल नहीं रहा है लेकिन अगली बैठक में इसको और ज्यादा गम्भीरता के साथ लायेंगे क्योंकि इसमें नेशन का इन्ट्रेस्ट है। आज डिफेन्स पोइण्ट आफ व्यू से जो सड़कें बन रही हैं उसमें इस तरह के घोटाले हों और अपराधी लोगों को आप बचाने की कोशिश करेंगे तो भी वे छिप नहीं पायेंगे। मैं श्री जगन्नाथसिंह जी मेहता को यह जांच सौंप दी जाय इसके लिये सहमत नहीं हूं। आप यह मानकर चलें कि इसकी सख्त प्रतिक्रिया होगी। अगर आपको जांच ही करवाना है तो उपयुक्त अधिकारी से जांच करवाइये। सबसे पहले तो इसका टेक्निकल पोइण्ट आफ व्यू से असेसमेन्ट कराया जाय, पहले उस जगह का निरीक्षण किया जाय। आप चाहें तो यह काम पब्लिक अकाउण्ट्स कमेटी और पब्लिक अण्डर टेकिंग कमेटी को रेफर कर दीजिये वे अपने कब्जे सारे कागजात ले लेंगे और आगे जांच कर लेंगे। मैं समझता हूं पी. ए. सी. और पी. यू. सी. इसमें आपको सहयोग देने के लिये तैयार है।

श्री जगन्नाथसिंह जी को आपने नियुक्त किया मैं इनके बारे में ज्यादा तो कहना नहीं चाहता ये कितने इन्टेलीजेण्ट आफिसर हैं मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। कोई यह देखकर या मानकर चले कि उदयपुर का हर आदमी इन्टेलीजेण्ट होता है या निर्विवादित होता है मैं इसको नहीं मानता। हर आदमी इन्टेलीजेण्ट भी नहीं और न निर्विवादित ही है। केवल उदयपुर का होना या उदयपुर में पैदा होना इन्टेलीजेन्सी का द्योतक नहीं है। ऐसे भी बोडम आपको मिलेंगे जिनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हालत में उनके उदयपुर के होने के नाते आज की परिस्थितियां अनुकूल पड़ रही हैं इसलिये आज वे इस जगह पर हैं। मैं इस सम्बन्ध में विशेष नहीं कहता हुआ निवेदन करना चाहता हूं कि आप जगन्नाथसिंह जी के नाम पर इस मामले को दबाने की चेष्टा करते हैं तो आप का यह प्रयत्न असफल रहेगा। इस प्रश्न पर यहां ही नहीं पार्लियामेन्ट में और राज्य सभा में भी इस बारे में चर्चा होगी इसलिये जब तक आप इसकी जांच उपयुक्त एजेन्सी द्वारा नहीं करवायेंगे यह मामला दबने वाला नहीं है और आपकी इस पालिसी को हम हर स्तर पर सफल नहीं होने देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : दो मसले हैं बोर्डर रोड्स पर जितना पैसा खर्च हुआ है वह करीब 28 करोड़ रुपये हैं जिसके आंकड़े दिये गये हैं। यह पैसा भारत सरकार का पैसा है राजस्थान गवर्नमेंट तो केवल एजेन्सी है। जब तक प्रिन्सीपल इस संबंध में इन्क्वायरी नहीं कराये तब तक कोम्पीटेन्स इन्क्वायरी नहीं होगी। मैं यह भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जिस अधिकारी को आपने नियुक्त किया है उसके संबंध में भी विवाद है। इतने बड़े प्रोजेक्ट में जो एक्सपेण्डीचर हुआ है उसके बारे में जो सीरियस एली-

Page No 84

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गेशन्स हैं उसके बैक ग्राउण्ड में श्री जगन्नाथ सिंह जी भी एक अभियुक्त है क्योंकि ये सार्वजनिक निर्माण विभाग के सेक्रेटरी हैं इसलिये जिस प्रकार की वस्तुस्थिति है इसमें आप सहीतौर से जांच कराना ही चाहते हैं तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की एजेन्सी है सी० पी० डब्लू० डी० का एक विजीलेन्स सेल है उसके टेक्निकल ऑफिसर से जांच कराई जाय। और यह मामला सी० बी० आई० को सौंपा जाय। राजस्थान सरकार को दिये हुये धन के बारे में राजस्थान सरकार ही जांच करे उचित नहीं। और वह भी यहां के परसनल द्वारा जांच कराया जाना कतई उचित प्रतीत नहीं होता।

यह कम्पीटेन्सी आफ जुरिसडिक्शन का भी प्रश्न है और लीगेलिटी का भी सवाल है। भारत सरकार का इनवेस्टमेंट है अगर इस बारे में मिस यूज के आरोप लगाये जायं और जिसे राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है तो जिस प्रकार शिक्षा विभाग ने उदयपुर के महिला मंडल जिसके सेक्रेटरी श्री दुर्गावत थे उन्होंने भारत सरकार से मिले धन का दुरुपयोग किया लोक सभा की पी० ए० सी० ने जब इस मामले को देखा तो उसका इन्वेस्टीगेशन सी० बी० आई० के सुपुर्द किया गया। इसी तरह से इस सारी बोर्डर रोड्स के बारे में एलीगेशन हैं और यह भारत सरकार का पैसा है इसलिये इसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती बल्कि यह मामला सी० बी० आई० को सौंपा जाय।

श्री अमीनुद्दीन अहमद (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य के सहयोग से यह जो मेहता साहब को हमने इन्क्वायरी सौंपी है उसमें वे मदद देंगे क्योंकि यह एक बहुत सीनियर ऑफिसर हैं इसलिये वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं हटेंगे। पूरे विश्वास के साथ वे कार्य करेंगे। इनकी इन्क्वायरी के बाद अगर कुछ मुद्दे निकलते हैं जिनमें यह जरूरत महसूस होती हो कि वाकई दूसरी इन्क्वायरी मोहताज है वह किया जा सकता है। पहले इनकी जांच से मालूम हो जायगा अहमियत क्या है ? कितनी है और किसी अन्य एजेन्सी द्वारा इसकी जांच की जरूरत है या नहीं ?

दर असल मैं यह समझता हूं ये विभाग में अभी अभी आये ही हैं इनके द्वारा किसी चीज की मन्जूरी नहीं हुई है इसलिये हमने यह तय किया है इनको यह इन्क्वायरी सौंप दी जाय। मैं समझता हूं एक तो ये बहुत काबिल अफसर हैं वे इस दृष्टि से इसको देखेंगे कि नेशनल इन्टरेस्ट की नीति से भी और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की नीति से भी। मैं आपसे अपील करता हूं कि माननीय सदस्य इसमें सहयोग दें और इस इन्क्वायरी को सफल बनायें।

श्री भैरोंसिंह : आप जांच कराना ही चाहते हैं तो इण्डीपेण्डेण्ट एजेन्सी से क्यों नहीं कराते ? जिसमें लोगों का कोनफीडेन्स हो। इसमें क्या दिक्कत है। हमारे यहां यह प्रशासनिक व्यवस्था है चीफ इन्जीनियर जो होता है वह एडीशनल सेक्रेटरी होता है। एडीशनल सेक्रेटरी की जांच क्या सेक्रेटरी कर सकता है ? यदि करता है तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। जैसा कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा यह पैसा भारत सरकार का है इस नाते इस की जांच सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्टेलीजेन्स को ही सौंपी जानी चाहिये। क्योंकि यह प्रश्न यहीं उठकर रह जायगा यह बात

Page No 85

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है यह प्रश्न संसद में भी उठेगा राज्य सभा में भी उठ सकता है। पार्लियामेण्ट में जब यह कहा जायगा कि इस मामले की जांच यहां के सचिव कर रहे हैं इसको लोकसभा कभी भी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वे कहेंगे कि हमारा पैसा खर्च करने वाली एजेन्सी राज्य सरकार है। इसलिये राज्य सरकार का सचिव इन्क्वायरी नहीं कर सकता। दोनों सुझाव आपके सामने रख दिये हैं या तो आप पी० ए० से या पी० यू० सी० को यह मसला सुपुर्द करदें ताकि वे जांच कर सकें। अगर इसको टेक्निकली एग्जामिन करवाना है तो सी० पी० डब्लू० डी० के अधिकारी से जांच करवायें या इसको सी० बी० आई. को दे देना चाहिये। खास सवाल तो इसमें यह है कि जिन लोग-बुक्स के आधार पर बिल बनाये गये हैं वे ही लोगबुक्स गायब हैं। इसमें राज सरकार को भयंकर घाटा हुआ है। इसलिये मैं कहता हूं कि राज्य सरकार ऐसे करप्ट आफीसियल्स को बचाने की चेष्टा क्यों करती है? क्यों नहीं कागजात तुरन्त जब्त करती है। एक एक कागज अपनी जबान बोलते हैं कि इस रोड में इन खरीदों में कितने घोटाले हुए हैं।

सभापति महोदय, यह प्रश्न तो ऐसा है कि जो परचेज की गई तो मैंने कल निवेदन किया कि 25 लाख के पाइप अधिकृत रूप से चीफ इन्जीनियर ने खरीदवा लिये। न इनकी आवश्यकता थी। हजारों रुपये के फिल्टर्स जो जीपों में लगते हैं खरीदवा लिये। न इसकी आवश्यकता थी न किसी ने कहा कि इसके बिना कोई नुक्सान हो जावेगा। सात आठ लाख का लोहा खरीदवा लिया जिस नाप का लोहा किसी चीज में काम में नहीं आता। तीन वर्ष तक वह सूरतगढ में पड़ा रहा, अभी पिछले दो तीन महीनों में उपयोग हो गया हो तो हो गया हो, मैं नहीं कह सकता। पर इतना बल्क परचेज करना और वह भी सारे प्रोसीजर को खत्म करके करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह किस प्रकार से खरीदा गया, नियमों की अवहेलना करके खरीदा किया किस प्रकार से लोगों को ओब्लाइज किया गया इसका एक उदाहरण दूंगा। एक दिन चीफ इन्जीनियर साहब को सपना आया। वे गंगानगर में थे। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को कहकर ऑर्डर लिखवा दिया और 90 हजार के फिल्टर खरीदवा दिये। आर्डर पार्टी को मिला उससे पहले माल सप्लाई हो गया। कोई कल्पना करके नहीं चल सकता कि गंगानगर में ऐसी कोई फर्म हो सकती है जो 90 हजार के फिल्टर एक साथ रख सके। पर किसी तरह से मैनीपुलेट करके फिल्टर्स पहले उस पार्टी के द्वारा मंगवा लिये गये और ज्योंही वे आ गये आर्डर इस्यु करवा दिया। परचेजेज में ऐसे ऐसे घोटाले किये गये हैं। लाइसेंस में घोटाले किए गए। और बातों में घोटाले किये गये। मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर सदन सुनना चाहते तो काफी विस्तार से सप्रमाण बता सकता हूं। तीन करोड़ के लगभग के ये घोटाले किये गये हैं।

इतना बड़ा मसला, बोर्डर रोड्स के बारे में और इसी विभाग के जगन्नाथ सिहजी जांच कर लेंगे अपने चीफ इन्जीनियर के लिये कुछ लिख देंगे निष्पक्ष जांच वे कर सकेंगे इसमें जनता का कोई सदस्य, कोई व्यक्ति यह विश्वास करके नहीं चल सकता। ऐसे घोटालों की जांच मेहता कर लेंगे और वह निष्पक्ष हो जावेगी और सारे घोटाले के नतीजे सामने आ जावेंगे यह सम्भव नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

है । यह मामला छोटा मोटा नहीं है । यह बार बार उठेगा । यहां उठेगा, लोकसभा में उठेगा । बार बार उठेगा । जबतक सन्तोष आप नहीं दिला देंगे तब तक उठता रहेगा । तो लीपापोती से काम नहीं चलेगा, इसमें, जगन्नाथसिंहजी से जांच करवा कर आप निश्चित नहीं हो सकेंगे । तो ऐसी सूरत में पहले से ही सारे मसले को ठीक तरह से ठोस जांच करवाने को आप तैयार हो जावें तो मन्त्री परिषद् कम से कम इस लांछन से बच सकती है कि कम से कम मिनिस्टरों में से किसी मिनिस्टर का इसमें इन्टरेस्ट नहीं था । पर मन्त्री महोदय, अपने मातहतों से जांच करवाने की जिद्द करेंगे तो सन्देह बना रहेगा वल्कि और पुष्ट होगा । यह लांछन अवश्य लगेगा कि इसमें निश्चित रूप से किसी न किसी मन्त्री का हाथ इनकी परचेजेज में जरूर होगा । मशीनरी के खरीद के मामले में, किराया देने के मामले में एक्स्ट्रा लीड देने के मामले में और ऐसे सभी मामलों में किसी न किसी मिनिस्टर का कोई न कोई इन्टरेस्ट इनवाल्व्ड है इसलिए मुख्य-मन्त्री हिम्मत नहीं करते कि किसी निष्पक्ष एजेन्सी के द्वारा जांच करवाई जावे । निष्पक्ष जांच निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा कराई जाना आपके और जनता के सभी के हक में है । भ्रष्ट अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए, आप उनको बचाना क्यों चाहते हैं ? आपकी हमदर्दी उनके साथ इतनी क्यों है ? अब तो स्थिति यह आगई कि सी०बी०आई० से जांच तुरन्त करवाई जावे, सारे सम्बन्धित कागजात तुरन्त सीज कराये जावें । फाइलों को तुरन्त कब्जे में करना जरूरी है । लॉग बुक्स नई नहीं बनाई जा सकें इसके लिए जरूरी है कि उन लॉग बुक्स को तुरन्त जब्त किया जाकर सील करके रखा जावे । एक अधिकारी एडीशनल चीफ इन्जीनियर से चीफ बना प्रोजेक्ट का फिर पी. डब्लू. डी. का चीफ इन्जीनियर, एडीशनल चीफ इन्जीनियर और सेक्रेटरी बन गया । उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली सेक्रेटरी का नाम दे दिया गया और एडिशनल सेक्रेटरी के नाम से दुनिया भर की सेंक्शन कर दे । मैंने कल कहा था क्वेरीज के बारे में । मुख्य मन्त्री महोदय ने स्टेटमेंट पेश किया । उसमें केवल पत्थर की बात लिख दी और सब बातें छिपा दी । उस बारे में मैं निवेदन करूं कि क्वेरी से स्टोन की पांच लाख की एक्स्ट्रा लीड दी है । ये अधिकारी जो स्वयं गड़बड़ियां करते हैं, उन्हीं से आप जांच करवाएं तो ये ही जवाब आवेंगे वहां से तो । आपकी भी आंखों में ये धूल झोंकेंगे सुखाड़ियाजी साहब । तो आप इन अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की बात करते हैं । पत्थर के मामले में, सीलिंग के मामलों में रोड़ का मामला आता है तो उनमें, मुड़ बिछाई जाती है उसमें एक्स्ट्रा लीड के मामले में । इन सब के बिल 1½ करोड़ के बनाये गये थे । 96 लाख का पेमेंट किया । बफरकेट करके पेमेंट किया चीफ इन्जीनियर ने रूल्स के अगेन्स्ट पेमेंट किया । एक्स्ट्रा लीड का मामला ही इसका ज्वलन्त उदाहरण है । यह स्टेट के हित में भी होगा कि इसकी आप जांच सी.बी.आई. से निष्पक्ष में करवाएं । इसमें पैसा सेन्टर का लगा है । स्टेट तो एक एजेन्सी थी । आप पर विश्वास करके सेन्टर ने यह काम आपकी एजेन्सी में दिया था । अगर भारत सरकार के सामने आपने अपने काम के बारे में अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी तो आगे से और भी जो सेन्टर प्रोजेक्ट के मामलों में आपको एजेन्सी बनाकर केन्द्रीय सरकार इन्वेस्टमेंट आगे करनेवाली होगी, तो इस तरह के आपके कारनामे देख कर नहीं करेगी । तो उस

(श्री भैरोंसिंह)

इन्वेस्टमेंट के लिये राजस्थान सरकार को एजेन्सी बने रहना है तो आप को अपनी इन्टेग्रिटी शो करनी होगी। अपनी साख को बनाये रखना होगा। बिना इन्टेग्रिटी के बिना साख के आप किसी एजेन्सी का काम नहीं कर सकेंगे। सात पर्सेंट आपने चार्ज किया। आगे भविष्य में आपकी एजेन्सी बनी रहे तो अपनी इन्टेग्रिटी को बनाये रखने के लिये आप निष्पक्ष एजेन्सी से जांच करवाएं इन घोटालों में।

कल लाग बुक्स के बारे में एक बात कही थी, मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहूंगा कि यह लाग बुक्स का मसला उदाहरण के लिये रखना चाहता हूं। चीफ इन्जीनियर ने भारत सरकार का प्रोफार्मा मन्जूर किया था। ट्रक्स को उनके हिसाब से किराया दिया जावेगा। 75 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जावेगा। चीफ इन्जीनियर ने इस प्रोफार्मा को बिना भारत सरकार के मन्जूरी लिये बदला। 25 रुपया कर दिया। 75 रुपये की जगह। 25 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जावेगा यह कर दिया। पर इसमें समझौता करके उन्होंने पहले यह आदेश निकाल दिया। पर जब सेन्टर के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री वालों ने इसको स्वीकार नहीं किया और कहा कि तुमने अमेण्डमेंट क्यों किया। 75 रुपया प्रतिदिन के हिसाब ही पैसा वसूल करना पड़ेगा। इस आर्डर को अमल किया और इसके बाद सौदा तो पहले हो चुका था वह रकम वसूल की जाने की व्यवस्था की गई। 25 रुपया सस्ता था। ये ट्रक्स हैण्ड ओवर कर दिये। बजाय इसके कि 75 रुपये के हिसाब से उनको किराया देती इन ट्रक्स को ही लौटा दिया गया। फिर और है, न किसी प्रकार की लाग बुक्स इनकी बनाई गई न नियमानुसार काम किया गया। तो लाग बुक्स नहीं बनवाने की बात को स्वीकार नहीं किया, इसके बदले में कह दिया विलाग बुक्स आर मिसिंग। यह सारा षड्यन्त्र चला है। तो इसकी आपने अगर किसी इण्डिपेण्डेन्ट एजेन्सी से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया तो कागजों को पकड़वाना संभव नहीं होगा। इसलिए निवेदन करूंगा कि व्यक्तिगत आरोप किसी पर न लगाते हुए कि आप अपने मातहत किसी अधिकारी से जांच कराने की बात न करें इससे जनता में और भारत सरकार के दिमाग में भी आपके प्रति भ्रम पैदा होगा कि जानबूझकर यह सरकार इसकी जांच निष्पक्ष एजेन्सी से नहीं करवाना चाहती तो ऐसी सूरत में इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय चेयरमैन महोदय, जो बात उठाई गई है उस बारे में वैसे तो सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्रीजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव से जांच कराने की बात कही थी, पर अगर उसमें मतभेद है तो मैं समझता हूं कि इस मामले में यह उपयुक्त मानेंगे माननीय सदस्य कि जो सी.पी.डब्लू डी. जो भारत सरकार की है, के चीफ इन्जीनियर को यह मैटर रेफर कर दिया जावे। वे इसकी एन्क्वायरी कर लें और सारे फेक्ट्स सामने आ जावें।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध की चर्चा समाप्त हुई।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के प्रतिवेदन पर अग्रे. वि.

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर अग्रेतर बाद

(श्री सभापति)

विवाद । श्री जयनारायण सालोदिया । श्री देवीलाल ।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय सभापति महोदय, मैं कल पूरा नहीं कर पाया था।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आपका समय खतम हो चुका था। 35 मिनिट बोल चुके थे आप ।

श्री सभापति : आप कल काफी बोल चुके थे ।

श्री लादूराम सुलानिया : समाज कल्याण विभाग के मन्त्री ने यह कहा कि जो आरोप यहां मेरे पर लगाये जाते हैं अगर वे सदन के बाहर लगायें जावें तो मैं देख लूं । मैं इस पर निवेदन करना चाहूंगा कि ······

एक माननीय सदस्य : समय कम है। इनका समय समाप्त हो गया था कल।

श्री लादूराम सुलानिया : तो मैं कह रहा था शान्तिलाल के बारे में कह रहा था कि हाउसिंग······

(शोरगुल : अश्रव्य) (कई व्यक्ति एक साथ बोलने लगे अश्रव्य: लगातार शोरगुल)

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि कल सदन पांच बजे तक चलने वाला था और पांच बजे तक भी जब माननीय सदस्य ने अपना भाषण समाप्त नहीं किया था तो उनके भाषण को समाप्त करने के लिए सदन का समय पांच मिनिट बढ़ाया गया था। पांच मिनिट इनके लिए बढ़ाया गया था।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज । कल आपको अपना भाषण समाप्त करने के लिए 5 मिनिट के लिए सदन का समय बढ़ाया गया था ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और माननीय सदस्य 25 मिनट तक बोल चुके हैं। 25 मिनिट का समय किसी भी माननीय सदस्य के भाषण के लिए पर्याप्त होता है इसलिये आज समय देना सम्भव नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय······

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : जब आसन द्वारा एक बार स्वीकृति दे दी गई और फिर आसन द्वारा ही यह कहा जाय ठीक नहीं है।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। श्री देवीलाल।

श्री लादूराम सुलानिया : इसलिए मैंने यह कहा है······

श्री शंकरलाल(जैतारण) : जब आसन का एक निर्णय हो गया है तो उसके बाद क्यों बोल रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : सभापति महोदय, यह परम्परा रही है कि जब किसी भी सदस्य का भाषण अधूरा रहता है तो उसको दूसरे दिन मौका दिया जाता है उसको पूरा करने का ······

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। सदन का समय 5 मिनट के लिए आपके भाषण को समाप्त करने के लिए ही बढ़ाया गया था। आपके भाषण का समाप्त करने के लिए

(श्री सभापति)

सदन का समय 5 मिनिट के लिए बढ़ाया गया था (शोरगुल) उसमें आपने क्यों नहीं अपना भाषण समाप्त किया। आप बैठिये। स्थान ग्रहण करें।

श्री बिट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): पांच मिनिट दिये गये थे लेकिन उसमें इनका भाषण पूरा नहीं हो पाया था।

श्री आईदानसिंह: आपने बोलने की इजाजत दे दी तो पांच मिनिट और बोलने दीजिये।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): जब कल भाषण समाप्त हो गया तो समय देने का प्रश्न ही नहीं उठाता।

श्री पृथ्वीसिंह: सभापति महोदय,

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): सभापति महोदय, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको पांच मिनिट का समय दे दिया जाये। इनको कल भाषण समाप्त करने के लिए पांच मिनिट का समय अवश्य दिया गया था लेकिन आज मैं विशेषतौर से आप से रिक्वेस्ट करता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी: सभापति महोदय, बहुत सारे सदस्य बोलने वाले हैं। इसी तरह से समय दिया गया तो सदन का कार्यवाही कल तक के लिए बढ़ानी पड़ेगी।

श्री सभापति: आप अपना भाषण पांच मिनिट में समाप्त करेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां: सभापति महोदय, मैं कल शांतिलाल गुप्ता के बारे में कह रहा था। जोशीजी पर आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि देख लूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि शांतिलाल गुप्ता ने उनकी माताजी, उनकी बहिन और उनकी धर्मपत्नी के नाम से, इनके नाम से एजेन्सी खोल रखी है, जो कि इनके परिवार के लोग हैं। एक मखौल इसको बना रखा है। इस प्रकार के आरोप हमारे सही हैं और यह कहना हमारा अधिकार है। इसकी आम खुली जांच करवाइये और खुली जांच नहीं करवाते हैं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह बात सही है। बाहर तो आरोप लाखों आदमी लगाते हैं। परन्तु आप सुनते किस की हैं। हम जिम्मेवारी के साथ यहां पर आरोप लगाते हैं। आप पर आरोप लगाये जाते हैं। आप इसके लिए एक कमेटी बनावें जो इसकी खुली जांच करे। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हरिजनों के उत्थान के ऊपर करोड़ों रुपयों का माल, इस योजनां के ऊपर ये लोग खा जाते हैं और यह दुहाई देते हैं कि आजादी के बाद यह महत्वपूर्ण विषय है और हरिजनों को बराबर का अधिकार है और वे किसी प्रकार से सम्मान से विच्छेद न हों। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज भी इस जयपुर शहर के अन्दर, जो राजस्थान की राजधानी है, सरे बाजार में हरिजन औरत और मर्द सिर पर मैला ढोते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या एक दिन भी समाज कल्याण मंत्री अपने सिर पर मैला ढो सकते हैं। क्या वे ऐसी हिम्मत कर सकते हैं। माननीय सभापतिजी मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारे जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं माननीय जोशी जी वे इसके लिये उपयुक्त नहीं हैं। वे इन्डीपेन्डेन्ट नहीं हैं। उन पर लोगों का दबाव है और लोग जिस प्रकार से कहते हैं

(श्री लादूराम मुलानियां)

वे उसी प्रकार से काम करते हैं। इसमें बहुत सारा घोटाला है। समाज कल्याण विभाग की सारी की शुरू से जांच करवानी चाहिये। और इसकी खुली जांच करवानी चाहिए थोड़ी देर पहले दूसरे मसले को लेकर यहां पर यह तय हुआ है कि किसी योग्य अफसर से उसकी जांच करवाई जायेगी और वह इन्डीपेन्डेन्ट होगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी भी उसी तरह से खुली जांच करवानी चाहिये, जो कि इन्डीपेन्डेन्ट हो और उस जांच का जो नतीजा आवे वह अगले सेशन में सब से पहले पेश किया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जो अधिकार देना चाहिये हरिजनों को वह नहीं दे पाये हैं। इसलिये ये अयोग्य हैं और इन मंत्री महोदय को अयोग्य घोषित किया जाये शासन की और से और ऐसे किसी आदमी को इनकी जगह पर लगाया जाये जो ईमानदार हो और हरिजनों के प्रति वफादार हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आपना भाषण रिपोर्ट तक ही सीमित रखें।

श्री लादूराम मुलानिया : यह मामला इस सीमा तक पहुंच गया है कि यह जो मामला है, 23 सालों में वह सरकार किसी भी हरिजन के मसले को तय नही कर पायी है। यह सारे के सारे मामले समाज कल्याण विभाग के पास में है और समाज कल्याण विभाग इन मसलों को हल नही कर पाया है इसलिये समाज कल्याण विभाग से यह मसला, यह विभाग छीन लिया जाना चाहिये और हरिजनों के ये मसले पुलिस विभाग को दे दिये जाने चाहियें या फिर वित्त विभाग को दिया जाये। इसके अलावा इसके जो मातहत विभाग आते हैं, उनको भी और इस विभाग को तोड़ दिया जाना चाहिये और इसके मंत्री को भी हटा दिया जाना चाहिये, यह मेरी मांग है। माननीय जोशीजी से पुरजोर शब्दों में यह कहना चाहता हूं जितने भी घोटाले होते हैं, रिश्वत जो आपके अधिकारी खाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपकी सहमति के बिना नहीं खाते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : यह गलत है।

श्री लादूराम मुलानियां : और ईमानदार हैं तो एक बात मेरी मानिये। सदन के सभी सदस्य जानते हैं जब से जोशी जो मंत्री पद पर आये हैं उस दिन से और उसके पहले से इनकी सम्पत्ति का वेल्यूएशन कराया जाये। उसके बाद इन 35-36 महीनों में इन्होंने तनख्वाह, टी. ए. और डी. ए. में 55-56 हजार से अधिक पैसा सरकार से नहीं उठाया है। यह दूसरी बात है कि इनका खर्च इससे अधिक है और वह कहां से आता है। इनके पास सरकारी बंगला है, सरकारी गाड़ी है। दूध, घी मुफ्त में खाते हैं। इसके अलावा कई चीजें जैसे रेडियो, घड़ी आदि इनको भेंट में आ जाती है। क्या 55-56 हजार में यह हो सकता है। मैं आज आपको बता सकता हूं कि इनके पास 10 लाख की सम्पत्ति है अगर आज इसकी जांच करवाई जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग अलग आपको मिल जायेगा। इन्होंने हरिजनों का पैसा खाया हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में यह जो घोटाला, भ्रष्टाचार हुआ

(श्री लादूराम सुलानियां)

है वह सब आपके नेतृत्व में हुआ है और इसका आपने दुरुपयोग किया है, इसके लिये आपका षड़यंत्र है और आप इसके लिये जिम्मेदार हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी खुली जांच करवाइ जाये और जो लोग दोषी हैं जैसा कि मैंने कल बताया था श्री व्यास, श्री वर्मा और श्री गुप्ता इनकी जांच करवाई जाये तो कुछ हो सकता है। पहले इनको हटाया जाय तो कुछ जांच भी कुछ हो सकती है वरना कुछ नहीं हो सकता है। आज आप इनके दबाव में हैं। इसलिये इस प्रकार की जांच नहीं हो सकती है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सारे के सारे मसले के ऊपर जांच करवाने के लिए एक अच्छी उच्चस्तरीय समिति की नियुक्ति करना चाहिए जो इन 3-4 अफसरों को सस्पेण्ड करके जांच करवाए।

ऐसे लोगों को इन्होंने रुपया दिया है मैं उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं कि एक आदमी को मरे हुए तीन साल हो गये। उसके नाम पट्टा था और मकान था। उसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे एक हजार रुपये दो क्योंकि तुम्हारे नाम से पट्टा नहीं है और जिसके नाम से पट्टा है उस नाम से दरख्वास्त दो तो तुमको रुपया लोन में मिल सकता है। उसके नाम से दरख्वास्त और उनको एक हजार रुपया मिल गया। जो आदमी तीन साल पहले मर गया जिसकी इस जमीन पर हड्डी और राख नहीं है उसको पेमेन्ट किया गया है। यह मसला जयपुर का है। अगर जोशीजी ईमानदार हैं तो इसकी जांच करवायें।

मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल पहले मकान बने हैं। सन् 54 में मकान बने हैं हाउसिंग लोन लेकर बनाये हैं मकान उन्हें भी इस साल 70 के अन्दर कर्जा दिया गया है। कौनसा कानून था? क्या आपकी बपौती का धन था? क्या आपके घर का धन था जिसको आपने इस तरह से बांट दिया? क्या अधिकार रखते हैं आप इस तरह से बांटने का? मन्त्री महोदय और इन अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाय। यही मेरी मांग है।

मैं, सभापति महोदय, आपके आदेश को मानते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा) : सभापति महोदय, हमारे राज्य के समाज-कल्याण विभाग और समाज-कल्याण मन्त्री ने काफी प्रयत्न करके आदिवासियों एवं हरिजनों की भलाई के काम किये हैं। कहीं पर छात्रावास खोलकर, नये स्कूल खोलकर समाज-कल्याण विभाग ने प्रयत्न किया है। विभाग के द्वारा छात्रावास चलाये जा रहे हैं उनमें से काफी लड़के पढ़कर निकल रहे हैं। राजस्थान में कई प्रकार की संस्थाएं हैं जो कि समाज-कल्याण विभाग से एडेड हैं। उनके द्वारा ही छात्रावास व स्कूलें खोलकर काफी आदिवासियों और अन्य जातियों के लड़कों को काफी शिक्षा दी जा रही है। यह तरक्की काफी हुई है। इसके अलावा और भी कई तरक्कियां हुई हैं, लेकिन उतनी नहीं हुई है जितनी कि होनी चाहिए थी। हमारे समाज-कल्याण मन्त्रीजी और विभाग और राज्य के द्वारा यह प्रयत्न हो रहे हैं, लेकिन यह प्रयत्न उतने नहीं हैं

(श्री देवीलाल)

जितने कि होने चाहिएं, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गांवों में काफी पिछड़े हुए लोग हैं जिनके पास समाज-कल्याण विभाग का व्यक्ति नहीं जा सकता है, और सार्वजनिक काम करने वाले कार्यकर्ता वहां पर मुश्किल से पहुंच पाते हैं और संस्थाओं का काम करते हैं। वे लोग वहां पर पहुंचते हैं। समाज-कल्याण विभाग के आदमी जो जीप द्वारा वहां जाते हैं वे सही रूप से नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं। यह बात सही है। इतने वर्ष हो गये कार्य करते हुये इस विभाग द्वारा लेकिन राजस्थान के पिछड़े हुए लोगों को अभी तक पूर्णरूप से नहीं उठा पाया है। आज भी कई काम हैं जिनमें दवाइयों की कमी है लेकिन दवाई देने वाला आदमी नहीं हैं। वहां पर दवाखाना नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उनके आने जाने के लिए समाज कल्याण विभाग के पास सड़कों का प्रावधान कराने का साधन नहीं हैं ताकि वे लोग आराम से आ जा सके। उनकी सुविधा के लिए आवागमन के साधन नहीं है। आज कई राजस्थान में ऐसे गांव हैं जिनको समाज कल्याण विभाग ने नहीं देखा है और केवल संस्थाओं के कार्यकर्ता ही वहां जाकर पहुंचते हैं। वहां पर दवाइयों का इन्तजाम नहीं है। समाज कल्याण विभाग ने यह भी नहीं बताया है कि राज्य के ये गांव पिछड़े हुए हैं जहां पर औषधालय खोलने की आवश्यकता है पिछड़े हुए लोग रहते हैं, लेकिन समाज कल्याण विभाग की कोई भी इस तरह की रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने नहीं आई।

इसके अलावा जो हमारी संस्थाएं राजस्थान में पढ़ाने का काम करती हैं, छात्रावास खोलकर पढ़ाने का काम करती हैं तो छात्रावासों के लिए खाने पीने की व्यवस्था सेन्ट पर्सेन्ट होनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग को ऐसे छात्रावासों को खाने और पुस्तकों के लिए सेन्ट पर्सेन्ट देना चाहिये, लेकिन वह नहीं दी जाती हैं। उसमें क्या है कि विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में 80 पर्सेंट खर्च होता हैं तो 40 पर्सेन्ट जो संस्थाओं द्वारा जो चलाये जाते हैं उनमें खर्च होता है यह भेदभाव क्यों होना चाहिए जब कि संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास अच्छे होते है और उनका काम अच्छा होता है संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में अच्छी शिक्षा मिलती है और लड़कों का आचरण अच्छा बनता है इस ओर समाज कल्याण मंत्री और विभाग को ध्यान देना चाहिये संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में भी खाने और पुस्तकों का खर्चा वही का वही 80 पर्सेंट सरकार द्वारा दिया जाना चाहिये।

इसके अलावा मेन्टीनेन्स के लिए 90 पर्सेंट देते है तो वह अलग हैं, लेकिन खाने और पुस्तकों के लिए पूरी एड मिलना चाहिए ताकि उन लड़कों को भी वही सुविधाएं मिल सके जो समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में मिलती हैं मैं यह बता सकता हूं कि राज्य में संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे छात्रावास अच्छे हैं और लड़के वहाँ पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं।

विभाग द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में मुझे यह कहना तो नहीं चाहिये, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है वहां पर सड़ा गला आटा दिया जाता है, सड़ी-

Page No 93

(श्री देवीलाल)

गली सब्जी दी जाती है और कई तरह की बात होती हैं। समाज कल्याण विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिये और ऐसा नहीं होना चाहिये। विभाग के अधिकारी होते हैं जो कि नीरीक्षण करते हैं वे देखते हुए भी ऐसी बातें करते हैं जो कि हमारे देखने में आती हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है। शिकायत करना ठीक नहीं है लेकिन मंत्री महोदय, और विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निरीक्षण करना चाहिए। गरीबों को सहायता मिलनी चाहिये उसको बीच में ही खा जाते हैं। यह अच्छी चीज नहीं है। संस्थाओं द्वारा जो छात्रावास चलाये जाते हैं वे अच्छी तरह से चलते हैं। उनको चन्दा मिलता है लेकिन आज के जमाने में चन्दा लेना मुश्किल होता है। जब राज्य का पैसा है और सरकार द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों में सेण्ट पर्सेन्ट खर्चा होता है तो संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावासों को 40 पर्सेन्ट ही दिया जाता है तो यह न्याय की बात नहीं है। अन्याय की बात है।

इसके अलावा, जैसा कि मैंने माननीय मंत्रीजी को याद दिलाया था कि हमारे यहां खेरवाड़े में होस्टल वार्डन विभाग द्वारा एक करप्ट औरत रख छोड़ी है जो आदिवासी लड़कियों को अध्यापकों को सप्लाई करती है। ऐसी औरत को वहां पर रख छोड़ा है जिसको हम फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं। कई बार हम इस बारे में कह चुके हैं, लेकिन न मालूम विभाग को क्या दिलचस्पी है, क्या लालसा है कि उसको वहीं खेरवाड़े में रख छोड़ा है जो कि लड़कियों को बिगाड़ती है। उस औरत को वहां पर रखना अच्छा नहीं समझते हैं और उसको वहां से हटाना चाहिये।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): हटाकर भेजेंगे कहां। जहां भी जायेगी वहां पर यह काम करेगी। उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): वृद्धिचन्द्रजी के यहां भेज दे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: हमारे यहां आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीलाल मीणा: सभापतिजी महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो आदिम.जाति और पिछड़ वर्ग के लिये यह कहा है कि साढ़े बारह पर्सेन्ट की जगह 28 पर्सेन्ट का राजस्थान में प्रावधान रखा है नौकरियों के लिये जब कि हमारे संविधान में यह दिया हुआ है कि हर तरह की सुविधाएं इन जातियों को मिलनी चाहिए।

लेकिन वह विधान बनाने वाले और तरह के आदमी थे। वह बदल गये और चले गये। जब उनको काम में लेने वाले नये नये अधिकारी आये। अब न विभाग के अधिकारी ध्यान देते हैं और न समाज कल्याण विभाग ध्यान देता है। किस विभाग में कमी है, लिस्ट बना कर दे दो। इस विभाग की ओर से कोई दिलचस्पी नहीं है। केवल विभाग के अधिकारी आदिवासियों के नाम की जो धन राशि बजट में होती है, उसको खाने के सिवाय और कोई काम नहीं होता है। नौकरियां लगती हैं या नहीं। इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तीन पर्सेंट आदमी किस जाति के लगे हुए हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं रेवेन्यू विभाग में कोई पटवारी

(श्री देवीलाल मीणा)

देखने को नहीं मिलेगा। सेटिलमेंट में कोई जमीन देखने को नहीं मिलेगी। न कोई भील और न कोई आदिवासी देखने को मिलेगा। हो सकता है, कोई एक आध आदमी हो। लेकिन भील जाति का कोई आदमी न होगा। इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज कल्याण विभाग ने जो कुछ काम किया है उसी को गिनाते हैं बाकी और कोई प्रगति नहीं हुई है। सिंचाई विभाग में आदिवासी जाति का कोई एल० डी०सी० नहीं है। ऊंचे अधिकारियों की तो बात ही अलग है। शिक्षा विभाग तो अलग है। हर विभाग में हमारे आदमी कम हैं। कई जगह खाली चलती हैं। दूसरी तरफ बिना नाम का आदमी चलता है। उसको जगह पर लगा देते हैं। फिर उसको इधर उधर कर देते हैं। फिर कहते हैं कि यह तो खाली है। कम्पीटीशन में लोग कम आयेंगे। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम्पीटीशन नहीं हो। यह आप को करना चाहिए। विभागों की जानकारी रहनी चाहिए कि कहां कहां कमी है। इसकी सारी जांच होनी चाहिए। ऐसा तरीका होना चाहिए। इस तरह से समाज कल्याण विभाग की ओर से राजस्थान में कई ऐसे पिछड़े लोग हैं, जैसे कि सिंचाई के लिए गावों में छोटे छोटे एनीकट बन सकते हैं। लेकिन सिंचाई विभाग ने यह ध्यान नहीं दिया है। जब बड़े बांध भी बनाये जा सकते हैं जहां कुछ पर्सेंट के हिसाब से बड़ी योजनाएं तैयार नहीं होती हैं, वैसी जगह समाज कल्याण विभाग की ओर से एनीकट आदि बनाने के लिए पिछड़े वर्ग के इलाके में जरूर सेंक्शन करना चाहिये। छोटे छोटे तालाबों से सिंचाई की जा सकती है। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : माननीय रामकिशनजो।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय....

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदय....

श्री सभापति : रामकिशन जी। समाजवादी दल।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सभापतिजी, यह सदन इस विषय को कितनी गम्भीरता से ले रहा है। सभी दलों के सदस्य केवल यह मानकर चलते हैं कि इस विषय पर केवल हरिजन सदस्यों को विचार प्रकट करना चाहिए। जबकि समस्या यह है कि जो यह हजारों वर्षों से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसे कैसे उठाया जाये। विचार प्रकट करने का समय नहीं है। आज इनके होस्टल खाली हैं, छात्रावास खाली है। आज 22 वर्ष के बाद भी चाहे राजस्थान हो, चाहे हिन्दुस्तान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए जो काम किया जाना चाहिए था, वह नहीं किया गया है। पिछले समय में जब विवाद हुआ था तो मैंने कुछ धनराशि के आंकड़े थे बताये थे कि अनुसूचित जाति पर कितना खर्च किया है। और इन जातियों का कितना कल्याण हुआ है। मैं उनको दुहराना नहीं चाहता हूं। सभापति महोदय, मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जबतक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति अलग से रहेगी तब तक यह तरक्की नहीं कर सकती है। प्रश्न यह है कि आज हिन्दुस्तान की जातियों ही ऐतिहासिक कारणों से या किसी कारणों से जो व्यवस्था चल रही है क्या राज्य सरकार ने उस व्यवस्था को समाप्त करने

(श्री रामकिशन)

का प्रयत्न किया है? सभापति महोदय, जहां तक जातिवाद का सवाल है यह व्यवस्था के रूप में हिन्दुस्तान में नजर आती है। वैसे दूसरे देशों के अन्दर भी प्रारम्भिक काल में, यह वर्ग के रूप में नजर आती है। लेकिन वहां वर्ग व्यवस्थाओं के रूप में जातियों का सम्मिश्रण होना बन्द हो गया। राज्य सरकार के केवल अनुदान दे देने से उस समस्या का हल नहीं होगा। क्या हम जाति व्यवस्था को समाप्त करते हैं या नहीं? मैं समझता हूं कि इस दिशा में न हिन्दुस्तान की सरकार ने और न राजस्थान की सरकार ने कोई प्रयत्न किया है जिससे कि उनको पता हो कि राजस्थान सरकार उनके कल्याण के लिए काम कर रही है।

(12 मध्यान्ह)

सभापति महोदय, यह प्रश्न इतना व्यापक है, इतना बड़ा है कि मामूली विभाग या मामूली संचालक इसका इलाज नहीं कर सकेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या इस विभाग ने इस मामले में कोई सामाजिक खोज कराई है कि इस देश में इन जातियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? और इन सामाजिक खोजों के माध्यम से इन जातियों के निर्माण के कारणों पर विभाग पहुंच गया है तो उन कारणों को तोड़ने की क्या कार्यवाही करना चाहते हैं? संविधान में हमारे यह है कि इन जातियों का कल्याण सरकार करे, लेकिन यह जो आयुक्त हैं यह केवल इस कारण नियुक्त नहीं किये गये हैं कि वह केवल इन जातियों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। आज के समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी हमें देखना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि हिन्दुस्तान की सरकार और राजस्थान सरकार ने केवल वोट लेने के लिए यह तरीका अपनाया है, सारे राष्ट्र के उत्थान और प्रगति की दृष्टि से सरकार ने विचार नहीं किया है और न करने की स्थिति में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है देश का, उसका यह ख्याल बना हुआ है कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, जैसे जैसे वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार होगा, जैसे जैसे वैज्ञानिक जागृति होगी उसी प्रकार से यह जाति व्यवस्था भी समाप्त हो जायेगी। यह विचार कोई बिना पढ़े लिखे लोगों का नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान हैं उन लोगों का भी यही विचार है। इस सम्बन्ध में जो जर्मनी के समाज शास्त्री है वीवर, उनके विचारों से मैं प्रभावित होता रहा हूं कि हिन्दुस्तान में यह जाति रोग आज का नहीं है, लेकिन वीवर के विचारों का विश्लेषण करने का समय इस वक्त नहीं है, वह यूरोप के इतिहास को चीज है। लेकिन मैं नहीं समझता कि देश के अन्दर इन जातियों का निर्माण जैन कालीन या पुराण कालीन नहीं है, पौराणिक रूप में देखें तो सत्यता उससे प्रकट हो जाती है। इसलिए हम उनके आधार पर मानते हैं कि पांच सात हजार वर्ष पूर्व यह जाति व्यवस्था महाभारत काल में ही मजबूत हो गई थीं। उससे पूर्व रामायण काल में भी जाति व्यवस्था की समस्या गम्भीर थी, उसका ही परिणाम रहा है कि आज भी जाति व्यवस्था हिन्दुस्तान में है। तो इस प्रकार की पौराणिक कथायें, स्मृतियां जिस देश में चलती हैं, मैं समझता हूं उस देश में मामूली ढंग से इन जातियों को तोड़ने का प्रयत्न करने से काम नहीं चलेगा। जो तामिल रामायण है, जिसका अनुवाद हो रहा है, उसमें इस जाति व्यवस्था को तोड़ने का

(श्री रामकिशन)

साहस कर रहे हैं, वह प्रचार कर रहे है कि राम के समय में जाति व्यवस्था थी नहीं, और थी तो एक अर्थ में थी शबरी के भूंठे बेर राम ने खाये । मैं मानता हूं कि यह सही बात है, ऐतिहासिक दृष्टि से यह सही हो सकता है••• •••

श्री शंकरलाल : वैसे बेर तो आज कल भी खाते हैं ।

श्री रामकिशन : कौन ?

श्री शंकरलाल : जैसे बेर राम ने खाये थे वैसे आज भी खाते हैं ।

श्री सूरजमल : ब्राह्मण वैसे हरिजन का खाना कभी नहीं खायेंगे लेकिन वोट लेने के लिए खाना खा लेते हैं । शबरी के बेर इसलिए खाये क्योंकि वह भील थी, काम बनाना था इसलिए खाये ।

श्री रामकिशन : वह बात नहीं हैं । दूसरी बात कह रहा हूं । राम मर्यादा पुरुष थे, उनका जो आचरण रहा वह संसार के लिए अनुकरणीय रहा है । उनका मर्यादित व्यवहार था लेकिन तामिल के लेखक प्रचार कर रहे हैं कि निम्नजाति की व्यवस्था इतनी बड़ी उस समय नहीं थी । तामिल लेखक, जो ऐतिहासिक अध्ययन करते हैं, उनका कहना है कि पुरुष स्त्री का भूंठा खा लेता है तो वह ग्रहणीय होती है । यह जो कुछ कहा है उसके विस्तार मे मैं नहीं जाता और न कहने की स्थिति में हूं । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जाति व्यवस्था पुरानी है इसको तोड़ने के लिए सरकार की तरफ से प्रयत्न होने चाहिएं । अभी जो हो रहे हैं वह नगण्य हैं । हमें इस दिशा में पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए । समाज कल्याण विभाग जो अनुदान देता है, जो मदद देता है, जो हरिजनों के कल्याण के लिए काम करता है वह इस प्रकार की खोज करे कि इन संस्थाओं का निर्माण कैसे हुआ, ताकि हिन्दुस्तान के करोड़ों नौजवानों के दिमाग में इस जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह पैदा हो । ऐसा न केन्द्रीय सरकार की तरफ से किया जा रहा है और न राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है । राजस्थान के समाज कल्याण के जो मंत्रीजी हैं, मैं नहीं समझता कि वह कोई अयोग्य हैं या समझदार नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उनके अन्दर जो संस्कार हैं, जाति व्यवस्था के वातावरण में उन्होंने जन्म लिया है उससे वह अपने को अलग नहीं कर पाये हैं । इसलिए आज भी वह नाम के आगे जोशी लिखना जरूरी समझते हैं । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ऐसा कानून बनाये जिसके अन्तर्गत हिन्दुस्तान का नागरिक किसी भी जाति का हो, उसके लिए पारासर, व्यास, माथुर, मिर्धा यह जाति लिखना दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया जाय••••••

श्री विशम्बर नाथ जोशी : आप शर्मा लिखते हैं ।

श्री रामकिशन : मैं नहीं लिखता । आपको ख्याल नहीं है । मैं आप जैसा ब्राह्मण नहीं हूं । मैं जनेऊ नहीं पहनता हूं । मैं चोटी नहीं रखता हूं !

श्री लाभचन्द वैद (सुजानगढ़) : यह भी जोशी लिखना बन्द कर देंगे । आज से कर देंगे ।

श्री रामकिशन : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जाति व्यवस्था को तोड़ना है···

श्री लाभचन्द वैद्य : हरिजन लिखना शुरू कर देंगे।

श्री रामकिशन : इससे तो जाति व्यवस्था को कायम करना हो जायेगा। मैं समझता हूं कि हमारे देश में जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमें कुछ न कुछ काम करना चाहिये, वह आज नहीं हो पा रहा है। सभापति महोदय, यह जाति व्यवस्था, असमानता कैसे पैदा हुई–इस पर हमें चिन्तन करना चाहिये। मैं समाज कल्याण के बजट से किये हुए काम की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरा निवेदन है कि यह जाति व्यवस्था पैदा क्यों हुई, किस कारण से हुई, विदेशों में क्यों समाप्त हो गई और हिन्दुस्तान में क्यों कायम है–इस मामले में जब तक चिन्तन नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पायेगा। हिन्दुस्तान का इससे जितना नुक्सान हुआ है, संसार का किसी भी देश का इससे ज्यादा नुक्सान नहीं हुआ है। इस कारण से योग्यता इतनी सिकुड़ गई है कि आप एक हजार, दो हजार वर्ष के इतिहास को देखें, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत–इनमें से ही कुछ लेखक, दार्शनिक और समाज शास्त्री हुए हैं। लेकिन एक हजार, ढाई हजार वर्ष के इतिहास में कोई भी हरिजन समाज शास्त्री नहीं हुआ, दार्शनिक नहीं हुआ। कुछ संत हो सकते हैं, जैसे दादू हैं, रविदास हैं। तो संत हो सकते हैं, किन्तु कोई समाज शास्त्री, वैज्ञानिक, राजनैतिक इनमें से पैदा नहीं हुआ। इसका कारण यह है कि जाति व्यवस्था चलती है तो योग्यता सिकुड़ जाती है, राष्ट्र कमजोर हो जाता है। इसी का परिणाम यह है कि जब दुनिया चांद पर जा रही है, हमारी जन स्वास्थ्य मंत्राणी कह रही थीं कि डूंगरपुर में पानी का इन्तजाम कैसे करें। इसी का परिणाम है कि हमारा विकास नहीं हो पाया है, हजारों वर्ष से कोई बड़ा आदमी इस वर्ग में से पैदा नहीं हुआ है। एक आदमी जरूर डाक्टर अम्बेडकर पैदा हुए, मैं उनकी प्रतिभा को मानता हूं। कांग्रेस के सदस्य कह सकते हैं कि जगजीवनरामजी भी तो हैं। वह कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लेकिन उनकी न सूरत है और न सीरत है। वह नेहरू सरकार की खुशामद के नाम पर बैठे हैं। तो हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था के कारण ही राष्ट्र की योग्यता सिकुड़ी है। इसलिये जब तक असली रोग को देखने की कोशिश नहीं करेंगे···

श्री शंकरलाल (जैतारण) : सभापति महोदय, जो व्यक्ति हाउस में मौजूद नहीं है उसके बारे में नहीं कहना चाहिये। आप जगजीवनराम जी के बारे में कह रहे हैं, तो उनके लिए कहना आपका उचित नहीं है और आप जैसे माननीय सदस्य के लिये तो बिल्कुल उचित नहीं है।

श्री रामकिशन : माननीय शंकरलाल जी, यह प्रश्न नहीं है। जिस सन्दर्भ में, मैं कह रहा हूं वह समझिये। मैं कहना चाह रहा हूं कि एक हजार वर्ष में हिन्दुस्तान में पिछड़ी जाति के लोगों की योग्यता सिकुड़ गई है, और जो योग्यता बाकी है वह और सिकुड़ जायेगी और यह राष्ट्र को कमजोर बना देगी। मैंने जगजीवनराम के बारे में कहा, तो मैं कोई काले रंग के व्यक्ति को बदसूरत नहीं मानता। कृष्ण का रंग भी काला था। तो मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा

Page No 98

(श्री रामकिशन)

हूं। तो हम लोगों का काम यह है कि हम जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिये कार्य करें। मैं राजस्थान सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के लिये यही काफी नहीं है कि कुछ विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे दें। आप ऐसी योजना बनायें कि जो ब्राह्मण महिला है, कायस्थ महिला है, राजपूत महिला है वह हरिजन बच्चों का पालन पोषण करें उनको विशेष प्रकार की मदद दी जायेगी। इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आ जायेगा। यह जरूरी है, हिन्दुस्तान और राजस्थान की स्थिति को देखते हुए...

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : आपने कोई पाला है या नहीं ?

श्री रामकिशन : मेरे घर में जो स्थिति है उसको देखें तो समझ लेंगी। आप यह नहीं मानती हैं।

श्री लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : आप उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन उपदेश देने के पहले आप खुद करें।

श्री रामकिशन : हम खुद यह काम करते हैं। वैसे मेरे अकेले के करने से तो यह होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रकार की योजना चालू करें, जब जाकर जाति व्यवस्था टूट सकेगी।

भारत में देखेंगे कि जो हरिजन या दूसरे लोग हैं सभी तरह के कमजोर हैं सांस्कृतिक रूप से, राजनैतिक रूप से और दूसरी हैसियत उनकी नहीं बन पा रही है तो राज्य सरकार को योजना चालू करनी चाहिये। आजकल योजनाओं के मारफत जो धन लगा रहे हैं उसमें एक संपन्नवर्ग पैदा हो रहा है-सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेता और व्यापारी। तीनों वर्ग बनते जा रहे हैं जो इन योजनाओं का अंधाधुंध फायदा उठाते जा रहे हैं। इसने घर महिलाए या पुरुष हाथ से काम करना बंद करते चले जा रहे हैं, हाथ से काम करना गलत समझते हैं। तो राजस्थान में हरिजन व्यक्तियों को रसोइये के रूप में ट्रेनिंग दी जाय, इस चीज की जरूरत है सवर्ण उनको रखने के लिए मजबूर होंगे।

मेरा इस संबंध में एक और सुझाव है। आज हरिजनों के कल्याण की लंबी चौड़ी बात करते हैं। राजस्थान के किसी गांव में चले जाइये, किसी शहर में जायं, हरिजन जिन मुहल्लों में रहते हैं, उनकी स्थिति नर्क से भी बुरी है। वहां आदिवासी लोग भी रहते हैं। तो राज्य सरकार बड़े बड़े काम नहीं कर पाए लेकिन एक काम इस समय शुरु कर सकती है। जहां हरिजन रहते हैं, जिन तंग मोहल्लों में रहते हैं, राजनैतिक कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, वह गांव के नीचे हिस्से में बसाए गए हैं। इसका पुराना इतिहास है। इसलिए गांव की गंदगी उनको मिल पाती है, वहां आबादी बढ़ने की संभावनायें नहीं हे। हरिजनों के पास जमीन नहीं है, आबादी बढ़ती चली जा रही है और आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार सारे जिलों में इस बात की व्यवस्था करे, कुछ जमीन अवाप्त करें। बड़ा कोई काम नहीं कर सके तो एक काम तो करें कि जहां जहां अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग आवास की वजह से कष्ट में हैं, जहां आवास का प्रबन्ध नहीं, वहां सरकार जमीन अवाप्त करे, लंबी किश्तों पर सस्ती दर पर जमीन दें और मकान बनाने का प्रबंध करें। फिर

(श्री रामकिशन)

तो समाज कल्याण विभाग का कोई अर्थ हो जाता है, केवल छात्रवृति देने से, छात्रावास खोलने से समस्या का समाधान हो जाय, यह नहीं होगा।

मैंने पहले भी निवेदन किया था कि जो हम वर्ण जाति व्यवस्था बनाने के लिए निरन्तर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आचरण हमारा बिल्कुल दूसरे प्रकार का है। हरिजन बालक आदिवासी बालक या दूसरी जाति के बालक जिनको हम अछूत समझते हैं या पिछड़े वर्ग के नाम से जानते हैं, उनके लिए मन्दिरों में पूजा के अधिकार मिलने चाहिये, वह पुजारी नियुक्त होने चाहिये यह नहीं कि सरकारी मन्दिरों में केवल ब्राह्मण ही पुजारी हों। अगर यह व्यवस्था चलती रही तो जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी। इसकी परीक्षाएं होनी चाहिये कि कौन पुजारी होना चाहे ब्राह्मण हो चाहे हरिजन हो जो उत्तीर्ण हो उसको नियुक्ति दी जानी चाहिये। इससे हजारों वर्ष का जो पुराना पाप हमारे समाज पर है, उसको धोने में समर्थ हो सकेंगे।

श्री सुरजमल : यह हमारा धंधा नहीं रहा है।

श्री रामकिशन: इसके अलावा जो हरिजनों की सूची बनाई है वह राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के पास भेजनी चाहिए। अनुसुचित जाति व जन जाति में कई वर्ग ऐसे है जिनको शामिल नहीं किया गया है लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से उनके पास कोई साधन नहीं है। आज आदिवासी मीना है जिनका जमीन से पुश्तैनी संबंध रहा है, उनके पास जमीन नहीं है, गरीब है यह सही है लेकिन गांवों में लोहर व कुम्हार हैं और दूसरे वर्ग की कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया इसलिए सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती और मशीनीकरण की वजह से, उनके पुश्तैनी धंधे समाप्त होते चले जा रहे हैं तो इस सूची पर राज्य सरकार विचार करे और केन्द्रीय सरकार से निवेदन करे और तो कुम्हार हैं, धोबी हैं, तेली हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक हैं जो भिश्ती हैं नानबाई का काम करते है, उनको आमदनी का जरिया नहीं है उनको भी शामिल करके सुविधाएं दें। हम केवल छोटे छोटे डिटेल की बात पर बहस करें कि कितने छात्रावास खोले गये। सुलानियाजी चुनौती दे रहे थे जोशीजी को कि आपके विभाग में भ्रष्टाचार है लेकिन कांग्रेस सरकार के हर विभाग में भ्रष्टाचार है खाली जोशी जी से लड़ने से कोई फायदा नहीं। जब तक ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा तब तक उसके विभाग में भी भ्रष्टाचार होगा, वह रोक नहीं पायेंगे। अगर चुनोती देते हैं तो वह दंभपूर्ण बात करते हैं और सुलानियाजी समझते हैं कि केवल जोशीजी सारे पाप करते हैं तो वह गलत बात है। तो कुछ व्यक्तियों को छोड़कर जो अपने मन से ईमानदार हैं, बाकी सब जगह भ्रष्टाचार है, यह तोड़ा नहीं जा सकता इसके राजनैतिक व आर्थिक कारण है, जिनकी कई बार चर्चा हुई है, उन कारणों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक सारी स्थिति में सुधार नहीं कर पायेंगे।

हमारे समाज में प्रसव की सुविधाएं बढ़ेंगी, डिस्पेन्सरीज खोली गईं जचेखाने खोलने जा रहे हैं। इनमें ब्राह्मण दाइयों को काम करना चाहिए उनके लिए ज्यादा छात्रवृत्ति दें। ऐसे धन्धों में उच्च वर्ग को

(श्री रामकिशन)

ट्रेनिंग दी जाय जिससे किसी व्यक्ति से नफरत न हो। जिनको हम पिछड़ा हुआ समझते हैं उनके लिए ऐसे काम चुनने चाहिए कि जो उनके बारे में मान्यताएं हैं, वह समाप्त हो जायं।

राज्य सरकार ने इन 22 वर्षों में थोड़ी बहुत जमीन हरिजनों के लिए एलॉट की है लेकिन उनको कब्जे नहीं मिल पाते हैं। उनके पास पैसा नहीं है। जो गांव में प्रभावशाली वर्ग है जमींदार हैं वह एलाट की हुई जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करते हैं लेकिन राजस्थान में एक जाति और है जिनका जमीन से सम्बन्ध नहीं रहा है और नए औद्योगीकरण की वजह से उनका पुराना पेशा समाप्त होता जाता है। कोली जो पुराना धन्धा करते थे बुनाई का, वह नहीं चलता है क्योंकि मिलों की वजह से उनको कपड़े को कोई खरीदता नहीं, जमीन उनके पास नहीं हैं। तो भारत सरकार की तरफ से नई औद्योगीक नीति तय होने जा रही हैं, उसमें जो कोली है बुनाई का धन्धा करते हैं इसके लिए हम कैसे आल्टरनेटिव रोजगार दे पाये या उनका मौजूदा रोजगार कैसे कायम रहे, मिलों के काम्पीटेशन में ये बुनकर ठहर नहीं पाते। इसलिए सारे राज्य के लिए तय करे कि इस प्रकार का जो कपड़ा बनेगा वह बुनकर ही बनाएगा और उसकी खपत की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार की होगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक दो बीघा जमीन के टुकड़े से न उनका कल्याण कर रहे हैं न दूसरे लोग जिनका जमीन से संबंध था, उनके लिए बढ़िया रोजगार दे पा रहे हैं। जब तक इस सुझाव पर विचार नहीं करेंगे तब तक पिछड़ेपन के रोग को दूर नहीं कर पायेंगे।

एक जाततोड़ सम्मेलन में, मैं बिहार की तरफ शेरघाटी के पास गया। नौजवानों की पीड़ा को सुना। नक्सलवादियों का हल्ला गुल्ला है। लेकिन वे वास्तव में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, आमदनी का साधन नहीं है। जाति व्यवस्था के रूप में सताये हुए, इसमें शामिल हैं। इसलिए समान समाज का निर्माण हो, इसके लिए सरकार को संविधान के अनुसार आचरण करना चाहिये। संविधान की मन्शा केवल कुछ लोगों को संरक्षण देना नहीं है। इस सदन में कुछ माननीय सदस्य कह सकते हैं कि 20 सालों में देश ने बड़ी प्रगति की है। भीखाभाई और अमृतलाल यादव की शकल देखते हैं तो मानते हैं कि उनकी शकल में सुधार हुआ है लेकिन जब हम यह चर्चा करते हैं राजस्थान के 60 लाख लोगों की चर्चा करते हैं उसमें केवल भीखाभाई या हीराभाई की हालत सुधर जाय लेकिन सारे समाज की हालत नहीं सुधरी। हमें इन 60 लाख की हालत सुधारनी है। ब्राह्मणों की समस्या भी है, राजपूतों की समस्यायें भी हैं लेकिन उनकी समस्या केवल आर्थिक समस्या है जबकि हरिजनों की समस्या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों तरफ की है। इसलिए हम इस प्रश्न से उसको नहीं मिलायें। कभी कभी इस मामले पर अलग से विचार करते हैं तो सवर्ण जातियां कहती हैं कि हरिजनों के लिये इतना हल्ला गुल्ला किया। समान स्तर पर हम उनको लाना चाहते हैं। दिल्ली वाली सरकार ने और जयपुर और लखनऊ वाली सरकार ने इसके लिये कुछ नहीं किया है। दस बीस को साथ लेकर सत्ता बनाये रखने के लिये कुछ कर लिया जाता है। मैं हरिजन और आदिवासी

(श्री रामकिशन)

भाइयों को बधाई देता हूं कि इतना अन्याय सहन कर वह पांच हजार वर्ष तक उनके साथ कैसे रहे। पांच हजार साल का पाप यदि दस बीस वर्ष में नहीं हटाया तो समाज में इतनी घृणा पैदा हो जावेगी जो कि मद्रास में डी. एम. के. ने किया। यह कोई आन्दोलन नहीं है। मैंने खुद ने इसको देखा है। आज वह इन्दिराजी को सहयोग दे रहे हैं और इन्दिराजी अपनी गद्दी बनाये रखने के लिये उनका सहयोग ले रही है। सेलम जिले में चिनमिलाई गांव है। आठ साल पहले गया था। मैं एक होटल में बैठा हुआ था। कुछ नौजवान आये और कहा कि कौन जाति के हैं। मुझे जानकारी थी कि इस प्रकार का आन्दोलन चल रहा है। इसलिये मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं। यह सुनते ही उन्होंने मेरे सामने चाय के कप वगैरा पड़े हुए थे उनको तोड़ दिया तुम ब्राह्मणों ने हम को होटलों में घुसने नहीं दिया है इसिलिये हम भी अब उन को घुसने नहीं देंगे। मैंने उनकी तारीफ की। मैंने उनको कहा कि घृणा के साथ जलन पैदा मत करो। वह स्थिति आ गयी है। कोई ब्राह्मण तामीलनाड़ म्युनिसिपेलिटी के चुनाव में जीत नहीं सकता। तमाम सवर्ण जातियां परास्त हुई हैं। जो सामाजिक पिछड़ापन हमारे समाज में है केवल हरिजन सदस्यों का काम नहीं है कि वह बोल कर उसको दूर करदें। जब हरिजनों का सवाल आता है तो हरिजन सदस्य ही बात करते हैं। दूसरे समझते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो पाप किये हैं उनका प्रतिकार हमको करना पड़ेगा ऐसा नहीं करेंगे तो कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन ला पायेंगे उसमें मुझे ताज्जुब है। यह गैर बराबरी, असमानता और आर्थिक असमानता की बातें सब पार्टीज करती हैं। चाहे जनसंघ हो, स्वतन्त्र पार्टी हो और कांग्रेस हो। सामाजिक चेतना के प्रश्न दब जाते हैं। केवल राजनैतिक प्रश्नों को लेकर चलते हैं। जोशीजी आपने घोषणा की है कि 28 परसेन्ट रिजर्वेशन देंगे। मैंने इसके लिये मोशन भी भेजा है। लेकिन आप एक समान स्तर पर नहीं चल रहे हैं। राजस्थान में हरिजन और आदिवासियों को 28 परसेन्ट पापुलेशन है इसलिये 28 परसेन्ट को जगह देने के लिये रिजर्वेशन कर दिया। उनकी गरीबी को दूर करना है तो उनको अधिक अवसर दें। हिन्दुस्तान और यूरोप में जहां जाति व्यवस्था है वहां विशेष व्यवस्था का प्रश्न चलना चाहिये, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाय। जो दूसरी जातियां हैं उनकी हालत में गिरावट आवेगी। लेकिन हिन्दुस्तान का सबसे पिछड़ा तबका है राजनैतिक सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से वह मजबूत बनेगा। क्या बनिया या दूसरी जातियां हैं क्या वे नयी क्रांति करेंगे? ये क्रांति नहीं कर सकेंगे। जो आर्थिक हालत है उससे वह क्रांति नहीं कर सकेंगे। इस देश में कान्ति लाना है तो 28 परसेन्ट कर देने से क्रान्ति नहीं होगी। 12॥ परसेन्ट कर रखा है लेकिन दस परसेन्ट को भी आज तक नहीं दे पाये हैं। इसको राज्य सरकार स्वयं मानती है।

राज्य सेवा में उनकी भर्ती अधिक की जाय। थानेदार और पटवारी अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों में से ही बनाया जाय। आज कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में जातीयता के तौर पर रिपोर्ट नहीं लेते हैं। उन पर अन्याय होता है। कितनी ही वार चर्चा हुई है कि हरिजनों की हत्यायें हुई हैं क्या राज्य सरकार ने आज

(श्री रामकिशन)

तक जांच करायी है ? सेवर थाने का मामला है। गृह मन्त्रीजी उटपटांग जवाब दे गये। सेवर थाने में जिस हरिजन की हत्या की गई उसका भाई डाकू हो गया था। वह उससे मिलने आया। थानेदार ने उसको पकड़ लिया। वरक में उसको मार दिया और आज कहते हैं कि कुन्दे से मर गया। आत्म हत्या की। यह बात सिटी मजिस्ट्रेट भी कहता है। थानेदार ने मारा नहीं। इस लिए कि यह ऊंची जाति का है इसलिए उसको बचाया गया। इसलिए थानेदार और पटवारी की सर्विस के लिए केवल अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को ही भरती किया जाय। राज्य सरकार में हृदय हो तो अमल कर सकती है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार के थाने में हरिजन की हत्या हुई और बेर के थाने में हरिजन को इसलिए पकड़ा गया कि बकरी की चोरी की पुलिस वालों ने दो डंडे लगाए इस कारण वह कुए में गिर गया। उसकी जांच आज तक नहीं हुई।

आज इस मुल्क में हरिजन के जीवन की कोई कीमत नहीं है। हमारे समाज में आज जो बनावट है, जो समाज यह कहता हो कि हरिजन की अंगुली काट लो, वह समाज हरिजन और आदिवासियों को न्याय दे सकेगा मैं नहीं समझता। राज्य सरकार ढोंग नहीं करे। आपके मन में वाकई हरिजनों के प्रति कुछ है तो आपको इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह जो असमानता पैदा होती है उसका कारण क्या है ? हम जो संसार का इतिहास पढ़ते हैं उसमें जो समानता नजर आती है कि हरिजन और आदिवासियों के साथ भेदभाव किया गया है उसी प्रकार औरत के साथ भी भेद किया गया है। औरत को दूसरी श्रेणी का माना है। जिस जिस युग में स्त्री को बराबर का माना गया उस समय यह देश और समाज उच्च शिखर पर था। हरिडिम्बा ने दूसरी कन्या से शादी कर ली तो तरक्की कर गया। पिछड़े वर्ग के प्रति, शूद्र के प्रति असमानता हुई तो नीचे गिर गया हम यह महसूस करते है कि हरिजन के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। हरिजन को पीटना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना हम यह समझते हैं कि हम परलोक के लिए यह काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से हमें औरतों के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। समानता का मापदण्ड इनके साथ भी हो यह बात इनकी समझ में नहीं आयेगी। असमानता कितनी है ? राजनैतिक स्तर पर आज कुछ महिलायें सदन की सदस्या बन गई है। राजनीति के कारण कुछ महिलायें प्रधान मंत्री भी बन गई है। लेकिन आज भी हिन्दुस्तान के समाज के अन्दर औरतों को बराबर का हक नहीं है, इनकी स्थिति वैसी ही बनी हुई है जैसी पहले थी। यहां हमारे यहां पत्नी का भाई साला कहलाता है और पति का भाई देवर कहलाता है। इसी तरह से एक तरफ पत्नि के भाई को साला और पति के भाई को देवर कहना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारे यहां कितनी असमानता है ? मोटी अक्कल वाले सब साले या देवर कहलाने की कोशिश कर रहे हैं पुरुष भाई तो देवर और पत्नि भाई साला यही तो असमानता का मापदण्ड है। इस मामले में पन्द्रह बीस दिन पहले की बात है एक अंग्रेज महिला यहां आई जो केलीफोर्निया में नर्स ट्रेनिंग स्कूल में अध्या-

(श्री रामकिशन)

थिका थी। विधवा थी और निस्सन्तान थी। भरतपुर में किसी अतिथि के यहां ठहरी हुई थी उसका और मेरा साथ जयपुर में आते हुए हो गया, मुझे उसके साथ बैठकर वहां आना पड़ा, वह एक नाई जाति की लड़की थी। उसने मुझे पूछा कि आपके यहां साले और देवर में क्या फर्क है ? वे तो अंग्रेजी में ब्रदर इन ला कहते हैं। मैंने हमारे यहां के बारे में समझाया कि हमारे यहां तो पत्नी के भाई को साला कहते हैं और पति के भाई देवर कहते हैं। उसने कहा हमारे यहां दोनों के लिये समान शब्द है ब्रदर इन ला है। उसने कहा कि यहां के सामाजिक स्तर का इसी से मान होता है कि कितनी असमानता है आपके यहां औरत और पुरुष में। पुरुष के भाई को यहां देवर कहा जाता है जबकि पत्नी के भाई को साला कहा जाता है। आप जब तक देवर और साले को एक स्तर पर नहीं लायेंगे यह असमानता नहीं मिटेगी। एक नाई की लड़की उसने भी हमारे यहां की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपनी नाराजगी जाहिर की है। आज हमारे हिन्दुस्तान में नाइयों के लड़के महतरों के लड़कों में कितनी असमानता है, सवर्ण लोग आज भी इनके साथ मानवीय व्यवहार नहीं करते।

सभापति महोदय, हमारे देश में एक बड़ा विरोधाभास है हम यह चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र मजबूत बने। राजनैतिक दृष्टि से सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भी यह देश मजबूत बने। राष्ट्र के सिर्फ दो करोड़ सवर्ण, बीस पच्चीस करोड़ हरिजन और दस पन्द्रह करोड़ आदिवासी हैं ये जब तक मजबूत नहीं होंगे तब तक हमारा राष्ट्र मजबूत नहीं होगा आज ये सारे विरोधाभास में पड़े हुए हैं। इसी से हमारा राष्ट्र पथभ्रष्ट हो रहा है औरतों के मामले में हम बड़े संकीर्ण हैं। एक तरफ हमारी औरत जाति प्रतिभाशाली है लेकिन उसकी प्रतिभा का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। आज हम यह चाहते हैं कि औरतें सम्पूर्ण रूप से हमारी ही हों, वह हमारे से बिना पूछे कहीं आये नहीं जाये नहीं लेकिन दूसरी तरफ पुरुष पर कोई पाबंदी नहीं वह मन चाहे जब आ सकता है जा सकता है। कहीं भी जाये उसको स्वतन्त्रता है। लेकिन जब औरत भी हमारी ही जितनी प्रतिभाशाली है तो उसको स्वतन्त्रता क्यों नहीं दी जाती। यही वजह है कि हमारे यहां सामाजिक विकास की गति रुकी हुई है। आप यह मानकर चलें कि प्रतिभाशाली व्यक्ति कभी गुलामी पसन्द नहीं करेगा। यह दृष्टिकोण जब तक नहीं होगा सामाजिक सुधार नहीं हो सकेगा।

सभापति महोदय, इसी रिपोर्ट पर बहस के समय मैंने गत वर्ष भी कुछ सुझाव दिये थे उस पर मंत्री महोदय ने विश्वास दिलाया था कि वे उस पर विचार करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने क्या विचार किया। मैं देखता हूं कि उस सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं किया तो ऐसी स्थिति में हम जो भी आपके सामने विचार प्रस्तुत करें उनको आप ग्रहण नहीं करते तो उसके प्रकट करने से क्या फायदा ? आज जो उधर बैठे हुए कुर्सी पर बैठे हुए हैं वे वशिष्ठ ब्राह्मण हैं दोनों व्यास जी, तीसरे गिरधारीलालजी ये सब वशिष्ठ ब्राह्मण हैं। जब तक उनकी जगह पर बाल्मिकी ब्राह्मण उन कुर्सियों पर नहीं होंगे तब तक इस समाज का कल्याण नहीं हो सकेगा। आपको जाति का अभिमान

(श्री रामकिशन)

है, अब आवश्यकता यह है कि कर्म से जो ब्राह्मण हो उसको यदि यह काम सौंपा जायगा तो समाज में तब्दीली आ सकेगी। आज हम देखते हैं, मंत्रि मंडल में आज लगातार बीस वर्षों से हम देख रहे हैं कि दो ही व्यक्तियों को मौका दिया गया है एक तो अमृतलाल यादव और दूसरे हैं भीखाभाई इनके सिवाय और किसी को आगे बढने नहीं दिया गया। कुछ को दल बदलवाकर अपने में मिला लिया उनके मोरल को जनता के सामने नीचा कर दिया और उनको उपमंत्री बनाकर बिठा दिया। मैं राज्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके प्रशासन में आपने कितने हरिजन नवयुवकों को मौका दिया है? डिप्टी मिनिस्टर बनायेंगे तो किसी दल बदलू को ताकि उसकी प्रतिष्ठा वैसे ही गिर जाय और समाज में वह प्रतिष्ठा के लायक न रहे। मेरा इस बारे में सुझाव है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में हरिजन और आदिवासियों की 60 प्रतिशत जगह होनी चाहिए इसके अलावा महिलाओं को भी समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। जब तक आप ये सारी बातें नहीं करेंगे तब तक तब्दीली नहीं ला सकते। अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप जो यह दम्भ करते हैं कि हमने इतना किया शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये यह दम्भ छोड़ न इससे न समाज का कल्याण होने वाला है न जाति का कल्याण होने वाला है।

अन्त में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं। राजस्थान सरकार जो पैसा समाज कल्याण विभाग द्वारा या इसके मार्फत खर्च कराती है उसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं रहता। जहां मंत्रीजी को दरख्वास्त करते हैं वे उनके लिये हाउसिंग लोन आदि मन्जूर करवा देते हैं। मेरा निवेदन यह है कि जहां मंत्री लोगों से एप्रोच किया वहां छात्रावास खुल गये इससे क्या हुआ है कि कहीं कहीं तो पांच पांच मील पर छात्रावास खुल गये तो कहीं 40 मील पर भी नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने देखा कि जहां वोटर लिस्ट में इनके वोट्स ज्यादा हो वहां आपने छात्रावास खोले हैं लेकिन इससे कई जगह तो पांच पांच मील पर छात्रावास खुल गये हैं कहीं बहुत दूर दूर गांव पड़ गये हैं। यह मैं मानता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति खराब है, आप इसका वैज्ञानीकरण कर सकते हैं पांच पांच मील पर छात्रावास है उनको बन्द कर सकते हैं और जो दूर दूर तक छात्रावास नहीं है उन जगह पर खोल सकते हैं। इससे क्या होता है कि दूर दूर रहने वाले छात्र इसका लाभ नहीं उठा सकते।

एक और निवेदन करना चाहता हूं जब तक हमारे यहां की जाति व्यवस्था नहीं टूटेगी तब तक हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में नहीं बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ, रोडेशिया में जहां गोरे-काले का विवाद है उसमें हम भाग नहीं ले सकते। गोरी जातियां हैं रूस-चीन और अमेरिका जो सम्पन्न राष्ट्र हैं वे यह नहीं चाहेंगे कि काली जाति वाले हमारे से आगे बढ जांय। जब तक हम अपने यहां जाति व्यवस्था रखते हैं तो हम दूसरों को जाति वर्ण के आधार जो भेद होता है उसको मिटाने के लिये आवाज नहीं उठा सकते। होता क्या है थोड़े बहुत लोग आकर मिनिस्टरों से मिलते हैं उनको ये लोग इधर उधर नौकरी लगवा देते हैं या किसी का ट्रान्सफर इधर उधर करवा देते

(श्री रामकिशन)

हैं और इस तरह से विधान सभा के लिये वोट हासिल कर लेते हैं। जाति व्यवस्था तोड़ने के लिये जो मैं सुझाव देता हूं उस पर आप विचार करें आप अमल करें। हर साल पचायत समिति लेवल पर जो सहभोज का कार्यक्रम बनाया जाय। शहरों में तो सहभोज जो होता है उसमें तो कुछ लोग सवर्ण शामिल हो जाते हैं। गांधी शताब्दी वर्ष में जगह जगह सहभोजों का आयोजन हुआ है शहरों में तो गैर हरिजनों ने भाग लिया था। लेकिन मुझे याद है भरतपुर में भी हमने ऐसा आयोजन किया था उसमें सब को निमन्त्रण दिया गया था वहां के समाज कल्याण अधिकारी ने यह आयोजन करवाया था लेकिन ब्राह्मणों में तो मैं आया। तीन हरिजन थे। इस तरह से हम तीन चार आदमी आये, बाकी कोई नहीं आया। आज इस तरह की समाज व्यवस्था है।

भैरोंसिंह : आपने भी वहां खाया नहीं, पत्तल लेकर आगये वह भी पूरे परिवार के लिये।

श्री रामकिशन : बढ़िया खाना होता तो शायद आप भी पहुंच जाते। पंचायत समिति के पास अन्द इनकम होती है लेकिन विभाग द्वारा इस प्रकार के आयोजन के लिये पैसे की व्यवस्था करनी चाहिये। तभी जाकर इस प्रकार की जाति व्यवस्था ढीली हो सकती है। इस प्रकार के आयोजन कम से कम साल में छः बार तो होने ही चाहियें, उसमें दो तीन बार बढ़िया भोजन होना चाहिये ताकि सवर्ण और दूसरे कम से कम एक साथ खायें पायें। इस प्रकार कानून होना चाहिये।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव और है। जाति व्यवस्था तब तक नहीं टूट सकती जब तक कांग्रेसी लोग इस गद्दी पर हैं और जब तक इस दिशा में पूरा प्रयत्न नहीं किया जावेगा। आज ये दूसरे ढंग के लोग गद्दी पर बैठे हैं। अन्तर्जातीय विवाह जो करें, जो ब्राह्मण किसी हरिजन की कन्या से शादी कर ले तो ऐसे लोगों के लिये सरकार सेवाओं में प्रोत्साहन देने का प्रावधान रखे। ऐसे लोगों का सरकार की तरफ से और जनता की तरफ से भी सार्वजनिक अभिनन्दन किया जाय।

लक्ष्मीकुमारी जी जानना चाह रही हैं कि मैं यह उपदेश दे रहा हूं, स्वयं कुछ अमल में लाते हैं या नहीं। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मेरे दल का सम्बन्ध है, आप समझिये इसको, हम सारे लोग इसको निभाते हैं। बल्कि हमारे दल की मीटिंगों में स्नेह सम्मेलन होते हैं।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हम एक स्नेह सम्मेलन करते हैं ब्राह्मणों का और हरिजनों का। और हर साल एक शादी करते हैं ब्राह्मण और हरिजन की। आपने शादी की या नहीं की मुझे नहीं मालूम। मेरी शादी हो गई 25 साल पहले। कुछ ने कहा कि मैंने शादी क्यों नहीं की। पर मेरी शादी तो 25 साल पहले हो गई। दूसरी शादी के मैं पक्ष में नहीं हूं। तबियत भी नहीं है, मन भी नहीं है और उम्र भी नहीं है। हमारे दल की तरफ से एक वर्ष में एक शादी होती है। अभी हमारा सहारनपुर में सम्मेलन हुआ। बनारस में हुआ। नौजवान पार्टी के लोगों से मैं कहता हूं। अपने बच्चों में भी संस्कार डाल रहा हूं कि जाति बिरादरी छोड़कर शादी करने की कोशिश

(श्री रामकिशन)

करो। यह हमारी नीति है। समझाने की बात है। मुझ में परिवर्तन हुआ है। पर मेरे पिताजी आज भी हरिजनों के मोहल्ले में नहीं जाते। मेरी औरत इतनी कन्जर्वेटिव है कि हरिजन अगर मेरे घर खाना खाने आवे तो उसके झूठे बरतन वह नहीं मांजेगी मुझे मांजने पड़ते हैं मैं मांजता हूं। वह नहीं मांजती है। अब डंडा लेकर जबर्दस्ती मनवा नहीं सकता। नर नारी की समानता का हामी हूं। तो हम जाति व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। पर देश में इस जाति व्यवस्था को तोड़ने का वैज्ञानिक कारण तैयार नहीं किया जावेगा तब तक तेजी से इसमें परिवर्तन नहीं आवेगा। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, एक जानकारी करना चाहूंगा कि आज वैसे मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है पर मामला इसी समय नोटिस में आया है कि हिण्डौन के पास रेल ट्रक की टक्कर में 28-30 आदमी मारे गये और काफी संख्या में घायल हुए हैं। इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी को सदन में एक वक्तव्य देना चाहिये कि स्थिति क्या है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, बड़े दुःख के साथ यह बताना पड़ता है कि हिण्डौन से आधा मील पर एक रेल्वे क्रोसिंग पर एक बस जिसमें बारात जा रही थी कि ट्रेन से भिड़न्त हो गई जो उधर से आ रही थी। फलस्वरूप आदमियों की मरने की सूचना मिली है। बाकी जख्मी हो गये हैं। करौली अस्पताल में उपचार हो रहा है। मैं भी यहां से देखने को जा रहा हूं और जो कुछ स्थिति होगी, मौके पर अध्ययन करके निवेदन कर सकूंगा।

यह दुर्घटना बड़ी दुखद है।

श्री सभापति : श्री नाथूराम करौल।

श्री नाथूराम करौल (जमवारामगढ़) : सभापति महोदय, आज दो रोज से इस रिपोर्ट पर बहस हो रही है।

श्री सभापति : सरकार की तरफ से डिबेट का उत्तर एक बजे दिया जावेगा।

श्री नाथूराम करौल : यह गलत चीज है। हम तो बोल नहीं पाये हैं।

इन जातियों का सुधार तभी हो सकता है जब ये नशीली चीजों का त्याग करें। मैं समाज-कल्याण मन्त्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये जातियां नशीली वस्तुओं के उपयोग के कारण ही दिन पर दिन गिरती जा रही हैं। सरकार ने इनके भले के लिये काफी पैसा दिया। इनके उत्थान के लिये सरकार ने पैसा पानी की तरह बहाया। पर फिर भी नशीली चीजों के इस्तेमाल करने के कारण गिरती जा रही हैं।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि शराब अगर इन जातियों में बन्द कर दी जावे तो काफी तरक्की ये जातियां कर सकती हैं। एक्साइज मिनिस्टर साहब यहां विराजमान नहीं हैं. उनसे भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि शराब का प्रचार इन जातियों में रहा तो राज्य सरकार कितना भी पैसा इन जातियों की तरक्की के लिये खर्च करे ये रसातल की तरफ चली जाती रहेंगी।

इसके अलावा विवाह, शादी, मोसर आदि पर काफी पैसा खर्च होता है। सर-

(श्री नाथूराम करोल)

कार काफी पैसा खर्च करती हैं। पर विवाह शादी, मोसर में वे अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं और गरीब के गरीब बने रहते हैं। यह पैसा अगर वे अपने व्यापार में लगावें तो तरक्की कर सकते हैं। अगर विवाह, शादी और मोसर में पैसा खर्च करते रहें तो कैसे ये अपने लड़कों को पढ़ा लिखा कर तैयार कर सकते हैं। किस तरह से अपने रहन सहन को अच्छा बना सकते हैं। हमेशा गरीबी में ही दबे रहेंगे। पैसे की कमी भी इन जातियों में इसी कारण से है।

तो ये सामाजिक कुरीतियां दूर करना सबसे जरूरी हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है।

रिजर्वेशन्स आपने नौकरियों में रखे हैं। वह बहुत कम हैं। कम होते हुए भी जितना रिजर्वेशन रखा है उतनी भी नौकरियां नहीं मिलतीं। आज शिडुल कास्ट व शिडुल ट्राइब्स के कितने ही इन्जीनियर बेकार बैठे हैं।

मिनिस्टर महोदय अपने जवाब में बतावें कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के कितने इन्जीनियर राजस्थान सरकार की सेवा में लग सके हैं और कितने बेकार बैठे हैं। वे यह बतावें कि आर०ए०एस० या आई०ए०एस०, अकाउन्ट्स सर्विस, एल०डी०सी०, यू०डी०सी० आदि जितनी भी सर्विस है या अन्य जगहें है उनमें प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन क्यों नहीं कायम करते। यह कायम आप करेंगे तभी ये जातियां कुछ ऊपर आ सकेंगी।

आप इरिगेशन वैल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिये कुए खोदने के लिये पैसा देते हैं। आपने बहुत दिया, पर इनके द्वारा कहां कहां कुए बने हैं यह भी आप बताने की कृपा करें। इन जातियों में इरीगेशन से भी पीने के पानी के कुओं की बहुत जरूरत है। इनकी बहुत कमी है। क्योंकि सवर्ण जाति के लोग, जो शिड्यूल जाति के लोग हैं उनको पीने का पानी नहीं लेने देते हैं। गांवों में आज भी छुआछूत का प्रचार है। इसलिए उनके लिये ड्रिंकिंग वाटर का होना जरूरी है। इसका प्रबन्ध सरकार को करना होगा। अगर आप छुआछूत मिटाने की बात करते हैं तो यह मिटाना मुश्किल है। राज्य सरकार ने कानून बना दिया है लेकिन समझ में आने में दिक्कत है। गांवों के 80 प्रतिशत लोग अनसिविलाइज्ड हैं और वे इसको नहीं समझते हैं। वे इसको भी ठीक नहीं समझते कि सार्वजनिक कुए पर सभी जाति के लोग पानी भरें। यह उनके दिमाग में नहीं आता है। यह आपको भी मालूम है क्योंकि आप भी गांवों में घूमते फिरते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों में ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी शिड्यूल कास्ट्स के लोगों के लिये अलग से जरूर होना चाहिये।

दूसरा निवेदन यह है कि जो शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोग काश्तकारी का पेशा करते हैं उनकी माली हालत खराब है। उनके लिये आप पैसा देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले जैसे आपका डिपार्टमेंट उनको पैसा देता था वैसे ही अब सहायता दी जानी चाहिये।

आखिरी में एक निवेदन और करना चाहता हूं। शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों को नौकरी में कोटा 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत कर रखा है।

(श्री नाथूराम करोल)

परन्तु इस कोटा को आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पूरा नहीं करता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कोटा आपने रखा है, और इन्जीनियर और दूसरे प्रकार के लोग बेकार बैठे हैं और उनको किसी भी डिपार्टमेंट ने नहीं लगाया है उनको रोजगार पर लगा कर इस कोटा की पूर्ति करने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री देवीदत गाड़िया : हमारी पार्टी का कोई मेम्बर आज नहीं बोला है। इसलिये हर पार्टी को मौका दिया जाना चाहिये।

श्री सभापति : कौनसी पार्टी का नम्बर है।

श्री देवीदत गाड़िया : हमारी पार्टी का नम्बर है। उसको मौका नहीं मिला है। जनसंघ का कोई सदस्य नहीं बोला है।

श्री सभापति : उधर से भी नहीं बोला है। श्री बैरवा।

श्री नंदलाल बैरवा (पाटन मु०) : सभापति महोदय, कल और आज समाज कल्याण विभाग की रिपोर्ट के ऊपर विचार किया जा रहा है। उसमें 1967-68 की रिपोर्ट के ऊपर विचार किया जा रहा है। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि 67-68 की रिपोर्ट के अन्दर जो प्रावधान किया गया है, इस प्रकार से हमारे गांवों के अन्दर जो विकास होना चाहिये, गांवों के अन्दर हरिजनों, आदिवासियों का जिस प्रकार से उत्थान होना चाहिये, वह इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया है क्योंकि गत 23 वर्षों के अन्दर जिस प्रकार से हमारे देश में हरिजनों, आदिवासियों का उत्थान होना चाहिये था उस प्रकार से शायद नहीं हो रहा है। आज गांवों की स्थिति हम देखते हैं तो काफी मतलब दयनीय स्थिति है। सब से पहले हरिजनों, आदिवासियों को खाने-पीने और रहने के लिये मकान समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं दिया जायेगा तब तक हरिजनों की स्थिति में किसी प्रकार का खासतौर का परिवर्तन नहीं होने वाला है। सरकार की ओर से गांवों में आज जो अधिकारीगण काम कर रहे हैं, जिला स्तर पर जो अधिकारी वर्ग काम कर रहा है, वे अपने अपने जिला हैड क्वार्टरों को छोड़कर गांवों में नहीं जाना पसन्द करते हैं। वे जिले के कस्बे और गांवों को नहीं जानते हैं और इस प्रकार की वहां की स्थिति से अनभिज्ञ रहते हैं। खास तौर से आज जो समस्या हरिजनों और आदिवासियों के सामने है वह पीने के पानी की समस्या है। हजारों कुए समाज कल्याण विभाग द्वारा, इस सरकार के द्वारा अब तक बनाये जा चुके हैं लेकिन सार्वजनिक कुओं के ऊपर आज तक हरिजनों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता है। कोई हरिजन हिम्मत करता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। गावों की सभी जाति उसको मारती है और उनको उस कुए से पीने का पानी नहीं लेने देती है। इसकी शिकायत पुलिस के पास जाती है तो पुलिस भी कोई परवाह नहीं करती है और हरिजन इस प्रकार पीने के पानी से वंचित रह जाते हैं। सभापति महोदय, दो रोज पहले की बात है। बूंदी जिले के पास में एक गांव से बारात आई हुई थी, वह बारात जब मुझे मिली तो उन्होंने इस बात की शिकायत की कि वे जब घोड़े पर बैठ कर बारात को ला रहे थे तो उस गांव के लोगों

(श्री नन्दलाल बैरवा)

ने उस बारात को रोका और रोक कर कहा कि तुम लोग इस प्रकार से छोटी कौम के हो और आज हमारे सामने घोड़े पर बैठ कर बारात को नहीं ले जा सकते । जब उन्होंने मुझे यह बात कही तो मैंने कहा कि आप लोग इस मामले की रिपोर्ट लिख कर मुझे दे दो ताकि मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा । काफी लोगों में चर्चा हुई कि यह रिपोर्ट पुलिस के पास में जायेगी और फिर उसके ऊपर कार्यवाही होगी । और उसके बाद में हम लोगों को गांव से निकाल दिया जावेगा । सभापति महोदय, 23 साल की आजादी के बाद भी गांव में रहने वाला हरिजन इस बात की हिम्मत नहीं कर सकता कि उसके पुलिस में जाने के बाद क्या होगा ? उसको गांव से निकलना पड़ेगा । ऐसी घटनाएं आये दिन होती हैं लेकिन आज दिन तक समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वे गांवों में जाकर ऐसी शिकायतों का प्रमाण नहीं लेते हैं कि कितने सार्वजनिक कुएं हैं और कितनों पर हरिजनों को पानी लेने दिया जाता है और कितनों पर नहीं । यह जो जिला स्तर के अधिकारी हैं उनके पास में इसके कोई आंकड़े नहीं हैं । बूंदी जिले के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कितने सार्वजनिक कुएं बने हैं और उसके अन्दर सिर्फ 25 कुओं पर सारे गांव के छोटे और बड़े पानी पीते हैं और बाकी के 75 कुओं पर पानी नहीं पीते हैं । इस तरह की समस्या है जिसकी समाज कल्याण द्वारा पूर्ति की जानी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त मैं स्कूलों के सम्बन्ध में, जो पंचायत समिति द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा चलाये जा रहे हैं, निवेदन करना चाहता हूं । नैनवा तहसील के अन्दर एक स्कूल था उसमें एक शिड्यूल्ड कास्ट का मास्टर पढ़ाता था, लेकिन गांव के लोगों ने सोचा कि शिड्यूल्ड कास्ट का मास्टर हमारे बच्चों को पढ़ायेगा तो आगे नहीं बढ़ पायेंगे । अन्त में पंचायत समिति के उस मास्टर को उस गांव से हटना पड़ा और आज उस गांव में शिड्यूल्ड कास्ट का मास्टर नहीं पढ़ाता है । इस प्रकार की बातों पर समाज कल्याण विभाग और राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये और जो शिड्यूल्ड कास्ट के मास्टर हैं उनको पढ़ाने से नहीं रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार जमीन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र के अन्दर कई भूमिहीन हरिजन लोग हैं । कई लोग ट्रेस पासर हैं । कईयों ने अपने पैसे से जमीन को खरीदा है । जिन लोगों को अलाटमेंट हुआ है उनकी स्थिति क्या है ? जिन लोगों ने दस दस साल से जमीन खरीद कर रखा है उनके नाम जमीन नहीं हुई है। इसलिए मेरा रेवेन्यु डिपार्टमेंट से निवेदन करना है कि उनके नाम जमीन कर दे। लेकिन यह नहीं होता है । खातेदारी राईट्स किसी को नहीं दिये गये हैं । समस्या यह है कि खातेदारी राईट्स नहीं देने के कारण उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है । राज्य सरकार और समाज कल्याण विभाग इस बात की जांच करवाये कि कितने लोग है जिन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीदी है, उनका खाता क्यों नहीं खोला गया है और उनको खातेदारी राइट्स क्यों नहीं दिये गये हैं । इसी तरह से कोलोनाईजेशन के अन्दर जिन्होंने 10/15 साल पहले से मकान बना रखे हैं, चाहे वे कमाण्ड एरिया में हों, उनको नोटिस दिये जा रहे हैं ··

Page No 110

(1 म. प.)

श्री सभापति : कितना बढ़ाया जाय ? सदन की अनुमति से कार्यवाही का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : नहीं दो घण्टे बढाया जाय। हर साल हमारी इस रिपोर्ट पर यह होता है।

श्री डूंगाराम : सभापति महोदय, कई बोलने वाले हैं। समय और बढ़ा दें।

श्री नन्दलाल बैरवा : इसी प्रकार से समाज कल्याण विभाग के आदमी बैठे हुए छात्रावास चला रहे हैं। मेरे से पूर्व माननीय देवालाल जी ने कहा कि इनकी संस्था की ओर से छात्रावास चला रहे हैं वह ठीक है। उनके मायने में यह बात सही हो सकती हैं। लेकिन हमारे बूंदी जिले में जो संस्था की ओर से छात्रावास चल रहा है उसकी शिकायत माननीय मंत्री महोदय से 6 महीने पहले की थी लेकिन उस कागज का जवाब नहीं मिला। वहां के छात्रावास, जो कि मेरे क्षेत्र लाखेरी में चल रहा है, का सुप्रिन्टेन्डेट है वह लड़कों से किस प्रकार से काम लेता है उसकी शिकायत आपसे की थी, लेकिन उस शिकायत का जवाब मंत्री-महोदय से आज तक नहीं मिला। उसका व्यवहार छात्रों के साथ में अच्छा नहीं है और भी जो जो बातें थीं वह भी मैंने पत्र में लिख कर भेज दी थी लेकिन एक भी बात का उत्तर नहीं मिला। यह बड़े खेद की बात है। आज जो संस्था छात्रावास चला रही है उनको 75 पर्सेन्ट तो गवर्नमेंट से मिलता है और 25 पर्सेन्ट वे चन्दा करती हैं तो यह मान कर चलना चाहिये कि 25 पर्सेन्ट के बजाय 40 और 50 पर्सेन्ट तक लड़कों से सहयोग लेकर छात्रावास में रखा जाता है। इसके साथ छात्रावास के अन्दर जिस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये थी वह व्यवस्था आज दिन तक उसमें नहीं है। इसकी शिकायत आदिवासी सेवा संघ के सामने रखते हैं तो आदिवासी सेवासंघ के जो कार्यकर्ता हैं वे कहते हैं कि होस्टल के सुप्रिन्टेन्डेन्ट का इन्तजाम आप कर दें। अगर नहीं करते हैं तो वही रहेगा। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई बार बार गलती करता है और उसकी शिकायत की जाती है तो या तो उसका इन्तजाम कहने वाला कर दे नहीं तो वही आदमी बराबर रहेगा। अगर उस आदमी को रखना चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से सुझाव देता हूं कि छात्रावास में लड़कों का आचरण बराबर नहीं रह सकता है। छात्रावास के सुप्रिन्टेन्डेन्ट को बदल दें और छात्रावास को समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाया जाय ताकि आपका आदमी बैठा हुआ बराबर काम करता रहेगा।

छात्रावासों की शिकायतें लेकर संस्थाओं के पास जाते हैं तो संस्थाएं ध्यान नहीं देतीं है। वे कहती हैं कि पैसा नहीं मिलता है, साधन नहीं मिलते हैं। इस तरह से कहकर टाल देते हैं और पैसा बरबाद किया जाता है। मैं अपना सुझाव दूंगा कि जितनी भी राजकीय संस्थाएं चल रही हैं वे सरकार की ओर से चलाई जानी चाहिए न कि संस्थाओं के द्वारा।

इसी प्रकार से हमारे यहां पर सीलिंग का कानून आया और इसी सत्र में उसको पास किया गया। आज हरिजनों में इस बात का वातावरण फैला हुआ है कि यह जमीन किस प्रकार से मिलेगी और आगे जाकर इसका हरिजनों के लिए किस प्रकार से उप-

(श्री नन्दलाल बैरवा)

योग किया जायेगा । (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) सीलिंग के अन्दर जो हरिजनों को प्रावधान देना चाहिये था वह नहीं दिया गया। इससे हरिजनों को जमीन से वंचित रहना पड़ेगा। भूमिहीन हरिजन 10-20 साल से हाली ग्वाल का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से राजस्थान सरकार सहयोग कर सकती है कि उनको जमीन मिले। राजस्थान सरकार के समाज विभाग की ओर से सहयोग मिलना चाहिये। समाज-कल्याण विभाग की ओर से सर्वे होना चाहिए कि कितने परिवार हरिजनों और पिछड़े वर्ग के ऐसे हैं कि जिनके पास जमीन नहीं है। कम से कम समाज कल्याण विभाग में इस बात के आंकड़े होने चाहिए कि राजस्थान की हर पंचायत समिति में वहां के कितने लोगों को जमीने मिल चुकी है और कितने लोग ऐसे हैं जिनको जमीन दी जानी चाहिये। ये आंकड़े समाज-कल्याण विभाग के पास बिल्कुल नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला हैडक्वार्टर पर समितियां बनी हुई हैं और वहां पर आपने एक अधिकारी बैठा रखा है उस का क्या कार्य है? उसको यह लिस्ट बनाना चाहिए। इस विभाग का मुख्य कार्य है जमीन दिलाना। समाज-कल्याण विभाग इस प्रकार के आंकड़े तैयार करता है तो निश्चित तौर से समाज-कल्याण विभाग हरिजनों और आदिवासियों का उद्धार कर सकता है।

इसी प्रकार से समाज-कल्याण विभाग की ओर से जो कार्य किये जाते हैं उसमें कई तरह की आलोचनाएं की जाती हैं। मैं मानता हूं कि आलोचनाएं कई मायने में सही होती हैं। डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर समाज कल्याण अधिकारी बैठा रहता है वह कभी भी गांव में जाकर जानकारी प्राप्त नहीं करता है कि इस गांव की समस्या क्या है कई वर्ष पहले समाज-कल्याण विभाग द्वारा इस बात का प्रचार किया जाता था और हर प्रकार की पुस्तकें निकाली जाती थीं, पोस्टर्स निकाले जाते थे और सिनेमा वान द्वारा प्रचार किया जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि न तो समाज-कल्याण विभाग के कोई पोस्टर नजर आते हैं, न कोई पुस्तिका नजर आती है और न सिनेमा वान ही नजर आती है। मैं समझता हूं कि वह भी कहीं कूड़ा-करकट में पड़ी हुई होगी। मैं समाज-कल्याण विभाग से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर समाज से छूआछूत को दूर करना है तो समाज कल्याण विभाग को आगे आकर गांवों में जाकर इस बात का प्रचार करना पड़ेगा कि यह समाज में नीच और ऊंच को बना क्या है। इन सारे शब्दों की व्याख्या करनी पड़ेगी और भाषणों का कार्यक्रम बनाना पड़ेगा और गांवों में घूमना पड़ेगा।

इस बात के लिए मैं निवेदन करता आ रहा हूं और बड़े बड़े नेता लोग यह कहते हैं कि गांधी शताब्दी वर्ष मनाया जाना चाहिए। यह बड़ी ही खुशी की बात है कि गांधीजी के जन्म के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हरिजनों का उद्धार करेंगे। ज्यों ही राजस्थान सरकार ने यह घोषणा की कि जमीन भूमिहीनों को दी जायेगी और भूमिहीन भी वही होंगे जो कि हरिजन और आदिवासी हैं तो गत वर्ष में जितना एलॉट हुई है उससे इस साल 25 पर्सेन्ट भी जमीन एलाटमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोग और हम लोग जानते हैं और पंचायतों के सरपंच भी जानते हैं कि इस वर्ष यदि हरिजनों को जमीन दी गई तो आने वाले

(श्री नन्दलाल बैरवा)

वर्ष में दूसरे लोगों के लिए जमीनें नहीं रहेंगी। इसलिए आज दिन तक कलेक्टर और तहसीलदार ने किसी भी क्षेत्र में एलॉटमेंट के लिए मीटिंगें नहीं बुलाई हैं। राजस्थान सरकार ने एक सक्यूंलर भी निकाला है कि जब तक विधान सभा का अधिवेशन चले तब तक एलाटमेंट नहीं किया जाय लेकिन जब विधान सभा चलेगी तब कलेक्टर और तहसीलदार एलाटमेंट दिलायेंगे ताकि विधायक जो है वह यहां बैठा रहेगा। एलाटमेंट मुश्किल से 25 पर्सेन्ट हो पाया है और हजारों बीघा जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पड़ी हुई है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिन्ट और बोलूंगा।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री नन्दलाल बैरवा : रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस प्रकार के आंकड़े लें तहसीलवाईज कि कौन से गांव में ऐसी जमीन हैं जो कि हरिजनों को एलाट की जा सकती है ! लेकिन समाज-कल्याण विभाग ने आज तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इस बात के लिए नहीं कहा कि गांधी शताब्दी वर्ष में हरिजनों को जमीनें देना चाहते हैं जो कि भूमिहीन हैं और राजस्थान में रात दिन दूसरे लोगों की भूमि पर मेहनत करते हैं और उनके यहां हाली ग्वाले का काम करते हैं, और उनका सारा परिवार उन पर निर्भर करता है। मैं तो यह कहूंगा कि 23 साल की आजादी के बाद भी हमारे पास सही आंकड़े नहीं हैं कि इतने हरिजनों को जमीनें देनी हैं। हमारी मुख्य समस्या राजस्थान में जमीन की ही है।

कई आदमियों से मेरी बातचीत हुई। कहते हैं कि हम को कब छुटकारा मिलेगा। मैंने कहा कि जब 15 बीघा जमीन मिल जाएगी। लेकिन वहां के सरपंच पटवारी उसको जमीन नहीं दिला सकेंगे। इस प्रकार समाज कल्याण विभाग हरिजनों का उत्थान करने वाला है। इनको जमीन के आंकड़े लेकर पता लगाना है कि कौन से गांव में कितनी जमीन है। पटवारी के पास जमीन का नम्बर लेने जाये तो 50 रु० मांगता है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि जितने कुवे बनाये जा चुके हैं, चाहे पंचायत समिति या जिला बोर्ड द्वारा बनाये हुये हैं, उनकी जांच करवाई जाये। राजस्थान में प्रत्येक तहसील में कितनी जमीन है जो अलाटमेंट करने लायक है। अगर है तो हरिजनों को क्यों नहीं दी गई। कितने हरिजन हैं जिनको जमीन नहीं दी गई है। मैं, सभापति महोदय, चाहूंगा इन बातों पर विचार करें। जिलों में जो समाज कल्याण अधिकारी बैठे हैं, वह उन पर विचार करें।

श्री सभापति : माननीय मथुरादास माथुर।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय,

एक माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1970

श्री मथुरादास माथुर : मैं राजस्थान विधान सभा अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ (संशोधन) विधेयक, 1970 को प्रस्तुत करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : क्योंकि इस बिल की प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को वितरित नहीं

(श्री मथुरादास माथुर)

हो सकी है। इसलिए इस बिल की सेक्शन दी है, वह सदन के माननीय सदस्यों के सामने पढ़कर सुनाता हूं, जिससे माननीय सदस्यों को मालूम हो जाये मुख्य क्लाज क्या है। इस बिल की दफा 2 में, क्लाज 2 में—

"Insertion of new Section 8B in Rajasthan Act 6 of 1957. After sec. 8A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act 1956 the following new section shall be inserted namely.

"8B Free Railway travelling facilities to the member."

इसके अन्दर 8B यह एक क्लाज और एड कर दिया जायगा।

"Every member shall also be provided with facility which shall entitle him at any time to travel in first class by any railway throughout the territory of India covering a distance not exceeding twelve thousand kilometres within a calendar year, in such manner as may be prescribed by rules made in this behalf"

सदन के माननीय सदस्यों को रेलवे द्वारा ट्रेवलिंग करने का

"Where a member chooses to travel in air-conditioned first class, he shall himself bear the difference in the railway fare between the first class and the air-conditioned first class."

इसमें माननीय सदस्यों को 12 हजार किलो मीटर, किसी भी रेलवे में भ्रमण करने के अधिकार होंगे। यह बिल का मेन मुद्दा है।

अब माननीय सभापति महोदय, मैंने यह प्रस्ताव रखा है। इसको पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1970 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के 306 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1970 के सम्बन्ध में नियम 66 (प्रोवीजो), नियम 67 (2) नियम 71 तथा तत्सम्बन्धी अन्य नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि माननीय मथुरादास माथुर ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : मेरे ख्याल से इस पर कोई बोलना नहीं चाहेगा। प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पारित किया गया

अ. जा. एवं अ. आ जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर अग्रेतर विचार

श्री रामचन्द्र आर्य : ठीक है। ऐतराज कभी नहीं उठेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। समाज कल्याण मंत्री बहस का उत्तर देंगे।

अनेक माननीय सदस्य : सभापति महोदय ...

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, दो दिन बहस के लिए रखे गये थे। कुल मिलाकर 3 घन्टे भी बहस नहीं हुई है। इस प्रकार से मूलभूत भावना....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भावना को आघात होगा।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही का समय एक घन्टे को दो बजे तक बढ़ाया गया था। यह व्यवस्था थी कि एक बजे समाज कल्याण मन्त्री बहस का जवाब देंगे। अभी दो बजे तक समय है।

श्री नत्थीसिंह : कल भी समय कम था।

श्री सभापति : कृपया सुनिये। 45 मिनट समाज कल्याण मन्त्रीजी उत्तर देंगे। अब सदन की क्या इच्छा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : समय आगे बढ़ाया जाये।

एक माननीय सदस्य : एक दिन और बढ़ाया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : छोटे छोटे मसलों पर रात के 2 बजे तक बैठे हैं।

श्री सभापति : तो फिर इतने माननीय सदस्य बोलने हैं कोई निर्णय किया जाये तो माननीय सदस्य कितना समय लेंगे ?

श्री नत्थीसिंह : कोई समय नहीं है।

श्री सभापति : अगर आप एक घण्टा बढ़ा लेते हैं और दो माननीय सदस्य आधा आधा घण्टा बोलते हैं तो उससे क्या लाभ ?

एक माननीय सदस्य : 15/15 मिनट रखिये

श्री श्रवणलाल : रात के 12 बजे तक बैठे हैं क्या आज नहीं बैठ सकते हैं ?

Page No 115

श्री सभापति : मेरा सवाल है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री लादूराम सुलानिया : व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सभापति महोदय, यह रिपोर्ट 15 तारीख को पेश हुई थी। उस दिन 15 मिनट बोले। आज भले एक घण्टा बोले हैं। सारा मिलाकर करीब 4 घण्टा बोल चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा...

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री लादूराम सुलानिया : दो दिन तय हुये थे।

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्रवणलाल।

श्री लादूराम सुलानिया : बाकी काफी सदस्य बोलना चाहते हैं''''''

श्री सभापति : माननीय सदस्य !

श्री लादूराम सुलानिया : दो दिन तय हुए थे, इसका मतलब यह है, सभापति महोदय''''''

श्री सभापति : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : इस पर केवल चार घंटे विचार के रखे हैं, अब यदि चार घंटे के विचार के बाद में सरकार की ओर से उत्तर हो जाय तो यह उचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए आज इस पर अगर पूरी बहस नहीं हो सकती है तो आज चार घण्टे विचार हुआ मान लिया जाय और क्योंकि आज सत्र खत्म हो रहा है, इसलिए आने वाले सत्र में आठ घण्टे या जितने घण्टे बाकी हों वह आगे दिला दीजिये, तब तो न्यायोचित हो सकता है नहीं तो वह व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : सभापति महोदय, यह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स''''''

श्री सभापति : आप ख्याल रखियेगा, समय की सीमा है।

श्री श्रवण लाल : सभापति महोदय, सीमा का ध्यान हर समय रखा जाता है। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो शिड्यूल कास्टस और शिड्यूल ट्राइब्स की रिपोर्ट आती है, वह इस हाउस में पेश होती है उस समय सरकार इसके सम्बन्ध में समय की पाबन्दी लगाती है। दूसरी बात यह कि जब बजट पेश होता है, विधेयक लिये जाते हैं उस समय किसी प्रकार की कोई सीमा की पाबन्दी नहीं होती। लेकिन हमें दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह रिपोर्ट उचित समय पर पेश नहीं करते हैं, पेश करते हैं तो उस पर बहस नहीं होती है और बहस होती है तो बारह बजे तक भी इस पर बहस शुरू नहीं होने देते हैं और इस पर बहस का टाइम दूसरे कामों में लेते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न पर काफी——

श्री सभापति : आप प्रारम्भ कीजिये भाषण।

श्री श्रवणलाल : काफी सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिए अधिक समय दिया जाय नहीं तो बारह बजे तक भले ही बैठा जाय।

Page No 116

श्री सूरजमल : इसे अगले सत्र में ले लिया जाय। नहीं तो बहस अधूरी रहेगी।

श्री जगन्नाथ : माननीय को चिन्ता नहीं है, हमने तो शिड्यूलड ट्राइब्स के आदमी को कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है।

श्री श्रवणलाल : सुनाई नहीं दिया।

श्री लादूराम सुलानिया : यह हिन्दी तक भी बात नहीं गई, सभापति महोदय।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं 1.25 पर अपना भाषण स्टार्ट कर रहा हूं।

आज जिस तरह शिड्यूलड कास्ट्स और शिड्यूलड ट्राइब्स की रिपोर्ट के उपर बहस चल रही है, 1961 की जनगणना के अनुसार यदि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की जन संख्या को देखा जाय तो आज जो जन संख्या अनुसूचित जाति की है वह 33,59,440 है और शिडयूलड ट्राइब्स की जन संख्या 23,51,470 है, यानि कुल मिला कर 58 लाख के आस पास है। आज अगर इसको आधार मान कर 1970 की जनसंख्या के आंकड़े निकाले जायं तो जन संख्या करीब एक करोड़ के आस पास पहुंचेगी। तो सभापति महोदय, मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि इतनी बड़ी जन संख्या अपने स्टेट के अन्दर है, उसको सरकार पिछले बाइस साल के अपने शासन के अन्दर ऊंचा उठाने के लिए, आगे लाने के लिए, इनकी समस्या को हल करने के लिए अमुक अमुक प्रयत्न कर रही है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता। हमारी सरकार ने इन जातियों को ऊंचा उठाने के लिए काफी प्रयत्न किये हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति और और अनुसूचित जन जाति की यह रिपोर्ट इस हाउस के अन्दर पेश की गई है, इसमें सबसे पहले जो नाम रखा है वह है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति यानि जिसको नीच जाति के नाम से पुकारते हैं, तो इस रिपोर्ट में जो यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का नाम लिखा जाता है, इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि यह भेदभाव है, क्योंकि यह अनुसूचित जाति पहले नीच थी, इनका आपने क्या उद्धार किया है। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति का नाम हटा कर इसको कमजोर वर्ग या तबका कहा जाय। इस कमजोर वर्ग को ऊंचा उठाने के लिए सरकार कई योजनाओं के द्वारा अपने शासन काल में इनको सहायता, सब्सीडी और छात्रवृत्ति देकर इन जातियों को आगे लाने के लिए चेष्टा करती है। लेकिन हमारी सरकार की जो नीति है, यह कागजों के अन्दर जरूर मिल जायगी, कागजों में इस प्रकार की योजना जरूर शामिल हो सकती है लेकिन जब हम देखते हैं तो स्थिति दूसरी होती है। चाहे होस्टल के सम्बन्ध में बात हो, चाहे छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में बात हो, चाहे दूसरे सम्बन्ध में बात हो, जब हम स्थिति को देखते हैं तो यह देखने को मिलता है, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा बताना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो सरकार ने छात्रावास खोले हैं उनकी संख्या 112 है, हमारी सरकार के द्वारा जो छात्रावास चलाये जाते हैं उनकी संख्या 112 है और जो दूसरे जो अनुदान से छात्रावास चलाये जाये जाते है उनकी संख्या 112 है। इनमें एक इधर से उधर नहीं किया गया है। दोनों की संख्या 112-112 है। मैं आपको

(श्री श्रवणलाल)

बताना चाहता हूं कि आंकड़ों के आधार पर इन्होंने इस बात को माना है कि किसी जिले के अन्दर आदिम जातियों की, अनुसूचित जातियों की संख्या ज्यादा है, वह बूंदी जिला है, जयपुर जिला है, गंगानगर का जिला है, भरतपुर का जिला है और सवाई माधोपुर का जिला है। इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, यानि दो लाख की जनसंख्या वाले स्थान हैं, इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग ज्यादा रहते हैं। इसके विपरीत, सभापति महोदय, जिन जिलों में सबसे कम इन जाति के लोग रहते है, उनमें जालौर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि जिले आते हैं। मेरा यह कहना है कि जहां पर इन जातियों की जनसंख्या ज्यादा है उन डिस्ट्रिक्ट को देखा जाय, वहां जो छात्रावास चल रहे हैं उनकी संख्या को उठा कर देखा जाय तो वह तिल के बराबर मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं जो होस्टल की संख्या है जयपुर के अन्दर वह कुल मिला कर, अनुदान से चलने वाले और विभाग के करीब सोलह है, सात जयपुर के अन्दर राजकीय छात्रावास चलाये जाते हैं और नौ अनुदान से चलाये जाते है। गंगानगर के अन्दर कुल मिला कर चार हैं, इन चार में से एक तो सरकार की तरफ से चलाया जाता है और अनुदान से विमुक्त जाति के नाम पर तीन चलाये जाते है। वहां इन जातियों की सबसे बड़ी जनसंख्या है वह इस प्रकार की हालत है। मैं बताना चाहता हूं कि भरतपुर के अन्दर सात छात्रावास रखे हैं, जिनमें से छः तो राजकीय हैं और एक अनुदानित है। सवाई माधोपुर के बारे में आपको सुन कर ताज्जुब होगा, जिस जिले की जन संख्या दो लाख के आस पास है, जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग अधिकतर रहते हैं, जिसको डिपार्टमेंट ने, सेन्टर ने पिछड़ा हुआ क्षेत्र घोषित किया है, वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा चलाये जाने वाला छात्रावास एक होस्टल है। जहां इतनी बड़ी जन संख्या है, दो लाख के आस पास जनसंख्या रहती है वहां केवल एक होस्टल चलाया जाता है। इसके साथ साथ जो अनुदानित के रूप में चलाये जाते हैं उनकी संख्या करीब तीन है। इस तरह से कुल मिला कर चार छात्रावास चलाये जाते हैं। इन चारों छात्रावासों की व्यवस्था को देखा जाय कि किस प्रकार की व्यवस्था इन होस्टल में है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हाउस में कोरम नहीं है।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल) : माननीय सदस्यों की दिलचस्पी नहीं है। आपका भाषण होने के बाद समाप्त करें।

श्री केशरीसिंह : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के जितने मेम्बर है उनकी भी दिलचस्पी नहीं है।

(गणाभाव सूचक घंटी)

(कुछ माननीय सदस्यों के आने से गणपूर्ति हुई)

श्री श्रवण लाल : मैं बता रहा था कि इस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है, इसके अलावा जहां जनसंख्या कम हैं, जैसे डूंगरपुर है, वहाँ पर एक भी छात्रावास ऐसा नहीं है जो राज्य के द्वारा चलाया जाने वाला हो। वहां शिड्यूल्ड कास्ट्स का एक भी नहीं है, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी नहीं है। जो अनुदान के द्वारा चलाये जाने वाले

(श्री श्रवणलाल)

छात्रावास हैं वह करीब अठारह हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर करीब अठारह हैं। इसी प्रकार झुंझुनूं में दस हैं। इसी प्रकार से यदि उदयपुर को देखा जाय तो वहां कुल मिला कर चौबीस मिलेंगे। याने पूरा डिवीजन एक तरफ और एक तिहाई राजस्थान एक तरफ। इस प्रकार मोनोपोली सिस्टम को हमारे समाज कल्याण विभाग के द्वारा आने वाले पैसे को जो हरिजनों को ऊंचा उठाने वाला पैसा है, वह इस तरह से उस डिवीजन में भेदभाव अपनाकर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वहां अनुदान प्राप्त संस्थायें हैं, वहां के मठाधीश इसके संचालक बने हुए हैं, उन पर खर्चा कितना होता है ? वह सूची मेरे पास है। अगर सदस्यों की संख्या जानना चाहें तो वह भी पूरी सूची मेरे पास है। मैंने उसका टोटल लगाया है:—

इन संस्थाओं द्वारा खर्च किया गया:—

1964 में	2,24,383
1965 में	1,30,038
1966 में	1,68,211
1967 में	1,82,779
1968 में	1,56,737

इस प्रकार इन संस्थाओं ने अपने मोनोपोली सिस्टम से अपनी पार्टी के प्रचार के हेतु इस प्रकार उन संस्थाओं के द्वारा जो प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का, इस प्रकार वहां होस्टल खोल रखे हैं गरीबों के साथ ढोंग रचने के लिए। लेकिन अगर व्यवस्था को देखा जाय तो दाल ऐसी मिलेगी उसके अन्दर छानकर देखा जाय दाल का दाना एक भी नजर नहीं आएगा, सब्जी ऐसी मिलेगी जो सड़ी गली होगी। उनका जो बिस्तर और खाने पीने का सामान होता है उसको चेक किया जाय तो आपको ताज्जुब होगा देखकर। मेरे यहां एक होस्टल है, उसमें फर्जी कार्यवाही की जाती है, फर्जी लड़कों के नामों की एन्ट्री की जाती है जबकि लड़के पढ़ते नहीं है, उनका किसी प्रकार से लेना देना नहीं लेकिन किसी लड़के का नाम एन्ट्री करके उनके नाम से 45) रु. प्रति मास की जो खर्चा होता है, सरकार से एड के रूप में लेकर कमाई का धंधा खोल रखा हैं। इस प्रकार जैसे एक डिवीजन में खोली जा रही हैं और दूसरे डिवीजन में इतनी संख्या में होते हुए भी वहां निल के बराबर हो यह पक्षपात नहीं होना चाहिए।

जहां तक छात्रवृत्ति का सवाल है, उसकी भी यही हालत है। कई बार प्रश्न आया और प्रश्न के संबंध में जो कि मंत्री महोदय ने कुछ सुझाव रखे और मैं इससे इन्कार नहीं करता की इस वर्ष कुछ बच्चों को छात्रवृत्ति मिली है लेकिन इसके जो फार्म्स होते है वह शिक्षा विभाग व पंचायत समिति द्वारा अलग वितरण करते हैं तो विद्यार्थियों को मालूम नहीं होता है कि अमुक फार्म्स किस जगह से प्राप्त करते हैं, कहां पेश करते हैं। इस पद्धति द्वारा बहुत से छात्र छात्रवृत्ति को लेने वाले हैं, इसमें रह जाते हैं इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि किसी प्रकार की छात्रावृति चाहे राज्य सरकार की हो या केन्द्रीय सरकार की हो, उसका वितरण विभाग करे, समाज कल्याण विभाग द्वारा वितरण होना चाहिए जिससे एक संस्था के द्वारा चाहे जिला हैड क्वार्टर पर चाहे पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर, एक

(श्री श्रवणलाल)

ही एजेन्सी के द्वारा छात्रावृत्ति का वितरण होना चाहिए।

यह छात्रवृत्ति जो राज्य स्तर पर मिलती है, विदेश में जाने के लिए मिलती है लेकिन वह नहीं के बराबर है। हमारे जो विदेशों में छात्र प्रशिक्षण के लिए जाते हैं, उनके लिए जो छात्रवृत्ति रखी है वह नहीं के बराबर है। सिर्फ एक छात्र को छात्रवृत्ति देकर विदेश भेजा है तो मेरा सुझाव है कि अधिक से अधिक धनराशि जो छात्र बाहर भेजने के लिए चुने जाते हैं उनके लिए रखनी चाहिए ताकि अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग विदेश जा कर योग्यतायें प्राप्त करके आयें।

रिक्त स्थानों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने गत सितम्बर में सदन में लंबी चौड़ी घोषणा की कि जो 12½ प्रतिशत का कोटा था, यह पूरा नहीं था। और उस कोटा को पूरा करने के लिए हम विधान सभा के अन्दर या बाहर चिल्लाते रहते थे। मगर उसको क्रियान्वित नहीं किया। इसका मतलब आगे आने वाली जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके कुछ लोगों में इस प्रकार की ग्लानि हो तो हमें भ्रम में डालने के लिए कि अब 28 प्रतिशत कोटा हो गया, माननीय, सदस्य ने उस समय जोरजोर से तालियां बजाई, तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा।

श्री सूरज मल : 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

श्री विशम्भर नाथ जोशी : ऑडर्स हैव बीन इश्यूड सारे जिलों में और एम्पलाइमेंट एक्सचेन्ज को आर्डर्स जारी किए गए है।

श्री लादूराम सुलानिया : आपके कह देने मात्र से नहीं होगा। राज्य विधान सभा सचिवालय में भी शिड्यूल्ड कास्ट कर्मचारियों की संख्या 12 प्रतिशत भी नहीं है। आप जो घोषणा करते हैं उस पर चले, पालन करें। हम आपके हाथ मजबूत करते हैं। आप बहुत बड़ा दिल रखकर काम करने की योजना बनायें। जैसा हम कहें योजना बनाये।

श्री श्रवणलाल : माननीय सूरजमलजी ने जो 28 प्रतिशत के बारे में कहा, वह बिल्कुल सही है। 28 प्रतिशत की जो घोषणा की हैं वह इस बात के लिये की गई है कि बढ़ाया नहीं है, उल्टे कम किया है। मंत्री महोदय ने सितम्बर के अन्दर घोषणा की है। वह बता दें कि सितम्बर से लेकर मई 1970 तक किसी व्यक्ति की नियुक्ति की ?

(घण्टी)

8 महीनों के अन्दर एक भी प्रतिशत एपाइंटमेंट किया ? एक भी व्यक्ति की नियुक्ति न करके इस प्रकार से इन्होंने आज तक हमारे सदस्यों को गुमराह करके वातावरण पैदा किया है। सभापति महोदय, मुझे तो सुन कर और यह जानकारी प्राप्त करके बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस विधान सभा में जहां पर हम बैठते हैं इस विधान सभा के प्रांगण में, इस विधान सभा के सचिवालय में भी इस कोटे की पूर्ति नहीं होती है। इस विधान सभा के कोटे को भी उठा कर देखा चाहे यू० डी० सी० हो चाहे एल० डी.सी. हो, इस विधान सभा में बैठ कर विधान बनाते हैं उस सचिवालय में भी कोटे की पूर्ति नहीं होती है। उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है। जिनको सर्विस में लेना चाहिये, रिजर्वेशन के कोटे में

(श्री श्रवणलाल)

से लिया जाना चाहिये लेकिन वहां पर भी नहीं लिया जाता है। यहां पर कौन किसका व्यक्ति है, उसको नौकरी मिलती है। जिस सचिवालय में हम बैठते हैं वहां पर भी इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो राजस्थान के अमुक जिलों में उसको लागू रख सकेंगे यह कैसे सम्भव होगा। मंत्री महोदय आपके आश्वासन आश्वासन ही रहेंगे। आपने 28 परसेन्ट कोटे के लिये कहा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

12½ परसेन्ट कोटा था उसके लिये मैं बताना चाहूंगा।

श्री सभापति : : आर्डर प्लीज । आपके 15 मिनिट समाप्त हुए। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नथमल चोहला।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, आपने ठीक कहा है। लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लिये दो दिन दिये हुए हैं और चार घण्टे की ही बहस का मौका मिला है। इसलिये हमको बोलने का मौका दिया जाय और इसमें भी कटौती किसी प्रकार की करते हैं तो इससे बढ़ कर घोर अन्याय और कोई नहीं हो सकता है।

श्री सभापति : पन्द्रह मिनिट ही निश्चित किये हैं।

श्री श्रवणलाल : हमारी पार्टी का केवल एक ही सदस्य बोला है।

श्री सभापति : पन्द्रह मिनिट सदन ने तय कर दिये हैं इसलिये स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : मैं बोलूंगा। समाज कल्याण विभाग ...

श्री सभापति : आर्डर, प्लीज आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : हमारे अधिकारों का प्रश्न है। समाज कल्याण विभाग का प्रश्न है हरिजनों के पैसों का किस प्रकार दुरुपयोग किया जाता है। 50 प्रतिशत पैसा लैप्स होता है, जिसको काम में नहीं लाते हैं। किस प्रकार भ्रष्टाचार और घोटाले होते हैं यहां पर उठा कर उन पर विचार व्यक्त नहीं कर सकते यह कभी नहीं हो सकता।

श्री सभापति : आपको समय सीमा दे दी गई थी।

श्री श्रवणलाल : मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। फिर भी प्रार्थना करता हूं कि मुझे इसमें थोड़ा और समय दिया जाये।

श्री सभापति : अधिक समय नहीं मिलेगा। कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मोहनलाल मोदी : आसन से पन्द्रह मिनिट का समय दिया गया ...

श्री सभापति : आसन से नहीं, सदन से।

श्री मोहनलाल मोदी : दूसरे माननीय सदस्य भी बोलने वाले हैं। दूसरों को बोलने का मौका मिले, ऐसा किया जाना चाहिये।

श्री श्रवणलाल : इसमें बोलने वाले बहुत हैं। पीड़ा सब को है। वे कुछ नहीं कह सकते हैं। अन्दर से उनके जलन हो रही है और टीस है। लेकिन उनकी जबान बन्द है।

(श्री श्रवणलाल)

सब ही माननीय सदस्य विचार व्यक्त जरूर करेंगे इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्यों को अधिक से अधिक समय दिया जाय।

श्री सभापति : पन्द्रह मिनिट आपने तय किये उससे अधिक समय नहीं मिलेगा।

श्री श्रवणलाल : दस मिनिट तो लादूरामजी ने ले लिये और पांच मिनिट सूरजमलजी ने ले लिये।

श्री सभापति : आपने पूरे समय का उपयोग किया है। महरबानी करके स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मैं दस मिनिट से अधिक समय नहीं लूंगा।

श्री सभापति : 15 मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा। यह आप ले चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल । घोटाले में नहीं जाऊंगा....

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें। कैसे अधिक समय मिलेगा? आपने स्वयं ने तय किया है कि पन्द्रह मिनट मिलेंगे प्रत्येक माननीय सदस्य को। जब यह कैसे हो सकता है?

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : आप कैसे बोलेंगे।

श्री श्रवणलाल : मै बोल रहा हूं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय श्री श्रवणलाल। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सूरजमल : माननीय सभापति महोदय ..

श्री श्रवणलाल : जो आंकड़े है, 12½ परसेन्ट के आंकड़े हैं उनको देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। कुल संख्या है 1089 और उसमें से अनुसूचितजाति के लोग कितने हैं? सिर्फ 69 और अनुसूचित जन जाति के कितने हैं सिर्फ 13। आप अन्दाज लगाइये। यह लिस्ट सचिवालय में नियुक्तियां हुई हैं उसकी है। उसमें भी इस प्रकार का करप्शन होता है। इस प्रकार अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो दूसरी जगह तो क्या होता होगा। दूसरी जगह तो उनकी कोई सुनने वाला नहीं हैं। या तो कोई एम. एल. ए. हो जाता है और दूसरे अधिकारी मिल जाते है तो संरक्षण दिला पाते हैं।

आपने मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका बड़ा आभारी हूं और छोटी छोटी बातों को रखते हुए अपना भाषण समाप्त करूंगा।

आप ने इस प्रकार घोषणा की। गांधी शताब्दी वर्ष में एक साल में केवल शिड्यूल्ड कास्ट को ही जमीनों का अलाटमेंट किया जायेगा और किसी को नहीं किया जावेगा। आपने कितनों को जमीन दी हैं। किन किन को पट्टे दिये हैं? जिनको अलाटमेंट किया है तो कितनों को पजेशन दिया है? 4447 को 6656 एकड़ जमीन दी है और उसके भी पट्टे और चीजे देखी जायं तो ओन दी स्पोट पचास प्रतिशत भी नहीं मिलेंगे। प्रधान ने और सरपंच ने कब्जा कर रखा

(श्री श्रवणलाल)

है ऐसी जमीनें ही हैं। क्या वे लोग उनसे लड़ सकते हैं? इसलिये वे जमीनें उनसे मिलने वाली नहीं है। उनका कब्जा उस पर हो नहीं सकता। सितम्बर का समय इसमें यों ही निकल जायगा। और अक्टोबर का समय रहता है उसमें कुछ होने वाला नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हरिजनों के द्वारा मैला उठाने का जहां तक संबंध है उस प्रथा को देखा जाय तो 22 साल की आजादी के बाद भी आज भी हरिजन भाई अपने सिर पर मैला ढोते है और पेट पालन करते हैं। मैला ढोने वालों की भी एक साल दो साल, छः महीने, चार महीने की बकाया है। नगरपालिकाओं के सफाई कर्मचारियों की बकाया के लिये कुर्की आने पर भी कार्यवाही नहीं की। स्वीकृत धनराशि हो उसमें भी किस प्रकार के घोटाले किये जाते हैं। बीकानेर का मामला उठाया। मैला ढोने के लिये हाथ गाड़ियां खरीदी गयीं। बेरक्स में रखी हुई जंग खा गयीं और काम में नहीं लाये। कारण एक था कि वे अमुक प्रकार की थी इसलिये चल नहीं सकती थी। काम नहीं ला सकते। इसलिये उनको स्टाक में रख दिया जाय ताकि कहने का मौका न मिले।

(1.50 म.प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति पदासीन)

इस प्रकार से हरिजनोत्थान के लिये जो पैसा मिलता है उसका दुरुपयोग होता है।

सभापति महोदय, इसी तरह से दूसरे मामलों को देखा जाय प्रसूति गृह के नाम पर कुछ दाईयों को इन्तजाम किया जाता है नर्सेज का काम लिया जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा यह जो आपने 111 की लिस्ट दी है वे कहां कहां की है? कभी आपने इनका सर्वे कराया है कि नहीं वास्तव में इन नामों की कोई दाइयां गांवों में हैं भी या नहीं ये काम कर रही है या क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कहीं पर भी ये काम नहीं कर रही है अमुक तहसील में फलानी जिले में फलानी तहसील में फलानी इस तरह की लिस्ट बनायी हुई और उनको अलाउन्सेज के रूप में अनुदान देते चले आ रहे है। ग्रोन दी स्पोट जाकर देखिये आपको ये सेविकायें मिलेगी न दाइयां मिलेगी और न कुछ।

समापति महोदय दलित वर्ग संघ नाम से ले एक संस्था है जिसका बोर्ड कभी अमृतलाल जी यादव के बंगले पर लगा करता है....

श्री मोहनलाल मोदी : इन्होंने कितना समय ले लिया आप इनको कहिये समय का ध्यान रखिये और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं?

श्री श्रवणलाल : आपको जलन क्यों हो रही है?

श्री मोहनलाल मोदी : कांग्रेस पार्टी के आदमी बोलने वाले हैं।

श्री श्रवणलाल : इसी प्रकार से दलित वर्ग संघ का कार्यालय है जिसका बोर्ड मिनिस्टर महोदय के बंगले पर लगा करता था आजकल न मालूम वह कहां चला गया। इस दलित वर्ग संघ के नाम पर राजस्थान सर-

(श्री श्रवणलाल)

कार से अनुदान मिलता है उसका कुछ लोग ही फायदा उठाते हैं और उससे अपने पेट पालने को चेष्टा करते हैं। इनका काम है कि, मन्दिरों हरिजनों को दर्शन कराने के लिये ले जाया जाय आपसे मैं पूछना चहता हूं कि होटलों में चाय पिलाना भी इनका काम है। मैं पूछता हूं होटल में अगर कोई हरिजन जाकर चाय पियेगा तो वह अपने पैसे से पियेगा नाई की दुकान में हजामत बनवाना होगा तो वह अपने पसों से बनवायेगा आखिर यह किस तरह से सुधार के काम है अपने पैसे देकर कोई भी जा सकता है। 21 आदमी इस संघ मे मेम्बर है इनके द्वारा अब तक 19 लाख रूपया का खर्चा हो चुका है। इसका आफिस अब कहां है यह पता नहीं है। अमृतलालजी यादव के बंगले पर बोर्ड लगा करता था अब शायद यह बोर्ड उनकी धर्मपत्नी के बक्स में बन्द हो गया है। इसी तरह से कई योजनाओं के नाम से पैसा मिलता है कई संस्थाओं के नाम से पैसा मिलता है ये संस्थायें पैसा ले लेकर एक दो माह चलती हैं उसके बाद बन्द हो जाती हैं। प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वे दलित वर्ग संघ के नाम से पैसा लेते रहते हैं किसी को सौ रुपया किसी को डेढ़ सौ रुपया देते हैं इस तरह से इन्होंने अपनी कुर्सी सुरक्षित कर रखी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा दलित वर्ग संघ के नाम पर जो पैसा खर्च हुआ है उसके बारे में एक कमिशन बिठायें ताकि इसकी असलियत जनता के सामने आ सके। इस मामले की इन्क्वायरी की जाय। मैं आपको ऐसी लिस्ट पेश कर सकता हूं जिन लोगों ने आज तक पैसा लिया नहीं लेकिन उनके नाम पैसा दिया हुआ बताया गया है।

गरीबी ऐसी चीज है जो अपने आपको करप्ट कर देती है। आज जो ये लोग मिनिस्ट्री में बैठे है ये सब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्डट्राइब्ज की देन है। आपने यह जो मिनिस्ट्री बनाई कुछ लोगों को इधर से तोड़कर उन लोगों को जनता में बदनाम करके आपने अपने में मिला लिया इस तरह से उन्होंने अपने ही जाति के लोगों के साथ कुठाराघात करके आपमें मिले हैं और गवर्नमेंट बनवायी है आज वे ही लोग इस तरह के पैसे का नाजायज फायदा उठाते हैं। आज हम देख रहे हैं इन जाति के लोगों की गरीबी का फायदा उठाकर यहां मिशनरी लोग फैल रहे हैं वे लोग उन आदिवासी और हरिजनों में जाकर उनके बच्चों को साफ सुथरा रखने के लिये कहते हैं उनको फ्री कपड़े देते हैं, फ्री दवाइयां देते हैं पढ़ना लिखना उनके लिये फ्री देते है इस तरह की सुविधा देखकर ये गरीब जाति के लोग उधर डाइवर्ट हो रहे हैं इस तरह से उनकी गरीबी का वे लोग फायदा उठा रहे हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि यदि इसी तरह से यहां भी ईसाइयों की संख्या बढ़ती गई तो क्या हाल होने वाला है आसाम के अन्दर आप देखते हैं वहां ईसाई अपने लिये अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इस तरह से यदि यहां भी मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ती गई तो यहां पर भी यही हालत होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी यहां पर इस प्रकार के नियम बनवाये जैसे कि मध्यप्रदेश में कानून बनाया है उसी प्रकार का कानून भी यहां बनाया जाय। और इस की जो प्रवृत्तियां बढ़ रही है उनको रोका जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

Page No 124

श्री सभापति : आप बीस मिनिट से अधिक समय ले चुके हैं जब कि आपने पन्द्रह मिनिट के लिये कहा था ।

श्री भ्रवणलाल : मैं समाप्त ही कर रहा हूं । मैंने जिस जिस प्रकार के घपलों के बारे के बताया है उनकी भी आप जांच करवाइये अगर आप इसमें दिलचस्पी लेकर काम करेंगे तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का भला करेंगे । आज जो पहले से ही जो कोलोनियां बनी हुई उनमें ही अधूरे काम पड़े हुए हैं उनको आप दिलचस्पी लेकर पूरा करवाइये तो यह हमारे लिये बहुत ही अच्छा होगा मैं तो आपको यह भी सुझाव देना चाहता हूं आगे इनके लिए अलग कोलोनियां मत बनाइये, अब आप इनके लिए हरेक कोलोनी में बसाने के लिये व्यवस्था करिये और इनको मकान बनवा कर दीजिये । केवल किसी को हजार रुपया मकान के नाम से दे दिया तो उससे कोई मकान तो बनता नहीं और वह पैसा पुराने मकान में ही मरम्मत आदि में वह लगा देता है या यों ही वह खर्च कर देते हैं । इसलिए आप इनको मकान बनवा कर दीजिये उसमें आप एक हजार रुपया फ्री दीजिये बाकी की किश्तें कर दीजिये । आपकी यह योजना गलत है कि मकान बनाने के नाम पर एक हजार रुपया दे दिया । इस तरह से मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे तो हरिजनों का भला होगा ।

श्री सभापति : ऐसा है कि इस पर बहस और होने वाली हैं आपकी अनुमति हो तो इस बहस को आगे के सेशन के लिये रख दें आगे फिर इस बारे में डिसक्सशन हो सकता हैं और यदि इसी तरह तूफान मेल गाड़ी को चलाना है तो फिर चलने दीजिये ।

मैं सदन की अनुमति से समय 15 मिनिट के लिए और बढ़ाता हूं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जवाब तो आज होगा ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अगले सेशन में हो जाय ।

श्री सभापति : श्री नाथूराम (बागीडोरा) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त की 68-69 की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है मैं भी इस पर अपने विचार रखना चाहता हूं ।

वैसे तो सभापति महोदय, जिस तरह से आयुक्त की रिपोर्ट पर अमल होना चाहिये वैसा नहीं हो रहा है । इसके बारे में सदन में बार बार सुझाव भी दिये जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता हैं । पिछले सेशन में जब इसी कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हुई थी पिछड़े वर्ग के उत्थान के बारे में हमने समय समय पर सुझाव दिये लेकिन उनका राजस्थान सरकार से पालन नहीं हुआ है । आज हम देखते हैं लाखों करोड़ों रुपया इनके नाम से खर्च होता है लेकिन आदिवासी और हरिजनों की जो उन्नति होनी चाहिए थी उतनी उन्नति नहीं हुई है । मैं आपके द्वारा सदन के सामने कुछ कुछ मोटी बातें रखना चाहूंगा । सन् 51 से लेकर 61 तक जन संख्या में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इसी तरह से अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या 34 प्रतिशत बढ़ी है····

श्री लादूराम सुलानियां : मन्त्रीजी तो कोई नोट नहीं कर रहे हैं आप क्यों बोलते जा रहे हो।

श्री नाथूराम : आप इस तरह से डिस्टर्ब न करें।

एक माननीय सदस्य : उप मन्त्रीजी नोट कर रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाडिया : उप मन्त्रीजी पढ़े लिखे तो हैं नहीं ये क्या नोट करेंगे।

श्री लादूराम सुलानियां : जब तक मन्त्री महोदय न आवें तब तक आप मत बोलिये।

श्री नाथूराम : जिस अनुपात से संख्या बढ़ी है उस तरह की उनकी सुविधायें नहीं बढ़ी हैं। आज पिछड़ी जाति वालों के पास 75 प्रतिशत के पास मकान नहीं है।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आप तो यह बताइये किस तरह से कडाणा बान्ध के कारण कितने आदिवासी विस्थापित हो जायेंगे ?

श्री नाथूराम : वह भी बताऊंगा। मैं अभी जनरल बोल रहा हूं। इसी तरह से कुछ पिछड़ी जाति के लोग आज भी आजादी के बाईस साल बाद भी खाना बदोश की तरह घूम रहे हैं। 17 वीं रिपोर्ट में राजस्थान में इस प्रकार घुमक्कड़ जाति की संख्या दो लाख थी जिनके पास न घर है और न रहने का ठिकाना आपने इनके लिये क्या व्यवस्था की है ?

मैं सभापति महोदय, माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आपको यह मालूम नहीं होगा आज इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। मैंने आपसे निवेदन किया आप कम से कम मैं जो बातें कहूं उनको नोट तो करिये हमारे यहां की क्या स्थिति है आप उसको नोट भी करना नहीं चाहते।

इसी तरह से सरविसेज को लीजिये जैसा कि 13 वीं रिपोर्ट में बताया गया है आल इण्डिया प्रथम श्रेणी की सर्विसेज में आइ० ए० एस० कुल 1,893 की संख्या है जिसमें अनुसूचित जाति के 81 हैं और जन॰ जाति के केवल 18 हैं। आइ० पी० एस० की कुल संख्या 1,054 है जिसमें अनुसूचित जाति के 54 हैं और जन जाति के केवल 16 हैं। इसी तरह से सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आइ० एफ० एस० 5,101 हैं उसमें सिर्फ 88 आदमी हैं एक तरफ तो इसकी आबादी बढ़ती जा रही है और उधर सरविसेज में इनकी संख्या कम होती जा रही है। माननीय मन्त्री महोदय, ने फरमाया कि हमने इनका प्रतिशत बढ़ा कर 28 प्रतिशत कर दिया है। आप बतलाइये कहां यह 28 प्रतिशत पूरा हुआ है। जहां 1100 प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं उसमें दोनों जातियों के अधिकारियों की संख्या केवल 60 है इसी तरह के तथ्य दसवीं रिपोर्ट में भी बताये गये हैं।

इसी तरह से तृतीय श्रेणी में 5/1 की संख्या है।

चतुर्थ श्रेणी में 19/5 है और महतरों की संख्या में इनकी भरती शत प्रतिशत है।

श्री डूंगाराम : सभापति महोदय, मैं हाउस को जानकारी देना चाहता हूं।

(शोरगुल)

श्री नाथूराम : आप सुनें तो सही। मैं आपको शेड्यूल्डकास्ट्स और शेड्यूल्डट्राइब्स के आंकड़े बता रहा हूं।

श्री डूंगाराम : मैं वही तो कह रहा हूं। ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं वे तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं, राजस्थान में तो बिल्कुल ही अंधेर है। ये सेन्ट्रल के आंकड़े और जो ...

श्री परसराम गंगाराम : आप तो पूंछ पकड़े हुए बैठे हो।

श्री नाथूराम : आइ. ए. एस. और आइ. पी. एस. के सामने तो शून्य है और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के शत प्रतिशत। तो मेहतरों में, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में लगाना है, वहां तो शत प्रतिशत लगा देते हैं, लेकिन आइ. ए. एस. और आइ.पी.एस. की जहां बात आती है वहां शून्य है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह जो आप फरमा रहे हैं वह सारा का सारा सही है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। आप लोगों की है।

श्री देवीलाल मीणा : आप शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्डट्राइब्स की बात करते हैं ~

श्री नाथूराम : आप मेरा सुझाव तो सुनें।

श्री लादूराम सुलानियां : यह सारी जिम्मेदारी आपकी है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने अपना टाइम ले लिया, अब दूसरों का क्यों ले रहे हैं ?

श्री लादूराम सुलानियां : यह बात नहीं है। आप...

(शोरगुल)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : सभापति महोदय, व्यवस्था की जाये। ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री सभापति : श्री सुलानियां, आप स्थान ग्रहण करें। आपने अपना पूरा समय ले लिया।

श्री नाथूराम : मेरा सारा समय तो इन्होंने ले लिया।

(शोर गुल)

बेकार में ही मेरा टाइम खो रहा है।

श्री लादूराम सुलानियां : आपने ही यह सब किया है, आपकी जिम्मेदारी है।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूराम : इस तरह से चतुर्थ श्रेणी के बारे में मैंने बताया ....

(शोर गुल)

सभापति महोदय, इनका हमेशा ही यही बतीरा है। ये अव्यवस्था कर रहे हैं।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सदन की कार्यवाही में बाधा डालेंगे और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने देंगे तो वह ठीक नहीं होगा।

श्री नाथूराम : ये मैंने आल इन्डिया के आंकड़े बताए। इस तरह से राजस्थान के आंकड़े बताना चाहता हूं। राजस्थान में शिक्षा की क्या स्थिति है? प्राइमरी शिक्षा में 15.4 प्रतिशत, सेकेन्डरी में 6.4 प्रतिशत और हायर एजुकेशन में 3.9 प्रतिशत, ये हैं शेडुल्डकास्ट्स और शेडुल्ड-ट्राइब्ज के आंकड़े। यह राजस्थान की स्थिति है। इसी तरह से मैं अब खर्चे के आंकड़े बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल खर्चा 54 करोड़ 14 लाख 43 हजार रुपया हुआ और अनुसूचित जन जातियों पर यह खर्चा 1.85 प्रतिशत हुआ। इसी तरह से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 103 करोड़ 10 लाख का कुल व्यय हुआ और उसमें 3 करोड़ 16 लाख रुपया इन जातियों पर व्यय होना बताया गया है जो कुल व्यय का 2.9 प्रतिशत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 212 करोड़ व्यय हुआ है और 3 करोड़ 30 लाख रुपया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर खर्चा किया गया है। यह कुल व्यय का 1.4 प्रतिशत है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में पिछड़े हुए वर्गों के ऊपर जो व्यय होना चाहिये था वह अन्य मदों में खर्च कर दिया गया और हरिजनों के हित में, उनके उत्थान में वह खर्च नहीं किया गया। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप फालतू खर्च में कमी कर के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के और पिछड़े वर्गों के लोगों के बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देकर आगे लावें। आज उनको शिक्षा उद्योग और तकनीकी हर प्रकार की शिक्षा में आगे लाना होगा तभी जाकर वे समाज में सम्मानीय हो सकेंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में अब तक 116 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं और उस में से 4 करोड़ 40 लाख रुपया अनुसूचित जाति और जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर व्यय किया गया है जो कुल व्यय 3.64 प्रतिशत है।

सभापति महोदय, इसी तरह से मैं भूमि आवंटन के बारे में संक्षेप में बता देना चाहता हूं। सन् 1968 तक 11 लाख 25 हजार एकड़ जमीन 2 लाख 55 हजार परिवारों में दी गई है। फिर भी आज लाखों की तादाद में भूमिहीन लोग हैं। भूमिहीन को भूमि देनी चाहिये वह लक्ष्य हमारा पूरा आज तक नहीं हुआ है। आज राजस्थान के नहरी और दूसरों इलाकों में आज देखेंगे बड़े लोगों ने भूमि पर कब्जा कर रखा है और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों में भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े हुए वर्ग के लोगों में भूमि के आवंटन के लिए साल भर का समय आपने दिया था, परन्तु भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। और इसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिये जो सार्वजनिक संस्थाएं चल रही है उसमें अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं रखा गया है और न रखा जा रहा है। मेरे क्षेत्र की बात है बांसवाड़ा जिला सेवक संघ है उसमें एक भी ड्राईवर अनुसूचित जाति का नहीं है, संचालक मण्डल में कोई अनुसूचित जाति का नहीं है, संचालक मण्डल में कोई अनुसूचित जाति का नहीं है। पिछले समय मैंने निवेदन किया था और आपने यह डिक्लेअर किया था कि जल्दी ही चुनाव करवायेंगे। लेकिन आज तक

(श्री नाथूराम)

उसके चुनाव नहीं करवाये गये हैं और स्वार्थी लोग उस संस्था में घुसे बैठे है और वे अपने निजी फायदे के लिये संस्था का दुरुपयोग करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो आप हाउस में कोई बात कहिये मत और कहते हैं तो उसका पूरा पालन किया जाना चाहिये।

इसी तरह से सभापति महोदय, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों में औद्योगिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा बिलकुल नहीं है। पिछले दस वर्षों से इसके लिये हमारी मांग है और राष्ट्रपतिजी ने भी डूंगरपुर, परतापुर तहसील को इसके लिए घोषित किया है। इसके अतिरिक्त उदयपुर डिवीजन में लाखों की तादाद में आदिवासी लोग रहते हैं। हमारी यह दस साल से मांग है कि जो आदिवासी क्षेत्र है और जहां पर मिडिल स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं, वहां पर 25 से 50 लड़कों का एक एक छात्रावास होना चाहिये। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से आज तक इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि साल भर में एक-दो जगह छात्रावास खोल दें, यह तो एक साधारण चीज है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप दूसरे मदों में फिजूलखर्चा बंद करके उसका सारा पैसा छात्रावासों पर लगा दें और बाकी का पैसा तकनीकी शिक्षा में खर्च किया जाना चाहिये। और आदिवासी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा छात्रावास खोले जाने चाहिये।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं सदन का समय मंत्री महोदय के भाषण तक, जब तक कि वह समाप्त न हो गये तब तक के लिये सदन की अनुमति से बढ़ाता हूं।

श्री लादूराम सुलानियां : यह आश्वासन पहले दिया गया था कि बहस आज हो जाये और अगले सेशन में माननीय मंत्रीजी इसका उत्तर देंगे। आसन की ओर से ही यह कहा गया था।

श्री सभापति : मैं आपकी बात को समझ गया हूं, जिन्होंने भाषण दिये हैं उनका जवाब आज नहीं देंगे तो उनको कैसे पता चलेगा।

श्री लादूराम सुलानियां : 4-5 घंटे ही बहस हुई है। इससे सदस्यों को सन्तोष नहीं हुआ है।

श्री सभापति : आपकी भावनाओं को मैं अध्यक्ष महोदय के सामने रख दूंगा।

श्री लादूराम सुलानियां : इससे करीब सभी सदस्य सहमत हैं। इसमें कोई विरोध नहीं है।

श्री नाथूराम : जैसे छात्रावास के बारे में मैंने कहा—महिला शिक्षा के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। आज गांवों में आदिवासियों और हरिजनों की लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन उनके लिये छात्रावास में कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इनके लिये भी मकानों की व्यवस्था हो। जहां अनुसूचित जनजाति की लड़कियां हों वहां पर छात्रावास बनने चाहिये और जितनी उनकी संख्या है उसको बढ़ा कर वहां पर विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। इसी तरह से हजारों की तादाद में दसवीं पास लड़के हैं जो कि मारे मारे फिरते हैं। हमने हरिजनों के लिये सर्विस में 28% तक का कोटा निर्धारित कर दिया है लेकिन इस कोटा के बाद साल

(श्री नाथूराम)

भर तक सरकारी नौकरी के लिये बैन लगा रहा और आज भी हरिजन, आदिवासी को नौकरी में नहीं लगा सके हैं। आज भी 28 % का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रशासकीय सर्विस में इन लोगों को ज्यादा लगाना चाहिये। एक आदिवासी हरिजन एक पटवारी की जगह पर हो तो वह इस जाति की ज्यादा सेवा कर सकेगा। आज हरिजनों को चतुर्थ श्रेणी सेवा में ही लिया जाता है। इसलिए प्रशासन में हरिजन और आदिवासी को ज्यादा लेना चाहिये ताकि वे ज्यादा सेवा कर सकें। सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज दसवीं पास हरिजन लड़के सरकारी सर्विस के लिये मारे-मारे फिरते हैं। इसलिये कम्पीटिशन की स्थिति को छोड़कर उनको सर्विस में लिया जाये। वन विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, इसमें इनके लिये विशेष प्रकार का प्रावधान किया जाये और उनको सर्विस में लगाया जाये तो उचित होगा। उनको दूसरे के समान कम्पीटिशन में बिठाकर लेना चाहेंगे तो उन सब को सर्विस नहीं मिलेगी। इसलिये कैबिनेट को विशेष रूप से यह निर्णय लेना चाहिये और छात्रावास और दसवीं पास हरिजन लड़कों को सर्विस में लगाने के लिये विशेष प्रकार का प्रावधान करना चाहिये।

सभापति महोदय, एक निवेदन यह और करना चाहता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के विशेष साधन होने चाहिये। आज जो लघु सिंचाई और बड़ी सिंचाई योजना हैं उनके ज्यादा से ज्यादा साधन आदिवासी क्षेत्रों में सुलभ किये जाने चाहिये। सिंचाई विभाग को इसके साथ ही साथ आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये बिजली की विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, उन पिछड़े हुए क्षेत्रों में बिजली अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचाई जानी चाहिये। राजस्थान सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाया है और उसने यह कानून आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों की रक्षा के लिये बनाया है। मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि भूमि सुधार का यह कानून बन जाने के बाद भी कि आदिवासी और हरिजनों की भूमि को दूसरा नहीं खरीद सकता है कई लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों की जमीन को खरीद लिया है। लेकिन सरकार की ओर से आज तक इसके सर्वे की व्यवस्था नहीं की गई है। डूंगरपुर-बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी हरिजनों की भूमि को जिन लोगों ने खरीद लिया है उनकी भूमि को उन्हें वापिस दिलाया जाये। सभापति महोदय सागड़ी प्रथा का कानून बन गया। पिछले समय भी निवेदन किया था कि इस कानून का पालन नहीं हो रहा है और आज तक यह प्रथा चालू है। आज तक सरकार की ओर से इसका सर्वे नहीं किया गया है।

इसलिए, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज भी हजारों की तादाद में सागड़ी हैं, और ऐसे सागड़ी हैं कि कुछ रुपये देते हैं और साल भर काम कराते हैं, कुछ नाज देते हैं और साल भर काम कराते हैं। क्या कानून का पालन हुआ ? कानून बनाकर कागज में रहता है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन

(श्री नाथूराम)

करना चाहता हूं कि यह आपके विभाग का विषय है इसलिये आपके विभाग के द्वारा इसको सर्वे होना चाहिए, और इस तरह के जो केसेज हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करके उनको सजा दिलाना चाहिए।

इसी तरह से मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि छुआछूत का कानून बनाया गया, लेकिन मंत्री महोदय कम से कम जवाब के वक्त हाउस को यह बताएं कि राजस्थान में छुआछूत के मामले में कितनों को सजा दी गई। कुछ उदाहरण बताएं। कितनों के खिलाफ कार्यवाही की? आज हरिजनों के लिए कुए अलग बनाए जाते हैं, हरिजनों के लिए पानी व्यवस्था अलग करके चलते हैं तो कानून बनाने से फायदा क्या हुआ? इसलिए, सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग के लिए कानून सरकार बनाती है, क्रान्तिकारी कानून बनाती है, लेकिन उन कानूनों का पालन भी कराये। उन कानूनों का पालन नहीं होता है और क्रान्तिकारी कानून कागजों में धरे रहते हैं। इसमें समाज-कल्याण विभाग की कमी नजर आती है इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी और हरिजनों के लिये जो पैसा खर्च किया जाता है और जो कानून बनाये जाते हैं तो पैसे का सदुपयोग होना चाहिए और कानूनों का पालन होना चाहिये।

श्री सभापति : समाज कल्याण मंत्री।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय सभापति महोदय,....

श्री सभापति : अब आप आसन ग्रहण करें। बोलने वालों की लिस्ट बहुत लम्बी चौड़ी है।

श्री किशनलाल वर्मा : मैं बोलना चाहता हूं। मुझे वक्त दिया जाय।

श्री सभापति : 5 मिनिट में अपने ठोस सुझाव रख दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : .. आज जो इस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं

कई माननीय सदस्य : थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दें।

श्री सभापति : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, इधर भी सदस्य बैठे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सदन में अनुसूचित जाति ...

श्री सभापति : श्री किशनलाल वर्मा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैंने भाषण चालू कर दिया है।

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : सभापति महोदय, मुझे निवेदन यह करना है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की उन्नति के लिए जो घोषणाएं की गई हैं और योजनाएं रखी गई हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहली घोषणा सर्विसेज में साढे बारह पर्सेन्ट से 28 पर्सेन्ट की की गई है। उससे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों में खुशी की लहर फैली है, लेकिन उस घोषणा का पूरा पालन नहीं किया गया है उसके

(श्री किशनलाल वर्मा)

लिए बहुत बड़ा खेद है। आपने इसके जो आदेश भिजवाये हैं वे बहुत देरी से भिजवाये हैं।

दूसरी घोषणा गांधी शताब्दि वर्ष के अवसर पर केवल शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भूमि आवंटित किये जाने की घोषणा की गई है। वह स्वागत करने योग्य है। काफी जमीन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को एलॉट हुई है, लेकिन दुःख इस बात का है कि एलाटमेंट कमेटी के मेम्बरान, खासतौर से सरपंच वगैरह इसमें दिलचस्पी नहीं लेते हैं और कई जगह दूसरे मेम्बरान भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं जिसकी वजह से जो जमीन उनको एलाट होना चाहिए वह जमीन एलाट नहीं होती है।

तीसरी घोषणा जो है वह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के लिए मकान बनाने के सम्बन्ध में है। आबादी क्षेत्र में उनको फ्री प्लाट्स देने की घोषणा की गई है। यह भी स्वागत करने योग्य है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि सरकार की घोषणाओं का पालन नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि घोषणा का जल्दी से जल्दी पालन हो। कुए, मकान बनाने के लिए लोन देने के लिए घोषणा की गई है कि सरकार द्वारा 5 हजार तक की धनराशि बिना ब्याज के दी जाय। यह घोषणा स्वागत करने योग्य है। इसका भी खासतौर से पालन नहीं हो रहा है। इससे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को फायदा नहीं पहुंचा है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि घोषणाओं का पालन नहीं हो रहा है और पालन नहीं होना बहुत बड़ी शर्म की बात है। देखना यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए केवल कागजों में ही कार्यवाही नहीं होना चाहिये, बल्कि ठोस काम होना चाहिए। इसके लिए वास्तविक रूप से कुछ काम होना चाहिए। केवल भुलावा देने के लिए ही घोषणाएं की जायं और इस प्रकार का ढोंग रचा जाय यह बात ठीक नहीं है। घोषणाओं का पालन करने के लिए ठोस काम करने की आवश्यकता है।

यह भी देखने में आता है कि जिस दिन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कमीशन की रिपोर्ट पर बहस चलती है उस दिन मंत्रीगण दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं, वे बाहर रहते हैं और कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेते है, और इसको अहमियत नहीं देते हैं। यह बड़े दुःख की बात है। यही नहीं, विधायक लोग भी कम दिलचस्पी रखते हैं। रिपोर्ट भी सब के बाद में रखी जाती है और उसको जल्दी खत्म करने की कोशिश की जाती है। शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के उत्थान के बारे में बड़ी-बड़ी बातें की जाती है, लेकिन पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ने की इस प्रकार की जो नीति है, इस प्रकार के खयालात हैं, व इस प्रकार का रवैया चल रहा है उससे उन्नति होने की बात नहीं दिखता है।

शिक्षा सम्बन्धी सुविधा के सम्बन्ध में मैं बताऊंगा कि छात्रावासों में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि उनमें बड़े घोटाले चल रहे हैं। घोटाले इसलिये चल रहे हैं कि वार्डन और जिलाधिकारी आपस में मिल जाते है और वह गड़बड़ किया करते हैं और घोटाले करके छात्रों को सामान

(श्री किशनलाल वर्मा)

नहीं देते हैं और एक तरह से गड़बड़ करते हैं। समय-समय पर उनकी जांच होती रहे और उन लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्य-वाही होती रहे तो घोटाले बहुत कम हो सकते हैं।

साथ ही छात्रावासों की संख्या बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि छात्रावास नहीं होने की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो विद्यार्थी हैं उनको रहने की सुविधा नहीं मिलती है। छात्रावास होने से सुविधा मिल सकती है और छात्र अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए पहले ही मैंने प्रश्न रखा था और अभी भी प्रश्न रखा है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हॉस्टल के लिये जयपुर में जमीन नहीं दी जाती है। उसके लिये बारबार लिख कर दिया गया है और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन भी दिया था एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं हुआ है। मैं नहीं चाहता कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की उन्नति की कार्यवाही में वक्त निकल जाय। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बारे में यदि शेड्-यूल्ड ट्राइब्स के छात्रावास के लिए जमीन नहीं दी गई तो मैं 6 महीने के अन्दर, अगले सेशन में भूख हड़ताल पर बैठूंगा। यह बड़े शर्म की बात है कि···

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री किशनलाल वर्मा : मुझे इसके लिए भूख हड़ताल करने की नौबत आये। वाजिब मांग होती है उसके लिए भी भूख हड़ताल करना पड़ती है। अफसोस है कि जनता के साथ जो अत्याचार होते हैं उसके लिए डिप्टी मिनिस्टर को भी भूख हड़ताल करनी पड़ती। इस प्रकार का रवैया चलता रहा तो कभी मिनिस्टर को भी भूख हड़ताल करना पड़ेगी। इस प्रकार से लापरवाही से चलते रहना और ध्यान नहीं देना बड़े शर्म की बात है। जो वाजिब मांग होती है वह पूरी नहीं होती है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। उनकी तरफ ध्यान दिये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है।

यह भी समझने की बात है कि छात्र-वृत्ति के नहीं पाने की वजह से शेड्यूल्ड कास्ट्स का विद्यार्थी पढ़े बिना न रहें। जिस छात्र की आर्थिक स्थिति गिरी हुई है और वह लिखने पढ़ने में होशियार है यदि उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो वह पढ़ाई का काम नहीं चला सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सर्विसेज के लिए मुझे थोड़ा कहना है कि जो कोटा है उसकी पूर्ति होना चाहिए। कोटे की पूर्ति खास तौर से समाज कल्याण विभाग में जो कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हितों का ध्यान रखने के लिए बना हुआ है, उसमें विशेषतौर से होना चाहिए, बल्कि ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कोटे की पूर्ति नहीं दिखाई देती है यह अच्छी बात नहीं है। यहां पर विधान सभा में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे की पूर्ति होना चाहिए। (समय समाप्ति सूचक घंटी) इसके अलावा सचि-वालय में भी पूर्ति होना चाहिए। इसके साथ-साथ प्रोमोशन्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

(श्री किशन लाल वर्मा)

सामाजिक उत्थान के लिए छुआछूत की बीमारी चल रही है और उसका निवारण नहीं हो पाया है। इसके ऊपर सरकार ने काफी पैसा खर्च किया है। इतना होने पर भी कुछ नहीं हो पाया है।

मैला उठाने की जो प्रथा है उसके बारे में जो मलकानी कमेटी बनी थी और उसने जो रिपोर्ट पेश की थी उस रिपोर्ट का पालन नहीं हो रहा है। आज भी वह प्रथा चल रही है। जब तक वह प्रथा खत्म नहीं होता है तब तक सामाजिक उत्थान नहीं हो सकता है। सवर्णों और हरिजनों के भेदभाव को समूचा समाप्त किया जाना चाहिए खासतौर से इस पर नेताओं को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह भेदभाव समाप्त हो। साथ ही उन बस्तियों में सुधार हो। गन्दी बस्तियों में सुधार हो। हरिजनों के लिए मकान के लिए जो भूमि आवंटन करते हैं, उसमें भी उनको सदस्य रखा जाये ताकि हरिजनों के लिए जो कोटा निर्धारित होता है, वह उनको मिले। गांव में पीने के पानी की बड़ी दिक्कत है, इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। सबसे पहले प्राथमिक व्यवस्था की जाये। बड़े बड़े कस्बों में और शहरों में, कई जगह देखने में आता है, जहां हरिजन रहते हैं, वहां बिजली नहीं होती है। अन्धेरा होता है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जाये। जमीन इतनी दी जाये कि जिससे कि उनका जीवन निर्वाह हो सके। दो तीन बीघा दे देते हैं। उससे काम नहीं चलता है। ऋण मिलने में दिक्कत आती है। काश्तकारों को बिजली देने में प्राथमिकता दी जाये। शिड्यूलकास्ट और शिड्यूलट्राइब्स को लघु सिंचाई में प्राथमिकता दी जाये। पंचायतों की ओर से उनको जो सहायता दी जाती है, वह उनको नहीं मिलती है। वह पंचायतों की ओर से न मिलकर डायरेक्ट समाज कल्याण विभाग की ओर से मिलनी चाहिए। दूसरे जो शिड्यूलकास्ट और शिड्यूलट्राइब्स का बजट होता है, कई बार अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह लैप्स हो जाता है। इस तरफ ध्यान दिया जाये, जिससे कि बजट लैप्स न हो। इसके अलावा जो काश्तकार हैं, तहसील में जाते हैं। जो शिड्यूलकास्ट और शिड्यूलट्राइब्स हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उनको सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाना चाहिए। सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए जयपुर में हाईकोर्ट की बैंच होनी चाहिए।

श्री सभापति : क्या आप यह चाहते हैं कि शिड्यूलकास्ट और शिड्यूलट्राइब्स आपस में ज्यादा लड़ें और फिर हाईकोर्ट में जायें ?

श्री किशनलाल वर्मा : लड़ने की बात नहीं है, झगड़े होते हैं तो उसके लिए हाईकोर्ट जाना ही पड़ता है। हाईकोर्ट का सम्बन्ध होता है। इसलिए सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए हाईकोर्ट जयपुर में होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि भूतपूर्व जरायम पेशा कौम के पास पर्याप्त जमीन नहीं है। सांसी और कंजर हैं, वह आज भी चोरियां करते हैं। उनके जीवन निर्वाह के साधन नहीं हैं। इसलिए मजबूर होकर उनको चोरी करनी पड़ती है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री किशनलाल वर्मा : शिड्यूलकास्ट के लिए जितना बजट रखते हैं उतना शिड्यूल्ड्राइब्स के लिए नहीं रखते हैं। उनके लिए भी उतना ही रखना चाहिए। शिड्यूलकास्ट के लिए पंचायत के आबादी क्षेत्र में जो प्रावधान हाउस का रखा है वह शिड्यूलट्राइब्स के लिए नही है। यह भेद भाव नहीं होना चाहिए। लोगों को आगे बढ़ाना है, गरीबों को आगे बढ़ाना है तो जो पिछड़े एरिया हैं उनके विकास के लिए ज्यादा पैसा खर्च किया जाये। उनको आगे बढ़ाया जाये। मैं यह भी समझता हूं कि शिड्यूलकास्ट और शिड्यूलट्राइब्स की उन्नति के लिए, उनको उन्नत करने के लिए एक ही क्षेत्र को नहीं मान सकते हैं। मैं देखता हूं कि उदयपुर से भीखा भाई और अमृतलाल को ही मन्त्री हमेशा बना दिया जावे तो उससे पूरा राजस्थान के शिड्यूल-कास्ट और शिड्यूलट्राइब्स की उन्नति नहीं हो सकती है। चल रहे सौतेले व्यवहार तथा पक्षपात और भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। सबको समान समझ कर विकास की ओर ध्यान देंगे तभी उन्नति हो सकती है।

श्री परसराम गंगाराम : सभापति महोदय ...

श्री सभापति : आपकी पार्टी ने इतना समय ले लिया है कि अगले सेशन के समय तक नहीं बोल सकते हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय ...

श्री सभापति : समय लिमिटेड है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दूंगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, 5 मिनट ...

श्री सभापति : 5 मिनट से ज्यादा नहीं लें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, यह रिपोर्ट बड़े प्रयास के अनुसार पहले सेशन में भी काफी कोशिश की तो इस सेशन में भी काफी कोशिश की गई है, तब जाकर इस रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। तो मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ कह दूं। आजादी के बाद अनुसूचित जाति व जन-जातियों की समस्याओं को लेकर आयुक्त नियुक्त किया गया था कि ये जातियां क्यों पिछड़ी हुई हैं। इनका विकास किस प्रकार से हो सकता है। हर वर्ष आयुक्त अपनी रिपोर्ट दें। उसमें हर वर्ष का ब्यौरा हो कितना विकास इन जातियों का हो चुका है, कितना विकास होना बाकी है और विकास किस प्रकार क्या क्या सहा-यता देकर किया जा सकता है। सभापति महोदय, आयुक्त जब से नियुक्त हुआ है, तब से उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपनी ओर से सुझाव दिये हैं। दूसरी बात यह भी निवेदन करूंगा कि जो सुझाव 17 वीं रिपोर्ट में दिये हैं, वह पिछली रिपोर्टों में दिये हैं। पिछली रिपोर्टों में फैक्ट्स कम बताये हैं, इसमें राज्य सरकार की अनिय-मितताएं ज्यादा बताई हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि इन जातियों के विकास का सवाल होता है वहां मुझे विनाश इस रिपोर्ट से प्रतीत होता है। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह खिलवाड़ क्यों हो। दूसरी बात यह है कि यह तबका भी कुछ कुछ समझने लगा है। पिछड़ा तबका समझने लगा है।

(श्री डूंगाराम रांगोरिया)

जो विकास का काम हमें मिलना चाहिये था जो आजादी के 22 सालों में भी हमें क्यों नहीं मिल सकी जबकि देश का चहुंमुखी विकास हर क्षेत्र में हुआ है। आजादी के बाद इस देश में कई प्रकार की समस्याओं का समाधान हुआ। आजादी के बाद देश में जितना विकास हुआ है वह विकास केवल उन लोगों का हुआ है जिनका पहले ही विकास हो चुका था। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यह विकास पहले से ही विकसित लोगों का हुआ लेकिन यह लोग सोचते हैं कि हमारा विकास क्यों नहीं हुआ। वह यह महसूस करने लग गये है कि जिनके छोटे छोटे भवन थे उनके आलीशान भवन बन गये हैं। उनका उपयोग करने का अधिकार हमें क्यों नहीं है हम क्यों नहीं उनका उपयोग कर सकते? जो व्हीकल चलती हैं, उनके उपयोग की फेसिलिटी हमें क्यों नहीं मिली है? जो उत्पादन देश में बढ़ा है, बीस साल पहले अनाज हमें इतना सस्ता मिलता था, जिनमें हम गरीबों का गुजारा अच्छी तरह से हो जाता था, लेकिन आज हमारी दुर्दशा हो रही है, अनाज उपलब्ध करके हम अपना पेट नहीं भर सकते हैं जमीनें हमारे पास है नहीं जो हम अनाज पैदा कर सकें। धन्धे ऐसे हैं नहीं जो महंगाई का मुकाबला कर सके। सभापतिजी, इस तरह की बातें हम जातियां सोचती रही हैं। बहुत डरती है यह कौम समाज कल्याण विभाग के द्वारा थोडी सी फेसिलिटी देकर आप इनकी समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। इन जातियों का विकास योजनाबद्ध तरीके से ही हो सकता है। अगर यह हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे तो देश की दुर्दशा हो जायगी। जिन लोगों के पास में सम्पति है, जो आज उसका उपयोग करते हैं वह भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि भूखा गरीब मजबूर होकर छीना झपटी भी कर सकता है, दुनिया भर से पैसा लाकर हिन्दुस्तान में भरा है लेकिन आपने इन लोगों के साथ क्या किया है। आपने गरीब से गरीब देश से भी भीख मांगी है, भिखमंगे की स्थिति में देश को पहुंचा दिया है लेकिन फिर भी गरीब तबके का विकास नहीं किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात आखिर कब तक चलेगी। मैंने इस रिपोर्ट को जहां तक पढ़ा है, इसमें राजस्थान के बारे में बहुत कम बताया है। या तो हो सकता है कि आयुक्त ने कोई ध्यान नहीं दिया हो, या फिर मैं जहां तक समझता हूं राज्य सरकार से जो आंकड़े मांगे गये हैं वह राज्य सरकार उपलब्ध करने में असमर्थ रही है। इसका कारण यह है कि जो चोरी करता है, जो पाप करता है वह आंकड़े उपलब्ध करने में असमर्थ होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार से कई आंकड़े मांगे है उनके बारे में इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजस्थान सरकार से आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं। थोड़े से आंकड़े मिले हैं, वो क्या है मैं बताना चाहता हूं। इन लोगों को इस रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए जमीन नहीं मिलती है, पिछड़ी बस्तियों में पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। गांवों में यह दशा है, मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। समस्यायें आज भी वैसी की वैसी बनी हुई हैं। रोजगार धन्धा इनका कोई है नहीं। जो इनके रोजगार धन्धे थे, उनके लिए मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने किसी प्रकार का उनके लिए कोई प्रावधान नहीं

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

किया है, जिससे सबूत मिलता है कि इनका धन्धा गिरा है।

छुआछूत बढ़ा है, इसलिए मैं कहता हूं छुआछूत को अपराध मान कर उसके लिए दण्ड दिया जाय तो उसे मैं सबसे अच्छा समझता हूं।

इसलिए, सभापति महोदय समय समाप्ति सूचक घंटी) घंटी बजाने से लाभ क्या होगा बैठे रहिये, महरबानी करके। मैंने अभी कुछ कहा नहीं है।

मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इन कार्यवाहियों से क्या अन्दाज लगाया जा सकता है। आज जो पोजीशन देश में लोगों की हो रही है। जो हालत सारे भारतवर्ष में इन लोगों की है, उसके कारण कोने कोने में क्रांति की भावना पैदा हुई है। बंगाल को आज क्या हालत है। जो वहां क्रांति हो रही है, जो मारकाट हो रही है, नक्सलवादी जो कर रहे है वह कौन हैं वह इसी गरीब तबके के हैं। यह गरीब तबका हरएक राज्य में रहता है। इसलिए यह मान कर चलिये कि कलकत्ता में जो घटनायें हो रही है, वह राजस्थान में हो सकती हैं, यू. पी. में हो सकती हैं, मध्य प्रदेश में हो सकती हैं, मद्रास में हो सकती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन जातियों को कब तक आप दबाये रखना चाहेंगे। अगर इस गरीब तबके को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था कीजिये कि गांवों के अन्दर तो खेती के लिए जमीन मिल जाय और शहरों के अन्दर रोजगार लोगों को मिल जाय। अगर इस प्रकार से सबको रोजगार मिल जायेगा तो समस्या हल हो सकती है, वरना आप पांच सौ रुपये दें, हजार रुपये दें कुए बनाने के लिए इससे नतीजा नहीं निकलने वाला है। आप हजार रुपये, या दो हजार रुपये देते है मकान बनाने के लिए वह आप केवल दो, चार, पांच आदमियों को देंगे इससे समस्या हल नहीं होगी। आज रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। यह समस्या जब तक पूरी नहीं होगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है।

रिपोर्ट में आयुक्त ने जमीन के बारे में काफी कुछ कहा है। जमीन इन लोगों के लिये बिल्कुल नहीं दी है। पैरा 15 में बताया है कि खेती के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों को भारत में बिल्कुल जमीन नहीं मिली है...

श्री रामनारायण चौधरी : अब कृपा करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, आप कृपया इनको शान्त रहने के लिए कहें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन की समस्या राज्य सरकार जब तक हल नहीं करेगी, जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को गांवों में जमीन नहीं मिलती है तब तक इनका विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इन लोगों को जब तक सरकार जमीन नहीं देगी तब तक इनका उद्धार नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, जो राज्य सरकार ने अनियमिततायें की हैं, उनके सम्बन्ध में इस रिपोर्ट में पैरा 147 में बताया है, वह मैं सदन के सामने पढ़

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

देना चाहता हूं, सभापतिजी, पैरा 147 में बतलाया गया है :—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को भूमि आवंटित करने के सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारों की दुरंगी नीति है, उसके कारण भी इन जातियों को इनका उचित भाग नहीं मिल पा रहा हैं। उदाहरण के लिये राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान भूमि राजस्व' (कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए भूमि का आवंटन) 1957 अधिनियम बनाया, जिसके अन्तर्गत सरकारी कब्जे की खाली कृषि योग्य भूमि के 25 प्रतिशत को अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को भूमि देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार को जब यह अनुभव हुआ कि नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा''''

श्री परसराम गंगाराम : यह सुन नहीं रहे हैं मिनिस्टर साहब !

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो यह अनुसूचित जाति के लोगों के लिए व्यवस्था थी, उसके सम्बन्ध में जब राज्य सरकार को यह अनुभव हुआ कि नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हुआ तो, सभापति महोदय, यह आदेश दिया कि 1965 में भूमि केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जातियों को ही उपलब्ध हो : इसमें यह है :

तब उसने दिसम्बर 1964 में सभी जिलाधीशों को यह आदेश दिया कि 1965 में भूमि केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य उपयुक्त लोगों, जैसे सुनारों और भूतपूर्व सैनिकों को ही आवंटित की जाय। तो. सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस रिपोर्ट में जो कहा है कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिए पच्चीस पर्सेन्ट कोटा निर्धारित किया था, उसको पूरा नहीं किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद में सवर्ण जाति के लोगों को भूमि एलाट की गई।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि गांधी शताब्दी वर्ष में राजस्थान सरकार ने नियम बनाये कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को भूमि देगी। लेकिन राज्य सरकार ने गलत तरीके से इस नियम का पालन किया। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को भूमि दी गई, वह आपके आंकड़ों के अनुसार 8655 एकड़ भूमि अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लोगों को देना बताया है! यह समाज कल्याण विभाग के दिये हुये आंकड़े हैं। इसके अलावा मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि करीब पांच लाख एकड़ भूमि आपने रेगुलेराइज कर दी। इस प्रकार राज्य सरकार ने रुपये में छै चौदह आने तो रेगुलेराइज कर दी, एक आना इन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को दी है। इस प्रकार गांधी शताब्दी वर्ष में इन जातियों की उन्नति के लिहाज से राज्य सरकार की जो नीति रही है यह इनके हित में उचित नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार भूमि देना चाहे तो दें नहीं तो नहीं दें... !

(घंटी)

श्री सभापति : अब आपने दस मिनिट अधिक समय ले लिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : उससे ज्यादा हो सकता है।

श्री सभापति : इस तरह तो 4 घंटे भी हो सकते हैं। संक्षेप में कहें। एक दो मिनिट में समाप्त करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इन जातियों को अगर भूमि देना चाहें तो वन विभाग की भूमि पड़ी हुई है, वह उनको देनी चाहिए। सिवाय चक भूमि भी पड़ी हुई है, गैर मुमकिन भूमि हैं। कलक्टर किस्म चेंज करने में समय लगा रहे हैं। यह जो भूमि मैंने बताई है। गैर मुमकिन सिवाय चक की, इसके लिए विचार करें। तहसीलदार ने लिखा हुआ है।

अब उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ बातें बताना चाहता हूं। आयुक्त ने बहुत कुछ कहा है कि अगर अनुसूचित जाति के लोगों को कारखानों में काम दिलाया जाय, उद्योगों को भी स्थापित किया जाय तो उनको ऐसे व्यवसायों में लगाया जाय जिसका किसी जाति विशेष से संबंध न हो। आयुक्त ने सुझाव बहुत महत्वपूर्ण दिया है, बाकी राज्य सरकार ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार ने ध्यान जरूर दिया है, प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। चर्म उद्योग हैं, चर्म का काम सीखते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपने जिन लोगों को काम सिखाया है, उनको सिखाने के बाद क्या फैसिलिटी दी हैं? आपने कोई फैसिलिटी नहीं दी है। अगर फैसिलिटी देते तो जो प्रशिक्षण केन्द्र खोल रहे हैं उनसे कई लोगों का भला होता। आपने केवल 40) माहवार देकर सहायता दी है। इनको किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं दी है।

244 पैरा में आयुक्त ने सुझाव दिया है, वह बहुत ही अच्छा है। चमड़े के काम से लेकर जूते बनाने के काम तक सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया जाय तो चमड़े उद्योग के कर्मचारियों का शोषण समाप्त हो सकता है। राजकीय व्यापार निगम ऐसे जूते तथा चमड़े का सामान निर्यात करने वाले लोगों को मान्यता देकर काफी सहायता कर सकती है। इस तरह का काम आपने किया है? और सुझाव भी दिया है कि बड़े नगरों के समीप ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति की एक बड़ी संस्था सहकारी समिति के द्वारा खोली जा सकती है और कुछ राज्यों के ठेकेदार तो ऐसी सोसाइटीज को प्रोत्साहन देते हैं। दूसरे राज्यों में इस तरह के काम खोले हैं बाकी राजस्थान सरकार किसी प्रकार का कुछ भी काम इन लोगों को नहीं दे पाई है। इस तरह के जो काम हैं, जो दूसरे राज्यों ने अपनायें हैं, अगर हमारी राज्य सरकार भी अपनाये तो हमारी समस्या दूर हो सकती है। कई सुझाव आयुक्त ने दिये हैं। कई किस्म के काम हैं वे अगर इन लोगों को सिखाये जायं तो इनकी भलाई हो सकती है जैसे ड्राइवर मोटर मिस्त्री की ट्रेनिंग। कई राज्य सरकारें कर रही हैं, बाकी राजस्थान सरकार नहीं कर रही है। आप छोटे से कामों में भी कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक योजनाबद्ध तरीके से कोई काम नहीं करेंगे तब तक इन जातियों का किसी माइने में विकास नहीं हो सकता...

(घंटी)

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आसन की अवहेलना हो रही है····

श्री सभापति : किसी के कहने पर प्रोवोक नहीं होऊंगा, सुझाव देकर समाप्त करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यदि आप इन पिछड़ी जातियों को बैंक के द्वारा कर्जा दिलाकर छोटे धंधों में उनको बैंक से सहायता दिलायेंगे तो इन जातियों का विकास हो सकता है । बाकी इन जातियों का किसी प्रकार से विकास नहीं हो सकता ।

दूसरी बात आप जो कोटा देते हैं वह सब बम्बई व कलकत्ता में बिक जाती है जितना भी शीट्स वगैरह का कोटा है, न मजदूरों को मजदूरी दे सकते हैं, न किसी प्रकार से उद्योग पनप सकते हैं इसलिए जिन लोगों को आप कोटा दें, वह न दें और सोसाइटी बना कर 5-5, 10-10 आदमियों को कोटा देकर उनको काम पर लगाया जाय । इसके अलावा कई बातें हैं । इन जातियों के विकास के लिए । मोटरों के परमिट्स इन जातियों को क्यों नहीं देते हैं ? एक-एक व्यक्ति के पास 15-15, 20-20 गाड़ियां होती हैं । आप वह परमिट्स भी इन जाति के लोगों को दें ।

(घंटी)

श्री सभापति : समाप्त करें। आपने 25 मिनट ले लिए ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : बहुत सी बातें हैं ।

श्री सभापति : समाज कल्याण मंत्री.

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

जवाब सुनने की कृपा करें ।

(3 म. प.)

श्री विशम्बरनाथ (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : माननीय सभापति महोदय, बहस के दौरान में सदन के दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं । मै आशा करता हूं कि जो उत्तर मैं निवेदन करूंगा उससे आप सब संतुष्ट हो जावेंगे ।

श्री दिग्विजयसिंह : 15 मिनिट में समाप्त कर दें और लिख कर लाये हैं तो रिपोर्टरों को दे दें ।

श्री लादूराम सुलानिया : इस रिपोर्ट पर बहस समाप्त हो जावेगी तो डिनर देंगे क्या आप ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी । लेट आया है आपका सुझाव ।

श्री सभापति : जल्दी ही इसको समाप्त करें ।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : शान्ति से सुनेंगे तो जल्दी ही समाप्त हो जावेगी ।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उनके लिए मैं और मेरे अधिकारी आभारी है और तीव्र गति से और सही दिशा में चलने का प्रयास किया जा सकेगा ।

जहां तक रिपोर्ट का सवाल है उस पर दो दिन तक बहस हुई है । 250 पेज की रिपोर्ट पर पांच और छ: स्थानों परही राजस्थान का हवाला दिया है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : कई विभाग के आंकड़े मांगे हैं लेकिन दिये नहीं है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आप जरा धैर्य तो रखिये और सुनिये तो सही।

राजस्थान के बारे में केवल पांच जगह पर 250 पेज की रिपोर्ट में हवाला है और माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि जो भी बातें शिकायतों के तौर पर माननीय सदस्यों ने की थीं वे हमारे पास पहुंची और वे रफा हो गयी उसका भी उस रिपोर्ट में उल्लेख है। कुल मिला कर यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार और राजस्थान के समाज कल्याण विभाग पर एक भी एडवर्स रिमार्क इस रिपोर्ट में नहीं है। कहीं पर एक भी एडवर्स कमेन्ट हो तो मुझे बता दें। सात साल में समाज कल्याण विभाग के सम्बन्ध में कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं है।

श्री परसराम गंगाराम : कितने हुए यह तो बताइये।

श्री भैरोंसिंह : पेज 146 का दूसरा पैराग्राफ पढ़िये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो यों ही कह रहे हैं।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : उस पर राजस्थान का कोई हवाला नहीं है। पांच जगह पर हवाला है। अधिकारियों का ध्यान दिलाने पर वह शिकायत समाप्त हो गई।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने 420 वां पेज पढ़ा है ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : यह तो है ही नहीं इस रिपोर्ट में।

श्री सभापति : ऐसे पेज हाउस के बाहर मिलते हैं यहां पर नहीं।

श्री विशम्बरनथ जोशी : प्रथम वक्ता गाड़ियाजी ने सुझाव रखा था कि पार्लियामेन्ट में जिस प्रकार समिति का निर्माण किया गया है उसी प्रकार राजस्थान में भी एक समिति बननी चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के समाज कल्याण विभाग ने यह निर्णय ले लिया है कि जिस प्रकार पार्लियामेन्ट की सिलेक्ट कमेटी ने अनुसूचित जाति और जन जातियों के लिये कमेटी का निर्माण किया है उसी लाइन पर सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट के आधार पर राजस्थान में भी एक परमानेन्ट स्टेन्डिंग कमेटी का निर्माण किया जाय। गवर्नमेंट ने निर्णय लेकर कम्युनिकेट कर दिया है। पहले यह सोचा गया था कि एक हफ्ते का सेशन नहीं होगा। चार पांच दिन का ही होगा। इसलिये स्पीकर महोदय उचित समझें तो पहली कमेटी तो अपनी तरफ से नामजद कर दें और आयन्दा के लिये चुनाव हो जाय। हमेशा के लिये चुनावों के आधार पर एक स्टेंडिंग कमेटी कायम हो जावेगी। यह आप को जानकर प्रसन्नता होगी।

एक बहुत ही मुद्दे की बात कही गयी है और अधिकांश माननीय सदस्यों ने व्यग्रता जाहिर की है और मैं भी उसमें शेयर करता हूं। यद्यपि आपने फरमाया कि राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जन जाति को राज्य सेवाओं में संरक्षण $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत से बढ़ा कर 28 प्रतिशत कर दिया है किन्तु उसके अनुकूल रिक्रूटमेन्ट नहीं हुआ है। जो आपने फरमाया वह वाजिब बात है। वित्तीय स्थिति और कटौती के बंधन जो राज्य सरकार ने लगाये हैं उसका

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

कारण उससे फायदा कम हुआ है। राजस्थान सेवाओं में रिक्रूटमेन्ट की पाबन्दियां भी लगी हुई थीं जिनको पहली मई से उठा लिया गया है और 28 परसेन्ट की जो बात है उसके अनुसार भर्ती हरएक विभाग में हो जावेगी। यह स्केल 1 से लेकर 9 तक के लिये एन. इ. सी. के है। बाकी के लिये जरूरत नहीं होगी। यह आज की स्थिति है।

दूसरी बातों के लिये जो व्यग्रता माननीय सदस्यों ने जाहिर की है वह वाजिब थी। अलॉटमेन्ट ऑफ लैंड के लिये गांधी शताब्दी वर्ष में घोषणा की थी कि गांधी शताब्दी वर्ष में काबिल काश्त भूमि का आवंटन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये ही किया जावेगा। वह मुद्दे की बात थी। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्व विभाग को समाज कल्याण विभाग ने संपर्क नहीं किया। ऐसी बात नहीं है। समय समय पर सम्पर्क कायम करते रहे हैं। कलेक्टर्स को आदेश भी भेज दिये गये हैं। नियमों में परिवर्तन किया गया है। जहां पर अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन जाति के प्रधान नहीं थे वहां पर एक एक अनुसूचित जाति और जन जाति के सदस्य को जोड़ा जावेगा। यह परिवर्तन किया गया है। यह बात ठीक है कि कागजों पर अलाटमेन्ट हो गया था और मौके पर कब्जा नहीं मिलता था और झगड़े हो जाते थे। उस दिक्कत को कम किया गया है। उसका इन्तजाम किया गया है और नियमों में चेन्ज किया गया है। जब तक कब्जा नहीं दिया जावेगा अलाटमेंट नामुकम्मिल माना जावेगा। अलॉटमेंट को मुकम्मिल जब ही माना जावेगा जबकि कब्जा दे दिया जावेगा। अलाटमेन्ट जिस दिन किया है तीस दिन के अन्दर लाजमी तौर पर कब्जा दिलाया जावेगा यह भी संशोधन कर दिया गया है।

दूसरा यह भी संशोधन किया गया है कि नियमों में अलॉटमेंट भी हो गया और कब्जा भी मिल गया। सीधे सादे लोग होते हैं, अलाटमेन्ट ऑर्डर की कापी नहीं लगाते हैं तो टाइटल का झगड़ा पैदा हो जाता है।

श्री लादूराम सुलानिया : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : बीच में जवाब नहीं दूंगा।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आपसे पूछना चाहता हूं ...

राजस्थान में जो छात्रवृतियां दी जाती हैं इसके बारे में जवाब दीजिये।

श्री सभापति : जवाब देने के लिये ही खड़े हुए हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : पांच घण्टे बहस के हैं, जो मुद्दे बहस में उठाये हैं, उन सब पर जवाब दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री लादूराम सुलानिया के पुनः बोलने पर)

अंकित न हो।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सर्टीफिकेट आफ अलाटमेन्ट का पांच रुपया लिया जाता था। वह अब नहीं लिया जावेगा।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री लादूराम सुलानिया : ...

श्री सभापति : ये जवाब दे रहे हैं। पहले उनका जवाब तो सुनने की कृपा करें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उनको कोई दिक्कत न हो इसके लिये यह भी किया गया है कि पास बुक की कीमत का 1" भी उनसे न लिया जावे। समाज कल्याण विभाग उसकी फीस अपने पास से दे देगा। उनको तो पास बुक फ्री दी जावे।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जमीनें ही नहीं हैं तो किस बात की पास बुकें देंगे ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी: यह दिक्कत हमें भी महसूस हुई। यह जो अलॉटमेंट हुआ है जमीनों का इनको इससे मैं भी पूर्ण रूपेण सन्तुष्ट नहीं हुआ हूं। कुछ जमीनें काबिले काश्त भी कम रह गई थीं। तो इसके लिये सरप्लस चरागाह में से या फोरेस्ट में से निकाल कर दिये जाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

कई जगह अलाटमेंट कमेटियों की मीटिंगे कायम हो गई पर इनमें हमने कई बार यह देखा कि सरपंच मौके पर नहीं आता। या तो उदासीनता के कारण या नहीं चाहने के कारण। सरकार ने जब यह देखा तो अब सरकार यह कर रही है कि, राजस्व मन्त्री से हमने बात की है, उसने भी स्वीकार कर लिया है, नियमों में यह परिवर्तन करने हम जा रहे हैं कि सरपंच की अनुपस्थिति अगर होती है तो भी अलाटमेंट कर दिया जावे। अब उसकी उपस्थिति लाजमी नहीं रहेगी। एक हफ्ते में यह नया नियम प्रसारित हो जावेगा।

निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रोमोशन में भी रिजर्वेशन की बात कही। सिद्धान्त रूप से इसे मैं स्वीकार करता हूं। इस बारे में भी सरकार सोच रही है कुछ करने को। अन्य राज्यों से हमने इस बारे में जानकारी चाही है भारत सरकार से भी जानकारी चाही है कि उसने क्या कर रखा है। भारत सरकार की जानकारी तो आ गई है कई राज्यों से भी आई है, और जो बाकी है सब जगह से जानकारी आ जाने के बाद शीघ्र ही हम इस बारे में भी फैसला करने वाले हैं। यह दूसरी जानकारी देना चाहता हूं।

छात्रावास और स्कालरशिप के बारे में कहा गया। यह निवेदन करदूं कि जब से शिक्षा विभाग से यह काम हमने हाथ में लिया है इसमें इम्प्रूवमेन्ट हुआ है, इसको तो उन्होंने भी स्वीकार किया है, यह प्रसन्नता की बात है। और सदस्यों ने भी कहा है कि समाज कल्याण विभाग स्वयं ही अपनी ये सब प्रवृत्तियां चलावे, दूसरे विभागों पर निर्भर न रहे। सदस्यों के इस तरह विचार व्यक्त करने को मैं अपने विभाग के प्रति कम्पलीमेन्ट्स उनके मानकर चलता हूं। और इसकी मुझे प्रसन्नता भी है। आपका आभारी भी हूं। हम भी यह चाहते हैं पर हमारे पास स्टाफ लिमिटेड है। सारा काम हाथ में लेंगे तो स्टॉफ की जरूरत पड़ेगी। कोशिश कर रहे है इतने स्टाफ के लिये। हमारा योजना यह हैं कि हम ही सारी छात्रवृत्तियों का पैसा लेकर खुद ही बांटेंगे और खुद ही हिसाब रक्खेंगे। हमारी अभी की योजना यह है कि जुलाई के महीने में जब कि स्कूल कालेज खुलते हैं तब एक इन्स्टालमेन्ट दे दें और दूसरी किश्त अक्टूबर जनवरी तक दे देना चाहते हैं। बहुत सी जगहों पर इस तरह हुआ भी है। कहीं एक

(श्री बिशम्बरनाथ जोशी)

दो महीनों की देरी किसी कारणवश हो गई हो तो दूसरी बात हैं।

कालेजों का जहां तक सवाल है हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कपड़ों की और किताबों की जरूरत होती है फीस के लिये भी जरूरत होती है पैसे की। तो एडमिशन के वक्त इन चीजों का प्रबन्ध या फीस का प्रबन्ध गरीबी के कारण ये लोग नहीं कर पाते स्कालरशिप भी मिलेगी तो मिलेगी करजा भी मिलेगा तब मिलेगा तो इस दिक्कत को हल करने के लिये हमने यह किया है कि कालेजों प्रिंसिपलों को हमने चिट्ठी लिखी है कि जो आदिम जाति के या अनुसूचित जाति के विद्यार्थी हों वे अपना सरटीफिकेट बतादें इस बात का तो उनसे फीस का एक पैसा न लें और सीधा ही उनको एडमिसन दे दिया जाय। फीस का पैसा समाज कल्याण विभाग सीधा ही उनकी छात्रवृत्ति में से काटकर कालेजों को भेज देगा। यह व्यवस्था इस साल सारे कालेजों में लागू हो जावेगी। पिछले साल डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर के कालेजों में हमने यह किया था। इस साल से सब जगह कर रहे हैं।

होस्टलों के बारे में कहा कि प्राइवेट संस्थाओं के ये प्रबन्ध में हैं और ये प्रबन्ध ठीक नहीं कर पा रहे हैं। शोषण करते हैं। मैं कुछ हद तक आपकी यह बात स्वीकार करता हूं। कुछ का प्रबन्ध सन्तोषप्रद नहीं हैं, कुछ के खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। पिछले सेशन में एक दो संस्थाओं की ऐसी की मान्यता भी हमने रद्द की है और उनका प्रबन्ध विभाग ने अपने हाथ में लिया है। इसमें पूरा दोष उनका भी नहीं है। आज उनको जो सहायता मिलती है चालीस पचास रुपया ही मिलती है, जो कम पड़ती है आज की महंगाई के जमाने में। चीजों की कीमतें बढ गई है तब से। विभागीय छात्रावास में 60/70 रुपये देते हैं। उस पर सुपरविजन चार्जेज जोड़ें तो 80 रुपया का खर्च प्रति छात्र आ जाता है, जब कि हम 40 ही देते हैं। इसके लिये विचार करने के लिये एडवाइजरी कौंसिल की मीटिंग के लिये व्यवस्था की है। सालोदियाजी भी इसके मेम्बर हैं। और भी हैं। इस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी है अब तक। अब फैसला यह किया है कि पहली बैठक दस रोज के अन्दर अपने कमरे में बुलाकर जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे कि क्या करना है। 26 तारीख को मेरे कमरे में यह मीटिंग होने जा रही है और इसमें इस चालीस पचास या पैंतालीस कितना रखना है इसको रिवाइज करने का निर्णय लेंगे।

मुख्य मन्त्री ने भी इसे स्वीकार किया है कि एक फिक्स्ड अमाउन्ट पचास लाख या साठ लाख खर्च किया जावे यह न करके आवश्यकता कम से कम क्या हो इस आधार पर निर्णय किया जावे।

अब इन सभी संस्थाओं प्राइवेट एजेन्सियों का सहयोग हम लेकर चलना चाहते हैं। सरकार यह सब कर ले, यह भी ठीक नहीं होगा। सार्वजनिक संस्थाओं को भी स्थान देना पड़ेगा। एक सरकारी महकमें की तरह इसको चलाकर कुछ करना चाहें तो यह ठीक नहीं होगा। जिनकी सेवाएं सही हैं उनको एन्करेज करना चाहिये। और जो गलत हैं उनको डिसकरेज करना चाहिये। इसलिये सभी अच्छी एजेन्सियों को भी खतम कर दें तो यह अच्छा नहीं

(श्री विशम्बरनाथ जोशी)

होगा। खराब अगर कोई है तो जांच करके मान्यता रद्द कर देंगे। अच्छी है तो मदद देकर चलाना चाहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसी संस्था अच्छी है और कौनसी खराब है, इसका क्या क्राइटेरिया होगा मालूम करने का ? क्या सरकारी अधिकारियों से यह निर्णय करावेंगे।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : नहीं।

श्री रामकिशन : आपके कमरे में मीटिंग होगी, आपने कहा तो क्या यह मीटिंग बांदी कुई में होगी या जयपुर के आपके बंगले में ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : राजस्थान सचिवालय में।

श्री रामकिशन : हम तो यों समझ रहे थे बांदी कुई में आपके कमरे में हो रही है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : जालोर से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि वहां छात्रावास कम हैं। यह भी कहा कि तिड़ी में एक चलता था पर यह बन्द हो गया। दुबारा उसे चलाया जावे। तो सहानुभूति पूर्वक इस सारे मामले को एग्जामिन करके चलाना सम्भव हुआ तो जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे।

एक सुझाव यह भी आया कि प्रधान, प्रमुख सरपंच आदि के चुनावों में भी रिजर्वेशन कर दिया जावे या सारे ही वे ही लोग जावें। यह करना अव्वल तो बहुत बड़ी चीज होगी दूसरे देश में सबने स्वतंत्र मतदान और जनतन्त्र को स्वीकार किया है। फिर इनमें से कोई आया ही न हो, ऐसा भी नहीं है। मेरे खुद के निर्वाचन क्षेत्र में शिड्यूल्ड कास्ट्स का सरपंच है।

श्री रामकिशन : बहुत कम।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : यह ठीक है। जैसे जैसे जागृति आवेगी इनकी संख्या बढ़ती जावेगी।

इससे अन्य लोगों में प्रतिक्रिया भी अच्छी नहीं होगी, और अनहैल्दी वातावरण भी पैदा हो सकता है। इनको उठाने के लिये सभी के सहयोग की भी अपेक्षा है। उनके जनतांत्रिक अधिकारों को खतम करेंगे तो विपरीत प्रतिक्रिया भी हो सकेगी।

एक बात कही गई कि इन लोगों को खेती के काम के लिये लोन दिया जाना चाहिए। खेती के कुओं के लिये लोन मिलना चाहिये। कैश क्राप के लिये भी मिलना चाहिये। अनुसूचित जाति के लिये पीने के पानी की भी दिक्कत रहती है तो उनको इसके लिये भी कुओं के लिये लोन मिलना चाहिये अनुदान भी मिलना चाहिये।

उनके पास जमीनें भी पहले नहीं थीं अधिक। अब एक लाख बीघा जमीन दे रहे हैं। राजस्थान केनाल में भी अलाटमेंट होगा तो कोशिश करेंगे कि इनको भी इन कामों के लिये भविष्य में सहायता और अनुदान और लोन दिया जाय।

एक बात और कहना चाहता हूं। वह महत्व पूर्ण है। 150करोड़ का कुल बजट है उसमें से तीन परसेन्ट से ज्यादा हमें नहीं मिलता। केवल इसके बलबूते पर इस सारी

(श्री विशम्बरनाथ जोशी)

योजना को पूरा करने की सोचें तो समझें कि सारी दिक्कतें हमारी हल हो जावेगी तो यह सही नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सेन्टर से 3 योजनाओं में 1।।। करोड़ रुपया लैप्स कैसे हो गया।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया था इस बारे में, मैं फिर निवेदन कर दूं कि टोटल अनुदान का करीब 2।।। परसेन्ट लैप्स हुआ है। यह बहुत नेग्लीजीबल अमाउन्ट है। इतना लैप्स हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप जो यह कहते हैं कि लाखों करोड़ों लैप्स हो गये तो यह आपको गलतफहमी है। 2।।। परसेन्ट से कम लैप्स हुआ है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : 1।।। करोड़ रुपया काम में लगता तो काफी काम होता यह अकर्मण्यता है आपके विभाग की।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : दफ्तर के बारे में कहा गया। यह मैं कह कर नहीं चलता कि हमारे विभाग के अन्दर जो कर्मचारी हैं वे सारे फरिश्ते ही हैं या विभाग के अन्दर दूसरी तरह के लोग हैं, अनियमितताएं गड़बड़ी होती ही नहीं, यह भी मेरा दावा नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : शिड्यूल कास्ट में से कोई अफसर होता तो और ज्यादा खर्च करता। एक पैसा लैप्स नहीं होता।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउसिंग अलाटमेन्ट के बारे में चार बातें रखी। पहली प्रार्थना-पत्र लिखित में लेते है। उसमें समाज कल्याण अधिकारी टिप्पणी के साथ सिफारिश करता है। अब हर केस में एडमिनिस्ट्रेटर या चेयरमैन, नगरपालिका का सर्टीफिकेट होता है कि इसके पास मकान नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसमें आप एन्क्वायरी करा लें तो पता लगेगा।

श्री जगन्नाथ पटेल . जो माननीय सदस्य ने कहा सही कहा है।

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री जगन्नाथ पटेल : ......

श्री सभापति : यह निवेदन करना चाहता हूं, कि मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। सबको पूछने का अवसर दिया जावेगा। अब अगर आप बीच में बाधा उपस्थित करेंगे तो अंकित कैसे होगा।

श्री जगन्नाथ पटेल : सभापति महोदय,

श्री सभापति : अंकित न हो।

श्री जगन्नाथ पटेल : × × ×

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से . . . (शोरगुल) . . . यह कोई जरूरी नहीं है। एक निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

(शोरगुल)

श्री जगन्नाथ पटेल: × × ×

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री सभापति : अंकित न हो। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं। उनके भाषण के समाप्त होने के बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सब को फेसिलीटी दी जायेगी। आप बीच में बाधा उत्पन्न न करें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हम उनको देख सकते हैं। नक्शा उसका बनवा कर लेते हैं। समाज कल्याण अधिकारी की रिपोर्ट होती है। कोई गलत रिपोर्ट करा कर ले लेते हैं तो मेरा विभाग कोई अन्तर्यामी नहीं हैं। गलती होती है, इस प्रकार के केसेज होते हैं। जोधपुर शहर और रतनगढ़ की मेरे पास में एक तहकीक शिकायत पेश हुई और इन दोनों केसेज की मैंने इन्क्वायरी शुरू करवा दी है और उस पर पूरी कार्यवाही होगी। और भी कोई माननीय सदस्य लिखित में सूचना देना चाहें कि फलां आदमी ने फलां जगह पर गलत सबसीडी ली है, आप कोई भी सूचना देंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता।

हाथ के कुटीर उद्योगों पर सेल्स टैक्स माफ हो लेकिन चमड़े की वस्तुओं पर सैल्स-टैक्स सरकार वसूल कर रही है, यह बात यहां पर कही है नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने। मैं इस मामले की जांच कर के किसी प्रकार का एक्जम्पशन्स दूसरे क्षेत्र में है, जैसे हाथ से बने हुए खादी के कपड़े पर है, उसी प्रकार का एक्जम्पशन्स चमड़े की चीजों पर दिलाने का प्रयास करूंगा और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही कर सकूंगा।

काटेज इन्डस्ट्रीज के बारे में यह कहा गया है कि कोई सहायता नहीं दी जाती है। मैं यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि हमारे विभाग के द्वारा करीब 16 इन्डस्ट्रीयल सेन्टर चलाये जाते हैं। जिनमें से करीब 13 सिलाई के केन्द्र हैं, एक हस्तकला केन्द्र है और एक चमड़े की वस्तुएं बनाने सिखाने का केन्द्र है। इस प्रकार से 16 केन्द्र चल रहे हैं और इनके प्रशिक्षार्थियों को 35/- 40/- रुपया माहवार स्टाइपन्ड देते हैं। इसके बाद जो टेलरिंग का काम सीखते हैं उनको एक मशीन देते हैं। इसके अलावा एक हमने यह किया है कि जो 200 रुपये का अनुदान देते थे औजार आदि खरीदने के लिये उसके बजाय अब इन्ट्रेस्ट फ्री लोन 1000/-रुपया प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एस्टेबलिश होने के लिये, रिहेबिलिटेशन के लिये दिया जा रहा है। यह हमने नया नियम बनाया है जिसकी कि मैं आपको जानकारी देना चाहता था।

सभापति महोदय, एक बात के बारे में और माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं और वह है लैंड डवलपमेंट के बारे में। माननीय सदस्यों को ही जानकारी हो और राज्य सरकार को नहीं, ऐसी बात नहीं हैं। यह कहना गलत है कि अधिकारियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कोटा में हमारे अधिकारियों ने जमीन आवंटन का अभियान चलाया और इसमें किस प्रकार से काम हुआ, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। कलक्टर, एस. डी. ओ., तहसीलदार अपने रिकार्ड को लेकर मौके पर गये। कलक्टर ने जमीन को देखा और अलाटमेंट अपने सामने कराया और अलाटमेंट करा कर अपने सामने ही कब्जा

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

कराया और नामान्तरण कराया, नामान्तरण की कार्यवाही कराई। उन्होंने अपने सामने ही उसका रजिस्टर में इन्द्राज कराया। लोगों से लोन फार्म भी भराये और वहीं मौके पर लोन मन्जूर किया और लोन वहीं के वहीं पर दे दिया गया। यह सारी कार्यवाही कोटा कलक्टर ने की है और इस अभियान में 3132 आदमियों को 7000 एकड़ जमीन कलक्टर कोटा ने दी है। यह बात मैं आपको बता रहा हूं ...

श्री सभापति : अब आप संक्षेप में कहें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह इसी साल में किया गया है। यह लैंड डवलपमेंट अभियान की बात है....

एक माननीय सदस्य : अन्य जिलों के भी बताइये ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आप चाहें तो जिलेवार आंकड़े भी आपको सुना सकता हूं।

श्री सभापति : आंकड़े तो माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिये आप डाक से भी भिजवा सकते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : टोटल आंकड़े मैं राजस्थान के बता देता हूं। 11 हजार 301 आदमियों को पिछले महिने के अन्त तक 36439 एकड़ जमीन याने करीब 50 हजार बीघा जमीन का अलाटमेंट किया गया है लेकिन हम इसको काफी नहीं मानते हैं....

एक माननीय सदस्य : एक व्यक्ति के पीछे कितनी बीघा जमीन हुई ?

श्री सभापति : आप पहले जवाब पूरा कर लें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : तीन एकड़ याने करीब 5/6 बीघा जमीन ...

श्री लादूराम सुलानियां : एक तरफ आप कहते है कि भूमि का आवंटन कर दिया गया है।

दूसरी तरफ जयपुर के कलेक्टर ने हरिजनों को जो भूमि आवंटित की है उस पर स्टे आर्डर दे दिया है। इस तरह की बात कह कर आप इस सदन को गुमराह करना चाहते हैं। यहां पर आप झूठ बोलते हैं। इस प्रकार का व्यवहार आपका यहां पर अच्छा नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अब माननीय सदस्य ने एक बात कही है जो बस्सी, फागी से आने वाले माननीय सदस्य हैं....

श्री लादूराम सुलानियां : सभापति महोदय, इनको झूठ बोलने से रोका जाये। ये सदन को गुमराह करते हैं, इस सदन में गलत आंकड़े देते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभापति महोदय, 'झूठ' शब्द अनपार्लियामेंटरी है, इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : फागी से आने वाले माननीय सदस्य को इस रिपोर्ट में जो लिखा है, कमिश्नर की रिपोर्ट में .. वह उस झगड़े के बारे में है। वह कहते हैं- "स्थानीय अधिकारियों ने प्रथम दो घटनाओं के बाद तत्परता से कार्यवाही की। इसके बाद में हत्याओं की कोई आवृति नहीं हो पाई है।" आल इंडिया की जो रिपोर्ट है कमीशन की उसमें यह कहा है कि इनीशि-

(श्री विशम्बरनाथ जोशी)

यली जो घटनाएं हो गईं उसके बाद में प्राम्प्ट एक्शन लिया गवर्नमेंट ने और कोई घटना नहीं हो पाई है।

श्री लादूराम सुलानियां : गिरफ्तार कितने हुए ? मुकद्में कितनों पर चलाये गये। कोई हत्या बाद में नहीं हुई लेकिन जो हत्याएं हुईं उसके बाद में क्या हुआ ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि बार बार माननीय सदस्य इस बात को कहते हैं कि हत्याएं हुई हैं और साहब उसके बारे में कोई चालान नहीं हुआ उसके बारे में ऐसा है कि जो कानून जानते हैं उनको इस बात की जानकारी है कि चालान तभी हो सकता है जब किसी शख्स के खिलाफ शहादत हो। जितनी दिलचस्पी माननीय सदस्य यहां पर दिखाते हैं दो साल पुराने मुकद्में के बारे में वे शहादतें मुहैया करने में दिखलाते तो इस मुकद्में का हल ज्यादा आसान होता। (सरकारी पक्ष से हियर, हियर) ये विटनेसेज मुहैया नहीं करा सके और शहादत के एबसेन्स में किसी के खिलाफ चालान कैसे पेश कर सकते हैं। जबरदस्ती चलते रास्ते किसी को गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। अदम सबूत में मामला पड़ा हुआ है।

श्री लादूराम सुलानियां : माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रता से माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि आपने यह कहा कि हम शहादतें नहीं दे सके तो लादूराम सुलानियां चश्मदीद गवाह नहीं था लेकिन इसके बाद में क्या किसी ने उस जगह का निरीक्षण किया ? वहां पर खून देखा है। उसको आश्वासन दिया है। आप यह कहते हैं कि हम कानून नहीं जानते हैं तो आप हमसे ज्यादा कानून जानते हैं। आपने एल०एल०बी० किया है.........

श्री सभापति : आपने एल०एल०बी० किया है और इन्होंने डबल एल०एल०बी० किया है।

श्री लादूराम सुलानियां : आपने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। यह हरिजनों के साथ अन्याय है। जहां तक सबूत की बात है सरकार स्वंय को इस बात की जांच करनी चाहिये थी। आप हत्याओं की बात पर यह कह कर कि सबूत पेश करना चाहिए बरी हो जाना चाहते हैं... ......

श्री सभापति : माननीय सदस्य श्री सुलानियां।

श्री लादूराम सुलानियां : आपने मुलजिन को बचाने की कोशिश की है। इस प्रकार की प्रवृति रही तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा।

श्री सभापति : (माननीय मन्त्री से) आप प्रारम्भ रखें। आप प्रोवोक न हों।

श्री श्रवणलाल : माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा जानकारी करना चाहता हूं....

श्री सभापति : आपको किसने खड़ा किया है ?

श्री श्रवणलाल : जहां तक खड़े होने का सवाल है...

श्री लादूराम सुलानियां : बोलने का हमारा मौलिक अधिकार है इसलिये खड़े होते हैं। आप झूठ बोल कर हरिजनों को गुमराह नहीं कर सकते हैं उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। हत्याओं की बात कहते हैं तो शहादत की दुहाई देकर उसको टालना चाहते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : शहादत एग्जेमिन करायेंगे तो चालान हो जायगा।

श्री लादूराम सुलानियां : आप एक दफा एन्क्वायरी तो करवाए है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : सभापति महोदय,.... ...

श्री लादूराम सुलानियां : यह कमजोर हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जहां तक समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और उसके कर्मचारियों के द्वारा किसी प्रकार की अनियमितताओं का सवाल है तो मैं फिर कहना चाहता हूं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि गलत कार्यवाही को संरक्षण दें, किसी गलत कर्मचारी को किसी प्रकार का प्रश्रय प्रदान करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा कड़ी से कड़ी कार्यवाही गलती करते हुए कर्मचारी के खिलाफ की है। हालांकि मेरा यह विभाग छोटा सा है लेकिन उसमें भी तीन डिस्ट्रिक्ट लेवल के गजेटेड अधिकारी मोअत्तिल हैं। उनको उनकी अनियमित कार्यवाहियों के लिये सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ एन्क्वायरी इन्स्टीट्यूट की हुई है और एन्क्वायरी का जो कुछ भी परिणाम आयेगा उसके अनुसार उनको सख्त से सख्त सजा दी जायगी। जहां तक डिपार्टमेन्ट के क्लीन अप का सवाल है मैंने उसमें दिलचस्पी ली है। गलत अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है। 14-15 कर्मचारी आज भी मोअत्तिल हैं जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेंक के आफिसर्स भी हैं।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्रीजी यह जवाब दें कि आपने यह जो आंकड़े बताये हैं कोटा के एलाटमेंट के सम्बन्ध में वे कब से लेकर कब तक के हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह जो आंकड़े कोटा के लिए बताये थे वे 22 फरवरी तक के थे।

श्री श्रवणलाल : जो आपके विभाग के द्वारा यह रिपोर्ट हमको दी गई है वे आंकड़े उसमें सम्मिलित हैं या अलग से हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी: आपको कौनसी रिपोर्ट दी है ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : बजट सेशन में दी गई है ?

श्री श्रवणलाल : आपके विभाग की ओर से जो कुछ दिया गया है सूची विवरण या प्रगति विवरण वे उसमें शामिल हैं कि नहीं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : लेटेस्ट है उसमें सम्मिलित हैं। आपको जो दी गई है उसमें भी मैं समझता हूं मार्च तक के दिये गये हों तो सम्मिलित होने चाहिए।

श्री श्रवणलाल : मार्च के बाद के आंकड़े नहीं दिये। जो आपने कोटा का बताया है ....

श्री विशम्बरनाथ जोशी : क्या हैं उसके आंकड़े।

श्री श्रवणलाल : आपने टोटल में 8600 के करीब बताये हैं जब कि आपने कोटा के लिये 11,000 परिवार बताये हैं। जब कोटा में ही 11,000 हैं तो राजस्थान में तो लाखों पर पहुंचेंगे।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : अधिकांश जिलों के बताये हैं। 8-10 जिलों की रिपोर्ट नहीं आई है। उसकी अब रिपोर्ट आई है।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, यह भी मैं चाहूंगा जानकारी कि जो लिस्ट आपने दी है और जो उसके अन्दर मियाद है उसमें इस प्रकार का हवाला नहीं दिया है कि इसमें इतने जिलों की सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : नाम नहीं होंगे जिलों के।

श्री श्रवणलाल : जिलों का सवाल नहीं है। आपने पूरे राजस्थान का दिया है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : 10-12 जिलों की रिपोर्ट नहीं आई हैं।

श्री श्रवणलाल : एक झूंठ को छिपाने के लिए मंत्री महोदय 10 झूंठ बोल रहे हैं।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : आप गलत कह रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : 11 हजार केवल कोटा के लिए बताया है जब कि आपने राजस्थान भर में 8 हजार का एलाटमेंट किया है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : डिस्ट्रिक्ट-वाइज लिस्ट है।

श्री लादूराम सुलानियां : ये फिर गलत कह रहे हैं। इस सारे मैटर को भी आश्वासन समिति को रैफर कर दिया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आश्वासन समिति में तो वैसे ही आ जायेगा।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : निवाई से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात का एतराज किया है कि आपने 25 फार्म दिये थे उनमें से 8-10 ही स्वीकृत हुए। मैं यह कहना चाहूंगा कि दूसरे व्यक्ति जिनको पिछले साल भी नहीं मिला था वह मेरे पास आये तो मैंने उनसे यह कहा कि अपने विधायक महोदय के पास जाइये और उनके माध्यम से भिजवा दीजिये तो उन्होंने यह कहा कि हमने विधायक के चुनाव की खिलाफत की थी इसलिए उनके माध्यम से न तो पिछले साल ही मन्जूर हुए और न इस साल ही और हमारा कसूर यही है कि चुनाव में हमने उनका साथ नहीं दिया। हमने कांग्रेस को वोट दिया था इसलिए नहीं मिला। लिहाजा मैंने वह फार्म मन्जूर किये। वे शेड्यूल्ड कास्ट के आदमी थे, आपके ही गांव के थे। आपकी ही कान्स्टीटुएन्सी के थे'—

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : नाम बताइये।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : इतना ही नहीं मैंने उनको मन्जूर किया बल्कि आपकी निवाई के दूसरे लोग जो गरीब हरिजन

Page No 151

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

मेहतर हैं जिनके बारे में कहने के लिए मेरे पास न कोई नेता आया न कोई कार्यकर्ता आया। किसी ने उनकी सिफारिश नहीं की। मैंने उनको 10 मकानों के लिए सहायता दी। आप मेरे पास फार्म लायें तो आपको 8 की सहायता दी और जिनको पहले नहीं मिली थी उनको 9 को सहायता दी। यह जाति के कल्याण का कार्य है इसमें तो इस प्रकार की भावना से नहीं चलना चाहिये। यह एक ऐसा विषय है जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर समाज के जो जरूरत मन्द लोग हैं, कमजोर हैं उनकी हरेक को मदद करना हम सब का फर्ज है। माननीय सदस्य, के बारे में मेरी राय है कि आप अपने काम को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अदा करते हैं और बड़े जागरूक सदस्य हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि उदारता बरतें तो ठीक रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी कोई दिलचस्पी आपके क्षेत्र में नहीं है न ही उनके जिले में है और न उनके खिलाफ किसी व्यक्ति को खड़ा करने की है चुनाव लड़ने के लिए। वह जरूरी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह आया था वह आपके ऑफिस में कर्मचारी था। आपको यह पता नहीं है कि वह मुझे वोट दिलाने वाला है। वह आपका ऑफिस सुप्रिन्टेन्डेन्ट था। उसने जाकर यह प्रचार किया कि पैसा खर्च किया तो फार्म पास हुए हैं। मेरे फर्जी हस्ताक्षर किये हैं फार्म पर।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : वह शेड्यूल्ड कास्ट का पढ़ा लिखा यंगमैन था जो हमेशा इस प्रकार की समाज-सेवा का काम किया करता है। उसे नौकरी तो अभी 5-6 महीने पहले मिली है। एक आदमी अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रोसीजर बता दें, फार्म ले जाकर दे दें और और इल्लिटरेट व्यक्ति है जिनको कि प्रोसिजर, प्रक्रिया मालूम नहीं है वह किसी को प्रक्रिया बता दें तो आप उसको अपराध मानते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह कांग्रेस का आदमी नहीं है। वह टोंक के चुनाव में आपकी खिलाफत कर रहा था।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं जानकारी दे रहा हूं वह गवर्नमेंट सर्वेण्ट था। झूठे मेरे हस्ताक्षर किये थे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अन्त में मैं सभापति महोदय, मैं दोनों ही दल के माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो कीमती सुझाव दिये हैं, मैं पुनः निमन्त्रण देता हूं, कोई भी लिखित शिकायत आएगी तो फौरन इनक्वायरी कराऊंगा। अन्त में मैं पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं ..

श्री सभापति : पूछिये, पूछिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : भूमि एलाटमेंट के बारे में, क्या गान्धी शताब्दी की अवधि के बाद भी भूमि के एलाटमेंट होते रहे हैं? कई तहसीलें कार्यक्रम नहीं बना रही हैं। जितनी सेवायें चक जमीन है, उसका एलाटमेंट हो जाना चाहिए। एक वर्ष की अवधि समाप्त होने को आ गई लेकिन लोगों को एलाटमेंट नहीं हो सके हैं, तो क्या एलाटमेंट की अवधि बढ़ाने के लिये आप विचार करेंगे?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : सभापति महोदय....

श्री लादूराम सुलानियां : क्या मन्त्री महोदय यह रोकेंगे,-सेवाय चक जमीन थी जिसको कि हरिजनों को होना चाहिए था लेकिन गांव के एक आदमी ने दरख्वास्त दी तो उस पर कलेक्टर जयपुर ने स्टे कर दिया। क्या वह सारा का सारा स्टे कैंसिल कर के वह जमीन हरिजनों को दिलाएंगे ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : क्या कहा ? दुबारा कह दीजिए।

श्री लादूराम सुलानियां : जयपुर के कलेक्टर साहब ने चारागाह की जो जमीन हरिजनों को एलाट होनी चाहिए थी...

श्री रघुनाथ विश्नोई : चारागाह तो एलाट ही नहीं होता है।

श्री लादूराम सुलानिया : उस पर स्टे कर दिया है। क्या उसको कैंसिल फरमा कर हरिजनों को एलाट कराएंगे ? तिबारा कह दूं ?

श्री विशम्बरनाथ जोशी : जब हमने एक साल के लिये घोषणा की थी कि हरिजनों को भूमि एलाट की जायेगी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए दी जाएगी तो इस पोजीशन को रिव्यू करके देखेंगे। एलाटमेंट जितने चाहते थे उतने नहीं हुए हैं, पूरे समय में नहीं हुए हैं तो अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में विचार करूंगा। ऐसा होगा तो बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बात फागी से आने वाले माननीय सदस्य ने कही है कि कलेक्टर जयपुर ने स्टे आर्डर, या स्थगन आदेश दे दिये हैं। जो जमीन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को एलाट होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। इस बारे में मेरी कोई पहले जानकारी नहीं थी। अब मैं नहीं कह सकता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर की गई है या ज्यूडिशल आधार पर की गई है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर की गई है तो मैं फौरन देख लूंगा। लेकिन अगर ज्यूडियशल की तारीफ में आती है तो नियमों के तहत जो कार्यवाही की जा सकती है, वह कार्यवाही की जाएगी। बहरहाल, भूमिहीन लोगों को भूमि दिलवाने के लिए जो कार्यवाही होगी वह मैं करूंगा।

श्री सभापति : मैं सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 3 बज कर 55 मिनिट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

राजस्थान सरकार

खनिज एवं भूगर्भ विभाग, राजस्थान

सामान्य खनिजों पर अधिशुल्क उगाहने का इकरारनामा

यह प्रतिज्ञा-पत्र (Indenture) आज दिनांक 3 महीना अप्रेल सन् 1964 को एक ओर राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है, जिस पद में, जहां प्रसंग में ऐसा ग्राह्य हो, उनके पद के उत्तराधिकारी तथा अभिहस्तांकिति शामिल समझे जायेंगे) तथा दूसरी ओर श्री मोहनलाल पुत्र रामसहाय (जिसे इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है, जिस पद में, जहां प्रसंग में ऐसा ग्राह्य हो, उसके वारिस (heirs), निष्पादक (executors), प्रबन्धक (administrators), प्रतिनिधि (representatives), तथा अनुमत अभिहस्तांकिति (permitted assigns) शामिल समझे जायेंगे, के बीच लिखा जाता है।

और चूंकि उक्त ठेकेदार ने नीदड़, बेनाड़, मांचड़ा, बोयेथाला (रेल्वे बाउन्ड्री छोड़ कर), तहसील आमेर, जिला, जयपुर डिविजन जयपुर में स्थित खदानों (quarries) में से उत्खनित (excavated) मेसनरी स्टोन पर देय अधिशुल्क (royalty) उगाहने के ठेके के लिये सबसे ऊंची बोली लगाई है;

और चूंकि उक्त ठेकेदार ने राज्य सरकार को इसमें आगे लिखे तरीके से 3240 रुपये सालाना की राशि इस शर्त के साथ कि काम करने वाला पट्टेदार (working lessee) खनिज कार्य करने के अधिकार का उपभोग उक्त पट्टेदार को राजस्थान खनिज समनुदान नियम, 1959 की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत उनके पट्टों में निर्दिष्ट दरों पर अधिशुल्क भुगतान करने पर करेगा, जमा करादी है/जमा कराने का वचन दिया है।

और चूंकि उक्त ठेकेदार ने इसमें आगे लिखी शर्तों तथा सम्भावों का यथावत् पालन करने के लिये 810 N.D.C. रुपये की प्रतिभूति जमा करा दी है और राज्य सरकार इसको उपरोक्त ठेका देने के लिये सहमत हो चुकी है।

अतः इसके साक्ष्यस्वरूप इस प्रतिज्ञा-पत्र द्वारा निम्नरूपेण इकरार किये जाते हैं:—

1. राज्य सरकार एतद्द्वारा उक्त ठेकेदार को खदान अभिधारियों (quarry-holders) से या ऐसे खदान अभिधारियों की खदानों से उत्खनित पत्थरों को ले जाने वाले या उठाने वाले व्यक्तियों से, पट्टे पर दिये गये क्षेत्र से प्रेषित (despatched)

सामान्य खनिजों पर प्रत्येक खदान अभिधारी के पट्टे इकरार (lease agreement) में निर्दिष्ट दरों पर अधिशुल्क उगाहने का प्राधिकार प्रदान करती है।

2. यह प्रतिज्ञा-पत्र (इकरारनामा) ऐसी अवधि तक जो दिनांक 4 अप्रेल, 1964 से प्रारम्भ तथा 31, मार्च 1965 को समाप्त होती है, प्रभावशील रहेगा।

3. ठेकेदार इस प्रकार उगाई गई प्रत्येक अधिशुल्क के लिये छपी हुई रसीद देगा तथा उसकी प्रतिपरत (counterfoil) अपने पास रखेगा।

4. ठेकेदार खदान अभिधारियों से उक्त खदान के मुख पर अधिशुल्क वसूल करेगा और यदि खदान के मुख पर अधिशुल्क न भुगताई जाय तो उसे उक्त खदान के निकट किसी भी स्थान पर वसूल करेगा बशर्ते कि ऐसा स्थान उसके लिए संचालक/माइनिंग इन्जिनीयर/सहायक माइनिंग इन्जिनीयर से लिखित में पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेने के पश्चात् नियत किया गया हो।

5. ठेकेदार, ठेके की शर्तों तथा उपबन्धों का यथावत् पालन करने हेतु उक्त ठेके की राशि की 25 प्रतिशत धनराशि प्रतिभूति के रूप में अग्रिम जमा करायेगा जो ठेका समाप्त हो जाने पर उसे लौटा दी जावेगी।

6. ठेकेदार किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के नाम ठेका हस्तांतरित नहीं करेगा।

7. ठेकेदार का इस ठेके के अन्तर्गत खदानों के सम्बन्ध में सरकार की ओर से अनुसूचित दरों पर अधिशुल्क वसूल करने के अलावा कोई अन्य दावा नहीं होगा।

8. ठेकेदार सामान्य खनिज समनुदान नियम, 1959 के अनुसार या अन्तर्गत सरकार या विभाग के किसी अधिकारी द्वारा जारी की गई आज्ञाओं तथा हिदायतों से बाध्य होगा।

9. अधिशुल्क ठेके की अवधि के दौरान में खोदकर निकाले गये सामान्य खनिजों पर वसूल की जावेगी न कि ऐसे सामान्य खनिजों पर जो उस क्षेत्र के जिसके लिये कि यह ठेका दिया जाता है, बाहर से लाये गये हों।

10 यदि कोई खदान अधिकारी (quarry man) या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति अधिशुल्क भुगतान करने से बचने की दृष्टि से पत्थरों की मौके पर गिट्टियां बना देता हो तो ठेकेदार उस पर अनुसूचित दरों से अधिशुल्क वसूल कर सकेगा।

11. ठेके की शर्तों तथा उपबन्धों का यथावत् पालन करने में विफल रहने की दशा में सरकार द्वारा ठेका, एक महीने का नोटिस जमानत की जमा रकम तथा पेशगी भुगताई गई किश्त, यदि कोई हो, जब्त करने के साथ एक महीने का नोटिस देकर, समाप्त किया जा सकेगा।

12. ठेकेदार अधिशुल्क उगाहने का प्रबन्ध स्वयं करेगा तथा यदि कोई खदान अभिधारी उसे अधिशुल्क भुगतान करने से इन्कार कर दे तो राज्य सरकार पर इसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा, किन्तु यदि इस सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई शिकायत की जाय तो उस पर राजस्थान सामान्य खनिज समनुदान नियम, 1959 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिये विचार किया जा सकता है।

13. ठेकेदार ठेके की रकम की किश्तों का भुगतान ठेके में निर्धारित इकरारों के अनुसार करेगा और यदि किसी रकम का नियत तारीख को भुगतान नहीं किया जाय तो उसकी भूराजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जायगी तथा 6½ प्रतिशत की दर से व्याज वसूल किया जावेगा।

14. राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक हित में एक महीने का नोटिस दिया जाकर ठेका समाप्त किया जा सकेगा।

जिसके साक्ष्य में उभय पक्षों ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

Attested
Sd/—**B. S. Sahai**
3-4-64
Mining Engineer, Jaipur
(पद नाम)

Sd/—**Mohanlal**
हस्ताक्षर ठेकेदार
दिनांक 3-4-64
साक्षी 1. द० छगिनलाल, बगरू वालों का रास्ता चौराहे की खूंट
2. द० छगिनलाल अग्रवाल

Sd/—
12-5-64
Jt. Director (Administration)
Mines & Geology, Rajasthan,
Udaipur
राज्यपाल, राजस्थान राज्य की ओर से हस्ताक्षरित किया गया

दिनांक——————

रायल्टः—00.25 नये पैसे प्रति टन

किस्त ठेका:—	3- 4-64=810.00
	1- 7-64=801.37
	1-10-64=801.00
	1- 1-65=801.00
Total	3213.37

Sd/—**Mohanlal**

Attested
Sd/—**B. S. Sahai**
3-4-64
Mining Engineer, Jaipur

परिशिष्ट 2

[तारांकित प्रश्न संख्या 137 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची]

आरोप पत्र विरुद्ध श्री अजीतसिंह त्यागी निरीक्षक भू-अभिलेख तहसील अकलेरा

आरोप नं० 1

आपने वर्ष 1969 में सर्किल भालता तहसील अकलेरा में निरीक्षक, भू-अभिलेख के पद पर कार्य करते हुए श्री प्यारा पुत्र हसना पिंजारा से तकाबी के 130) रु०, दिनांक 18-4-69 को, श्री मांगीलाल पुत्र नाथू दर्जी से 50-08 रु० श्री मांगीलाल व चांदमल आत्मज रामा दर्जी से 80) रु० दिनांक 19-4-69 को कच्ची रसीद देकर वसूल किये और यह कुल रकम 260-08 रुपये दिनांक 24-6-69 तक अर्थात 2 मांह 6 दिन तक खजाने में जमा नहीं करा कर अस्थाई गबन करने का अपराध किया है।

आरोप नं० 2

आपको कच्ची रसीद देकर रकम वसूल करने का कोई अधिकार नहीं है किन्तु आपने आरोप नं० 1 में अंकित 260.08 रुपया कच्ची रसीद देकर वसूल कर अनियमितता करने का अपराध किया है।

ह०
जिलाधीश, झालावाड़

आरोप पत्र विरुद्ध श्री नाथूलाल पटवारी तहसील अकलेरा

आरोप नं० 1

आपने हल्का भालता तहसील अकलेरा में पटवारी के पद पर कार्य करते हुए श्री भेरू पुत्र रामा कहार एवं श्री लक्ष्मन पुत्र मोती मील भालता से तकाबी की सरकारी रकम कच्ची रसीद देकर वसूल की है। पटवारी को कच्ची रसीद देकर रकम वसूल करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार आपने अपने पद के कर्त्तव्यों की अवहेलना करते हुए गम्भीर अनियमितता करने का अपराध किया है।

ह०
जिलाधीश, झालावाड़

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 139 के भाग (i) क (6) में निर्दिष्ट सूची)

LIST OF AMOUNTS COLLECTED BY THE POLICE STATIONS BY PERFORMANCE OF MAGIC SHOW

S.No. 1	Name of Police Stations 2	Amount Received 3
1.	P. S. Patan	1526/—
2.	P. S. Jhalawar	2100/—
3.	P. S. Raipur	1460/—
4.	P. S. Bakani	1578/—
5.	P. S. Asnawar	2205/—
6.	P. S. Pirawa	2130/—
7.	P. S. Bhalta	1026/—
8.	P. S. Aklera	1464/—
9.	P. S. Manoharthana	2000/—
10.	P. S. Khanpur	1700/—
11.	P. S. Sunel	1001/—
12.	P. S. Awar	922/—
13.	P. S. Sarola	1193/—
	Total	20305/—

S/d—
S. P. Jhalawar.

तारीखवार खर्चा वेलफेयर फण्ड 16-11-67 से 17-1-70

तारीख 1	विषय 2	कुल खर्चा 3
16-11-67	मेला कार्तिक पाटन मनोरंजन कार्यक्रम फिटिंग बिजली।	31-73
18-11-67	पंकज सामान मैजिक शो, पर्चेज सामान मेकअप 116-05 49-24	
	टी०ए०,डी०ए० पुलिस पार्टी भीलवाड़ा, उदयपुर, टोंक, कोटा व चित्तौड़गढ़ मय रेफ्रेशमेंट। 847-078	1013-07
22-11-67	राजस्थान पुलिस ड्यूटी मीट स्पोर्ट्समैन व मार्क्समैन के दूध व रेफ्रेशमेंट।	267-00
7- 12-67	केश बुक वेल फेयर फण्ड मेन्टेन करने के एलाऊन्स के।	10-00
11-12-67	सर्फा जन्माष्टमी	50-00
20-12-67	बल्लन खां कानि० 0476 टी.बी. पेशेन्ट को इमदाद।	100-00
21-12-67	बिल, बिजली, मनोरंजन कार्यक्रम मेला कार्तिक पाटन 11-02 बनवाई टिकट 107) रु०	118-02
30-12-67	सर्फा गणेश चतुर्थी 10) रु० खर्चा चैरिटी शो माईक व दरियां वगैरा के किराये के 150) रु०	160-00
8- 1-68	कैश बुक मेन्टेन करने एला०, संजय अखबार 10) रु० 7)	17-00
10- 1-68	पुलिस पार्टीज उदयपुर, भीलवाड़ा जो मनो० कार्यक्रम में शरीक हुई टी.ए. डी.ए. के।	95-30
12- 1-68	हिन्दुस्तान दैनिक अगस्त 67 से नवम्बर 67 के।	15-73
1- 2-68	खर्चा वेराइटी शो नवम्बर, 67	32-75
7- 2-68	कैश बुक मेन्टेन करने के एला० टी.ए. डी.ए. 10) रु० 36-28	46-28

1	2	3
13- 2-68	टी.ए. डी.ए. मिनि. स्टाफ कार्तिक मेला पाटन	50-42
14- 2-68	कानि० पुलिस फोर्स बच्चों की पढ़ाई, इलाज व डिलेवरी केसेज 41-66 42-66	84-26
15- 2-68	कानि० पुलिस फोर्स इलाज के सिलसिले में	100-00
17- 2-68	कानि० जयलाल 149, बच्चों की पढ़ाई	56-00
27- 2-68	कानि० कंवरलाल 173 की धर्मपत्नि की डिलीवरी के	25-00
1-3 -68	बिल नं. 899 दि. 15-11-67 गुलाम अली अब्दुल जी	7-50
4-3 -68	कानि. शेख हबीब नं. 458 बच्चे की पढ़ाई	40-00
7-3 -68	कैश बुक मेन्टेन करने एला० 10) रु० कानि० गुलाबचन्द 66 पढ़ाई बच्चे, अयूब खां 666 42-86 60) रु०	112-86
4-4 -68	बिल नं० 1658 दि० 13-11-67 राज० हार्डवेयर स्टोर झालावाड़ 15-10 व सर्फा मीटिंग डिप्टी स्पीकर राज०, जयपुर 11-52 कैश मेन्टेन करने के एलाउन्स 10) रु०	36-62
19-4 -68	हिन्दुस्तान दैनिक चोरसिया न्यूज एजेन्सी झालावाड़	15-73
20-4 -68	कल्लन खाँ कानि० 476 टीबी पेशेन्ट के मर जाने पर दफन कफन में।	100-00
9-5 -68	कैश बुक मेन्टेन करने के एलाउन्स के	90-00
17-6 -68	पुलिस लाइन के कुए में ब्लास्टिंग कराई के अन्डर ग्राउण्ड वाटर इन्जीनियर एण्ड सेक्रेटरी राज०, गवर्नमेंट वाटर बोर्ड जोधपुर भेजे।	132-57
6-7 -68	पुलिस ड्यूटी मीट के सिलसिले में पर्चेज सामान के	389-38
16-7 -68	पुलिस लाइन, झालावाड़ के कुए में ब्लास्टिंग कराई के सर्फे के	132-55
19-8 -68	खरीद चूना 150 फुट की जनता लाइम फैक्ट्री, जयपुर का	123-00

1	2	3
5-10-68	कैश बुक मेन्टेन करने के एलाउन्स के	32-35
15-10-68	श्री द्वारकालाल आ० 288 को बच्चे की पढ़ाई 75) रु० व सर्फा जन्माष्टमी के 50)	125-00
16-10-68	बिल नं० 1226 दि० 14-6-68 रघुनाथ माणकचन्द झालावाड़ के	99-75
16-10-68	वैराइटी शो मेला कार्तिक पाटन सा० 67 में जो पुलिस पार्टीज भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, वगैरा से आई खाने व चाय वगैरा के मेस फार आल झालावाड़ को।	234-21
17-10-68	श्री प्रभूलाल आ० 233 की धर्मपत्नि के डिलीवरीके केस में बतौर इमदाद।	25-00
10-12-68	कठपुतली के शो कराई के नानालाल रावत कौम भाट श्यामपुरा, तह० परबतसर जिला नागौर के	30-00
1- 1-69	कैश बुक मेन्टेन करने के एलाउन्स के अक्टूबर, 68 से दिसम्बर 68 तक के।	30-00
13- 1-69	बसिलसिले मसबन्दी श्री चतरसिंह 239 को	25-00
17- 1-69	श्री भैरू सिंह 535 बच्चे की पढ़ाई में	39-53
5- 2-69	,, रहमतुल्ला 138 ,, ,,	30-41
6- 2-69	,, मोतीलाल 436 ,, ,,	35-01
10- 2-69	,, जवाहरलाल 418 नसबन्दी पर	25-00
,,	,, द्वारकालाल 288 बच्चे की पढ़ाई में	50-00
14- 2-69	,, सिकन्दर खां 516 ,, ,,	100-26
17- 2-69	अब्दुल रहीम मु. आ. 1 बच्चे की पढ़ाई में	39-50
18- 2-69	संजय अखबार वार्षिक चन्दा	10-00
24- 2-69	नवज्योति अखबार अक्टूबर 68 से जनवरी 69 के	12-20

1	2	3
1- 4-69	कैश बुक मेन्टेन करने के एला. जनवरी 69 से मार्च 69 तक के	30-00
15- 4-69	श्री गोपाल मु. आ. 31 को 2 बच्चों की पढ़ाई	96·63
1- 5-69	पुलिस लाइन के कुए की ब्लास्टिंग के	100-00
28- 5-69	हिन्दुस्तान दैनिक व चौरासिया न्यूज एजेन्सी	12-15
,, ,,	श्री जगन 644 को धर्मपत्नी की बीमारी में	50-00
31- 5-69	गणेश चतुर्थी पूजन के खर्च के	10·00
7- 6-69	कैश बुक मेन्टेन करने के एला. अप्रेल 69 के	10-00
13- 6-69	श्री बाबू खां 650 धर्मपत्नी की बीमारी में सहायता	50-00
16- 6-69	कैश बुक मेन्टेन करने के एला. मई 69 के 10) रु.	2510-00
18- 6-69	नवज्योति अखबार फरवरी 69 से अप्रेल 69 के	8-80
21- 6-69	हिन्दुस्तान दैनिक जुलाई, 68 से नवम्बर, 68 के	15-47
3- 7-69	कैश बुक मेन्टेन करने के एला. जून 69 के	10·00
2- 8-69	कैश बुक मेन्टेन करने के एला. जुलाई 69 के	10-00
20- 8-69	बसिलसिले डिलीवरी धर्मपत्नी व बीमारी खुद के लिए श्री अयूब खां 363 की सहायता	100-00
26 8-69	वास्ते तामीरी कोम स्टेडियम	1500-00
1- 9-69	श्री पिन्टू आ. 575 की धर्मपत्नी के इलाज में	50-00
8- 9-69	कैश बुक मेन्टेन करने के एला. अगस्त, 69 के	10-00
9- 9-69	रेन्ज पुलिस ड्यूटी मीट 50 खिलाड़ियों के बड़े खाने के	150-00
10- 9-60	बिल नं. 299969 दिनांक 7-9-69 खरीद 1 इले० फैन के सेठी जनरल स्टोर, कोटा को	292-00
15- 9-69	सर्फा पूजन गणेश चतुर्थी	10-00

1	2	3
6-10-69	अखबार हिन्दुस्तान दैनिक मार्च 69 से जून, 69,	16-94
9-10-69	श्री अनवर खां आ. 197 को उसकी माता के इलाज में सहायता	50-00
17-10-69	कैश बुक मैन्टेन करने के एला. सितम्बर, 69 के	10-00
23-10-69	नवज्योति अखबार मई 69 से सितम्बर, 69	15-30
24-10-69	श्री शंभूलाल आ. 219 बीमारी खुद की में सहायता	50-00
14-11-69	श्री यासीन कानि. 243 बीमारी में सहायता	75-00
17-11-69	श्री काले खां 289 नसबन्दी कराने पर	25-00
26-11-69	श्री कल्याणसिंह आ. 496 बच्चे का पढ़ाई में 40) रु. व कैश बुक मैन्टेन करने के एला. अक्टूबर 69 के 10) रु.	50-00
2-12-69	श्री कन्हैयालाल आ.377धर्मपत्नी व स्वयं के इलाज में 100)रु. व कैश बुक मैन्टेन करने के एला. नवम्बर, 69 के 10)रु.	110)रु.
17-12-69	हिन्दुस्तान दैनिक के जुलाई, अगस्त, सितम्बर 69 के।	10-92
18-12-69	श्री भंवरलाल आ० 139 को बच्चे व धर्मपत्नी के इलाज में सहायता।	71-50
26-12-69	जाब्ता पुलिस लाइन के पिकनिक 17-8-69 के खर्च के	200-00
3-1-69	श्री अब्दुलरहमान 352 की धर्मपत्नी की डिलीवरी में सहायता।	100-00
7-1-70	कैश बुक मेन्टेन करने के एला० माह दिसम्बर, 69 के	10-00
9-1-70	श्री तेजकरण 464 धर्मपत्नी की बीमारी में सहायता	100-00
17-1-70	श्री भंवरलाल आ० 139 धर्मपत्नि व बच्चे की बीमारी में सहायता।	3-50
		10735-95

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 64 के भाग(2) में निर्दिष्ट सूची)

LIST OF MATERIAL USED.

(1) Pig lead 415 Kg.

(2) Lead Wool 302 Kg.

(3) 14" dia. C. I. Pipe—280 ft.

(4) 14" dia. clip—51 Nos.

(5) Nut Bolts 4" X 5/8" 114 Nos + 60 Kg.

(6) Rubber Sheet 1/16"—20 ft.

(7) Spun yarn—64 Kg.

(8) G. I.Sheet 1/16—20 ft.

(9) Fire wood—11 mds.

(10) Kerosine Oil—2 Liters.

(11) M/s Spillt Collen with nut bolts—44 pairs.

(12) Rubber sheet 1/8"—20 Kg.

(13) G. I. sheet 18 gauge—8 Kg.

(14) White lead—2½ Kg.

(15) Jute—30 Kg.

(16) Nut bolts 1/2"X3"—5 Nos.

(17) —do— ½"X3½"—12 Nos.

(18) —do— ⅝" X 3"—90 Nos.

(19) Clamps 15"—2 Nos.

(20) Rubber sheet—101 Kg.

The approximate value of the above material is Rs. 7,500/- out of which about Rs. 4,000/- is recoverable from the Contractor.

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 131 के भाग (2) व (3) में निर्दिष्ट सूची)

राजस्थान पुलिस की डकैतों से हुई मुठभेड़ की सूची

क्र॰सं॰	जिला	दिनांक मुठभेड़	घटनास्थल	गेंग डकैतान	नाम डकैतान		नाम पुलिस कर्मचारी	
					मारे गये	पकड़े गये	घायल हुए	मारे गये
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कोटा	24-12-69	ग्राम अमरोड़	सूरतसिंह	1. लक्ष्मणसिंह 2. जगन्नाथ	—	—	—
2.	,,	16/17-2-70	,, बागलदाइन (मध्यप्रदेश)	शिवचरणसिंह मलखानसिंह	1. रामचरण 2. चांदसिंह उर्फ यादवसिंह	—	रामप्रताप सी॰सी॰	मोहनसिंह कानि॰
3.	,,	9-3 -70	,, तालाब	,,	—	—	रामसिंह एच॰ सी॰	—
4.	भरतपुर	8-12-69	,, राजाखेड़ा	कल्याण	—	मेरिया	—	—
5.	,,	31-12-69	,, सेखपुरा	फूला	—	—	—	—
6.	,,	19-1 -70	,, बमानी नदी	रूपा	फदी उर्फ मादी	—	—	—
7.	,,	25-1 -70	,, सूरजपुर	—	जगदीश	—	—	—
8.	,,	9-2 -70	,, घड़ी चामिन	जंगा फूला	बाबू	—	—	—
9.	,,	17-3 -70	,, रामसागर	मलखान	शेरा	—	—	—
10.	सवाई माधोपुर	6/7-12-68	,, जंगलगुड़दा	गजा	गजा	—	—	—
11.	,,	25-3 -70	,, जगदपुरा	ई—15	1. विश्वेश्वर (एम॰ पी॰) 2. छोटे धोबी (एम॰पी॰)	—	—	—
12.	झालावाड़	14-4 -70	,, सोजपुर	—	—	—	—	अनवरअली उप निरीक्षक

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के भाग (i) में निर्दिष्ट सूची)

Trucks engaged during Famine Relief 1969 by the Jhalawar Dn.

S. No.	No. of Truck	Loading Tons capacity	Name of owners	Remarks
1	2	3	4	
1.	R.J.R. 1260	7 Tons	M/s. Jain Bros. Bakani.	
2.	R.J.R. 4065	5 ,,	Sh. Yasin Khan.	
3.	R.J.R. 5067	7 ,,	,, Raghubir Singh.	
4.	R.J.R. 4063	7 ,,	,, Manzoor Ali.	
5.	R.J.R. 6909	7 ,,	,, S. C. Pairecha.	
6.	R.J.R. 5169	7 ,,	,, S. C. Pairecha.	
7.	R.J.R. 1955	7 ,,	,, R. C. Patni	
8.	R.J.R. 3380	7 ,,	,, Asraf Ali.	
9.	R.J.L. 1161	7 ,,	,, Prem Singh.	
10.	R.J.L. 3651	7 ,,	,, Ghanshyam Das.	
11.	R.J.O. 480	7 ,,	,, Abdul Kayumn.	
12.	R.J.O. 371	—do—	,, Rahuf Khan.	
13.	R.J.R. 5653	—do—	,, Ali Noor.	
14.	M.P.O. 2104	—do—	,, Noor Mohd.	
15.	R.J.O. 132	5 Tons	,, Bhanwar Lal.	
16.	R.J.R. 1286	7 ,,	,, Bhanwar Lal.	
17.	M.P.O. 2049	—do—	,, Hans Raj.	
18.	R S.L. 4429	—do—	,, Rameshwar Pd.	
19.	R.J.R. 3363	—do—	,, Banarasi Dass.	
20.	R.J.R. 5085	—do—	,, —do—	

1	2	3	4
21.	R.J.O. 402	—do—	Sh. Jabar Ali.
22.	R.J.R. 3361	—do—	„ Gaffar Ali.
23.	R.J.R. 3643	—do—	„ Baboo Bhai.
24.	R.J.R. 345	—do—	„ Hakim Amantoor Rahman.
25.	R.J,R. 3368	—do—	„ Mohd. Vazir.
26.	R.J.R. 3321	—do—	„ Raghubeer Singh.
27.	R.J.R. 2163	—do—	„ Gurmit Singh.
28	R.J.R. 3487	—do—	„ Amrit Lal.
29.	R.J.R. 858	—do—	„ Hafij Bhai.
30.	R.J.R. 3405	—do—	„ Hafij Bhai.
31.	R.J.R. 3946	—do—	„ Asraf Ali.
32.	R.J.R. 5000	—do—	„ Nand Kishore.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के भाग (ख) में निर्दिष्ट सूची)

व्यय भिन्न भिन्न मास में रॉक फॉसफेट के उत्पादन यातायात गिट्टी बनाने व पाउडर बनाने के लिए किया गया।

माह	राशि
जून, 69	1,03,700
जुलाई, 69	2,26,519
अगस्त, 69	2,34,555
सितम्बर, 69	2,90,409
अक्टोबर, 69	3,77,517
नवम्बर, 69	3,55,846
दिसम्बर, 69	3,89,491
जनवरी, 70	5,11,441
फरवरी, 70	6,09,160
कुल	30,99,160

नोट:—इसके अलावा 5,00,000 पांच लाख सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर को दिए गए हैं जो अलग अलग से इसी मद में व्यय कर रहे हैं।

आय रॉक फॉस्फेट बेचने से भिन्न भिन्न मास में प्राप्त हुई:—

माह	राशि
अगस्त, 69	83,492·91
सितम्बर, 69	7,75,404·66
अक्टोबर, 69	8,75,963·15
नवम्बर, 69	8,84,020·60
दिसम्बर, 69	10,13,185·83
जनवरी, 70	13,87,196·57
फरवरी, 70	12,67,101·51
कुल	62,86,365·23

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 173 के भाग (i) में निर्दिष्ट सूची)

बन्दोबस्त के बाद चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने वाले मुकदमों की सूची

नं. शु.	नाम ग्राम	खि. न. कुलवा	किस्म
1	2	3	4
1	आर्थपाली	116	5 बिस्वा चारागाह
2	हीरापोली	54	19 ,, ,,
3	,,	186	7 बि० ,, ,,
4	,,	120	6 बि० ,,
5	,,	120	1 बीघा
6	छिलोखी	369	1 ,,
7	राजगढ़	1734	2 बीघा
8	,,	1036	3 बीघा 5 बि०
9	बल्लूपुरा	2	2 बीघा
10	,,	1720	14 बिस्वा
11	मानाडी	917	8
		918	1 बीघा 1 बिस्वा
		119	7 बीघा 7 ,,
12	मांकडा	643	2 बीघा
13	मुरेखुर्द	1	3 बिस्वा
14	,,	1	5 ,,
15	मढ़	82	1 बीघा 7 बिस्वा
16	नांगल घाबाई	165	12 बिस्वा
17	,,	272	2 बीघा 10 बिस्वा
18	,,	246	15 बीघा
19	,,	246	2 बीघा
20	रादपुरा	243	2 बीघा
21	केशयाना	338	3 बीघा 2 बिस्वा
22	,,	850	5 बीघा
23	भवाडी	334	4 बीघा 14 बिस्वा
24	,,	338	2 बीघा
	,,	1272	2 बीघा

Page No 169

1	2	3	4
25	मवाडी	1503	3 बिस्वा
26	भाडा	1347	2 बीघा
27	सूरत	678	4 बिस्वा
28	,,	546	3 बीघा
29	,,	580	7 बिस्वा
30	,,	480	1 बीघा
31	छड़ावा	1836	1 बीघा 8 बिस्वा
		1847	9 बिस्वा
32	,,	1842	1। बीघा
		101	2॥ बीघा
		765	1 बीघा 15 बिस्वा
33	,,	101	1 बीघा
34	,,	2098	1 बीघा 18 बिस्वा
35	,,	1837	1 बीघा
36	,,	75	1 बीघा
37	,,	59	1 बीघा 7 बिस्वा
38	,,	67	1 बीघा 9 बिस्वा
		1833	1 बीघा
39	,,	1848	9 बिस्वा
40	,,	1684	9 बिस्वा
41	,,	1686	9 बिस्वा
42	,,	1683	6 बीघा
43	,,	1652	17 बीघा
44	,,	104	5 बीघा
45	पापा का वास	11/2	6 बिस्वा
46	,,	58	5 बीघा
47	,,	58	8 बीघा
48	,,	58	5 "
49	मुरलीपुरा	448	10 "
50	मल्लानर	222	12 बीघा
51	,,	51	1 बीघा
52	,,	50	2 बिस्वा
		321	5॥ बीघा

1	2	3	4
53	मल्लाना	25	2 बीघा
54	,,	141	1 बीघा 11 बि.
55	,,	144	1 बीघा 9 बि०
56	,,	325	9 बीघा
57	,,	597	1 बीघा
58	,,	55	2 बीघा
59	,,	56	1 बीघा
61	,,	55	1 बीघा
62	,,	55	2½ बि०
63	,,	55	5 बीघा
64	,,	55	2 बीघा
65	,,	146	2 बीघा
66	,,	173	2 बीघा
		739	3 बीघा
67	,,	305	1½ बीघा
68	,,	532	23 बीघा
69	,,	31	11 बीघा
70	,,	111	1/1 बीघा
71	,,	504	7 बीघा
72	,,	55	1 बीघा
73	,,	55	1 बीघा
74	,,	55	1 बीघा
75	,,	65	1 बीघा
76	,,	585	20 बीघा
77	,,	55	1 बीघा
78	,,	55	1 बीघा
79	,,	537	3 बी 7बि०
80	,,	58	10 नीघा
81	,,	88	11 ,,
82	,,	83	3 ,,
83	,,	108	2 ,,
84	,,	178	1 ,,
85	बिहारपट	88	10 ,,

Page No 171

1	2	3	4
86	घिटावट	1267	1 बीघा
87	,,	57	12 ,,
		116	2 ,,
88	टपला	97	1 ,,
89	,,	10	5 ,,
90	,,	192	22 ,,
		183	28 ,,
	,,	184	15 ,,
		171	14 ,,
91	नामळकरना	100	17 ,,
92	,,	144	3-17बिस्वा
93	,,	145	2-68 ,,

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के भाग (1) व (4) में निर्दिष्ट सूची)

समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले सिलाई प्रशिक्षण केन्द्रों के 1969-70 के अनुमानित व्यय व अब तक के प्रशिक्षित छात्रों तथा सहायता प्राप्त छात्रों की तालिका।

क्रमांक	स्थान	69-70 अनुमानित व्यय	प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों की संख्या	सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या	शेष जिन्हें सहायता दी जानी है	कारण सहायता अब तक न दिये जाने
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोटा	6170	71	52	19	स्वीकृति हेतु फार्म प्राप्त नहीं हुए।
2.	किशनगढ़	12500	34	—	34	स्वीकृति शीघ्र दी जा रही है।
3.	जयपुर	19520	82	44	38	स्वीकृति हेतु फार्म प्राप्त नहीं हुए।
4.	नदबई	10620	64	52	12	स्वीकृति हेतु फार्म प्राप्त नहीं हुए।
5.	सीकर	15720	70	58	12	स्वीकृति हेतु फार्म प्राप्त नहीं हुए।
6.	टोंक	8700	25	11	14	स्वीकृति जारी कर दी गई।
7.	नागौर	9490	30	26	4	आवेदन-पत्र विचाराधीन है।
8.	पाली	12050	55	48	7	स्वीकृति जारी कर दी गई।
9.	जालोर	11810	55	43	12	स्वीकृति जारी कर दी गई।
10.	बाड़मेर	15860	59	48	11	स्वीकृति जारी कर दी गई।
11.	उदयपुर	11700	64	21	43	33 की स्वीकृति जारी कर दी गई।
12.	बांसवाड़ा	9660	111	92	19	आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
13.	सागवाड़ा	10240	38	25	13	आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए।
14.	सिरोही	8060	38	36	2	आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए।

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक 20 मई, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
9	अन्तिम से 10	श्री अमी यादव	श्री अमीलाल यादव
13	,, 15	कानूनों	कानूनगो
17	,, 11	शक्ति	सख्ती
20	,, 4	नियों	नियमों
25	12	लेकिन न नगरपालिका	लेकिन नगरपालिका
26	17	761250	7612.50
31	10	होने अलाटी	होने से अलाटी
,,	,, 18	बीज बीज	बीज
36	अन्तिम से 11	श्री गंगासहय	श्री गंगासहाय
37	,, 10	को	की
41	11	जहां	वहां
50	3	और काम किया गया	और से कराके ठीक कराया
53	14	जो हैं	जो प्रतिवेदन हैं
58	अन्तिम से 4	बेच खरीद	बेचे खरीदें
59	,, 3	नामान्तरण	नामान्तकरण
79	,, 13	अधिकार	अधिक
87	शीर्षक	अतारांकित प्रश्नोत्तर, याचिकाओं का उपस्थापन	याचिकाओं का उपस्थापन
96	17	का	की
117	17	श्री सतीशचन्द्र अप्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
122	अन्तिम से 5	सेवार्यें	सेवायें
131	,, 10	हड़ताल बारे	हड़ताल के बारे
134	17	मुकमें	मुकदमें
138	19	(12-20 म० पू०)	(11-20 म० पू०)
144	9	प्रनिदिन	प्रतिदिन
153	15	कप	कूप

2

1	2	3	4
154	अन्तिम से 10	रुयये	रुपये
169	11	पी० ए०	पी० ए० सी०
170	अन्तिम से 16	इस्यू	इश्यू
,,	,, 12	चाहते	चाहें
171	,, 7	िथति	स्थिति
175	5	सहीं	नहीं
181	7	करवाइ जाय	करवायें
,,	11	कुछ जांच भी कुछ हो	कुछ जांच भी हो
196	5	इसने घर महिलायें	इससे घर में महिलायें
198	अन्तिम से 18	त	तब
,,	,, 9	चच	चर्चा
,,	,, 4	जचेखाने	जच्चेखाने
203	,, 2	हरिन	हरिजन
204	,, 6	सादी	शादी
213	अन्तिम से 16	शिडुल	शिड्यूल
215	15	पार्टी	पार्टी
216	18	तार	तौर
231	,, 4	माननीय को	माननीय सदस्य को
265	शीर्षक	(श्री किशन ाल वर्मा)	(श्री किशनलाल वर्मा)
,,	,, 15	ध्यन	ध्यान
,,	अन्तिम से 11	िया	दिया
269	,, 8	हय	हेय
280	,, 11	को	की
284	,, 3	इल्स्टालमेन्ट	इन्स्टालमेन्ट
297	11	करवाये हैं	करवाइये
303	5	होना	देना
314	अन्तिम से 6	-3-1-69	3-1-70